PLUTUS IAS
UPSC / PCS

PLUTUS IAS

मासिक करेंट अफेयर्स

जनवरी 2026

मुख्य आकर्षण :

1. राष्ट्रीय न्यायिक नीति एवं NJAC की प्रासंगिकता
2. 23वाँ भारत - रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025
3. विकसित भारत - जी राम जी विधेयक 2025 : ग्रामीण रोजगार गारंटी का नया अध्याय
4. शांति विधेयक 2025 (SHANTI BILL 2025) : भारत की परमाणु ऊर्जा क्रांति
5. भारत में जैव - सुरक्षा
6. भारत की डिजिटल जनगणना 2027
7. अरावली बचाओ अभियान : अरावली पहाड़ियों का संरक्षण

+91 8448440231 | info@plutusias.com | www.plutusias.com

PLUTUS IAS

Where there is a will there is way

Offline/Online/Hybrid Batches
Admission Open at Karol Bagh/Chandigarh

Experienced Renowned Faculties

Personalized Mentorship Programme

Notes Making & Answer Writing

Live Session with Backup

Important Courses Offered by PLUTUS IAS

- GS Foundation Course
- NCERT Base
- Pre Cum Mains (GS)
- Prelims Test Series (65 Tests)
- Mains Test Series (24 Tests)

संपादकीय

प्रिय अभ्यर्थियों,

"यह परीक्षा मात्र प्रश्नों का उत्तर देने की नहीं, बल्कि यह दृष्टिकोण, धैर्य और अनुशासन की पहचान है। अतः जो तूफानों से लड़ना जानता है, वही इतिहास में अपना नाम लिखता है।"

सिविल सेवा परीक्षा केवल एक प्रतिस्पर्धा भर नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, मनोबल और सकारात्मक दृष्टिकोण की कसौटी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि— **"ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह अदम्य इच्छाशक्ति से आती है।"** इसी अदम्य शक्ति और संकल्प के साथ जब आप अपनी तैयारी को साधना का रूप देंगे, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी।

प्लूटस आईएएस टीम द्वारा प्रस्तुत यह करेंट अफेयर्स पत्रिका इस प्रकार संकलित की गई है कि इसमें सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े सभी प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण विषयों को व्यापक दृष्टिकोण से समाहित किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि यह पत्रिका न केवल आपकी तैयारी को ठोस आधार दे, बल्कि आपको समकालीन घटनाओं और उनके पीछे छिपे विमर्श को समझने की क्षमता भी प्रदान करे।

"हर दिन का छोटा प्रयास ही भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनता है।" अतः एक ओर समाचार पत्र जहाँ करेंट अफेयर्स की तैयारी का प्राथमिक स्रोत हैं, वहीं यह पत्रिका उस ज्ञान को गहराई देने वाला सहायक साधन है। आज समसामयिक घटनाएँ केवल समाचार नहीं रह गई हैं, बल्कि वे वैचारिक स्पष्टता, मौलिक चिंतन और विश्लेषणात्मक क्षमता की परीक्षा का आधार बन गई हैं। अतः हमने इसे इस प्रकार तैयार किया है कि यह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो।

सिविल सेवा की तैयारी केवल तथ्यों को रटने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने के ढंग को निखारने की यात्रा है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था — **"उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।"** यह यात्रा कठिन अवश्य है, किंतु याद रखें —**"संघर्ष जितना कठिन होगा, विजय उतनी ही महान होगी।"**

इस परीक्षा में वही सफल होता है, जिसके पास धैर्य की शक्ति, अनुशासन की तपस्या और कर्म की निरंतरता होती है। यह पत्रिका आपको ज्ञान और दृष्टि, दोनों के संतुलन में मदद करेगी। अतः अपने मन के हर संशय और भय को दूर रखकर, मेहनत को अपना हथियार बनाइए।

"मन के हर संशय और डर को रख दूर, मेहनत को बना ले हथियार, तू ही है निर्माता, तू ही है पतवार। उठ! समय है तेरा, इतिहास रचने को हो जाओ तैयार, सिविल सेवक बन कर, देश और मानवता की सेवा को करो स्वीकार।।"

प्लूटस आईएएस टीम आपको आगामी सफलता की अग्रिम और अशेष हार्दिक शुभकामनाएँ देती है। आपके उज्ज्वल भविष्य के मंगलकामना के साथ आपका शुभाकांक्षी -

टीम प्लूटस आईएएस।

स्रोत:

द हिंदू | द इंडियन एक्सप्रेस | द इकोनॉमिक टाइम्स | प्रेस सूचना ब्यूरो | पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च | आईडीएसए: रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान | योजना और कुरुक्षेत्र | लोकसभा और राज्यसभा की बहसें।

Copyright © by Plutus IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Plutus IAS.

जनवरी 2026
करेंट अफेयर्स

अनुक्रमणिका

भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था (Indian Politics and Governance)

- हमारा संविधान,हमारा स्वाभिमान अभियान : संवैधानिक जागरूकता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम......1
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु और गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार 3
- भारत में डिजिटल भूमि सुधार : शहरी भूमि प्रबंधन का भविष्य 7
- राष्ट्रीय न्यायिक नीति एवं NJAC की प्रासंगिकता........9
- भारत में पुलिस सुधार : संस्थागत से सांस्कृतिक बदलाव 12
- भारत में हेट स्पीच पर नियंत्रण......15
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)......17
- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996 : 30 वर्ष पूर्ण......20

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 23वाँ भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025.......22
- भारत की बहु-संरेखित विदेश नीति : मुख्य स्तंभ, चुनौतियाँ एवं सुदृढ़ीकरण के उपाय......25
- प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा : भारत-ओमान रणनीतिक साझेदारी की नई दिशा 28
- भारत - जॉर्डन द्विपक्षीय संबंध 30
- भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) : आर्थिक अवसर, रणनीतिक महत्व और चुनौतियाँ......33

भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy)

- भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का सशक्तिकरण : पीएम गतिशक्ति से ग्लोबल हब तक 36
- भारत की कॉफ़ी: सतत् विकास और प्रीमियम गुणवत्ता का वैश्विक मॉडल 38
- ऊर्जा सुरक्षा के लिये कोयला संक्रमण का मार्गदर्शन..41
- भारतीय रुपये का मूल्यह्रास 43
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NMEO) : आत्मनिर्भर भारत की ओर 45
- भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCS) क्रांति : नीति से नवाचार और समृद्धि तक, भारत की विकास यात्रा में अग्रणी 48
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत फसलों का कवरेज बढ़ाना 49
- सतत हिंद महासागर नीली अर्थव्यवस्था में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका 51
- विकसित भारत–जी राम जी विधेयक 2025 : ग्रामीण रोजगार गारंटी का नया अध्याय......54
- सबका बीमा : सबकी रक्षा विधेयक, 2025......56

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

- विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025: भारत के बिजली क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों की दिशा में एक कदम........60
- भारत के परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी......62

- क्वांटम भारत 2047 : उभरती क्वांटम अर्थव्यवस्था.......64
- भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 66
- शांति विधेयक 2025 (SHANTI BILL 2025) : भारत की परमाणु ऊर्जा क्रांति 68
- भारत की अंतरिक्ष क्रांति : LVM -3 मिशन और निजी क्षेत्र की भागीदारी से नया युग....................................70

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment and Ecology)

- भारत की पर्यावरणीय शासन-व्यवस्था......................73
- भारत में सौर ऊर्जा की प्रगति : स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व की ओर भारत 75
- भारत में जैव - सुरक्षा 77
- अरावली बचाओ अभियान : अरावली पहाड़ियों का संरक्षण 78

भारतीय समाज (Indian society)

- भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (FLN) की वर्तमान स्थिति 84
- भारत में गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ..................86
- विश्व असमानता रिपोर्ट 2026...................................89
- भारत में गरीबी...91
- भारत की डिजिटल जनगणना 2027 : डिजिटल युग में जनसंख्या आंकड़ों की नई रूपरेखा.....................94
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP : 2020) के 5 वर्ष............97
- महात्मा गांधी और करुणा......................................100

भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था

हमारा संविधान - हमारा स्वाभिमान अभियान: संवैधानिक जागरूकता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम

- भारतीय संविधान, जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, देश की लोकतांत्रिक यात्रा का आधार स्तंभ है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है, जो डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं की देन है।
- संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, भारत सरकार के न्याय विभाग ने 'हमारा संविधान - हमारा सम्मान' अभियान की शुरुआत की, जो बाद में 'हमारा संविधान - हमारा स्वाभिमान' में विकसित हुआ। यह अभियान संवैधानिक मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है, जो कानूनी साक्षरता, नागरिक भागीदारी और गर्व की भावना को बढ़ावा देता है से सीधे जुड़ा है।
- यह संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 39A: निःशुल्क कानूनी सहायता) और सरकारी योजनाओं (जैसे दिशा योजना) के व्यावहारिक कार्यान्वयन को दर्शाता है, जो प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में प्रासंगिक हो सकता है।

प्रमुख बिंदु :

1. **सबसे बड़ा संविधान जन जागरण अभियान:** 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' अभियान ने भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरा होने के मौके पर देश भर में 13,700 से ज़्यादा कार्यक्रमों के ज़रिए एक करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को संगठित किया और अभूतपूर्व जनभागीदारी प्रदर्शित की।
2. **ज़मीनी स्तर से डिजिटल कनेक्टिविटी:** देश में 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों, आकांक्षी ज़िलों और दूरदराज के समुदायों तक पहुंच बनाई, साथ ही MyGov शपथ, प्रश्नोत्तरी और रचनात्मक प्रतियोगिताओं के ज़रिए लाखों लोगों को जोड़ा।
3. **जागरूकता से गौरव तक:** इस पहल में कानूनी साक्षरता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नागरिक-नेतृत्व वाली पहलों को शामिल किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संवैधानिक मूल्यों को न केवल समझा जाए,बल्कि उनका पूरी तरह आनंद लिया जाए।

पृष्ठभूमि और संदर्भ :

- संविधान दिवस (26 नवंबर) और गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के माध्यम से भारत संवैधानिक मूल्यों का उत्सव मनाता रहा है। वर्ष 2021 में शुरू हुई 'दिशा' योजना (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना) ने इस दिशा में आधार तैयार किया। दिशा योजना का उद्देश्य टेली-लॉ, न्याय बंधु (प्रो-बोनो कानूनी सेवाएं) और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सुलभ न्याय सुनिश्चित करना है।
- 24 जनवरी 2024 को उपराष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया 'हमारा संविधान - हमारा सम्मान' अभियान, दिशा योजना से जुड़ा हुआ है। एक वर्ष बाद, 24 जनवरी 2025 को यह 'स्वाभिमान' चरण में परिवर्तित हुआ, जो संवैधानिक चेतना को गहरा करने पर केंद्रित है। अभियान का उद्देश्य न केवल जागरूकता फैलाना है, बल्कि नागरिकों में संविधान के प्रति गर्व पैदा करना है, जो 'विकसित भारत @2047' के विजन से जुड़ा है।

अभियान के प्रमुख उद्देश्य :

अभियान के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

- संविधान को एक विजुअल मार्कर के रूप में जन चेतना में स्थापित करना।
- संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके निर्माण में किए गए प्रयासों को उजागर करना।
- नागरिकों में संविधान के प्रति गर्व की भावना जगाना।
- कानूनी साक्षरता को व्यावहारिक सहायता से जोड़ना, जैसे टेली-लॉ और न्याय बंधु के माध्यम से।
- यह अभियान तीन उप-अभियानों पर आधारित है:

पंच प्राण प्रतिज्ञा निम्नलिखित का प्रतीक है:

1. एक विकासोन्मुख देश
2. दासता की मानसिकता का उन्मूलन

3. अपनी परंपराओं पर गर्व
4. एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता
5. सभी नागरिकों में कर्तव्य बोध जगाना

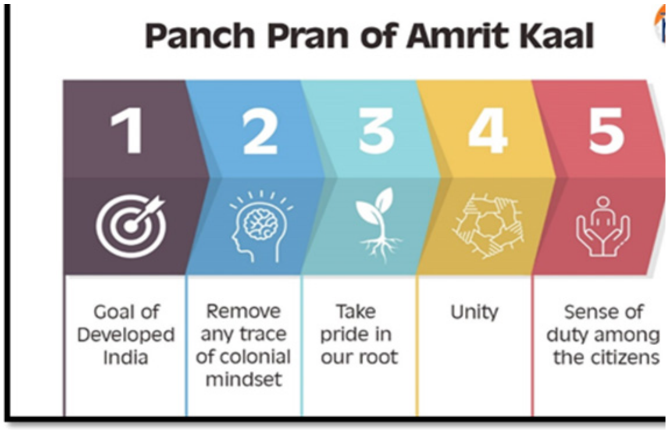

- **सबको न्याय - हर घर न्याय:** सभी के लिए सुलभ न्याय सुनिश्चित करना, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना।
- **नव भारत नव संकल्प:** पंच प्राण (विकासोन्मुख देश, दासता मानसिकता का उन्मूलन, परंपराओं पर गर्व, एकता और कर्तव्य बोध) के माध्यम से नए भारत का निर्माण।
- **विधि जागृति अभियान:** ग्रामीण और हाशिए वाले क्षेत्रों में कानूनी अधिकारों की जागरूकता बढ़ाना।

कार्यान्वयन और प्रमुख पहलें :

अभियान की पहुंच ज़मीनी स्तर से डिजिटल तक फैली हुई है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों, आकांक्षी जिलों और दूरदराज के समुदायों को शामिल किया गया। MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से शपथ, प्रश्नोत्तरी और रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जो लाखों नागरिकों को जोड़ती हैं।

सबको न्याय - हर घर न्याय के अंतर्गत :

- **पंच प्राण प्रतिज्ञा:** नागरिक MyGov पर शपथ लेकर ई-सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLE) ने इसे ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया।
- **न्याय सेवा मेला:** 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय मेले आयोजित, जहां 'वॉयस ऑफ बेनिफिशरीज़' का चौथा संस्करण और टेली-लॉ प्रोफाइल पुस्तिका जारी की गई। इन मेलों ने 84 लाख से अधिक नागरिकों तक पहुंच बनाई।
- **न्याय सहायक:** समुदाय-आधारित कानूनी संदेशवाहक, जो घर-घर जाकर जागरूकता फैलाते हैं। इन्होंने 14,598 से अधिक मामले दर्ज किए और 'विधि बैठक' सत्र आयोजित किए।
- **नव भारत नव संकल्प के अंतर्गत:** युवाओं को संवादात्मक गतिविधियों से जोड़ना, जैसे पंच प्राण पर आधारित कार्यक्रम।

विधि जागृति अभियान के अंतर्गत:

- **ग्राम विधि चेतना:** छात्रों द्वारा गांवों में जागरूकता गतिविधियां, 10,000 से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच।
- **वंचित वर्ग सम्मान अभियान:** IGNOU और दूरदर्शन के साथ वेबिनार, जिसमें बच्चे, दिव्यांग, महिलाएं, अनुसूचित जाति, ट्रांसजेंडर और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर फोकस। सात प्रमुख विषयों पर चर्चा।
- **नारी भागीदारी:** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर ग्राम स्तर के कार्यक्रम, नेशनल लॉ स्कूल जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित।

उल्लेखनीय कार्यक्रम और उपलब्धियां

- **अभियान ने 13,700 से अधिक :** कार्यक्रमों के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक नागरिकों को संगठित किया। प्रमुख क्षेत्रीय कार्यक्रम:
- **बीकानेर (9 मार्च 2024):** 'न्याय सहायक' पहल लॉन्च, 900 प्रतिभागी।
- **प्रयागराज (16 जुलाई 2024):** 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' पोर्टल लॉन्च, 800 प्रतिभागी।
- **गुवाहाटी (19 नवंबर 2024):** पॉडकास्ट, कॉमिक बुक्स और 'संविधान कट्टा' लॉन्च, 1,400 प्रतिभागी।
- **कुंभ, प्रयागराज (24 जनवरी 2025):** उपलब्धि पुस्तिका विमोचन, 2,000 प्रतिभागी, राष्ट्रीय प्रसारण।

ये कार्यक्रम कानूनी साक्षरता, सांस्कृतिक गतिविधियों और नागरिक-नेतृत्व वाली पहलों को जोड़ते हैं, जो संवैधानिक मूल्यों को जीवंत बनाते हैं।

चुनौतियां और सुझाव :

- हालांकि अभियान सफल रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन, भाषाई बाधाएं और संसाधनों की कमी चुनौतियां हैं। UPSC दृष्टि से, यह सामाजिक न्याय की असमानताओं (GS-2) को उजागर करता है।
- **सुझाव :** अधिक स्थानीय भाषाओं में सामग्री, AI-आधारित टूल्स का उपयोग और निरंतर मॉनिटरिंग।

निष्कर्ष :

'हमारा संविधान - हमारा स्वाभिमान' अभियान संवैधानिक जागरूकता को एक जन आंदोलन में बदल रहा है, जो 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने में उत्प्रेरक है। यह न केवल अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि कर्तव्यों की याद दिलाता है, जो अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य) से जुड़ा है। यह सरकारी योजनाओं के प्रभाव, नागरिक भागीदारी और संवैधानिक विकास के उदाहरण के रूप में महत्वपूर्ण है। ऐसे अभियान लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, जहां हर नागरिक संविधान का स्वाभिमानी रक्षक बने।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' अभियान, पहले 'हमारा संविधान-हमारा सम्मान' अभियान का ही विकसित रूप है।
2. यह अभियान भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा चलाया जा रहा है।
3. अभियान का शुभारंभ उपराष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 2024 को डॉ. बी.आर.अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में किया गया था।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) सभी 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (C)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निःशुल्क कानूनी सहायता की बात कही गई है। 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' अभियान की न्याय सहायक, टेली-लॉ, न्याय सेवा मेला तथा विधि जागृति अभियान जैसी पहलों के माध्यम से अनुच्छेद 39A को जमीनी स्तर पर साकार करने के प्रयासों की समीक्षा कीजिए। क्या ये प्रयास 'सबको न्याय – हर घर न्याय' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं?

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

निष्क्रिय इच्छामृत्यु और गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार

समाचार में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह एक मेडिकल बोर्ड बनाए, जो 32 वर्षीय व्यक्ति के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) के अनुरोध का मूल्यांकन करे। यह व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से लगातार शारीरिक रूप से बेहोशी की स्थिति (Persistent Vegetative State- PVS) में है।
- शारीरिक रूप से बेहोशी की स्थिति (PVS) एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी उच्च मस्तिष्क क्रियाएँ (जैसे चेतना, सोचने की क्षमता और उद्देश्यपूर्ण गतिविधियाँ) खो देता है, लेकिन मूलभूत शारीरिक क्रियाएँ जैसे साँस लेना, रक्त संचार, नींद-जागरण चक्र और रिफ्लेक्स बनी रहती हैं।

क्या आप जानते हैं?

- **यूथेनेशिया (इच्छामृत्यु) और असिस्टेड सुसाइड (सहायता प्राप्त आत्महत्या) अलग-अलग हैं:**
- **यूथेनेशिया (इच्छामृत्यु)** में आमतौर पर कोई व्यक्ति (अधिकतर डॉक्टर) प्रत्यक्ष रूप से रोगी के जीवन का

अंत करता है, जबकि असिस्टेड सुसाइड में व्यक्ति को अपने जीवन का अंत करने के लिये साधन या मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

- **सुसाइड टूरिज़्म या यूथेनेशिया टूरिज़्म** तब होता है जब मरीज उन देशों की यात्रा करते हैं जहाँ ये प्रथाएँ कानूनी रूप से मान्य हैं। स्विट्ज़रलैंड इसका एक प्रमुख गंतव्य है, जहाँ मुख्यतः यूके, जर्मनी और फ्राँस के मरीज आते हैं।

इच्छामृत्यु क्या है?

- **परिचय :** इच्छामृत्यु/यूथेनेशिया उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की असाध्य या अंतिम अवस्था वाली बीमारी के कारण होने वाले असहनीय दर्द को समाप्त करने के लिये उसके जीवन को जानबूझकर समाप्त किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक कष्ट से मुक्त करना होता है। यूथेनेशिया दो प्रकार का होता है:
- **सक्रिय इच्छामृत्यु :** इसमें किसी रोगी के जीवन को जानबूझकर समाप्त किया जाता है। यह विभिन्न रूपों में हो सकता है:
- **स्वैच्छिक :** जिसमें रोगी सचेत रूप से स्वयं मृत्यु का विकल्प चुनता है।
- **गैर-स्वैच्छिक :** जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा रोगी की असमर्थता या अचेत स्थिति के कारण उसके स्थान पर निर्णय लिया जाता है।
- **अनैच्छिक :** जिसमें बिना सहमति के किसी व्यक्ति की मृत्यु कराई जाती है यह लगभग सभी देशों में अवैध है।
- **निष्क्रिय इच्छामृत्यु :** यह उस स्थिति को दर्शाता है जब रोगी असाध्य रूप से बीमार हो और ठीक होने की कोई वास्तविक संभावना न हो, तब जीवन-रक्षक उपकरण या चिकित्सा उपचार को रोकना या वापस लेना, जिससे मृत्यु स्वाभाविक रूप से होती है।

यह तरीका व्यक्ति के गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को बनाए रखने और अपरिवर्तनीय चिकित्सा स्थितियों में होने वाली लंबी, व्यर्थ पीड़ा को रोकने का उद्देश्य रखता है।

भारत में कानूनी स्थिति:

- **सक्रिय इच्छामृत्यु:** भारतीय कानून सक्रिय इच्छामृत्यु को प्रतिबंधित करता है। भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS), 2023 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जानबूझकर कराना दंडनीय अपराध है। इसे दोषपूर्ण हत्या (Section 100) या हत्या (Section 101) के तहत अपराध माना जाता है और इसके लिये अभियोजन चलाया जा सकता है।
- **निष्क्रिय इच्छामृत्यु:** सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कुछ कड़ी शर्तों और सीमाओं के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता दी है, बशर्ते यह रोगी के सर्वोत्तम हित में हो और कानूनी प्रक्रिया का सही पालन किया गया हो।
- **अनुच्छेद 21** यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल कानून के अनुसार ही वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय इसे स्वास्थ्य, आजीविका, गोपनीयता, आवास और गरिमा सहित समझती है। हालाँकि यह सामान्यतः मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं करता, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के जहाँ गरिमापूर्ण मृत्यु की अनुमति दी जाती है।
- **कानून आयोग का रुख:** लॉ कमीशन की 241वीं रिपोर्ट (2012) में स्पष्ट किया गया कि एक सक्षम रोगी जीवन-रक्षक उपचार अस्वीकार कर सकता है और इसका कोई कानूनी दंड नहीं होगा। इसके अलावा यदि डॉक्टर रोगी की सूचित इच्छाओं के अनुसार कार्रवाई करते हैं, तो उन्हें उकसावे या दोषपूर्ण हत्या का दोष नहीं माना जाएगा।

संबंधित न्यायिक निर्णय:

- **मारुति श्रीपति दुबल बनाम महाराष्ट्र राज्य (1987):** बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने कहा कि असाध्य रूप से बीमार या गंभीर पीड़ा में रहने वाले व्यक्तियों को अपनी मृत्यु का विकल्प चुनने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- **ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996) :** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार मृत्यु के अधिकार को शामिल नहीं करता। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जीवन एक प्राकृतिक उपहार है, जिसे समाप्त करने के बजाय सुरक्षित और संरक्षित रखा जाना चाहिये।
- **अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) :** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जीवन-रक्षक उपचार को रोकना या बंद करना संभव है, भले ही रोगी निर्णय लेने में असमर्थ हो, लेकिन यह केवल कड़ी कानूनी और चिकित्सीय सुरक्षा उपायों के तहत ही किया जा सकता है।
- **कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) :** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सक्रिय इच्छामृत्यु (जानबूझकर मृत्यु का कारण बनना) और निष्क्रिय इच्छामृत्यु (जीवन-रक्षक उपचार को हटाना) अलग-अलग हैं, यह कहते हुए कि बहुत कम मामलों में पैसिव यूथेनेशिया की स्वीकृति दी जा सकती है।

- न्यायालय ने यह स्थापित किया कि एक असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का मौलिक अधिकार है, जिसमें अग्रिम चिकित्सा निर्देश या लिविंग विल के माध्यम से उपचार से इंकार करने का अधिकार भी शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय के इच्छामृत्यु संबंधी निर्देश:

- **वर्ष 2018 के निर्देश:** वर्ष 2018 के दिशानिर्देशों में दो चरणों में चिकित्सा समीक्षा की आवश्यकता थी:
- **प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड:** यह अस्पताल द्वारा गठित किया जाता है, जिसमें उपचार करने वाले विभाग के प्रमुख और कम से कम तीन विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ये विशेषज्ञ सामान्य चिकित्सा, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मनोरोग या ऑन्कोलॉजी में से हों और प्रत्येक के पास 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिये।
- **द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड :** यह ज़िला कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्य ज़िला चिकित्सा अधिकारी और समान क्षेत्रों के तीन विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होते हैं।
- **वर्ष 2023 में किये गए संशोधन :** सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों चिकित्सा बोर्डों को बरकरार रखा, लेकिन विशेषज्ञों के अनुभव की आवश्यकता को 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया और राय देने के लिये 48 घंटे की सीमा निर्धारित की।
- अब द्वितीयक बोर्ड में मुख्य ज़िला चिकित्सा अधिकारी (CDMO) शामिल नहीं होंगे और उनके स्थान पर ज़िला चिकित्सा अधिकारी (DMO) द्वारा नामित सदस्य हो सकता है। दोनों बोर्डों में अब तीन-तीन सदस्य होंगे।
- **इच्छामृत्यु पर वैश्विक स्थिति :** नीदरलैंड, लक्ज़मबर्ग और बेल्ज़ियम में इच्छामृत्यु और चिकित्सकीय सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति है, बशर्ते व्यक्ति असहनीय पीड़ा झेल रहा हो तथा उसके ठीक होने की कोई संभावना न हो।
- स्विट्ज़रलैंड गैर-चिकित्सकों को भी असाध्य रोगियों को आत्महत्या में सहायता करने की अनुमति देता है, हालाँकि सक्रिय इच्छामृत्यु वहाँ अवैध है।
- ऑस्ट्रेलिया भी दोनों प्रकार की इच्छामृत्यु को अनुमति देता है, लेकिन केवल उन वयस्कों के लिये, जिनमें निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता हो और जो जानलेवा बीमारी से पीड़ित हों।
- **ये वैश्विक भिन्नताएँ दर्शाती हैं कि इच्छामृत्यु मूलतः** एक नैतिक मुद्दा है, जिसे चिकित्सा क्षमता से अधिक समाज के नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों और दार्शनिक परंपराएँ आकार देती हैं।

इच्छामृत्यु पर प्रमुख नैतिक दृष्टिकोण क्या हैं?

इच्छामृत्यु के पक्ष में तर्क	इच्छामृत्यु के विरोध में तर्क
स्वायत्तता की सर्वोच्चता (लिबर्टेरियनिज़्म): जॉन स्टुअर्ट मिल के लिबरलिज़्म के आधार पर समर्थक तर्क देते हैं कि व्यक्ति अपने शरीर और मन पर पूर्ण अधिकार रखता है। इसलिये सक्षम वयस्क को आत्म-निर्णय का अधिकार है, जिसमें असहनीय जीवन को समाप्त करने का विकल्प भी शामिल है—बिना राज्य के हस्तक्षेप के।	जीवन की पवित्रता (डीऑन्टोलॉजी): इमैनुएल कांट की कर्त्तव्यनिष्ठ नैतिकता बताती है कि मानव जीवन 'अपने आप में एक लक्ष्य' है, किसी साधन की तरह नहीं। इसलिये जानबूझकर जीवन समाप्त करना—भले ही दर्द से राहत के लिये हो—मानवता को एक साधन की तरह उपयोग करना है, जो प्राकृतिक कानून के उस कर्त्तव्य का उल्लंघन करता है जिसमें जीवन की रक्षा आवश्यक है, चाहे उसकी गुणवत्ता कैसी भी हो।
पीड़ा को कम करना (यूटिलिटेरियनिज़्म): जेरेमी बेंथम के एक्ट यूटिलिटेरियनिज़्म के अनुसार, किसी भी क्रिया का नैतिक मूल्य इस तर्क पर निर्भर करता है कि वह सुख को कितना बढ़ाती और दर्द को कितना कम करती है। चूँकि लंबे समय तक चलने वाली पीड़ा का कोई सकारात्मक उद्देश्य नहीं होता, इसलिये इच्छामृत्यु को एक दयालु और तार्किक विकल्प माना जाता है जो विश्व में कुल पीड़ा को कम करता है।	सहनशीलता का मूल्य (वर्च्यू एथिक्स): गुण-नैतिकतावादी तर्क देते हैं कि पीड़ा, यद्यपि कठिन है, मानव अस्तित्व का हिस्सा है और यह साहस तथा धैर्य जैसी गुणों की मांग करती है। गांधीवादी नैतिकता (अहिंसा) सक्रिय रूप से जीवन लेने को स्वीकार नहीं करती और यह सुझाव देती है कि आध्यात्मिक शक्ति जीवन के प्राकृतिक अंत का सामना करने में है, न कि उसे समय से पहले समाप्त करने में।

जीव विज्ञान पर परोपकार: चिकित्सा नैतिकता का (Beneficence) सिद्धांत (अर्थात् रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना) यह दर्शाता है कि डॉक्टर का कर्त्तव्य पीड़ा को कम करना है। जब इलाज असंभव हो जाता है और दर्द असहनीय होता है तो एक शांत मृत्यु में सहायता करना चिकित्सा पेशे के मानवीय दायित्व को पूरा करना माना जाता है।.	**'हानि न पहुँचाना' (Non-Maleficence):** चिकित्सा नैतिकता का मूल सिद्धांत Primum non nocere—'पहले, हानि न पहुँचाओ'—हिप्पोक्रेटिक ओथ से उत्पन्न हुआ है। विरोधियों का तर्क है कि डॉक्टर का कार्य उपचार करना है, न कि जीवन समाप्त करना। यूथेनेशिया में शामिल होना चिकित्सा पेशे के उद्देश्य (telos) को भ्रष्ट करता है और डॉक्टर–रोगी के बीच भरोसे को नष्ट कर देता है।
रैशनल रिसोर्स मैनेजमेंट (प्रैग्मैटिज़्म): प्रैक्टिकल यूटिलिटेरियन दृष्टिकोण से देखा जाए तो PVS (परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट) मरीज़ों के लिये लाइफ़ सपोर्ट बनाए रखने में बहुत कम मेडिकल संसाधन लगते हैं। इन फंड्स को इलाज वाले मरीज़ों तक रीडायरेक्ट करना डिस्ट्रिब्यूटिव जस्टिस के सिद्धांत को बनाए रखता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ होता है।	**'स्लिपरी स्लोप' (नियम-उपयोगितावाद):** नियम-उपयोगितावादी चेतावनी देते हैं कि भले ही किसी विशेष मामले में इच्छामृत्यु दयालु प्रतीत हो, लेकिन इसे वैध बनाने से एक खतरनाक नियम स्थापित हो जाता है। इससे 'स्लिपरी स्लोप' का जोखिम उत्पन्न होता है, जहाँ समाज अंततः लागत बचाने के नाम पर बुजुर्गों, दिव्यांगों या गरीबों की अनैच्छिक हत्या को भी उचित ठहराने लग सकता है, जिससे नैतिकता प्रभावित होती है।s

- **स्वायत्तता की सर्वोच्चता (लिबर्टेरियनिज़्म) :** जॉन स्टुअर्ट मिल के लिबरलिज़्म के आधार पर समर्थक तर्क देते हैं कि व्यक्ति अपने शरीर और मन पर पूर्ण अधिकार रखता है। इसलिये सक्षम वयस्क को आत्म-निर्णय का अधिकार है, जिसमें असहनीय जीवन को समाप्त करने का विकल्प भी शामिल है—बिना राज्य के हस्तक्षेप के।
- **जीवन की पवित्रता (डीऑन्टोलॉजी) :** इमैनुएल कांट की कर्त्तव्यनिष्ठ नैतिकता बताती है कि मानव जीवन 'अपने आप में एक लक्ष्य' है, किसी साधन की तरह नहीं। इसलिये जानबूझकर जीवन समाप्त करना—भले ही दर्द से राहत के लिये हो—मानवता को एक साधन की तरह उपयोग करना है, जो प्राकृतिक कानून के उस कर्त्तव्य का उल्लंघन करता है जिसमें जीवन की रक्षा आवश्यक है, चाहे उसकी गुणवत्ता कैसी भी हो।
- **पीड़ा को कम करना (यूटिलिटेरियनिज़्म) :** जेरेमी बेंथम के एक्ट यूटिलिटेरियनिज़्म के अनुसार, किसी भी क्रिया का नैतिक मूल्य इस तर्क पर निर्भर करता है कि वह सुख को कितना बढ़ाती और दर्द को कितना कम करती है। चूँकि लंबे समय तक चलने वाली पीड़ा का कोई सकारात्मक उद्देश्य नहीं होता, इसलिये इच्छामृत्यु को एक दयालु और तार्किक विकल्प माना जाता है जो विश्व में कुल पीड़ा को कम करता है।
- **सहनशीलता का मूल्य (वर्च्यू एथिक्स) :** गुण-नैतिकतावादी तर्क देते हैं कि पीड़ा, यद्यपि कठिन है, मानव अस्तित्व का हिस्सा है और यह साहस तथा धैर्य जैसी गुणों की मांग करती है। गांधीवादी नैतिकता (अहिंसा) सक्रिय रूप से जीवन लेने को स्वीकार नहीं करती और यह सुझाव देती है कि आध्यात्मिक शक्ति जीवन के प्राकृतिक अंत का सामना करने में है, न कि उसे समय से पहले समाप्त करने में।
- **जीव विज्ञान पर परोपकार :** चिकित्सा नैतिकता का (Beneficence) सिद्धांत (अर्थात् रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना) यह दर्शाता है कि डॉक्टर का कर्त्तव्य पीड़ा को कम करना है। जब इलाज असंभव हो जाता है और दर्द असहनीय होता है तो एक शांत मृत्यु में सहायता करना चिकित्सा पेशे के मानवीय दायित्व को पूरा करना माना जाता है।.

'हानि न पहुँचाना' (Non-Maleficence):

- चिकित्सा नैतिकता का मूल सिद्धांत (Primum non nocere)'पहले, हानि न पहुँचाओ'—हिप्पोक्रेटिक ओथ से उत्पन्न हुआ है।
- विरोधियों का तर्क है कि डॉक्टर का कार्य उपचार करना है, न कि जीवन समाप्त करना।
- यूथेनेशिया में शामिल होना चिकित्सा पेशे के उद्देश्य (telos) को भ्रष्ट करता है और डॉक्टर–रोगी के बीच भरोसे को नष्ट कर देता है।
- **रैशनल रिसोर्स मैनेजमेंट (प्रैग्मैटिज़्म):** प्रैक्टिकल यूटिलिटेरियन दृष्टिकोण से देखा जाए तो PVS (परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट) मरीज़ों के लिये लाइफ़ सपोर्ट बनाए रखने में बहुत कम मेडिकल संसाधन लगते हैं। इन फंड्स को इलाज वाले मरीज़ों तक रीडायरेक्ट करना डिस्ट्रिब्यूटिव जस्टिस के सिद्धांत को बनाए रखता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ होता है।

'स्लिपरी स्लोप' (नियम-उपयोगितावाद):

नियम-उपयोगितावादी चेतावनी देते हैं कि भले ही किसी विशेष मामले में इच्छामृत्यु दयालु प्रतीत हो, लेकिन इसे वैध बनाने से एक खतरनाक नियम स्थापित हो जाता है। इससे 'स्लिपरी स्लोप' का जोखिम उत्पन्न होता है, जहाँ समाज अंततः लागत बचाने के नाम पर बुजुर्गों, दिव्यांगों या गरीबों की अनैच्छिक हत्या को भी उचित ठहराने लग सकता है, जिससे नैतिकता प्रभावित होती है।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय का यह हस्तक्षेप 'गरिमा के साथ मरने के अधिकार' के प्रति भारत के विकसित होते दृष्टिकोण को मज़बूत करता है। यह कानूनी सुरक्षा उपायों को दयालु देखभाल के साथ जोड़ते हुए एक संरचित और चिकित्सकीय रूप से समीक्षा किये गए पैसिव यूथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छा-मृत्यु) प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q. निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है?

(a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध

(b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिये गए राज्य के नीति निदेशक तत्त्व

(c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की स्वतंत्रताएँ

(d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Euthanasia) में अंतर बताइये। जीवन-रक्षक उपकरण हटाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने कौन-से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्धारित किये हैं?

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत में डिजिटल भूमि सुधार : शहरी भूमि प्रबंधन का भविष्य

परिचय :

भूमि संसाधन विभाग (Department of Land Resources – DoLR), ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन, 3 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में "शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण और लैंडस्टैक (नक्शा)" विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन जियोस्मार्ट इंडिया 2025 सम्मेलन के अंतर्गत हो रहा है। इसका मूल उद्देश्य शहरी भारत में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित सुशासन को तेज करना है।

संगोष्ठी की प्रमुख थीम एवं एजेंडा

- नक्शा (Naksha) पायलट परियोजना की समीक्षा एवं विस्तार
- 157+ शहरों में ड्रोन-आधारित हवाई सर्वेक्षण और फीचर एक्सट्रैक्शन तकनीक से उच्च-रिज़ॉल्यूशन भू-मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं।
- घनी आबादी वाले क्षेत्रों में डेटा सटीकता, ग्राउंड ट्रुथिंग और मौजूदा राजस्व मानचित्रों के साथ समन्वय की चुनौतियों पर चर्चा।

लैंडस्टैक (Land Stack) : एकीकृत डिजिटल भूमि पारिस्थितिकी तंत्र

देशव्यापी एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म की परिकल्पना।

- आधार परतें, भू-आकृतिक मानचित्र, भू-स्थानिक डेटा तथा राजस्व/पंजीकरण अभिलेखों का एकीकरण।
- संघीय ढांचे में अंतर-संचालनीयता के लिए राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता पर बल।

यूआरप्रो कार्ड (Unique Registry Property Card)

- एकल, डिजिटल, हस्तांतरणीय एवं कानूनी रूप से मान्य संपत्ति दस्तावेज।
- SVAMITVA योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों को मजबूत करना।
- पंजीकरण, म्यूटेशन, संपत्ति कर तथा भवन अनुमति प्रणालियों में एकीकरण के लिए कानूनी-संस्थागत सुधारों की जरूरत।

- उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन
- वेब जीआईएस, क्लाउड जियोस्पेशियल सर्विसेज़, एआई/एमएल मॉनिटरिंग, 3डी मैपिंग।
- पारदर्शिता, जवाबदेही और Ease of Living में वृद्धि।

रणनीतिक एवं नीतिगत महत्व

- डिजिटल इंडिया तथा विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों से सीधा संबंद्ध।
- शहरीकरण की रफ्तार (2030 तक भारत की 50% आबादी शहरी होगी) को देखते हुए पारंपरिक कागजी अभिलेख प्रणाली अब अप्रासंगिक।
- संपत्ति विवाद भारत में 65% से अधिक दीवानी मुकदमों का कारण हैं; सटीक भू-मानचित्र एवं डिजिटल रिकॉर्ड इनकी संख्या में उल्लेखनीय कमी ला सकते हैं।
- विश्व बैंक के ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस सूचकांक में "संपत्ति का पंजीकरण" रैंकिंग में सुधार की संभावना।
- राजस्व संग्रहण में वृद्धि, अनधिकृत निर्माण पर अंकुश, स्मार्ट सिटी मिशन को तकनीकी बैकबोन उपलब्ध कराना।

चुनौतियाँ

- संघीय ढांचे में विभिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न भूमि कानून (जैसे ULCRA, Rent Control Acts, Transfer of Property Act आदि)।
- डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा जोखिम।
- ग्रामीण SVAMITVA की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बहु-मंजिला इमारतों, कॉन्डोमिनियम तथा अंडरग्राउंड यूटिलिटी की जटिलता।
- डिजिटल डिवाइड तथा तकनीकी क्षमता का अभाव।

आगे की राह :

- सभी राज्यों में एक समान "Model Urban Land Records Act" की आवश्यकता।
- लैंडस्टैक को NGDR (National Generic Document Registration System) तथा जनपत्र, आधार, डिजिलॉकर से जोड़ना।
- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से तकनीकी नवप्रवर्तन को बढ़ावा।
- नागरिक जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

निष्कर्ष :

यह राष्ट्रीय संगोष्ठी केवल एक तकनीकी विमर्श नहीं, बल्कि शहरी भारत में संपत्ति अधिकारों के लोकतांत्रीकरण और सुशासन के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। नक्शा और लैंडस्टैक के सफल कार्यान्वयन से भारत न केवल अपनी न्यायिक प्रणाली पर पड़ने वाले बोझ को कम करेगा, बल्कि विश्व के सबसे उन्नत डिजिटल भूमि प्रशासन मॉडल में से एक बनकर उभरेगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 'लैंडस्टैक' (Land Stack) और 'नक्शा' (Naksha) हाल ही में चर्चा में रहे हैं। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लैंडस्टैक, भूमि संसाधन विभाग द्वारा विकसित एक एकीकृत डिजिटल भूमि पारिस्थितिकी तंत्र (Digital Land Ecosystem) है।
2. नक्शा कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में ड्रोन-आधारित हवाई सर्वेक्षण द्वारा उच्च-रिज़ॉल्यूशन भू-मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं।
3. यूआरप्रो कार्ड (URPro Card) ग्रामीण क्षेत्रों में SVAMITVA योजना के तहत जारी किया जाने वाला डिजिटल संपत्ति दस्तावेज है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a) केवल 1 और 2

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में शहरी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग अब अपरिहार्य हो गया है। 'नक्शा' तथा 'लैंडस्टैक' पहलों के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि ये सुधार शहरी सुशासन, संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा और 'विकसित भारत' के लक्ष्य में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। साथ ही, इनके कार्यान्वयन में संभावित चुनौतियों तथा निवारण के उपायों का भी विश्लेषण कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)

राष्ट्रीय न्यायिक नीति एवं NJAC की प्रासंगिकता

चर्चा में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायालयों में मतभेद को कम करने के लिये एक राष्ट्रीय न्यायिक नीति बनाने का आह्वान किया और यह भी कहा कि कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाले और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को फिर से शुरू करने की मांग करने वाले एक याचिका पर विचार करेंगे।

राष्ट्रीय न्यायिक नीति की क्या आवश्यकता है?

- **भिन्न निर्णयों का समाधान :** विभिन्न उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय की पीठें भी अक्सर प्रमुख मुद्दों (जमानत, आरक्षण) पर परस्पर विरोधी निर्णय सुनाती हैं, जिससे कानूनी अनिश्चितता उत्पन्न होती है और फोरम शॉपिंग (अधिक अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिये अनुकूल न्यायालय का चयन करना) को बढ़ावा मिलता है।
- एक एकीकृत नीति समान मानकों को सुनिश्चित करेगी, मिसालों के अधिक प्रभावी उपयोग को संभव बनाएगी तथा सुसंगत संवैधानिक व्याख्या के माध्यम से स्पष्टता और जनता का विश्वास दोनों बढ़ाएगी।
- **न्याय तक पहुँच के अंतर को कम करना :** लंबित मामलों की भारी संख्या (5 करोड़ से अधिक), सुनवाई में बहुत ज़्यादा समय लगना, मुकदमेबाज़ी की उच्च लागत, दूरी अधिक होने के कारण कोर्ट तक न पहुँच पाना और भाषा संबंधी बाधाएँ, विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले समूहों के लिये समय पर सुलभ और किफायती न्याय में बाधा डालती हैं। एक राष्ट्रीय न्यायिक नीति एकसमान मानकों को बढ़ावा देकर लागत, दूरी, सुनवाई में देरी तथा भाषाई बाधाओं से उत्पन्न बाधाओं को कम कर सकती है।
- **संरचनात्मक अंतरालों को दूर करना:** भारत न्याय रिपोर्ट 2025 से पता चलता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लगभग 33% पद रिक्त हैं, जिससे भारत में प्रत्येक 18.7 लाख लोगों पर केवल एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश रह गया है, जिससे पहले से ही अत्यधिक दबाव में चल रही न्यायपालिका पर और अधिक बोझ पड़ रहा है।
- **ज़िला न्यायालयों को कई समस्याओं का सामना** करना पड़ता है, जैसे: अदालत कक्षों में अत्यधिक भीड़, खराब या अपर्याप्त आईटी सिस्टम, अग्नि सुरक्षा की कमी, पर्याप्त फर्नीचर का न होना और कर्मचारियों के लिये कुशल सुविधाओं का अभाव।
- एक राष्ट्रीय न्यायिक नीति न्यायपालिका के सभी स्तरों पर व्यवस्थित क्षमता निर्माण का मार्गदर्शन कर सकती है।
- **प्रौद्योगिकी और केस प्रबंधन का मानकीकरण :** ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल केस प्रबंधन को अपनाना न्यायालयों में व्यापक रूप से भिन्न होता है, जिससे असमान पहुँच और असंगत उपयोगकर्त्ता अनुभव होता है, एक सामान्य नीति सभी न्यायालयों में एक समान, नागरिक-अनुकूल अनुभव सुनिश्चित करती है।
- **न्यायिक सद्भाव को बढ़ावा देना :** एक एकीकृत ढाँचा सभी न्यायालयों को उनकी स्वतंत्रता संरक्षित करते हुए समान संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे न्याय प्रणाली में सामंजस्य स्थापित होता है।

राष्ट्रीय न्यायिक नीति से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- **राज्यों के बीच असमानताओं की चुनौती :** न्यायपालिका में राज्यों के स्तर पर मामलों की संख्या, बुनियादी ढाँचे, डिजिटल तैयारी और मानव संसाधन में बड़े अंतर मौजूद हैं। ऐसे में एक समान राष्ट्रीय नियम या वन-साइज़-फिट्स-ऑल मॉडल इन विविध न्यायिक परिस्थितियों के लिये प्रभावी साबित नहीं हो सकता।
- **कार्यपालिका के प्रभाव का जोखिम :** यदि नीति प्रक्रिया में कार्यपालिका शामिल है तो इससे शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **कार्यान्वयन क्षमता अंतराल :** कई न्यायालयों में कर्मचारियों, निधियों, डिजिटल उपकरणों और बुनियादी ढाँचे की कमी है, जिससे देश भर में एक समान मानकों को लागू करना मुश्किल हो जाता है।
- **उच्च न्यायालयों का प्रतिरोध :** अनुच्छेद 214-226 के तहत उच्च न्यायालय अपनी प्रक्रियाओं, रोस्टरों और प्रशासनिक प्रथाओं को स्वयं नियंत्रित करते हैं। एकरूपता को संस्थागत प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
- **न्यायिक आँकड़ों की समस्या :** कई राज्यों के न्यायालयों में वास्तविक समय (Real-time) के मामलों की संख्या (Case-flow), लंबित मामले और न्यायालयों के प्रदर्शन से संबंधित सटीक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। डेटा की इसी कमी के कारण ठोस सबूतों पर आधारित कोई भी नीति बनाना मुश्किल हो जाता है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) क्या है?

- **NJAC :** NJAC को 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिये अधिनियमित किया गया था।

- **NJAC प्रणाली के तहत, राष्ट्रपति को छह सदस्यीय आयोग द्वारा 'अनुशंसित' न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी** थी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली एक समिति द्वारा किया जाना था।
- **NJAC को रद्द किया गया:** वर्ष 2015 में (चौथे न्यायाधीशों के मामले में), सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। न्यायालय ने तर्क दिया कि कार्यकारी (Executive) और गैर-न्यायिक सदस्यों को वीटो (निषेधाधिकार) शक्ति देने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमज़ोर होती है, जबकि यह स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना की एक विशेषता है।
- **न्यायिक नियुक्तियों में 'प्रतिष्ठित व्यक्तियों' को चुनने के लिये मानदंड** स्पष्ट नहीं हैं, जिससे कार्यकारी शाखा (सरकार) का हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ जाने का खतरा है, क्योंकि सरकार ही न्यायालयों में सबसे बड़ी वादी होती है, इसलिये इन आपसी दायित्वों के कारण न्याय की निष्पक्षता खतरे में पड़ सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया तथा इस बात पर ज़ोर दिया कि नियुक्तियों में न्यायिक प्रधानता मूल संरचना के लिये आवश्यक है।

कॉलेजियम बनाम NJAC विवाद :

पहलू	कॉलेजियम प्रणाली	NJAC
प्रधानता	नियुक्तियों में न्यायपालिका को पूर्ण प्राथमिकता प्राप्त है।	न्यायिक प्रधानता को कम कर दिया गया तथा कार्यपालिका और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किये गए।
पारदर्शिता	कॉलेजियम प्रणाली में नियुक्ति के कोई सार्वजनिक मापदंड या रिकॉर्ड नहीं रखे जाते हैं, जिससे यह पूरी प्रक्रिया अस्पष्ट बन जाती है। इससे यह चिंता पैदा होती है कि 'न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति' से पारदर्शिता और जाँच एवं संतुलन (Checks and Balances) की प्रक्रिया कमज़ोर होती है।	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह न्यायिक नियुक्तियों में अधिक विविध आवाज़ों (केवल न्यायाधीशों के बजाय अन्य सदस्य भी शामिल) और अधिक पारदर्शी (खुली) प्रक्रियाओं को शामिल करने का प्रस्ताव करता था।
वीटो शक्ति	कोई वीटो नहीं और निर्णय सर्वसम्मति एवं पुनरावृत्ति नियम पर आधारित।	NJAC में कोई भी दो सदस्य (जिनमें न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्य दोनों शामिल थे) किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति को रोकने (वीटो) की शक्ति रखते थे।
जोखिम	इस प्रणाली पर मुख्य रूप से भाई-भतीजावाद, जवाबदेही (उत्तरदायित्व) की कमी और गोपनी-यता बरतने के आरोप लगते हैं।	न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप का खतरा हमेशा बना रहता है और यदि ऐसा होता है तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये एक बड़ा खतरा बन जाता है।
न्यायिक स्वतंत्रता	मूल ढाँचे के हिस्से को बरकरार रखा गया (के-शवानंद भारती मामला (1973))	सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट एडवोके-ट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) मामले में यह माना कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता किया है (अर्थात् न्यायिक स्वतंत्रता को कमज़ोर किया है)।
क्षमता	न्यायिक नियुक्तियों में देरी का मुख्य कारण सरकारी मंज़ूरी (Government Approval) मिलने में लगने वाला समय और अनौपचारिक प्रक्रियाओं का उपयोग है।	एक संरचित आयोग होने से समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जा सकता था।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों का आधार

- **अनुच्छेद 124 (नियमित नियुक्ति) :** राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
- **अनुच्छेद 217 (नियमित नियुक्ति):** राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसके लिये वे मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं।
- **अनुच्छेद 127 (तदर्थ न्यायाधीश - Ad-hoc Judges):** यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या (कोरम) उपलब्ध नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश (राष्ट्रपति की सहमति लेकर) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी रूप से सर्वोच्च न्यायालय में काम करने के लिए बुला सकते हैं।
- **अनुच्छेद 126 (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश):** यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या वे अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ उपलब्ध न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।
- **अनुच्छेद 128 (सेवानिवृत्त न्यायाधीश):** राष्ट्रपति की सहमति से मुख्य न्यायाधीश किसी सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक निश्चित अवधि के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया:

- **मुख्य न्यायाधीश :** निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश आमतौर पर वरिष्ठता के आधार पर उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश :** मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम के सदस्यों और उम्मीदवार के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करके सिफारिश शुरू करते हैं, जिनकी राय लिखित रूप में दर्ज की जाती है। कॉलेजियम की सिफारिश कानून मंत्री को भेजी जाती है, फिर प्रधानमंत्री को तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है।
- **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश :** उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अवर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया समान है, सिवाय इसके कि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।

भारत में न्यायपालिका को मज़बूत बनाने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- **लचीले संघीय डिज़ाइन के साथ न्यायिक नीति :** राष्ट्रीय न्यायिक नीति को स्थिरता के लिये कुछ व्यापक राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने चाहिये। साथ ही उच्च न्यायालयों को यह अनुमति देनी चाहिये कि वे अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं, संसाधनों और मामलों की वास्तविक संख्या (केसलोड) के आधार पर प्रक्रियाओं को बदल सकें।
- **मामला प्रबंधन और समयसीमा का संस्थागतकरण :** सभी न्यायालयों में देरी कम करने के लिये, मामला दाखिल करने, सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने, स्थगन (Adjournment) और निपटान लक्ष्य (Disposal Targets) हेतु एक समान नियम अपनाए जाने चाहिये।
- **पारदर्शी और समयबद्ध नियुक्तियाँ :** चाहे कॉलेजियम में सुधार के माध्यम से या भविष्य में सहमति से नियुक्ति करने वाले निकाय के माध्यम से पूर्वानुमानित, मानदंड-आधारित और समय पर न्यायिक नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना।
- **न्याय तक पहुँच में विस्तार :** न्याय की लागत और दूरी संबंधी बाधाओं को कम करने के लिये क्षेत्रीय न्यायालयों, स्थानीय भाषा सेवाओं, कानूनी सहायता, मोबाइल न्यायालयों और ADR तंत्र (विशेष रूप से मध्यस्थता) में निवेश करना चाहिये।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय न्यायिक नीति की मांग यह दर्शाती है कि न्यायालयों में आधुनिकता लाने, विचलन कम करने और न्याय को अधिक सुलभ, पारदर्शी और पूर्वानुमेय बनाने की तत्काल आवश्यकता है। NJAC और कॉलेजियम पर बहस के फिर से उभरने के बीच, आगे का मार्ग ऐसे सुधारों में निहित है जो संविधान के मूल ढाँचे की आधारशिला, न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए न्यायिक दक्षता को मज़बूत करें।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया।
2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को पुनर्जीवित करने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का परीक्षण कीजिये।

भारत में पुलिस सुधार : संस्थागत से सांस्कृतिक बदलाव

परिचय :

- पुलिस सुधार उतने ही हद तक संस्थागत उत्तरदायित्व का प्रश्न हैं जितने कि पुलिस बल के भीतर सांस्कृतिक रूपांतरण का।" यह कथन भारतीय पुलिस व्यवस्था की मूलभूत चुनौतियों को उजागर करता है। स्वतंत्र भारत में पुलिस अभी भी औपनिवेशिक विरासत से जकड़ी हुई है,

जहाँ वह शासन का उपकरण बनी रही है, न कि नागरिक सेवा का माध्यम।

- विकसित भारत (Viksit Bharat) के निर्माण के लिए पुलिस को उत्तरदायी, नागरिक-केंद्रित और सेवा-उन्मुख बनाना आवश्यक है। यह कथन दर्शाता है कि सुधार केवल संरचनात्मक (संस्थागत उत्तरदायित्व) नहीं, बल्कि मानसिकता-आधारित (सांस्कृतिक रूपांतरण) भी होने चाहिए। इस विवेचना में हम देखेंगे कि दोनों पहलू परस्पर जुड़े हैं और प्रभावी पुलिसिंग के लिए दोनों का समन्वय अनिवार्य है।

संस्थागत उत्तरदायित्व का आयाम

संस्थागत उत्तरदायित्व से तात्पर्य पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता, स्वायत्तता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली संरचनाओं से है। भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 जैसी औपनिवेशिक विधियाँ अभी भी प्रभावी हैं, जो पुलिस को राजनीतिक नियंत्रण का शिकार बनाती हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

- **राजनीतिक हस्तक्षेप और स्वायत्तता का अभाव:** पुलिस में स्थानांतरण और पदोन्नति राजनीतिक इच्छा पर निर्भर होती है, जिससे अधिकारी निष्पक्ष जाँच के बजाय राजनीतिक निष्ठा को प्राथमिकता देते हैं। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सात निर्देश जारी किए, जैसे राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, DGP/SP का दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल, और पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB) की स्थापना। लेकिन अधिकांश राज्यों में इनका पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ। उदाहरणस्वरूप, तमिलनाडु में आर्मस्ट्रांग हत्या मामले में DSP का अचानक तबादला (2024) राजनीतिक दखल का प्रमाण है।

- **कार्मिक और अवसंरचना की कमी:** इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2025 के अनुसार, पुलिस-जनसंख्या अनुपात मात्र 155 प्रति लाख है, जबकि स्वीकृत 197 है। 5.3 लाख से अधिक रिक्तियाँ हैं, जिससे कार्यबल पर अत्यधिक बोझ पड़ता है। बुनियादी सुविधाओं की कमी, जैसे 63 थानों में वाहन का अभाव और 628 में लैंडलाइन फोन की अनुपस्थिति, नए कानूनों (BNSS, 2024) के फोरेंसिक अनिवार्यता को अव्यवहारिक बनाती है।

- **विधायी और डिजिटल सुधार:** भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त कर फोरेंसिक-आधारित जाँच को अनिवार्य किया। CCTNS और ICJS जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पुलिस को एकीकृत किया, लेकिन क्रियान्वयन में कमी है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977) और मलिमथ समिति (2003) ने ऐसे सुधार सुझाए, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी से वे अधर में लटके हैं।

- ये संस्थागत मुद्दे पुलिस को प्रतिक्रियात्मक बनाते हैं, जो अपराध रोकथाम के बजाय घटना के बाद कार्रवाई पर केंद्रित रहती है। उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने से पुलिस राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर विधि के शासन को मजबूत कर सकती है।

भारत में पुलिस सुधार पर प्रमुख समितियाँ/आयोग कौन से हैं?

समिति/आयोग/निर्णय	प्रस्तावित प्रमुख सुधार
गोर समिति (1971)	पेशेवर, सेवा-उन्मुख पुलिस व्यवस्था की ओर बदलाव। प्रशिक्षण में मानवाधिकारों और नैतिकता पर ज़ोर दिया गया ।
राष्ट्रीय पुलिस आयोग (NPC) (1977-1981)	जाँच को कानून और व्यवस्था से अलग करना, वरिष्ठ अधिकारियों के लिये निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करना तथा वर्ष 1861 अधिनियम के स्थान पर एक नए मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करना।

रिबेरो समिति (1998) और पद्मनाभैया समिति (2000)	पहले की सिफारिशों को सुदृढ़ किया गया, स्वतंत्र निरीक्षण निकायों, आधुनिक प्रशिक्षण और सामुदायिक पुलिसिंग का समर्थन किया गया।
मलिमथ समिति (2003)	फॉरेंसिक तथा जाँच क्षमताओं को और सुदृढ़ करना, संघीय अपराधों के लिये एक समर्पित केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी की स्थापना करना तथा एक प्रभावी साक्षी संरक्षण योजना प्रस्तावित करना।
सर्वोच्च न्यायालय (प्रकाश सिंह निर्णय, 2006)	**7 निर्देश जारी किये गए:** 1. राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए, 2. पुलिस महानिदेशक (DGP) के लिये न्यूनतम दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए, 3. SP एवं SHO के लिये भी दो वर्ष का निर्धारित कार्यकाल तय किया जाए, 4. जाँच कार्यों और कानून-व्यवस्था (L&O) को अलग-अलग किया जाए, 5. पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना की जाए, 6. राज्य व ज़िला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित किये जाएँ, 7. केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना की जाए।
मॉडल पुलिस अधिनियम (2006) और NHRC सिफारिशें (2021)	पुलिस स्वायत्तता, जवाबदेही और निगरानी के विनियमन पर ज़ोर देना।
स्मार्ट पुलिसिंग पहल (2015)	पूर्वानुमानित पुलिसिंग के लिये प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा विश्लेषण का लाभ उठाना। सामुदायिक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित करना।
पुलिस बलों की आधुनिकीकरण (MPF) योजना	हथियारों, संचार प्रणालियों, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं तथा साइबर अपराध से जुड़े बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना।

पुलिस बल में सांस्कृतिक रूपांतरण का आयाम :

- सांस्कृतिक रूपांतरण से तात्पर्य पुलिस की मानसिकता में बदलाव से है, जहाँ वह दंड-केंद्रित से सेवा-उन्मुख बने। औपनिवेशिक काल से चली आ रही 'शासक' की छवि अभी भी बनी हुई है, जो जनता में अविश्वास पैदा करती है। प्रमुख पहलू निम्न हैं:

- **विषाक्त कार्य संस्कृति और मानसिक स्वास्थ्य:** पुलिस में पदानुक्रमिक दबाव, लंबे कार्यघंटे (14 घंटे से अधिक) और छुट्टियों का अभाव तनाव बढ़ाते हैं। कर्नाटक में सब-इंस्पेक्टर की तनाव-जनित मृत्यु (2024) इसका उदाहरण है। स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट-2025 के अनुसार, 38% पुलिसकर्मी लघु अपराधों में न्यायेतर दंड का समर्थन करते हैं। NHRC के आँकड़ों से पता चलता है कि 2021-22 में हिरासत में 2,300 से अधिक मौतें हुईं, जो थर्ड-डिग्री यातना की संस्कृति दर्शाती है।

- **लैंगिक असमानता और पितृसत्ता:** पुलिस में महिलाओं की भागीदारी मात्र 12.73% है, कर्नाटक में 8.91%। महिलाओं को डेस्क जॉब तक सीमित रखना लैंगिक अपराधों की जाँच को प्रभावित करता है। NLSIU अध्ययन (2024) के अनुसार, 25% आरक्षण के बावजूद यह स्थिति है। सांस्कृतिक बदलाव से विविधता बढ़ेगी और पुलिस समाज का प्रतिबिंब बनेगी।

- **सेवा-उन्मुख दृष्टिकोण:** प्रधानमंत्री की SMART पुलिसिंग संकल्पना (2014) ने संवेदनशीलता, तकनीक-सक्षमता और जवाबदेही पर जोर दिया। केरल की जनमैत्री सुरक्षा परियोजना और तमिलनाडु की फ्रेंड्स ऑफ पुलिस जैसी पहलें समुदाय से जुड़ाव बढ़ाती हैं। AI-आधारित फेस रिकग्निशन और ड्रोन का उपयोग पक्षपात कम करता है, लेकिन प्रशिक्षण की कमी से सांस्कृतिक बदलाव अधूरा रहता है।

- सांस्कृतिक रूपांतरण से पुलिस जनता का विश्वास जीत सकती है, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षण (मिशन कर्मयोगी) और मानसिक स्वास्थ्य सहायता आवश्यक है।

दोनों आयामों का परस्पर संबंध और विवेचना

- कि संस्थागत उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक रूपांतरण एक-दूसरे के पूरक हैं। बिना संस्थागत सुधारों के सांस्कृतिक बदलाव असंभव है, क्योंकि राजनीतिक दखल ईमानदार अधिकारियों को हतोत्साहित करता है। उदाहरणस्वरूप, प्रकाश सिंह निर्णय ने स्वायत्तता सुनिश्चित की, जो सांस्कृतिक रूप से पुलिस को सेवा-केंद्रित बनाती है। वहीं, सांस्कृतिक बदलाव बिना संस्थागत ढाँचे के स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि विषाक्त संस्कृति (जैसे हिरासत हिंसा) उत्तरदायित्व को कमजोर करती है।

- समितियाँ जैसे गोर समिति (1971), रिबेरो समिति (1998) और MPF योजना ने दोनों आयामों पर जोर दिया। NIA (2008) जैसी केंद्रीय एजेंसियाँ संस्थागत मजबूती देती हैं, जबकि समुदाय-नेतृत्व वाली पुलिसिंग सांस्कृतिक बदलाव लाती है। यदि केवल संस्थागत सुधार हों, तो सांस्कृतिक जड़ता बनी रहेगी; और केवल सांस्कृतिक प्रयासों से संरचनात्मक कमजोरियाँ दूर नहीं होंगी।

सुझाव

- **संरचनात्मक पृथक्करण:** जाँच और विधि-व्यवस्था को अलग करें, जासूसी कैडर गठित करें।
- **डिजिटल और फोरेंसिक मजबूती:** मोबाइल फोरेंसिक इकाइयाँ और AI-आधारित पूर्वानुमानित पुलिसिंग अपनाएँ।
- **समुदाय सहभागिता:** नागरिक-पुलिस समितियाँ बनाएँ।
- **कार्मिक सुधार:** 8 घंटे शिफ्ट, मनोवैज्ञानिक सहायता और लैंगिक समानता सुनिश्चित करें।
- **कानूनी अनुपालन:** प्रकाश सिंह निर्देशों का सख्त क्रियान्वयन और मॉडल पुलिस अधिनियम अपनाएँ।

निष्कर्ष :

पुलिस सुधार संस्थागत उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक रूपांतरण का संतुलित मिश्रण हैं। औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए दोनों को समन्वित रूप से लागू करना होगा। इससे पुलिस न केवल कानून प्रवर्तक बनेगी, बल्कि समाज का विश्वास अर्जित करने वाली संस्था भी। विकसित भारत के लिए यह परिवर्तन अनिवार्य है, जो न्याय, सुरक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) को राज्य तथा जिला स्तर पर अनिवार्य रूप से गठित करने का निर्देश दिया था।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 में 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा अपराध-स्थल की जाँच को अनिवार्य बनाया गया है।
3. BioE3 नीति (2024) का पूरा नाम "अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी" है तथा यह भारत के नेट-ज़ीरो 2070 लक्ष्य को समर्थन देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "भारत में पुलिस सुधार केवल कानूनी या संरचनात्मक परिवर्तन का विषय नहीं है, बल्कि यह पुलिस बल के भीतर सांस्कृतिक एवं मानसिक रूपांतरण का भी प्रश्न है।" इस कथन के संदर्भ में प्रकाश सिंह निर्णय (2006) के बाद बीते 19 वर्षों में हुए सुधारों तथा बची हुई प्रमुख चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। साथ ही, उत्तरदायी एवं नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत एवं प्रशासनिक उपाय सुझाइए। (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत में हेट स्पीच पर नियंत्रण : संवैधानिक एवं कानूनी चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

कर्नाटक, घृणापूर्ण भाषण तथा घृणा-आधारित अपराधों पर रोक लगाने के लिये पृथक विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है — "कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025"। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय दंड विधि में विद्यमान उस विधायी रिक्ति को भरना है, जहाँ घृणापूर्ण भाषण' की संकल्पना राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में बार-बार प्रयुक्त होने के बावजूद अब भी विधिक रूप से परिभाषित नहीं है।

कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025 के प्रमुख प्रावधान

- **हेट स्पीच भाषण की परिभाषा :** विधेयक घृणापूर्ण भाषण को ऐसी अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के विरुद्ध हानि पहुँचाती हो या सौहार्द बिगाड़ने का उद्देश्य रखती हो।
- **सामूहिक दायित्व:** विधेयक में संगठनात्मक जवाबदेही का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत ज़िम्मेदार पदों

पर बैठे व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सकता है, यदि घृणापूर्ण भाषण उनके संगठन से जुड़ा हो।

- **इंटरनेट विनियमन:** यह विधेयक राज्य सरकार को ऑनलाइन घृणापूर्ण सामग्री को ब्लॉक करने या हटाने का अधिकार देता है, जिससे घृणापूर्ण भाषण के डिजिटल प्रसार को रोका जा सके।

घृणापूर्ण भाषण क्या है?

- **267वीं विधि आयोग रिपोर्ट (2017) के अनुसार,** घृणापूर्ण भाषण का अर्थ है नस्ल, जातीयता, लिंग, धर्म, यौन अभिविन्यास आदि के आधार पर समूहों के विरुद्ध घृणा प्रसारित करने या सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से कहे गए शब्द या कार्य। इस प्रकार इसमें भय पैदा करने, हिंसा भड़काने के उद्देश्य से अभिव्यक्त या लिखे गए शब्द, संकेत या दृश्य शामिल हैं।
- **संवैधानिक ढाँचा:** अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद 19(2) संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, नैतिकता, गरिमा, विदेशी संबंधों की रक्षा करने और मानहानि, न्यायालय की अवमानना या अपराधों के कृत्य से रोकने के लिये उचित सीमाओं की अनुमति देता है।

महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय :

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:** BNS की धारा 196, पूर्व में भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 153 (a) धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने पर दंड का प्रावधान करती है।
- धारा 299 (पूर्व में IPC 295A) धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से ऐच्छिक रूप से किये गए कार्यों को दंडित करती है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** इस अधिनियम की धारा 66A का उपयोग ऑनलाइन घृणापूर्ण भाषण को रोकने के लिये किया गया था, किंतु श्रेया सिंघल केस, 2015 में अस्पष्टता के कारण इसे रद्द कर दिया गया थ।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 :** RPA, 1951 की धारा 8 उन लोगों को प्रतिबंधित करती है जो धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास या भाषा के आधार पर सामूहिक शत्रुता को बढ़ावा देने या सामाजिक सद्भाव को हानि पहुँचाने के कार्य के दोषी पाए जाते हैं।
- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** यह किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है जो जानबूझकर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अपमान करता है।
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 यह शब्दों, संकेतों, दृश्य चित्रणों या अन्य माध्यमों से अस्पृश्यता को प्रोत्साहित करने पर दंड का प्रावधान करता है।
- भारत में घृणापूर्ण भाषण से संबंधित प्रमुख निर्णय क्या हैं?
- **शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2022 :** सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने घृणा की बढ़ती स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस को औपचारिक शिकायतों की प्रतीक्षा किये बिना स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
- **तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ, 2018 :** सर्वोच्च न्यायालय ने घृणापूर्ण भाषण से प्रेरित भीड़ हिंसा के समाधान के लिये IPC की धारा 153 और 295A के तहत दिशानिर्देश जारी किये, जिसमें लिंचिंग और गौरक्षकों की रोकथाम हेतु एक ज़िला नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी शामिल है।
- **प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ, 2014:** सर्वोच्च न्यायालय ने विधि आयोग से घृणापूर्ण भाषण को परिभाषित करने पर विचार करने और इसके निवारण हेतु निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने के तरीकों की अनुशंसा करने को कहा।
- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 2015:** सर्वोच्च न्यायालय ने IT अधिनियम, 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि यह विधान बहुत अस्पष्ट था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता था, क्योंकि 'क्षोभ' और 'अपमान' जैसे शब्द अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध नहीं माने जा सकते थे।
- भारत ने घृणापूर्ण भाषण पर अंकुश लगाने के लिये क्या प्रयास किये हैं?
- **विधि आयोग:** 267वीं विधि आयोग रिपोर्ट (2017) ने घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने को अपराध घोषित करने के लिये IPC में धारा 153C और 505A जोड़ने की अनुशंसा की।
- **विधिक पहल:** वर्ष 2022 में, घृणापूर्ण भाषण और घृणा अपराध (निवारण) विधेयक, 2022 (निजी सदस्य विधेयक) को राज्यसभा में पेश किया गया था ताकि घृणापूर्ण भाषण को ऐसी अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सके जो भेदभाव, घृणा या हिंसा को उकसाती, बढ़ावा देती या प्रसारित करती है, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया।

समितियाँ:

- **विश्वनाथन समिति 2015 :** इसने धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास, जन्मस्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति के

आधार पर अपराधों के लिये उकसाने पर दो साल तक के कार्यावास और 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ IPC में धारा 153C(b) और 505A जोड़ने का प्रस्ताव रखा।

- **बेजबरुआ समिति 2014:** इसने IPC की धारा 153C (मानव गरिमा के विरुद्ध कृत्यों को बढ़ावा देना) में संशोधन कर पाँच वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया तथा IPC की धारा 509A (किसी विशेष जाति का अपमान करना) में संशोधन कर तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माने का प्रावधान किया।
- भारत में घृणापूर्ण भाषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?
- **विधिक प्रवर्तन :** हिंसा या भेदभाव का प्रसार वाली अभिव्यक्तियों को लक्षित करने वाले घृणापूर्ण भाषणों के लिये एक सटीक विधिक परिभाषा तैयार की जाए। गंभीर मामलों में जुर्माने से लेकर कारावास तक एवं दंड का स्पष्ट प्रावधान किया जाना आवश्यक है। BNS, 2023 में विशिष्ट धाराएँ जोड़कर विश्वनाथन और बेजबरुआ समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिये।
- **सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोण :** स्कूल कार्यक्रमों और सार्वजनिक अभियानों में मीडिया साक्षरता और समालोचनात्मक चिंतन को शामिल किया जाए ताकि घृणा फैलाने वाले कृत्यों के विरुद्ध आमजन को जागरूक किया जा सके। हानिकारक रूढ़ियों के निवारण हेतु विश्वसनीय सामुदायिक अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए।
- **संस्थागत तंत्र:** गोपनीयता सुरक्षा उपायों के साथ घृणापूर्ण भाषण की प्रवृत्तियों की निगरानी हेतु स्वतंत्र निरीक्षण निकायों की स्थापना की जाए तथा व्हिसिलब्लोअर्स के संरक्षण के साथ सुरक्षित, गोपनीय रिपोर्टिंग हेतु समुचित तंत्र बनाया जाए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घृणापूर्ण भाषण के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौते विकसित करना तथा प्रभावी प्रति-रणनीतियों को साझा करने के लिये वैश्विक मंच स्थापित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष :

कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, घृणा-पूर्ण भाषणों को संहिताबद्ध करने और उन्हें कठोर दंड देने का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है, जो विधायी रिक्ति को भरता है। इसकी सफलता एक स्पष्ट, संवैधानिक परिभाषा, सुदृढ़ प्रवर्तन तंत्र एवं एक संतुलित दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी जो सामाजिक सद्भाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, दोनों की रक्षा करे।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018)

(a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध।

(b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिये राज्य नीति के निदेशक तत्त्व।

(c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ।

(d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध।

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. आप 'वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य' संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजिये। (2014)

Q. घृणापूर्ण भाषण केवल एक विधिक विषय नहीं है, बल्कि एक सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दा भी है। घृणापूर्ण भाषण के विरुद्ध एक सुदृढ़ समाज के निर्माण में विधिक ढाँचे के पूरक उपकरण के रूप में शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी उपायों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities :NCM)

परिचय :

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में लंबित पदों को भरने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं की है, भले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस देरी पर सरकार से जवाब मांगा हो।अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में कोई अध्यक्ष नहीं है और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभी सदस्य पद रिक्त पड़े हुए हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) क्या है?

- **परिचय:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) एक संवैधानिक निकाय है, जिसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना तथा उनकी सुरक्षा एवं विकास सुनिश्चित करना है। पहला सांविधिक आयोग 17 मई, 1993 को गठित किया गया था।
- **उत्पत्ति:** अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission- MC) की स्थापना वर्ष 1978 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी और वर्ष 1984 में इसे नवगठित कल्याण मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1988 में कल्याण मंत्रालय ने आयोग के अधिकार क्षेत्र से भाषायी अल्पसंख्यकों को बाहर कर दिया। कम-से-कम पाँच सदस्य, जिनमें अध्यक्ष भी शामिल हों, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन) से से संबंधित होने चाहिये।
- **संरचना:** NCM में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नामित किया जाता है जो प्रतिष्ठा, क्षमता और ईमानदारी के लिये जाने जाते हों।
- **कार्यादेश और अवधि:** आयोग के पास अर्द्ध-न्यायिक अधिकार (Quasi-judicial powers) होते हैं और प्रत्येक सदस्य शामिल होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिये कार्य करता है।

अल्पसंख्यकों के लिये संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

अधिकार	संवैधानिक अनुच्छेद
संस्कृति-भाषा संरक्षण	29(1)
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन	30(1)
धर्म की स्वतंत्रता	25, 26, 27, 28
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा	350A
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	350B
राज्य सहायता में भेदभाव निषेध	30(2)

भारत में अल्पसंख्यक कौन हैं और उनके संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?

- **अल्पसंख्यकों के संबंध में:** भारत के संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को मान्यता देता है।
- **NCM अधिनियम, 1992** एक वैधानिक परिभाषा प्रदान करता है, जिसमें अल्पसंख्यक को उस समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अल्पसंख्यक घोषित किया गया हो।
- **अल्पसंख्यक समुदाय:** वर्ष 1993 में कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार ने प्रारंभ में पाँच धार्मिक समुदायों—मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी (ज़रथुस्त्री) को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी थी।

इस सूची में बाद में 2014 में जैन को शामिल किया गया, जिससे वे छठे अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय बने।

धर्म	संख्या (करोड़ में)	%
मुस्लिम	17.22	14.2
ईसाई	2.78	2.3
सिख	2.08	1.7
बौद्ध	0.84	0.7
जैन	0.45	0.4
कुल	23.37	19.30

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **दीर्घकालिक रिक्तियाँ:** राष्ट्रीय मुख्यमंत्री परिषद काफी हद तक निष्क्रिय रही है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इन पदों को भरने के लिये बार-बार याद दिलाने के बावजूद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जैसे सभी प्रमुख पद रिक्त हैं।
- **सीमित स्वायत्तता:** नियुक्तियाँ केंद्र सरकार के विवेक पर की जाती हैं, जिससे NCM की स्वतंत्रता और राजनीतिक तटस्थता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं तथा एक निष्पक्ष निगरानी संस्था के रूप में इसकी भूमिका कमज़ोर होती है।
- **अल्पसंख्यक की परिभाषा में अस्पष्टता:** अल्पसंख्यक का दर्जा वर्तमान में केवल धर्म के आधार पर तय किया जाता है, जिसमें भाषाई और जातीय अल्पसंख्यक शामिल नहीं होते। इसका परिणाम यह होता है कि समान मान्यता की कमी और राज्य-स्तर पर अल्पसंख्यक निर्धारित करने को लेकर लगातार बहस बनी रहती है।

- **सलाहकारी प्रकृति और प्रवर्तन शक्ति का अभाव:** एक वैधानिक निकाय होने के नाते, आयोग केवल सरकार को कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, लेकिन उसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं और वह प्रवर्तन या दंड नहीं दे सकता है , जिससे इसकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।
- **संस्थागत विश्वसनीयता का क्षरण:** एक निष्क्रिय आयोग न्यायिक बोझ को बढ़ाता है, क्योंकि लोग अदालती हस्तक्षेप के लिए इसे दरकिनार कर देते हैं और भारत की अल्पसंख्यक संरक्षण प्रतिबद्धताओं पर अंतरराष्ट्रीय जच का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?
- **विधायी और संस्थागत सुधार:** NCM को संवैधानिक दर्जा (NCSC/NCST की तर्ज पर) देने या NCM अधिनियम, 1992 में संशोधन कर इसकी सिफारिशों को बाध्यकारी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शी मानदंड तय किये जाने चाहिये।
- **कार्यात्मक सशक्तीकरण:** NCM को स्वतः संज्ञान लेने, अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने और स्वतंत्र जाँच करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिये। इसके लिये उसके जाँच तंत्र को एक समर्पित एवं प्रशिक्षित टीम के साथ मज़बूत किया जाना आवश्यक है।
- **न्यायिक निगरानी और समीक्षा:** अदालतों को NCM के आदेशों की निगरानी करने और जनहित याचिकाओं में इसकी रिपोर्टों का उपयोग करने में सक्षम बनाया जाना चाहिये। साथ ही सुनवाई, परामर्श और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जनसहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **शासन प्रणाली में एकीकरण:** अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति और कौशल विकास की निगरानी को NCM की सूचना एवं संचार प्रणाली के साथ जोड़कर ज़मीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन का आकलन बेहतर तरीके से किया जा सकता है। समन्वित नीतिगत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये गृह, शिक्षा, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों की स्थायी अंतर-मंत्रालयी समिति बनाई जानी चाहिये।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:** सुदृढ़ प्रवर्तन तंत्र विकसित करने के लिये दक्षिण अफ्रीका के सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों के आयोग तथा यूके के समानता एवं मानवाधिकार आयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों से प्रेरणा ली जा सकती है।

निष्कर्ष:

NCM में लंबे समय से खाली पदों और ढाँचागत कमज़ोरियों ने अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने के इसके संवैधानिक कार्य को कमज़ोर कर दिया है। इसकी विश्वसनीयता को एक प्रभावी निगरानी संस्था के तौर पर बहाल करने और भारत की बहुलवादी संरचना की रक्षा के लिये तत्काल सुधार, जिसमें समय पर नियुक्तियाँ, विधायी सशक्तीकरण और बढ़ी हुई स्वायत्तता ज़रूरी हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक सांविधानिक स्थिति क्या थी? (2021)

(a) लोकतंत्रात्मक गणराज्य

(b) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य

(c) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य

(d) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य

उत्तर: (b)

Q 2. भारत के संविधान की उद्देशिका है? (2020)

(a) संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती।

(b) संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती।

(c) संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग।

(d) संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है।

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के कार्यान्वयन को लागू कर सकता है? मूल्यांकन कीजिये। (2018)

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996: 30 वर्ष पूर्ण

परिचय :

दिसंबर 2025 में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों तक करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है, ताकि जनजातीय समुदायों को स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन, सांस्कृतिक संरक्षण और स्वशासन में निर्णायक भूमिका मिल सके। हालांकि, धन, समयसीमा और संस्थागत समर्थन की कमी के कारण इसका क्रियान्वयन अपर्याप्त रहा है।

संवैधानिक पृष्ठभूमि :

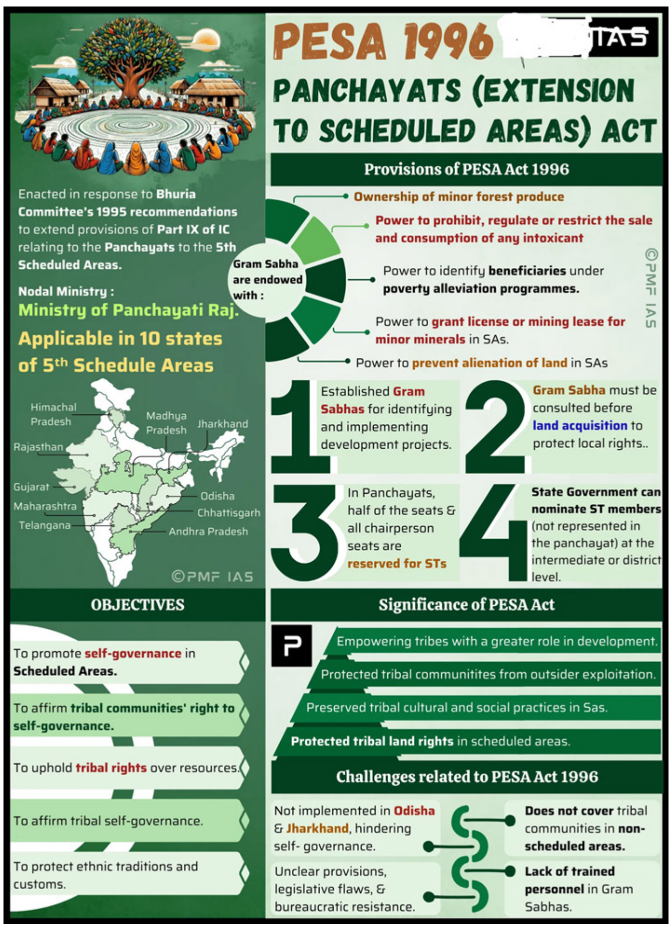

- **अनुच्छेद 244:** संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- **73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992:** इससे पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा मिला, जिससे ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन मजबूत हुआ। हालांकि, पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना) को इससे बाहर रखा गया। इन क्षेत्रों के लिए PESA अधिनियम लाया गया ताकि जनजातीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए स्वशासन का विस्तार हो।

PESA अधिनियम के प्रमुख प्रावधान :

PESA अधिनियम जनजातीय स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान करता है:

- **ग्राम सभा का सशक्तिकरण:** भूमि अधिग्रहण, विकास परियोजनाओं, लघु वनोपज (जैसे महुआ, तेंदू पत्ता), लघु खनिजों के प्रबंधन में ग्राम सभा की अनिवार्य सहमति आवश्यक है। यह स्थानीय संसाधनों पर समुदाय का नियंत्रण सुनिश्चित करता है।
- **निर्णय लेने के अधिकार:** नशीले/मादक पदार्थों की बिक्री और उपभोग को प्रतिबंधित या विनियमित करना।
- भूमि संरक्षण और भूमि हस्तांतरण पर नियंत्रण।
- ग्राम हाट (बाजार) का प्रबंधन।
- साहूकारी (मनी-लेंडिंग) पर नियंत्रण, ताकि आदिवासी शोषण से बच सकें।
- **संस्कृति एवं परंपराओं का संरक्षण:** अधिनियम आदिवासी समुदायों की पारंपरिक शासन प्रणालियों,

प्रथागत कानूनों और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देता है तथा उनका संरक्षण करता है।

- **कानूनी सर्वोच्चता:** PESA के प्रावधान राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों और सामान्य नियमावलियों पर सर्वोच्चता रखते हैं, जिससे जनजातीय हितों की रक्षा होती है।

PESA अधिनियम की सीमाएँ एवं चुनौतियाँ

- तीन दशकों के बाद भी PESA आदिवासी स्वशासन का पूर्ण ढांचा नहीं बन पाया है। प्रमुख कमियां निम्न हैं:
- **नियम निर्माण में विलंब:** अधिनियम में नियम बनाने के लिए अनिवार्य समय-सीमा का अभाव, जिससे कई राज्य अभी भी पूर्ण अनुपालन नहीं कर पाए हैं।
- **नौकरशाही का वर्चस्व:** ग्राम सभाओं की तुलना में प्रशासनिक ढांचे का प्रभुत्व, जो स्थानीय निर्णयों को प्रभावित करता है।
- **संसाधनों की कमी:** अपर्याप्त वित्त, कार्य आवंटन, प्रशिक्षित कर्मियों और संस्थागत समर्थन की कमी।
- **राज्यों का अपर्याप्त अनुपालन:** कई राज्यों में अधिनियम की भावना के अनुरूप कानून नहीं बने, जिससे भूमि अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं में आदिवासियों की सहमति की अनदेखी होती है।

क्रियान्वयन को मजबूत करने की हालिया पहलें :

सरकार ने PESA के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं:

- **PESA–GPDP पोर्टल (सितंबर 2024):** यह पोर्टल ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के तहत विकास गतिविधियों की योजना, निगरानी और संसाधन आवंटन को सुगम बनाता है।
- **संस्थागत समर्थन:** केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय में अलग PESA प्रकोष्ठ स्थापित किया गया। साथ ही, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) बनाए जा रहे हैं ताकि क्षमता निर्माण हो सके।
- **भाषाई प्रसार:** प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं (तेलुगु, मराठी आदि) और जनजातीय भाषाओं (संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी) में किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़े।

निष्कर्ष :

PESA अधिनियम आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन और सशक्तिकरण की संवैधानिक भावना को साकार करने का महत्वपूर्ण उपकरण है। हालांकि, इसकी सफलता राज्यों के समयबद्ध नियम निर्माण, ग्राम सभाओं की वास्तविक सशक्तता, पर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण और संस्थागत क्षमता निर्माण पर निर्भर है। भविष्य में, इसे वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 जैसे अन्य कानूनों के साथ समन्वित कर आदिवासी कल्याण को मजबूत किया जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम ग्राम सभाओं को लघु वनोपज और लघु खनिजों के प्रबंधन में अनिवार्य सहमति का अधिकार देता है।
2. PESA अधिनियम संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होता है।
3. अधिनियम में राज्य कानूनों पर PESA प्रावधानों की सर्वोच्चता प्रदान की गई है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1 और 2 केवल (b) 1 और 3 केवल

(c) 2 और 3 केवल (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996 आदिवासी समुदायों को स्वशासन प्रदान करने का महत्वपूर्ण कदम है, किंतु इसके क्रियान्वयन में संरचनात्मक और संस्थागत चुनौतियाँ बनी हुई हैं।" इस कथन की समीक्षा कीजिए तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव दीजिए। (250 शब्द)

23वाँ भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आजकल के इंटरनेशनल रिश्तों में भारत और रूस के बीच सबसे ज़्यादा समय से परखी हुई, मज़बूत और जियोपॉलिटिकली अहम पार्टनरशिप है।
- कोल्ड वॉर के समय से ही आपसी भरोसे और डिप्लोमैटिक मेलजोल पर आधारित यह रिश्ता अब पॉलिटिकल, डिफेंस, इकोनॉमिक, न्यूक्लियर, एनर्जी, कल्चरल और लोगों के बीच सहयोग को कवर करते हुए एक बड़े और मल्टीडाइमेंशनल जुड़ाव में बदल गया है। पिछले दो दशकों में, यह पार्टनरशिप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप (2000) से एक स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप (2010) में बदल गई है, जो इसकी बहुत गहरी और स्ट्रेटेजिक वैल्यू को दिखाती है।
- इस घोषणा-पत्र पर वर्ष 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे। 22 वार्षिक शिखर सम्मेलनों, नियमित शासनाध्यक्ष-स्तरीय बैठकों, मंत्रिस्तरीय वार्ताओं और विभिन्न क्षेत्रकों के कार्य समूहों ने साझेदारी को संस्थागत रूप दिया है, जिससे निरंतरता और गंभीरता सुनिश्चित हुई है।
- इस घोषणा-पत्र के तहत एक पूर्ण रूप से नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसने राजनीति, सुरक्षा, आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रकों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया है।

भारत-रूस साझेदारी के प्रमुख स्तंभ:

- **राजनीतिक और राजनयिक तालमेल:** वार्षिक शिखर सम्मेलन इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। शिखर सम्मेलनों के अलावा, दोनों देश मंत्रिस्तरीय आदान-प्रदान, 2+2 वार्ताओं और UN, G-20, BRICS, SCO जैसे साझा मंचों के माध्यम से भी घनिष्ठ रूप से समन्वय करते हैं।रूस भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है।
- **रक्षा और संरक्षा:** रूस, भारत का सबसे बड़ा सैन्य उपकरण आपूर्तिकर्ता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के अनुसार, 2020-24 के दौरान भारत के कुल रक्षा आयात का 36% हिस्सा रूस से आयात किया गया था।
- इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, MiG-29K नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट,जैसे उपकरण शामिल हैं।
- दोनों देशों के रक्षा संबंध खरीदार-विक्रेता मॉडल से आगे बढ़कर उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन तक पहुंच गए हैं। जैसे- ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का संयुक्त विकास।
- दोनों देश संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास इंद्र (INDRA) और एवियाइंद्रा' (Aviaindra) आयोजित करते हैं।

ऊर्जा सुरक्षा:

- वर्तमान में, रूस भारत को सबसे अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। यह भारत को रियायती दरों पर तेल निर्यात करता है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिली है।
- भारत की कुछ सबसे बड़ी सरकारी और निजी कंपनियों ने रूस के सुदूर पूर्व (RFE) क्षेत्र में स्थित तेल क्षेत्रों में निवेश किया है। इसमें ONGC द्वारा तेल और गैस परियोजना में किया गया निवेश भी शामिल है।

- रूस भारत में, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में सहयोग कर रहा है। जैसे- कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तमिलनाडु।
- **व्यापार और अर्थव्यवस्था:** दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर 68.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
- भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में औषधियां, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात आदि शामिल हैं।
- रूस और भारत के बीच 90% व्यापार स्थानीय मुद्रा अर्थात रूबल और रुपये में होता है।
- **संपर्क:** रूस अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), उत्तरी समुद्री मार्ग और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा जैसी परियोजनाओं के माध्यम से मध्य एशिया और विस्तृत यूरेशिया के साथ भारत के संपर्क को बढ़ा सकता है।
- **तकनीकी क्षमता में वृद्धि करना:** उदाहरण के लिए- अंतरिक्ष क्षेत्रक में, यह भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग कर रहा है।
- **सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच जुड़ाव:** भारतीय सिनेमा ने एक समय सोवियत संघ के दर्शकों को मोहित कर लिया था। रूसी बैले आज भी भारत में प्रशंसनीय है, वहीं योग पूरे रूस में बहुत अधिक लोकप्रिय है। इस प्रकार दोनों देशों के मध्य दीर्घकालिक सद्भावपूर्ण संबंध बने हुए हैं।

भारत-रूस संबंधों के समक्ष उपस्थित चुनौतियां :

- **व्यापार असंतुलन:** व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में बना हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रूस से आयात लगभग 63.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि निर्यात 4.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ।
- **रुपये के अधिशेष की समस्या:** व्यापार असंतुलन की वजह से वित्तीय चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि भारतीय बैंकों में स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs) में अरबों भारतीय रुपये संचित हो गए हैं।
- रूसी विदेश मंत्री ने इस अधिशेष को एक "समस्या" बताया, क्योंकि रूस पश्चिमी वित्तीय प्रणाली के बाहर अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए इन निधियों का उपयोग नहीं कर सकता है।
- **रक्षा आयात में गिरावट:** यह मुख्य रूप से भारत के हथियारों के आयात में आई विविधता के कारण हुआ है। अब भारत इजराइल, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से हथियार खरीद रहा है। साथ ही, भारत हथियारों के स्वदेशीकरण के लिए भी प्रयास कर रहा है।

23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम क्या हैं ?

- **आर्थिक कार्यक्रम 2030:** दोनों देशों ने ऊर्जा और रक्षा से आगे व्यापार में विविधता लाने के लिए "2030 तक भारत-रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम" अपनाया।
- **व्यापार लक्ष्य:** दोनों पक्षों ने 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। 2024-25 में यह व्यापार $68.7 बिलियन था।
- वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ (EAEU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता को तीव्र किया गया।
- **भुगतान तंत्र:** पश्चिमी देशों की भुगतान प्रणालियों पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं में द्विपक्षीय लेन-देन निपटान का विस्तार करने तथा भुगतान प्रणालियों और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज़ (CBDCs) की अंतर-संचालनीयता (interoperability) पर सहमति बनी।
- **ऊर्जा:** रूस ने बाधारहित तेल एवं गैस आपूर्ति और भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम (कुडनकुलम, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आदि) के लिए निरंतर समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई।
- **रक्षा और सुरक्षा:** संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D), सह-उत्पादन (मेक इन इंडिया का समर्थन), सैन्य अभ्यास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स:** INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा), चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग पर सहयोग बढ़ाया गया।
- आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ध्रुवीय जल (Polar Waters) में संचालित होने वाले जहाजों हेतु विशेषज्ञों के प्रशिक्षण पर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सहयोग:** रूस औपचारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन (IBCA) में शामिल हुआ।
- **लोगों के बीच संबंध:** कुशल भारतीय कामगारों के लिए प्रवासन और आवागमन पर समझौता ज्ञापन, रूसी

नागरिकों के लिए 30-दिवसीय वीजा-मुक्त ई-पर्यटक प्रवेश, आदि।

भू-राजनीतिक प्राथमिकताएँ:

- **भारत-अमेरिका के बीच तालमेल:** भारत तेजी से पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के साथ जुड़ाव बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए, क्वाड जैसा सुरक्षा संबंध।
- **रूस-चीन के बढ़ते संबंध:** 2022 में, रूस और चीन ने "नो लिमिट्स" पार्टनरशिप की घोषणा की। इसके अंतर्गत घनिष्ठ राजनीतिक, सुरक्षात्मक और आर्थिक जुड़ाव की रूपरेखा तैयार की गई है।
- **पाकिस्तान के साथ रूस के बेहतर होते संबंध:** उदाहरण के लिए, पाकिस्तान और रूस के बीच हालिया सहयोग में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास और नौसैनिक अभ्यास जैसी रक्षा पहल शामिल हैं।
- **अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध:** S-400 सौदे के बाद से भारत ने रूस के साथ कोई बड़ा सैन्य समझौता नहीं किया है, ताकि अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों का विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक अधिनियम (CAATSA), 2017 के तहत लगाए जाने वाले प्रतिबंध से बचा जा सके।CAATSA तीन देशों, नामतः रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ सौदा करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
- भारत रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कैसे संतुलित कर रहा है?
- भारत कभी-कभी स्वयं को अमेरिका और रूस के हितों के बीच फंसा हुआ पाता है।
- हाल ही में अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर प्रशुल्क (टैरिफ) लगाया है। वह भारत पर यूक्रेन में चल रहे रूस के युद्ध को वित्तपोषित करने का आरोप लगाता है।

ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण

- **रणनीतिक स्वायत्तता का पालन करना:** भारत एक लचीली विदेश नीति अपनाता है। इसके अंतर्गत वह अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंधों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। यह दृष्टिकोण रणनीतिक स्वायत्तता और व्यावहारिक नीतियों पर आधारित है।
- **उदाहरण,** यूक्रेन-रूस संघर्ष के मामले में, भारत ने UNSC के एक प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें यूक्रेन के विरुद्ध रूसी सैन्य कार्रवाई की निंदा की गई थी।
- **राष्ट्रीय हितों पर आधारित संबंध:** अतिरिक्त प्रशुल्क लगाने के बावजूद, भारत ने रूस के साथ गहरे संबंध बनाए रखे हैं।
- इसके साथ ही, BRICS, SCO और G-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की मूक कूटनीति ने उसे ग्लोबल साउथ और प्रतिस्पर्धी शक्ति समूहों के बीच एक सेतु बने रहने में मदद की है।
- **रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** रूस पर लगे प्रतिबंधों से निपटने के लिए, भारत रुपये या रूबल में व्यापार जैसे वैकल्पिक भुगतान माध्यमों को अपना रहा है।

भारत–रूस संबंधों की समयरेखा (1947–2025) —

वर्ष	प्रमुख घटना / समझौता	महत्व
1947	भारत–सोवियत संघ के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना	द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत
1975	भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत सोयूज़ द्वारा प्रक्षेपित	स्पेस सहयोग की शुरुआत
1988	कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र समझौता	न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप की नींव
1993	मैत्री और सहयोग संधि	पोस्ट–सोवियत युग में संबंधों का पुनर्निर्माण
2000	स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा	संबंधों को औपचारिक रणनीतिक स्तर
2010	विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी (SPSP)	भारत के सबसे ऊँचे स्तर की साझेदारी
2014	"दिशा-निर्देश और रोडमैप 2020"	रक्षा, ऊर्जा व व्यापार में लक्ष्य निर्धारण
2016	S-400 मिसाइल डील की घोषणा	प्रमुख रक्षा सहयोग
2018	भारत–रूस ऊर्जा ब्रिज और फार ईस्ट निवेश	एक्ट फ़ार-ईस्ट पॉलिसी में रूस की भूमिका
2021	पहली 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता	विदेश + रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक
2022	रूस–यूक्रेन युद्ध के बीच भारत का संतुलित रुख, तेल आयात में वृद्धि	ऊर्जा सुरक्षा और हित संरक्षण

2023	ब्रिक्स में विस्तार का समर्थन; रूस के साथ आर्थिक सहयोग निरंतर	मल्टी-पोलर विश्व में तालमेल
2024	चंद्रयान और गगनयान सहयोग वार्ताएँ पुनर्जीवित; अपतटीय ऊर्जा चर्चा	विज्ञान–तकनीक सहयोग
2025	भारत-रूस व्यापार लक्ष्य 50 बिलियन USD के करीब, डिफेंस को-प्रोडक्शन पर प्रगति	आर्थिक + रक्षा संबंधों की मजबूती

आगे की राह :

- **आपसी विश्वास बढ़ाना:** रूस-चीन और भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच दोनों देशों को आपसी विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- **टियर II कूटनीति को मजबूत करना:** नई पीढ़ी और शैक्षणिक समुदाय के साथ भी संपर्क मजबूत करना और रूस में भारतीय पत्रकारों को भेजना।
- **व्यापार में विविधता लाना:** भारत-रूस व्यापार में तेल से आगे बढ़कर सूचना प्रौद्योगिकी, कपड़ा, कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रक के उत्पादों को भी शामिल करना चाहिए। इससे रूस में भारत का निर्यात बढ़ेगा।
- **संयुक्त अनुसंधान और सह-विकास को बढ़ावा देना:** ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल्स जैसी पिछली सफलताओं के आधार पर, भविष्य में अगली पीढ़ी की रक्षा टेक्नोलॉजी पर केंद्रित सहयोग बढ़ाना चाहिए।
- **यूरेशियाई आर्थिक संघ (EAEU) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देना:** रूस EAEU का एक अहम सदस्य है।
- **परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना:** रूस, भारत को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) विकसित करने में मदद कर सकता है।
- **अन्य:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष :

भारत-रूस संबंधों का भविष्य दोनों देशों की अपनी साझेदारी को उभरती हुई वैश्विक वास्तविकताओं के अनुसार ढालने की क्षमता पर निर्भर करता है। अतः रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रकों से आगे बढ़कर तकनीकी, नवाचार और लोगों के बीच संबंधों तक साझेदारी का विस्तार करना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. नीचे दिए गए जोड़ों पर विचार कीजिए:

भारत-रूस सहयोग क्षेत्र	संबंधित पहल / व्यवस्था
1. ऊर्जा सुरक्षा	व्लादिवोस्तोक–चेननई मैरीटाइम कॉरिडोर
2. रक्षा क्षेत्र	ब्रह्मोस मिसाइल जॉइंट वेंचर
3. स्पेस कूटनीति	रूस द्वारा इसरो को GLONASS नेविगेशन एक्सेस
4. साइबर सुरक्षा	इंडिया-रूस इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी समझौता (2021)

सही मैच किए हुए जोड़े कौन-से हैं?

(a) 1 और 2 ही (b) 2, 3 और 4 ही

(c) 1, 2 और 4 ही (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. बदलती वैश्विक शक्ति-संतुलन, पश्चिम-रूस तनाव, चीन-रूस निकटता और भारत के बहुध्रुवीय विदेश नीति दृष्टिकोण के संदर्भ में भारत-रूस 'विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' के बदलते महत्व का आकलन कीजिए। प्रमुख सहयोग क्षेत्रों, उभरती चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत की बहु-संरेखित विदेश नीति : मुख्य स्तंभ, चुनौतियाँ एवं सुदृढ़ीकरण के उपाय

परिचय :

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

वैश्विक अनिश्चितताओं के युग में, भारत की बहु-पक्षीयता (Multi-Alignment) की रणनीति रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) का एक संतुलित प्रदर्शन है। यह नीति गुटीय राजनीति से परे जाकर, विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करती है, जिससे भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे सके। हाल के वर्षों में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच भारत-रूस संबंधों की मजबूती इस दृष्टिकोण का प्रमाण है। यह लेख भारत की बहु-संरेखित विदेश नीति के मुख्य स्तंभों, इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों तथा इसे सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा करता है।

मुख्य स्तंभ :

भारत की बहु-पक्षीयता की नीति कई प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जो वैश्विक मामलों में इसकी स्वतंत्रता और लचीलापन सुनिश्चित करते हैं:

- **रणनीतिक स्वायत्तता और आक्रामक हेजिंग:** भारत कठोर गुटों के बजाय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। यह अमेरिका और रूस जैसी प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के साथ संतुलन बनाता है। उदाहरणस्वरूप, 2024 में भारत ने रूस से 40% कच्चा तेल आयात किया, जबकि iCET (Initiative on Critical and Emerging Technology) और आर्टेमिस एकॉर्ड्स के माध्यम से अमेरिका के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग मजबूत किया। इससे ऊर्जा सुरक्षा और उन्नत तकनीक दोनों प्राप्त होते हैं।
- **ग्लोबल साउथ का समर्थन:** भारत खुद को विकासशील विश्व के सेतु के रूप में स्थापित करता है। यह ऋण, खाद्य सुरक्षा और जलवायु वित्त पर चिंताओं का समर्थन करता है। 2024 में तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी और G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाना इसके उदाहरण हैं। इससे भारत नियम-निर्माता की भूमिका ग्रहण करता है।
- **भू-आर्थिक जोखिम-मुक्ति एवं समुत्थानशीलता:** वैश्विक विखंडन के खिलाफ, भारत मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के माध्यम से लचीली आपूर्ति शृंखलाएँ विकसित करता है। EFTA (European Free Trade Association) के साथ 100 बिलियन डॉलर का FTA और IMEC (India-Middle East-Europe Corridor) इसके उदाहरण हैं, जो उच्च तकनीक निवेश आकर्षित करते हैं।
- **आत्मनिर्भरता के माध्यम से एकीकृत निवारण:** मेक इन इंडिया के तहत, भारत घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करता है। 2024-25 में रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें प्रदान करना इसका प्रमाण है, जो रक्षा निर्भरता कम करता है।
- **ऊर्जा-यथार्थवाद तथा हरित संक्रमण:** भारत ऊर्जा सुरक्षा को संप्रभु अधिकार मानता है। कतर से 2048 तक LNG आयात का समझौता और LiFE (Lifestyle for Environment) मिशन इसके उदाहरण हैं, जो जीवाश्म ईंधन और हरित संक्रमण के बीच संतुलन बनाते हैं।
- **डिजिटल कूटनीति और तकनीकी-संप्रभुता:** भारत DPI (Digital Public Infrastructure) को सॉफ्ट पावर के रूप में उपयोग करता है। UPI को UAE और नेपाल से जोड़ना तथा इंडिया स्टैक साझेदारी इसके उदाहरण हैं।
- **लघुपक्षवाद और मुद्दा-आधारित गठबंधन:** भारत क्वाड और I2U2 जैसे छोटे समूहों का उपयोग करता है। 2024 में खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) में शामिल होना और क्वाड का विस्तार इसके प्रमाण हैं। ये स्तंभ भारत को वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

बहुपक्षवाद बनाम लघुपक्षवाद: एक रणनीतिक तुलना

मानदंड	बहुपक्षवाद	लघुपक्षवाद
मूल सिद्धांत	सार्वभौमिक वैधता - व्यापक भागीदारी तथा वैश्विक सहमति के माध्यम से उन मानकों को निर्मित करना जिनकी विश्व-स्तर पर स्वीकृति हो।	सामरिक दक्षता - समान हितों वाले, सक्षम तथा सीमित समूहों के माध्यम से तीव्र परिणाम प्राप्त करना।
सदस्यता संरचना	वृहद तथा समावेशी - प्रायः लगभग सार्वभौमिक (जैसे: संयुक्त राष्ट्र के सदस्य); क्षमता या सामरिक अभिविन्यास की परवाह किये बिना सभी राज्यों के लिये खुला।	लघु एवं विशिष्ट - साझा हितों और पूरक शक्तियों वाले कुछ चुनिंदा देशों (आमतौर पर 3-5) तक सीमित।

निर्णय लेना	सर्वसम्मति-प्रधान तथा धीमा - विविध हितों और वीटो-शक्ति के कारण निर्णय-अवरोध संभावित (जैसे: UNSC)।	तीव्र और लचीला - सदस्य समान सामरिक लक्ष्यों को साझा करते हैं, इसलिये निर्णय त्वरित और क्रियाभिमुख।
क्षेत्र और फोकस	व्यापक एवं मानक-निर्धारण - औपचारिक संधियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और वैश्विक व्यापार जैसे बड़े वैश्विक मुद्दों का हल करता है।	संकीर्ण एवं कार्य-उन्मुख - समुद्री सुरक्षा, तकनीकी सहयोग या आपूर्ति श्रृंखला जैसी विशिष्ट चुनौतियों को लक्षित करता है।
संस्थागत रूप	औपचारिक एवं प्रशासनिक - बड़े सचिवालयों, चार्टरों और संरचित प्रक्रियाओं (जैसे: WTO, WHO) द्वारा समर्थित।	अनौपचारिक एवं अनुकूलनीय - आमतौर पर स्थायी सचिवालय के बिना; शिखर सम्मेलनों और कार्य समूहों (जैसे: I2U2, AUKUS) के माध्यम से संचालन करता है।
प्राथमिक सीमा	प्रासंगिकता का संकट - निर्णय में प्रायः विलंब, प्रक्रियागत जटिलता और महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के कारण अप्रभावी।	वैधता का संकट - विशिष्टता के आरोप तथा सार्वभौमिक बहुपक्षीय मानकों को दरकिनार करने की आलोचना।
प्रमुख उदाहरण	संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, WHO	क्वाड, BRICS, I2U2.

चुनौतियाँ :

बहु-पक्षीयता की नीति कई चुनौतियों का सामना कर रही है:

- **अमेरिकी ट्रांज़ैक्शनलिज़्म से दबाव:** अमेरिका के लेन-देन संबंधी दृष्टिकोण से भारत की स्वायत्तता प्रभावित होती है। S-400 समझौते पर CAATSA प्रतिबंधों की आशंका और 2025 में 50% टैरिफ इसका उदाहरण है।
- **रूस धुरी से घटते लाभ:** प्रतिबंधों से रक्षा आपूर्ति प्रभावित हो रही है। 2025 में रूसी तेल आयात घटकर 600,000 बैरल प्रति दिन रह गया, और RuPay-Mir भुगतान लिंक अभी चालू नहीं है।
- **चीन नॉर्मलाइज़ेशन का जाल:** 2024 के सीमा समझौते के बावजूद, विश्वास की कमी है। चीन से आयात 74% बढ़ा, जबकि निर्यात 33% गिरा। तिब्बत में 600+ सीमा बस्तियाँ खतरा बढ़ाती हैं।
- **पड़ोसी देशों में डिलिवरी डेफिसिट:** नेबरहूड फर्स्ट नीति में विलंब, जैसे अखौरा-अगरतला रेल लिंक, भारत विरोधी भावना बढ़ाते हैं। बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता इसका उदाहरण है।
- **FTA साझेदारों के साथ व्यापार घाटा:** FTA से आयात बढ़ रहा है। 2025 की दूसरी तिमाही में घाटा 23% बढ़कर 26.7 बिलियन डॉलर हुआ। UAE से आयात 70.37% बढ़ा।
- **ग्लोबल साउथ में संसाधन विषमता:** चीन की निवेश कूटनीति (जैसे 2024 FOCAC में 50.7 बिलियन डॉलर) भारत की सीमित क्षमता को चुनौती देती है।
- ये चुनौतियाँ भारत की नीति को परीक्षण की स्थिति में डालती हैं।

सुदृढ़ीकरण के उपाय :

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, भारत निम्नलिखित उपाय अपनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है:

- **G4 एकजुटता के माध्यम से बहुपक्षवाद सुधार:** G4 और L.69 समूह के साथ UNSC सुधार के लिए पाठ-आधारित वार्ता शुरू करें, जो अंतरिम मॉडल प्रस्तावित करे।
- **DPI कूटनीति का विस्तार:** DPI को ग्लोबल साउथ में निर्यात करें और ग्लोबल DPI रिपोज़िटरी स्थापित करें, जो तकनीकी संप्रभुता बढ़ाए।
- **ग्लोबल साउथ सचिवालय की स्थापना:** नई दिल्ली में स्थायी सचिवालय बनाएं, जो नीति पत्र तैयार करे।
- **महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति में एकीकरण:** MSP जैसे साझेदारियों में मूल्य-संवर्द्धन पर ध्यान दें, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साथ सह-विकास करें।
- **रक्षा निर्यात के माध्यम से SAGAR का संचालन:** तेजस और ब्रह्मोस निर्यात बढ़ाएं, ऋण उपलब्ध कराकर सुरक्षा संरचना बनाएं।
- **AI गवर्नेंस में मानदंड-निर्माण:** GPAI में सक्रिय रहें और 2026 इम्पैक्ट AI शिखर में फ्रेमवर्क विकसित करें।

- प्रवासी समुदाय का लाभ: प्रवासी को लॉबिंग के लिए उपयोग करें, अनुकूल नीतियों के लिए समितियाँ बनाएं।

ये उपाय भारत को वैश्विक सेतु के रूप में स्थापित करेंगे।

निष्कर्ष :

भारत की बहु-संरेखित विदेश नीति वैश्विक गुटों के बीच स्व-तंत्रता का प्रतीक है। मुख्य स्तंभों के माध्यम से यह अवसर पैदा करती है, लेकिन चुनौतियाँ इसे परीक्षण करती हैं। उपायों के माध्यम से सुदृढ़ीकरण से भारत नई वैश्विक व्यव-स्था में नियम-निर्माता बन सकता है। जैसा कि कहा जाता है, "राष्ट्र तब उभरते हैं जब वे पक्ष चुनकर नहीं, बल्कि स्पष्टता और साहस के साथ अपना मार्ग चुनकर आगे बढ़ते हैं।" यह दृष्टिकोण भारत को वैश्विक संतुलनकारी शक्ति बनाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

1. न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ए.पी.ई.सी. (APEC) द्वारा की गई है।
2. न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और यू.एस.ए. बनाम रूस-चीनी गठबंधन के बीच उलझन के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है।" इस संबंध में पूर्व-पश्चिम नीति टकरावों की जाँच और समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (2025)

प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा : भारत-ओमान रणनीतिक साझेदारी की नई दिशा

परिचय :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17-18 दिसंबर 2025 को ओमान की आधिकारिक यात्रा भारत-ओमान संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई और दिसंबर 2023 में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा की निरंतरता को दर्शाती है। इस यात्रा ने द्विप-क्षीय संबंधों को बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर मजबूत किया, जिसमें आर्थिक, रक्षा, समुद्री, सांस्कृतिक और ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह यात्रा भारत की पश्चिम एशिया नीति, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री कूटनीति और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के साथ तालमेल को समझने के लिए उपयोगी है।

प्रमुख उपलब्धियां और समझौते :

यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते और दस्तावेज हस्ता-क्षरित हुए, जो दोनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं:

- **समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA):** यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार में बाधाओं को कम कर एक स्थिर ढांचा प्रदान करता है। वस्त्र, ऑटोमोबाइल, रसायन, उर्वरक और उपकरण जैसे क्षेत्रों में व्यापार वृद्धि की संभावना को बढ़ावा देगा। इससे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और निवेश प्रवाह में वृद्धि होगी। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई, जो रुपये-रियाल व्यापार को प्रोत्साहित करेगा। यह समझौता भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहलों के साथ

जुड़ता है, साथ ही ओमान के 'विजन 2040' के आर्थिक विविधीकरण से तालमेल रखता है।

- **समुद्री सहयोग पर संयुक्त दृष्टि दस्तावेज:** यह दस्तावेज क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती और अपराधों से निपटने, नीली अर्थव्यवस्था तथा समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर देता है। भारत की SAGAR (Security and Growth for All in the Region) नीति के अनुरूप, यह हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करेगा। रक्षा क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और सूचना आदान-प्रदान को मजबूत करेगा।
- **समुद्री विरासत और संग्रहालयों के क्षेत्र में एमओयू:** लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर सहित संग्रहालयों में सहयोग स्थापित करेगा। संयुक्त प्रदर्शनियां, अनुसंधान और कलाकृतियों का आदान-प्रदान सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा। यह दोनों देशों की साझा समुद्री परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा, जो सॉफ्ट पावर कूटनीति का उदाहरण है।
- **कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में एमओयू:** कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और सूक्ष्म सिंचाई में सहयोग को बढ़ावा देगा। श्री अन्न (मोटे अनाज) की खेती और खाद्य नवाचार के लिए कार्यकारी कार्यक्रम भारत की वैज्ञानिक विशेषज्ञता और ओमान की अनुकूल जलवायु का समन्वय करेगा, जो खाद्य सुरक्षा और जल संरक्षण में योगदान देगा।
- **उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एमओयू:** संयुक्त अनुसंधान, संकाय-छात्र आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाएगा। भारत-ओमान ज्ञान संवाद और ITEC कार्यक्रम के तहत सहयोग बढ़ेगा। सोहार विश्वविद्यालय में ICCR चेयर की स्थापना सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत करेगी।
- **अन्य क्षेत्रों में सहयोग:** ऊर्जा क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन और अमोनिया पर फोकस, प्रौद्योगिकी में आईटी और अंतरिक्ष अनुप्रयोग, तथा स्वास्थ्य में आयुष चेयर और पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना। ओमान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच एमओयू निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाएगा।

व्यापक महत्व और चुनौतियां :

- भारत की पश्चिम एशिया नीति को मजबूती
- हिंद महासागर में समुद्री कूटनीति और सुरक्षा
- विकसित भारत 2047 और ओमान विजन 2040 के बीच तालमेल
- प्रवासी भारतीयों (लगभग 6.75 लाख) की भूमिका को संस्थागत समर्थन

यह यात्रा भारत की विदेश नीति के कई आयामों को छूती है। आर्थिक रूप से, CEPA से द्विपक्षीय व्यापार (वर्तमान में लगभग 10 अरब डॉलर) में वृद्धि की संभावना है, जो भारत को मध्य पूर्व में मजबूत बनाएगा। समुद्री सहयोग से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला होगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग से लोग-से-लोग संपर्क मजबूत होगा, विशेषकर ओमान में रहने वाले 6.75 लाख भारतीय प्रवासियों के माध्यम से।

चुनौतियां शामिल हैं:

क्षेत्रीय अस्थिरता (जैसे गाजा संकट पर चर्चा), आतंकवाद का मुकाबला और ऊर्जा संक्रमण में सहयोग। दोनों देशों ने गाजा में मानवीय सहायता और फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना पर समर्थन दोहराया, जो भारत की संतुलित मध्य पूर्व नीति को दर्शाता है।

निष्कर्ष :

प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा ने भारत-ओमान संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान की है, जो आर्थिक अवसरों, समुद्री सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर आधारित है। यह विकसित भारत 2047 और ओमान विजन 2040 के बीच तालमेल का प्रतीक है।, यह यात्रा भारत की बहुपक्षीय कूटनीति का उदाहरण है, जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देती है। भविष्य में, इन समझौतों का प्रभावी कार्यान्वयन दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करेगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत–ओमान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत और ओमान ने समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. समुद्री सहयोग पर संयुक्त दृष्टि दस्तावेज़ का उद्देश्य केवल व्यापारिक नौवहन को बढ़ावा देना है।
3. श्री अन्न (मोटे अनाज) सहयोग का संबंध खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि से है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 3 केवल (b) 1 केवल

(c) 2 और 3 केवल (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. प्रधानमंत्री की दिसंबर 2025 की ओमान यात्रा के प्रमुख परिणामों की चर्चा कीजिए। यह यात्रा भारत की पश्चिम एशिया नीति और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी समुद्री कूटनीति को किस प्रकार सुदृढ़ करती है? (250 शब्द)

भारत-जॉर्डन संबंध (India-Jordan relations)

चर्चा में क्यों?

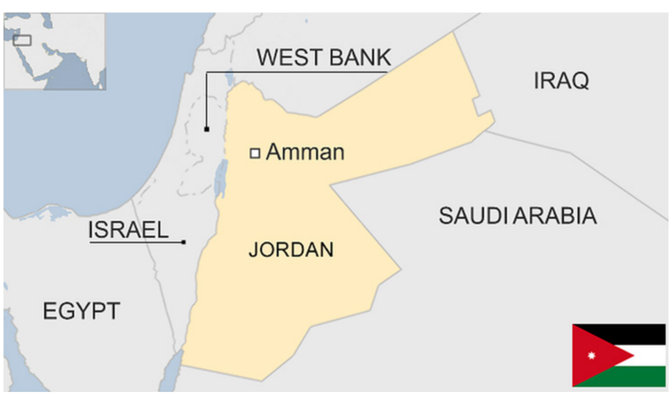

भारत के प्रधानमंत्री ने जॉर्डन का दौरा किया और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के साथ विस्तृत चर्चाएँ कीं। यह जॉर्डन की उनकी पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है तथा इससे पहले वे फरवरी 2018 में फिलिस्तीन जाते समय जॉर्डन आए थे।भारत के प्रधानमंत्री की वर्ष 2025 की ऐतिहासिक जॉर्डन यात्रा, जो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगाठ के अवसर पर हुई, का उद्देश्य एक स्थिर द्विपक्षीय संबंध को भविष्य-उन्मुख रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित करना था।

इस यात्रा में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य और डिजिटल भुगतान एकीकरण जैसे महत्त्वाकांक्षी उद्देश्यों को निर्धारित किया गया, साथ ही भारत की पश्चिम एशिया नीति में जॉर्डन की भूमिका का पूर्ण उपयोग करने में सीमित आर्थिक आधार तथा भू-राजनैतिक संवेदनशीलताओं जैसी चुनौतियों को भी स्वीकार किया गया।

यात्रा के मुख्य परिणाम क्या हैं?

भारत और जॉर्डन के बीच 5 समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर:

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- जल संसाधन प्रबंधन एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- पेट्रा (जॉर्डन का प्राचीन शहर) और एलोरा के बीच ट्विनिंग समझौता
- वर्ष 2025-2029 के लिये सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण
- डिजिटल रूपांतरण के लिये जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर आशय पत्र (Letter of Intent)।
- **महत्त्वाकांक्षी व्यापार लक्ष्य:** दोनों देश अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। भारत, जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साथी है।
- **क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग:** अभिकर्त्ताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता सुनिश्चित करने पर साझा दृष्टिकोण व्यक्त किया।

भारत की पश्चिम एशिया नीति में जॉर्डन का रणनीतिक महत्त्व क्या है?

- **भू-राजनीतिक सेतु:** जॉर्डन एक प्रमुख पश्चिम समर्थक, आधुनिक और संवैधानिक अरब राजतंत्र है, जिसने इज़राइल के साथ शांति संधि की है।
- यह भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सेतु का कार्य करता है, जो इज़राइल, अरब देशों और ईरान के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है, बिना किसी सांप्रदायिक विभाजन में फँसे। जॉर्डन में

बड़ी शरणार्थी आबादी है, जिनमें मुख्य रूप से सीरियाई शामिल हैं और उसकी निरंतर मानवीय भूमिका उसे क्षेत्रीय स्थिरता का एक मज़बूत स्तंभ बनाती है।

- **आतंकवाद के खिलाफ सहयोग:** अकाबा प्रोसेस 2015, वर्ष 2018 का रक्षा MoU और विशेष ऑपरेशन बल प्रदर्शनी एवं सम्मेलन (SOFEX) में भागीदारी जैसे मंचों में सहभागिता, सैन्य-से-सैन्य तथा आतंकवाद-विरोधी संबंधों को गहरा करने को दर्शाती है।
- **मुख्य कूटनीतिक समर्थन:** इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) में जॉर्डन का प्रभाव भारत के बहुपक्षीय हितों के लिये महत्त्वपूर्ण समर्थन प्रदान करता है और कश्मीर पर नकारात्मक प्रचार का मुकाबला करने में सहायता करता है, क्योंकि जॉर्डन आमतौर पर संतुलित रुख अपनाता है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता में जॉर्डन की भूमिका:** जॉर्डन की येरुशलम की संरक्षण भूमिका इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने के प्रयासों में केंद्रीय बनाती है, जो भारत के क्षेत्रीय स्थिरता के हितों और उसके प्रवासियों एवं व्यापार मार्गों की सुरक्षा के साथ संरेखित है।
- **कोरिडोर लॉजिस्टिक्स:** जॉर्डन को भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया है, जो भारत के व्यापार कनेक्टिविटी और ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को सशक्त बनाता है।
- यह संकट के बाद इराक और लेवेंट में पुनर्निर्माण तथा लॉजिस्टिक्स के लिये संभावित प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है।
- लाल सागर संकट के दौरान, खाड़ी के बंदरगाहों से सऊदी अरब और जॉर्डन के रास्ते इज़राइल तक भूमिगत माल ढुलाई मार्गों का उपयोग किया गया, जिससे समुद्री मार्गों के बाधित बिंदुओं को पार किया जा सके। यह क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स में जॉर्डन के बढ़ते महत्त्व को उजागर करता है।

जॉर्डन :

- **स्थान और सीमाएँ:** मध्य पूर्व में रणनीतिक रूप से स्थित, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इज़राइल और वेस्ट बैंक से सटी हुई।
- **भौतिक विशेषताएँ:** जॉर्डन का अधिकांश भूभाग रेगिस्तान (80% से अधिक) से ढका है, साथ ही उर्वर जॉर्डन नदी घाटी और पथरीले उच्च पठार भी हैं।
- **जनसंख्या:** अधिकांश अरबी, जिसमें एक बड़ी फिलिस्तीनी शरणार्थी आबादी (लगभग एक तिहाई) शामिल है। अधिकांश मुस्लिम हैं और इसमें एक ईसाई अल्पसंख्या भी है। देश अत्यधिक शहरीकृत है (75% लोग शहरों में रहते हैं)।
- **समुद्री पहुँच:** अकाबा बंदरगाह के माध्यम से लाल सागर तक पहुँच।
- **आधुनिक गठन:** ब्रिटिश शासन के तहत ट्रांसजॉर्डन के रूप में स्थापित (1920) और वर्ष 1946 में स्वतंत्रता प्राप्त की, हशेमाइट राजवंश के राजा अब्दुल्ला I के नेतृत्व में।
- **अरब-इज़राइल संघर्ष:** वर्ष 1948 और 1967 में इज़राइल के खिलाफ युद्ध लड़े, जिससे वेस्ट बैंक और येरुशलम का पूर्वी हिस्सा खो गया और बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी आए।
- **शांति और स्थिरता:** वर्ष 1988 में वेस्ट बैंक पर दावे को त्यागा और वर्ष 1994 में इज़राइल के साथ ऐतिहासिक शांति संधि (वाड़ी अरबा शांति संधि, 1994) पर हस्ताक्षर किये।

भारत–जॉर्डन द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख स्तंभ क्या हैं?

- **कूटनीतिक सहभागिता:** भारत और जॉर्डन के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। ये संबंध नियमित उच्चस्तरीय बैठकों और शिखर सम्मेलनों (जैसे- UNGA) के माध्यम से सुदृढ़ होते रहे हैं। वर्ष 2025 में पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ परस्पर समर्थन और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर साझा चिंताएँ भी इन संबंधों को मज़बूती प्रदान करती हैं।
- **व्यापार और आर्थिक एकीकरण:** भारत, जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2023–24 में दोनों देशों के बीच 2.875 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ।
- जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइज़र कंपनी (JIFCO) जैसी संयुक्त उद्यम परियोजनाएँ जॉर्डन को भारत की कृषि सुरक्षा के लिये फॉस्फेट और पोटाश को महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्त्ता बनाती हैं। जॉर्डन में 15 से अधिक NRI-स्वामित्व वाले वस्त्र उद्यम (लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश) व्यापार समझौतों का लाभ उठाकर पश्चिमी बाज़ारों तक पहुँच बना रहे हैं।

- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:** भारत और जॉर्डन ने वर्ष 2018 में रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी:** अल-हुसैन तकनीकी विश्वविद्यालय में भारत-जॉर्डन सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र में सुपरकंप्यूटर परम शावक (PARAM Shavak) स्थापित है, जिसका उद्देश्य 3,000 जॉर्डनियाई IT पेशेवरों को प्रशिक्षण देना है। भारतीय मास्टर ट्रेनर जॉर्डनियों को साइबर सुरक्षा, AI और बिग डेटा एनालिटिक्स में कौशल उन्नयन प्रदान करते हैं।
- **जनसंवाद और सामाजिक संबंध:** जॉर्डन में लगभग 17,500 भारतीय महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य सेवा, IT और शिक्षा में कार्यरत हैं। मज़बूत सांस्कृतिक संबंध जॉर्डन में बॉलीवुड में जेराश जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बनाए रखे जाते हैं।
- **व्यक्तिगत कूटनीति:** जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II ने भारतीय प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से जॉर्डन म्यूज़ियम में ले जाकर भारत और जॉर्डन के मधुर संबंधों का परिचय दिया।

भारत और जॉर्डन के बीच साझेदारी को सीमित करने वाली चुनौतियाँ क्या हैं?

- **संरचनात्मक व्यापार असंतुलन:** व्यापार मुख्य रूप से कुछ ही वस्तुओं तक सीमित है, जिसमें भारत फॉस्फेट और पोटाश का आयात करता है और अनाज एवं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है, जिससे मूल्य अस्थिरताओं के प्रति संवेदनशील बनते हैं। उच्च-मूल्य और उन्नत तकनीक के आदान-प्रदान अभी बहुत कम हैं।
- जॉर्डन की अर्थव्यवस्था अभी भी महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें लगभग 21% बेरोज़गारी और 2024 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 90% तक पहुँचता सार्वजनिक ऋण शामिल है। ये दबाव वित्तीय लचीलापन सीमित करते हैं, जिससे निकट भविष्य में व्यापक व्यापार विस्तार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **पश्चिम एशिया में भू-राजनैतिक संवेदनशीलताएँ:** जॉर्डन की विदेश नीति फिलिस्तीनी मुद्दे और इज़राइल-संबंधी घटनाओं से काफी प्रभावित है, जिससे क्षेत्रीय संकटों के दौरान इसके बाहरी संरेखण बहुत संवेदनशील हो जाते हैं और पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने पर स्थिर तथा दीर्घकालिक सहयोग जटिल हो जाता है।
- **संवहन में अंतराल:** केवल एक अम्मान–मुंबई फ्लाइट से लोगों और व्यापार के बीच सीमित संबंध स्पष्ट होते हैं, विशेषकर भारत के खाड़ी देशों के साथ मज़बूत कनेक्शनों की तुलना में। यह कमज़ोर कनेक्टिविटी और जॉर्डन की आर्थिक चुनौतियाँ मिलकर व्यापार, निवेश और पर्यटन में वृद्धि को सीमित करती हैं।

भारत और जॉर्डन ज़्यादा मज़बूत द्विपक्षीय संबंध कैसे बना सकते हैं?

- **आर्थिक संबंधों में विविधता लाना:** भारत और जॉर्डन को वस्तु-केंद्रित व्यापार से हटकर मूल्य श्रृंखला एकीकरण की ओर बढ़ना चाहिये। इसके लिये एक मंत्रीस्तरीय रणनीतिक आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी संवाद स्थापित किया जाना चाहिये, जो निवेश, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs), स्टार्टअप्स और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित हो।
- सहयोग में भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) विशेषज्ञता साझा करना भी शामिल हो सकता है, ताकि स्वास्थ्य और ई-गवर्नेंस में भुगतान इंटरऑपरेबिलिटी और स्केलेबल डिजिटल समाधान सुनिश्चित किये जा सकें।
- **हरित और जल-सुरक्षित साझेदारी का निर्माण:** जॉर्डन में जल-संकट और ऊर्जा संक्रमण जैसी मौलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सौर और ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकों में सहयोग कर सकता है। सहयोग जल पुनर्चक्रण, समुद्री जल से मीठा पानी बनाने, स्मार्ट सिंचाई और जलवायु-प्रतिरोधी कृषि तक भी विस्तारित किया जा सकता है।
- **क्षेत्रीय स्थिरीकरण हेतु प्रवेश द्वार:** भारत जॉर्डन के साथ मिलकर पुनर्निर्माण आपूर्ति श्रृंखलाएँ स्थापित कर सकता है, इसे मानवतावादी सहायता, कौशल विकास और स्वास्थ्य मिशनों के लिये आधार के रूप में उपयोग कर सकता है तथा बहुपक्षीय विकास पहलों में सहयोग कर सकता है।
- **सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करना:** सांस्कृतिक सामग्री, फिल्म उत्सव और पुरातात्त्विक सहयोग (जैसे पेत्रा–एल्लोरा ट्विनिंग) का संयुक्त उत्पादन करना। जॉर्डन को बॉलीवुड तथा भारतीय OTT प्लेटफॉर्म्स के लिये फिल्म शूटिंग स्थल के रूप में बढ़ावा देना।
- **संवहन को बढ़ाना:** पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु सीधे उड़ानों (अम्मान–दिल्ली/चेन्नई) को प्रोत्साहित करना। व्यवसायों तथा अकादमिक संस्थानों को जोड़ने के लिये ई-कॉमर्स, तकनीकी स्टार्टअप एवं वर्चुअल सहयोग के संबंध एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना।

निष्कर्ष :

भारत के प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक दौरा 75 वर्षीय स्थिर साझेदारी को एक महत्त्वाकांक्षी रणनीतिक गठबंधन में बदल

देता है। व्यापार में विविधता, डिजिटल एकीकरण और गहन सुरक्षा सहयोग को लक्षित करके, भारत तथा जॉर्डन कूट-नीतिक सद्भावना को ठोस एवं भविष्य-उन्मुख परिणामों में परिवर्तित करने के लिये तैयार हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. दक्षिण-पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन-सा एक देश भूमध्यसागर तक फैला नहीं है? (2015)

(a) सीरिया (b) जॉर्डन

(c) लेबनान (d) इज़रायल

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत की पश्चिम एशिया नीति में जॉर्डन का रणनीतिक महत्त्व क्या है और रक्षा एवं सुरक्षा में सहयोग को आपसी लाभ के लिये कैसे बढ़ाया जा सकता है? (2018)

भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) : आर्थिक अवसर, रणनीतिक महत्व और चुनौतियाँ

परिचय :

- भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का वादा करता है। यह समझौता भारत की विदेश नीति और आर्थिक कूटनीति का एक प्रमुख हिस्सा है, विशेष रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में। वार्ताएँ त्वरित गति से संपन्न हुईं, जिससे यह भारत के सबसे तेजी से पूरे होने वाले FTAs में से एक बन गया है। पिछले पाँच वर्षों में भारत ने कुल छह FTAs पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, ईएफटीए देशों, ओमान और अब न्यूजीलैंड शामिल हैं। यह समझौता न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि निवेश, कृषि, स्वास्थ्य और कुशल जनशक्ति की गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग को मजबूत करेगा।
- यह FTA ऐसे समय में आया है जब वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताएँ बढ़ रही हैं, जैसे कि अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाना। इससे भारत को अपने निर्यात बाजारों का विविधीकरण करने का अवसर मिलेगा। आइए इस समझौते की प्रमुख विशेषताओं, लाभों, चुनौतियों और रणनीतिक महत्व पर विस्तार से चर्चा करें।

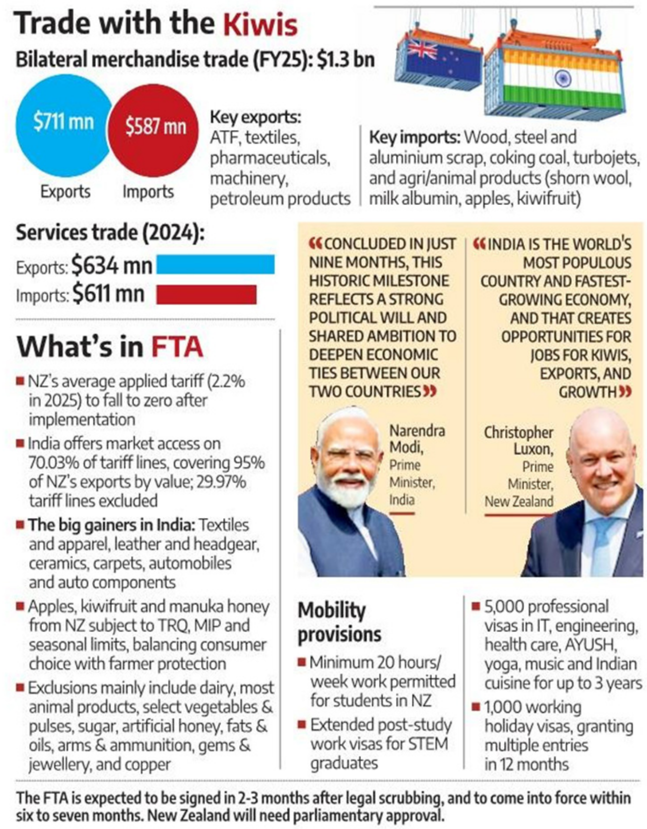

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?

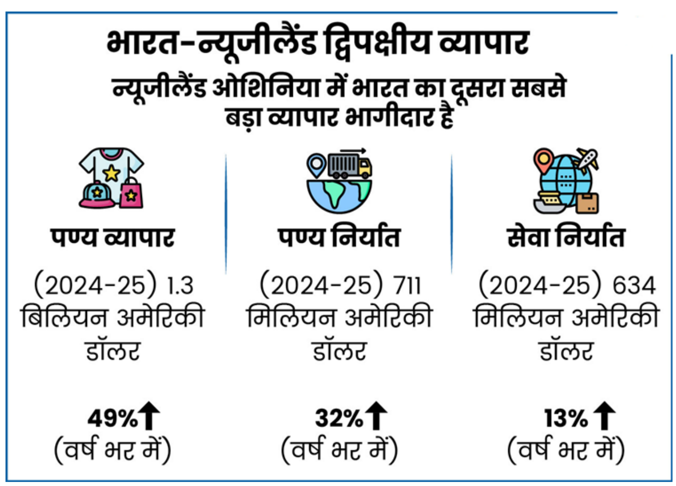

- **मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement - FTA)** दो या अधिक देशों के बीच एक ऐसा समझौता है जो व्यापार बाधाओं को कम करने पर केंद्रित होता है। इसमें शामिल प्रमुख तत्व हैं:
- **टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएँ:** वस्तुओं और सेवाओं पर आयात-निर्यात शुल्कों में कटौती या समाप्ति।

- **निवेश संरक्षण:** विदेशी निवेशकों के अधिकारों की रक्षा और विवाद निपटान तंत्र।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR):** पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की सुरक्षा।
- **व्यापार सुविधा:** सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नियामक बाधाओं को हटाना।
- **अन्य क्षेत्र:** सेवाएँ, कृषि, पर्यावरण और श्रम मानकों पर सहमति।

FTA का उद्देश्य पारस्परिक लाभ के आधार पर व्यापार को बढ़ावा देना है, जिससे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है। भारत ने हाल के वर्षों में FTAs को अपनी 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहलों के साथ जोड़कर उपयोग किया है।

भारत–न्यूजीलैंड FTA की प्रमुख विशेषताएँ :

यह समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की पूरकता पर आधारित है। न्यूजीलैंड कृषि और डेयरी उत्पादों में मजबूत है, जबकि भारत आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और पारंपरिक चिकित्सा में अग्रणी है। प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- **शून्य-शुल्क बाजार पहुंच:** न्यूजीलैंड ने भारत के 100% निर्यात पर शून्य शुल्क की सुविधा प्रदान की है। इससे भारतीय उत्पादों जैसे टेक्सटाइल, फार्मा, ज्वेलरी और कृषि उत्पादों को प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा। अनुमान है कि इससे द्विपक्षीय व्यापार में 20-30% की वृद्धि हो सकती है।
- **स्वास्थ्य सेवा और पारंपरिक चिकित्सा सहयोग:** पहली बार न्यूजीलैंड ने आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) पर एक समर्पित अनुबंध (Annex) पर हस्ताक्षर किए। इससे स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापार, अनुसंधान और प्रमाणन में सहयोग बढ़ेगा, जो कोविड-19 के बाद की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है।
- **कृषि मूल्य श्रृंखला एकीकरण:** 'कृषि उत्पादकता साझेदारी' के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने, प्रसंस्करण क्षमता विकसित करने और भारतीय किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। न्यूजीलैंड की उन्नत कृषि तकनीकें, जैसे कि डेयरी फार्मिंग और फल उत्पादन, भारत के लिए लाभदायक होंगी।
- **निवेश और MSME प्रोत्साहन:** न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी और कृषि क्षेत्रों में। MSMEs को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए विशेष प्रावधान हैं, जो रोजगार सृजन में मदद करेंगे।
- **कुशल पेशेवरों की गतिशीलता:** आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के 5,000 पेशेवरों के लिए किसी भी समय अस्थायी वर्क वीजा की सुविधा। इससे भारत की युवा जनशक्ति को अंतरराष्ट्रीय अवसर मिलेंगे और ब्रेन ड्रेन को ब्रेन सर्कुलेशन में बदला जा सकेगा।
- **अन्य प्रावधान:** पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल व्यापार और विवाद निपटान पर मजबूत तंत्र। यह समझौता इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) जैसे क्षेत्रीय पहलों के अनुरूप है।

भारत के लिए FTAs का महत्व :

FTAs भारत की आर्थिक रणनीति का अभिन्न अंग हैं। वे निम्नलिखित लाभ प्रदान करते हैं:

- **निर्यात विविधीकरण :** पारंपरिक बाजारों (जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ) पर निर्भरता कम करना।

उदाहरणस्वरूप, अमेरिका के हालिया 50% टैरिफ से प्रभावित होने के बजाय, भारत न्यूजीलैंड जैसे नए बाजारों की ओर मुड़ सकता है।

- **निवेश आकर्षण :** दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह, जो 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देगा और रोजगार सृजित करेगा।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार :** कम टैरिफ से भारतीय उत्पाद सस्ते और प्रतिस्पर्धी बनते हैं, जिससे निर्यात-आधारित विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
- **MSME एकीकरण :** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल करने से नवाचार और निर्यात बढ़ता है।
- **भू-राजनीतिक प्रभाव :** FTAs आर्थिक कूटनीति को मजबूत करते हैं। न्यूजीलैंड के साथ यह समझौता इंडो-पैसिफिक में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मददगार साबित हो सकता है।
- **अन्य लाभ :** कुशल जनशक्ति की गतिशीलता से मानव संसाधन विकास, और स्वास्थ्य एवं कृषि में सहयोग से सतत विकास।

चुनौतियाँ और सावधानियाँ :

हालाँकि FTA के लाभ स्पष्ट हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं:

- **घरेलू उद्योगों पर दबाव :** न्यूजीलैंड के डेयरी और कृषि उत्पादों से भारतीय डेयरी किसानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
- **व्यापार घाटा :** यदि आयात निर्यात से अधिक बढ़े, तो घाटा बढ़ सकता है। भारत को अपने निर्यात को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- **क्रियान्वयन :** नियमों की पारदर्शिता, विवाद निपटान और अनुपालन सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **पर्यावरण और श्रम मानक :** उच्च मानकों को अपनाने से कुछ क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।
- **राजनीतिक विरोध :** घरेलू हितधारकों, जैसे किसान संघों, से विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को मजबूत घरेलू सुधारों, जैसे कि कृषि सुधार और MSME समर्थन, पर ध्यान देना चाहिए।

निष्कर्ष :

भारत–न्यूजीलैंड FTA एक महत्वपूर्ण कदम है जो दोनों देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता लाएगा। यह समझौता भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और वैश्विक व्यापार एकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यदि क्रियान्वयन प्रभावी रहा, तो इससे निर्यात में वृद्धि, निवेश प्रवाह और रोजगार सृजन होगा। हालांकि, चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृ-ष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। यह FTA भारत की आर्थिक कूटनीति की सफलता का प्रतीक है और भविष्य में अन्य समझौतों के लिए मॉडल बन सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के संदर्भ में सही है?

1. न्यूजीलैंड ने भारत के 100% निर्यात पर शून्य शुल्क पहुंच प्रदान की है।
2. यह समझौता पिछले पाँच वर्षों में भारत का सातवाँ FTA है।
3. 'कृषि उत्पादकता साझेदारी' स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित है।
4. न्यूजीलैंड ने 15 वर्षों में 20 बिलियन USD निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1 और 4 (B) 1, 2 और 4

(C) केवल 3 (D) 2 और 3

उत्तर: (A)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत की वैश्विक आर्थिक एकीकरण रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह घरेलू चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है।" इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का सशक्तिकरण : पीएम गतिशक्ति से ग्लोबल हब तक

परिचय :

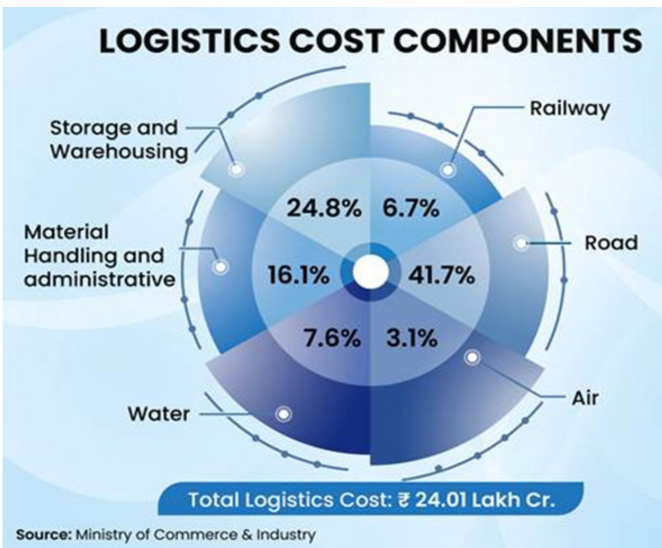

- भारत की आर्थिक विकास यात्रा में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रहा है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार, "विकास इंजन से वैश्विक बढ़त तक: भारत के लॉजिस्टिक्स का सशक्तिकरण" शीर्षक से, देश की लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.97 प्रतिशत तक गिर गई है, जो पहले के अनुमानों (13-14 प्रतिशत) से काफी कम है। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) और पीएम गतिशक्ति जैसी पहलों के माध्यम से सरकार लॉजिस्टिक्स को एक एकीकृत, डिजिटल और स्थायी इकोसिस्टम में बदल रही है। इस लेख में हम इस क्षेत्र के हालिया विकासों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे, जो यूपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रासंगिक है, विशेष रूप से आर्थिक विकास, अवसंरचना और शासन जैसे विषयों के लिए।

लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: एक वैज्ञानिक आकलन

मुख्य बातें :

- भारत की लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी के 7.97 प्रतिशत तक गिर गई है।
- एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से विकसित आईपीआरएस 3.0 औद्योगिक पार्कों का उनके स्थायित्व, हरित अवसंरचना, संपर्क-सुविधा, डिजिटल तैयारी और कौशल के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है।
- एसएमआईएलई कार्यक्रम ने मौजूदा लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का आकलन करने और क्षमता में सुधार करने और लागत घटाने के लिए 8 राज्यों के 8 पायलट शहरों में लॉजिस्टिक्स योजनाएं शुरू की हैं।

भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को लंबे समय से अधिक आंका जाता रहा है, जिससे नीति निर्माण में भ्रम उत्पन्न होता था। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआई-टी) और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन-सीएईआर) द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन 'भारत में लॉजिस्टिक्स लागत का आकलन' ने इस मिथक को तोड़ा है।

इस अध्ययन में हाइब्रिड मेथडोलॉजी का उपयोग किया गया, जिसमें 3,500 से अधिक उद्योग हितधारकों के प्राथमिक डेटा को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओए-सपीआई), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के द्वितीयक डेटा से जोड़ा गया। परि-णामस्वरूप, 2023-24 के लिए लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी का 7.97 प्रतिशत और गैर-सेवा उत्पादन का 0.09 प्रतिशत आंकी गई, कुल लागत 24.01 लाख करोड़ रुपये।

यह आकलन केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि लागत के विभिन्न घटकों—जैसे परिवहन माध्यम, दूरी, फर्म का आकार और उत्पादन प्रकार—का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। उदाहरणस्वरूप, छोटी फर्मों को बड़ी फर्मों की तुलना में अधिक लागत वहन करनी पड़ती है, जो एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों को उजागर करता है।

रिपोर्ट में मल्टीमॉडल परिवहन की भूमिका पर जोर दिया गया है, जहां 600 किलोमीटर की यात्रा में पहले और अंतिम 50 किलोमीटर की दक्षता से कुल लागत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। यह अध्ययन एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड

के माध्यम से उपलब्ध है, जो वास्तविक समय विश्लेषण और नीति निर्णयों को सुगम बनाता है। इस प्रकार, लॉजिस्टिक्स अब 'ब्लैक बॉक्स' नहीं रहा, बल्कि डेटा-आधारित निर्णयों का आधार बन गया है, जो आर्थिक समावेशिता और प्रति-स्पर्धा को बढ़ावा देता है।

प्रमुख पहलें और उनका प्रभाव :

2025 में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कई क्रांतिकारी पहलें शुरू की गईं, जो एकीकृत नियोजन, स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन और डेटा एकीकरण पर केंद्रित हैं।

1. **पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** इसकी चौथी वर्षगांठ पर कई नई सुविधाएं लॉन्च की गईं, जैसे पीएम गतिशक्ति जिला मास्टर प्लान (112 आकांक्षी जिलों के लिए), पीएम गतिशक्ति ऑफशोर (अपतटीय परियोजनाओं के लिए भू-स्थानिक डेटा एकीकरण), पीएम गतिशक्ति पब्लिक (230 गैर-संवेदनशील डेटासेट्स तक पहुंच), और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली। ये पहलें सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचना क्षेत्रों में समन्वय को मजबूत करती हैं, जिससे निवेश बढ़ता है और पर्यावरणीय जोखिम कम होते हैं। एलईएपीएस 2025 के तहत लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के न्यूनतम मानदंड निर्धारित किए गए, जो नवाचार और स्थायित्व को प्रोत्साहित करते हैं।

2. **एसएमआईएलई कार्यक्रम :** एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के सहयोग से शुरू किया गया यह कार्यक्रम 8 राज्यों के 8 पायलट शहरों में लॉजिस्टिक्स योजनाएं लागू कर रहा है। यह राज्य और शहर स्तर पर मल्टीमॉडल एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें ट्रंक रूट, आर्थिक गलियारे और शहरी मास्टर प्लान शामिल हैं। इसका उद्देश्य शोर, भीड़ और उत्सर्जन को कम करना है, साथ ही ई-कॉमर्स और अंतिम-मील डिलीवरी को दक्ष बनाना। यह कार्यक्रम स्थानीय एजेंसियों, निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है, जिससे लाखों नौकरियां सृजित हो सकती हैं।

3. **एलईएडीएस 2025 :** यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जिसमें वस्तुनिष्ठ डेटा (32.5 प्रतिशत) और प्रदर्शन-आधारित जानकारी शामिल है। यह 5-7 मुख्य गलियारों की निगरानी करता है, जहां यात्रा समय, औसत गति और प्रतीक्षा अवधि का वास्तविक समय डेटा एकत्र किया जाता है। इससे रुकावटों की पहचान होती है और क्षमता वृद्धि होती है।

4. **एलडीबी 2.0 और यूएलआईपी :** लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 वास्तविक समय में लाखों कंटेनरों की ट्रैकिंग प्रदान करता है, जिसमें कंटेनर हीटमैप और एपीआई एकीकरण शामिल है। यह निर्यातकों और एमएसएमई को सड़क, रेल, समुद्र और उच्च समुद्रों में दृश्यता देता है, जिससे देरी कम होती है।

5. **आईपीआरएस 3.0 :** एडीबी के सहयोग से विकसित, यह औद्योगिक पार्कों का मूल्यांकन स्थायित्व, हरित अवसंरचना, संपर्क, डिजिटल तैयारी और कौशल पर करता है। एनआईसीडीसी के तहत 20 प्लग-एंड-प्ले पार्क विकसित हो रहे हैं, जो निवेशकों को आकर्षित करते हैं।

6. **एचएसएन कोड गाइडबुक:** 12,167 एचएसएन कोड को 31 मंत्रालयों से जोड़कर जारी की गई, जो जवाबदेही और नीति निर्माण को सुधारती है।ये पहलें मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा देती हैं, जैसे गंगा मैदान में ईडीएफसी और अंतर्देशीय जलमार्गों का एकीकरण, जहां कार्गो परिवहन 145.84 मिलियन टन तक पहुंच गया है। विश्व बैंक से प्राप्त 1.96 अरब डॉलर (ईडीएफसी के लिए) और 375 मिलियन डॉलर (जलमार्ग विकास के लिए) इन प्रयासों को मजबूती प्रदान करते हैं।

चुनौतियां और सुझाव :

हालांकि प्रगति उल्लेखनीय है, चुनौतियां बनी हुई हैं। छोटी फर्मों की उच्च लागत, क्षेत्रीय असमानताएं, डिजिटल विभाजन और पर्यावरणीय प्रभाव प्रमुख हैं। गंगा जलमार्ग जैसे परियोजनाओं में विलंब और बुनियादी ढांचे की कमी भी बाधा हैं। सुझाव के रूप में, सरकार को एमएसएमई-केंद्रित सब्सिडी, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और हरित प्रौद्योगि-कियों (जैसे इलेक्ट्रिक वाहन) पर जोर देना चाहिए। राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करना आवश्यक है।

निष्कर्ष :

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 'मेक इन इंडिया' की रीढ़ बन रहा है, जो उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाता है। लागत में कमी, डेटा-आधारित निर्णय और एकीकृत पहलों से देश वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब बनने की दिशा में अग्रसर है। यह न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि रोजगार सृजन, स्थायित्व और समावेशिता को बढ़ावा देगा, भविष्य में, यदि ये प्रयास निरंतर रहें, तो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से संबंधित हालिया विकासों के संदर्भ में सही नहीं है?

(a) भारत की लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी के 7.97 प्रतिशत तक गिर गई है, जो एनसीएईआर के अध्ययन पर आधारित है।

(b) एसएमआईएलई कार्यक्रम ने 8 राज्यों के 8 पायलट शहरों में लॉजिस्टिक्स योजनाएं शुरू की हैं।

(c) आईपीआरएस 3.0 औद्योगिक पार्कों का मूल्यांकन स्थायित्व, हरित अवसंरचना और डिजिटल तैयारी के आधार पर करता है।

(d) ईडीएफसी ने वैगन टर्नअराउंड समय को 15-16 दिन से घटाकर 5-6 दिन कर दिया है।

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हालिया सुधारों, जैसे पीएम गतिशक्ति, एसएमआईएलई और आईपीआरएस 3.0, का विश्लेषण कीजिए। ये सुधार कैसे देश की आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहे हैं तथा इनके समक्ष क्या चुनौतियां हैं? सुझाव सहित चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत की कॉफ़ी: सतत् विकास और प्रीमियम गुणवत्ता का वैश्विक मॉडल

चर्चा में क्यों?

भारत आज विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 3.5% का योगदान देता है। कॉफ़ी सेक्टर भारत में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, भूगोल, GI टैग, FTA (मुक्त व्यापार समझौता) तथा समावेशी विकास के अनेक आयामों को एक साथ जोड़ता है, विशेष रूप से सतत् कृषि, जैव-विविधता संरक्षण, छोटे किसानों की समृद्धि और आदिवासी सशक्तिकरण पर ज़ोर देता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कॉफ़ी निर्यात ने 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि :

कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त दशाएं

कारक	अरेबिक	रोबस्टा
मिट्टी	गहरी, उपजाऊ, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर, अच्छी जल निकासी वाली और थोड़ी अम्लीय मृदा (PH 6.0-6.5)	अरेबिका के लिए उपयुक्त मृदा के सामान मृदा
ढलान	हल्की से मध्यम ढलान वाले क्षेत्र	काफी समतल मैदानों से लेकर हल्की ढलान वाले क्षेत्र
ऊंचाई	इसकी खेती समुद्र तल से 1000-1500 मीटर तक की ऊंचाई तक की जा सकती है	इसकी खेती समुद्र तल से 500-1000 मीटर तक की ऊंचाई तक की जा सकती है
तापमान	15-25 डिग्री सेल्सियस; न ज्यादा गर्म और न ही बहुत ठंडा	20-30 डिग्री सेल्सियस; गर्म व आर्द्र
सापेक्षिक आर्द्रता	70-80%	80-90%
वार्षिक वर्षा	1600-2500 मि.मी.	1000-2000 मि.मी.

भारतीय कॉफ़ी की नींव 17वीं शताब्दी में पड़ी, जब सूफ़ी संत बाबा बुदन ने यमन के मोचा बंदरगाह से लाए गए 7 कॉफ़ी बीज चिकमगलूर (कर्नाटक) की बाबा बुदन गिरी पहाड़ियों में रोपे थे। 18वीं सदी में ब्रिटिशों ने वाणिज्यिक बागानों की स्थापना की, जिसके बाद 1942 में Coffee Act VII के तहत कॉफ़ी बोर्ड ऑफ़ इंडिया की स्थापना की गई, जिसने इस क्षेत्र को संगठित समर्थन दिया।

कॉफ़ी की खेती भारत में कुल 4.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैली हुई है और यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 20 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करती है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से छोटे किसानों पर निर्भर है, जहाँ 99% किसान छोटे हैं और कुल उत्पादन का लगभग 70% इन्हीं किसानों द्वारा किया जाता है।

- **मुख्य उत्पादक राज्य:** कर्नाटक (71%), केरल, और तमिलनाडु मिलकर लगभग 96% उत्पादन करते हैं।
- **गैर-पारंपरिक क्षेत्र:** आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सभी सात उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी कॉफ़ी उगाई जाती है, जहाँ यह आदिवासी समुदायों के बीच तीव्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन ला रही है।

- **उत्पादन लक्ष्य:** 2025-26 के लिए अनुमानित उत्पादन लगभग 3.6 लाख टन है।

भारतीय कॉफ़ी की अनूठी विशेषताएँ: शेड-ग्रोन मॉडल

- भारतीय कॉफ़ी को उसकी उच्च गुणवत्ता और विशिष्टता उसके शेड-ग्रोन (छायादार) सिस्टम से मिलती है। यह खेती पश्चिमी घाट में होती है, जिसे विश्व के 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है।
- भारत में कॉफी इंडस्ट्री मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे कॉफी उगाने वाले बड़े राज्यों में है, जो मिलकर देश के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा हैं। इनमें कर्नाटक 2,80,275 मीट्रिक टन (2025–26 के लिए पोस्ट ब्लॉसम एस्टिमेट) के प्रोडक्शन के साथ सबसे आगे है, इसके बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है।
- भारत में कॉफी उगाने की जगह 13 अलग-अलग एग्रो-क्लाइमैटिक ज़ोन में बंटी हुई है, जिनमें से हर एक की वैश्विक बाजार में अपनी कॉफी के लिए एक खास पहचान है। इन ज़ोन को तीन बड़े ग्रुप में बांटा गया है:
  a) पारंपरिक इलाके जिनमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं;
  b) गैर-पारंपरिक इलाके- आंध्र प्रदेश और ओडिशा; और
  c) उत्तर पूर्वी इलाके, जिनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं।
- कॉफी आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर-पूर्वी राज्यों के आदिवासी इलाकों में एक ज़रूरी सोशियो-इकोनॉमिक भूमिका निभाती है, जो ग्रामीण विकास और इकोलॉजिकल बैलेंस को बढ़ावा देते हुए स्थायी तौर पर रोजी-रोटी देती है। पहचाने गए कॉफी इलाकों में अनामलाई (तमिलनाडु), अराकू वैली (आंध्र प्रदेश), बाबाबुदनगिरी (कर्नाटक), चिक्कमगलुरु (कर्नाटक), कूर्ग (कर्नाटक), नीलगिरी (तमिलनाडु), शेवरॉय (तमिलनाडु), त्रावणकोर (केरल) और वायनाड (केरल) शामिल हैं।

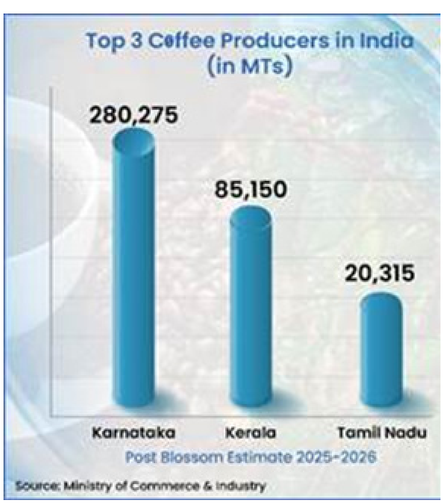

इस मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ:

- दो-स्तरीय छायादारी प्रणाली : 50 से अधिक प्रजातियों के सदाबहार वृक्षों की छाया प्रदान की जाती है, जो जैव-विविधता संरक्षण और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है।
- **अंतर-फसली खेती :** कॉफ़ी बागानों में काली मिर्च, इलायची और वनीला जैसे मसालों की अंतर-फसली खेती भी की जाती है, जिससे उत्पादन पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनता है।
- **किस्मों की श्रेष्ठता :** अरेबिका कॉफ़ी ऊँचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में, जबकि रोबस्टा निचले गर्म-नम क्षेत्रों में उगाई जाती है। स्रोतों के अनुसार, विश्व की सर्वश्रेष्ठ रोबस्टा भारत में ही उगती है।

GI टैग और स्पेशलिटी कॉफ़ी की वैश्विक पहचान

भारत विश्व का 5वाँ सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक है, जो अपने उत्पादन का 70% से अधिक निर्यात करता है। भारत की सात कॉफ़ी किस्मों को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त है, जो वैश्विक बाज़ार में उनकी प्रीमियम पहचान को और मज़बूत करता है:

1. कूर्ग अरेबिका (कर्नाटक)
2. चिकमगलूर अरेबिका (कर्नाटक)
3. बाबाबुदनगिरी अरेबिका (कर्नाटक)
4. वायनाड रोबस्टा (केरल)
5. अराकू वैली अरेबिका (आंध्र प्रदेश)
6. मॉनसून्ड मालाबार रोबस्टा (कर्नाटक-केरल)
7. कोरापुट कॉफ़ी (ओडिशा)

भारत अपनी स्पेशलिटी कॉफ़ी के लिए भी प्रसिद्ध है, जिनमें शामिल हैं:

- **मॉनसून्ड मालाबार AA :** कम एसिडिटी और मखमली स्वाद के लिए जानी जाती है।
- **मैसूर नगेट्स एक्स्ट्रा बोल्ड :** बड़े बीन्स और उत्कृष्ट सुगंध के लिए प्रसिद्ध है।
- **रोबस्टा कापी रॉयल :** बोल्ड फ्लेवर और अच्छा क्रेमा प्रदान करती है। कोरापुट कॉफ़ी को हाल ही में 'नो योर कॉफ़ी' (KYK) 2024 इवेंट में दो फाइन कप अवार्ड मिले हैं।

कॉफ़ी बोर्ड ऑफ़ इंडिया और नीतिगत सुधार

- 1942 के कॉफ़ी अधिनियम के तहत गठित कॉफ़ी बोर्ड ऑफ़ इंडिया, मूल्य श्रृंखला में अनुसंधान और विकास

(R&D) के लिए सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट (CCRI) और पाँच क्षेत्रीय स्टेशनों के माध्यम से काम करता है।

- यह ICDP (Integrated Coffee Development Programme) के तहत ड्राइंग यार्ड और पल्पर यूनिट जैसी बुनियादी ढाँचा सुविधाओं का विकास करता है, साथ ही 'फ्लेवर ऑफ़ इंडिया – फाइन कप अवार्ड' तथा 'नो योर कॉफ़ी' (KYK) कार्यक्रम जैसे घरेलू प्रचार चलाता है।

हाल के नीतिगत सुधारों ने भारतीय कॉफ़ी को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है:

- **GST में कमी (2025) :** इंस्टेंट कॉफ़ी और कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे खुदरा कीमतें कम होंगी, घरेलू खपत बढ़ेगी और छोटे प्रोसेसरों को लाभ होगा।
- **भारत-UK CETA (2025):** इस व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते के तहत, भारतीय रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफ़ी को UK के प्रीमियम बाज़ार में ड्यूटी-फ्री पहुँच मिलेगी।
- **भारत-EFTA TEPA (1 अक्टूबर 2025 से लागू) :** यह समझौता स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड में सभी भारतीय कॉफ़ी पर 0% आयात शुल्क की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रीमियम शेड-ग्रोन कॉफ़ी के लिए विशाल अवसर खुलेंगे।

आदिवासी सशक्तिकरण का कोरापुट मॉडल :

- ओडिशा की कोरापुट कॉफ़ी पहल समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट मॉडल है। TDCCOL (Tribal Development Co-operative Corporation of Odisha Ltd.) (1967 में स्थापित) किसानों से डोर-स्टेप खरीद सुनिश्चित करता है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उचित मूल्य का भुगतान करता है।2019 में "कोरापुट कॉफ़ी" ब्रांड लॉन्च किया गया।
- इस ब्रांड के 8 कैफ़े भुवनेश्वर, पुरी और दिल्ली जैसे शहरों में चल रहे हैं। इस मॉडल से ग्रामीण आय में वृद्धि हुई है, बिचौलियों पर निर्भरता घटी है और श्रमिकों के प्रवास में कमी आई है।

भविष्य का विज़न और चुनौतियाँ

भारतीय कॉफ़ी बाज़ार 2028 तक 8.9% CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से बढ़ने का अनुमान है, जबकि 'आउट-ऑफ-होम' (कैफ़े चेन) सेगमेंट में यह वृद्धि 15–20% CAGR तक होने की संभावना है। कॉफ़ी बोर्ड ने 2047 तक 9 लाख टन उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान उत्पादन का लगभग ढाई गुना है।

इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

- **जलवायु परिवर्तन :** अनियमित मानसून और तापमान वृद्धि।
- **कीट-रोग :** जैसे व्हाइट स्टेम बोरर और लीफ रस्ट।
- श्रमिकों की कमी और माइग्रेशन।
- वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव।
- स्पेशलिटी कॉफ़ी की घरेलू जागरूकता अभी कम है।

निष्कर्ष :

सात बीजों से शुरू हुई भारत की कॉफ़ी यात्रा आज 4.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, 1.8 बिलियन डॉलर निर्यात और सात GI टैग प्राप्त वैश्विक पहचान तक पहुँच चुकी है। भारतीय कॉफ़ी मॉडल, जो पर्यावरण-अनुकूल शेड-ग्रोन खेती और आदिवासी-आधारित विकास पर केंद्रित है, यह सिद्ध करता है कि आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेश एक साथ संभव हैं। GST कटौती, नए FTA, और 2047 के विशाल उत्पादन लक्ष्य के साथ, भारत वैश्विक बाज़ार में गुणवत्ता और सतत् विकास का एक अग्रणी ब्रांड बनने की राह पर है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत के कॉफ़ी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में उगाई जाने वाली कॉफ़ी मुख्यतः शेड-ग्रोवन (छाया में उगाई गई) होती है, जो जैव विविधता को संरक्षित करती है।
2. भारत विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है और अपने कुल उत्पादन का लगभग 70% निर्यात करता है।
3. "मॉनसून्ड मालाबार" और "मैसूर नगेट्स एक्स्ट्रा बोल्ड" भारत की स्पेशलिटी कॉफी किस्में हैं, जिनको GI टैग प्राप्त है।
4. भारत-EFTA TEPA समझौते के तहत स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे भारत की सभी कॉफ़ी आयात पर शून्य शुल्क प्रदान करते हैं।

सही कथन चुनिए:

(a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a) केवल 1, 2 और 4

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "भारत की कॉफी कहानी खेत से लेकर वैश्विक प्रसिद्धि तक—एक सतत विकास मॉडल"। भारत के कॉफी सेक्टर की वृद्धि, क्षेत्रीय विशेषताएँ, निर्यात क्षमता और नीतिगत सुधारों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

ऊर्जा सुरक्षा के लिये कोयला संक्रमण का मार्गदर्शन

चर्चा में क्यों?

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों (APA) के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी है। इससे कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी, ऊर्जा सुरक्षा मज़बूत होगी तथा अधिक पारदर्शी और कुशल खनिज अन्वेषण ढाँचे के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कोयले की क्या भूमिका है?

- **ऊर्जा सुरक्षा का आधार:** कोयला ऊर्जा सुरक्षा के लिये आवश्यक बना हुआ है, यह भारत के ऊर्जा मिश्रण में 55% का योगदान देता है तथा 74% से अधिक विद्युत उत्पादन को ईंधन प्रदान करता है।
- आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा के विपरीत, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थिर और विश्वसनीय विद्युत प्रदान करते हैं, जो ग्रिड स्थिरता और भारत की निरंतर विद्युत मांग को पूरा करने के लिये आवश्यक है।
- **अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण चालक:** कोयला क्षेत्र रॉयल्टी, GST और लेवी के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के लिये सालाना 70,000 करोड़ रुपये से अधिक उत्पन्न करता है। भारतीय रेलवे के लिये कोयला परिवहन की जाने वाली सबसे बड़ी वस्तु है (जो माल ढुलाई से होने वाली कुल आय का 49% है)। इस राजस्व से यात्री किराये में भी सहायता मिलती है, जो कोयले को पूरे परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण बना देता है।
- **कोर उद्योगों के लिये मुख्य इनपुट:** कोकिंग कोयला इस्पात उत्पादन के लिये आवश्यक है, जो इस्पात लागत का लगभग 42% है, जबकि कोयला सीमेंट भट्टों को भी ईंधन प्रदान करता है, जो इसे निर्माण और बुनियादी ढाँचे के लिये महत्त्वपूर्ण बनाता है।
- रोज़गार का प्रमुख स्रोत: कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) प्रत्यक्ष रूप से 2.39 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है और लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी, परिवहन, उपकरण निर्माण और संबंधित सेवाओं में कार्यरत हैं।
- स्थायित्व की नींव: सरकार 8,500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के माध्यम से कोयला गैसीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे कोयले को स्वच्छ ईंधन के लिये सिंथेटिक गैस और मेथनॉल में परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे इसके कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
- कोयले से प्राप्त राजस्व नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में सहायक है, NTPC ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की योजना बनाई है, जो उसके कुल उत्पादन का लगभग 45% है।

भारत में कोयला क्षेत्र के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **कोयला:** कोयला एक ज्वलनशील काला या भूरा-काला अवसादी चट्टान है जो अधिकांशतः कार्बन से बना होता है तथा इसे जीवाश्म ईंधन माना जाता है क्योंकि इसका निर्माण प्राचीन पौधों के अवशेषों के द्वारा होता है। लाखों सालों तक, ज़मीन के अंदर तलछट की परतों के भारी दबाव और गर्मी के कारण, मूल जैविक पदार्थ (पीट) से पानी और गैसें बाहर निकल गईं। इससे उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती गई, और वह धीरे-धीरे कोयले के अलग-अलग प्रकारों में बदल गया।
- **कोयले के ग्रेड:** कोयले को इसकी कार्बन सामग्री, तापमान और ऊर्जा उत्पादन के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें मुख्य प्रकार हैं:
- **एन्थ्रेसाइट:** इसमें 86%-97% कार्बन होता है और सभी प्रकार के कोयले में इसका तापन मान सबसे अधिक होता है। यह मुख्यतः जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है।
- **बिटुमिनस:** इसमें 45%-86% कार्बन होता है। यह मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
- **सब बिटुमिनस:** इसमें आमतौर पर 35%-45% कार्बन होता है और इसका तापन मूल्य बिटुमिनस कोयले की तुलना में कम होता है।
- **लिग्नाइट (भूरा कोयला):** इसमें 25%-35% कार्बन होता है। इसमें उच्च आर्द्रता (30-55%), उच्च वाष्पशील पदार्थ और कम राख होती है, जिससे यह उच्च श्रेणी के कोयले की तुलना में तापनमान और स्थिरता में कमज़ोर होता है।
- **यह हल्का, छिद्रयुक्त और भुरभुरा होता है तथा स्वतः** दहन के जोखिम के कारण इसे लंबी दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता।

- तमिलनाडु, पुदुचेरी, गुजरात, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है।
- **भारत में कोयला भंडार:** भारत में 5वाँ सबसे बड़ा कोयला भंड़ार है और यह विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- **शीर्ष तीन राज्य** - ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ - देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 69% हिस्सा रखते हैं।
- **भारत का कोयला उत्पादन:** वित्त वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन 1,047 मिलियन टन (MT) तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष के 997 मीट्रिक टन से 4.99% की वृद्धि दर्शाता है।
- **कोयला आयात:** अप्रैल-दिसंबर 2024 में कोयला आयात 8.4% घटकर 183 मीट्रिक टन रह गया, जिससे विदेशी मुद्रा में 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत हुई।

भारत के कोयला क्षेत्र के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

- **पर्यावरणीय क्षति:** कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र (TPP) औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में असमान रूप से अधिक उत्सर्जन करते हैं, जो PM का 60%, SO_2 का 45%, NO_2 का 30% तथा पारा (Hg) का 80% योगदान करते हैं।
- ग्रीनपीस के अनुसार, भारत में सभी विद्युत संयंत्र 251 मिलियन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त जल का उपयोग करते हैं।
- **गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम:** द लैंसेट काउंटडाउन 2025 के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण के कारण 1.72 मिलियन मौतें हुईं और अस्थमा, श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों के लाखों मामले सामने आए।
- **उच्च श्रेणी के कोयले के लिये आयात पर निर्भरता:** भारत उच्च श्रेणी के कोकिंग और थर्मल कोयले हेतु आयात पर निर्भर करता है, 85% कोकिंग कोयला आयात किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था मूल्य अस्थिरता और विदेशी मुद्रा बहिर्वाह के संपर्क में आती है।
- **फँसी हुई परिसंपत्तियों का जोखिम:** सौर और पवन ऊर्जा की लागत में गिरावट के साथ, नए कोयला संयंत्रों का निर्माण करना अलाभकारी होता जा रहा है तथा मौजूदा संयंत्र फँसी हुई परिसंपत्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे।
- ग्रीनपीस के अनुसार, भारत की लगभग दो-तिहाई कोयला बिजली अब नवीकरणीय ऊर्जा से अधिक महँगी है, जिससे देश को प्रतिवर्ष अरबों का नुकसान हो रहा है।
- **दीर्घकालिक परिवर्तन चुनौती:** कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, इस क्षेत्र पर निर्भर लाखों श्रमिकों और समुदायों के लिये न्यायोचित परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है, जिसके लिये पुनः कौशलीकरण और वैकल्पिक रोज़गार की आवश्यकता है।
- भारत कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा प्रधान भविष्य की ओर न्यायोचित परिवर्तन किस प्रकार कर सकता है?
- **कोयले पर निर्भरता में चरणबद्ध कमी:** कोयला विद्युत को धीरे-धीरे समाप्त करना, अकुशल, उच्च प्रदूषणकारी संयंत्रों को बंद करना तथा संक्रमण के दौरान उत्सर्जन को कम करने के लिये चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण (SCR) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर ESP) जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- **उन्नत प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियाँ:** सभी ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) सिस्टम और अन्य उत्सर्जन-नियंत्रण तकनीकों को अनिवार्य रूप से स्थापित कर उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करना। ये प्रणालियाँ फ्लू गैस से SO_2 को हटाकर वायु गुणवत्ता में सुधार लाती हैं और श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख प्रदूषकों को कम करती हैं।
- **नवीकरणीय-केंद्रित प्रणाली में तेज़ी लाना:** भारत के प्राकृतिक लाभों का लाभ उठाते हुए, सौर और पवन ऊर्जा का तेज़ी से विस्तार करना। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता हासिल करना तथा वर्ष 2025 के मध्य तक सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा में 190 गीगावाट को पार कर चुका है।
- **मज़बूत ऊर्जा भंडारण का निर्माण करना:** नवीकरणीय ऊर्जा संचारित करने के लिये हरित ऊर्जा गलियारे में निवेश कर और ग्रिड स्थिरता के लिये बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) और पंप हाइड्रो का समर्थन करना।
- BESS के विकास के लिये सरकार की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना के तहत वर्ष 2030-31 तक 4,000 मेगावाट घंटा BESS की योजना बनाई गई है, जिसके लिये पूंजीगत लागत का 40% तक वित्तपोषण किया जाएगा।
- **ग्रिड स्थिरता के लिये कोयले का लाभ उठाना:** कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को रणनीतिक रूप से पुनः स्थापित करना ताकि वे फ्लेक्सिबल पीकिंग विद्युत स्रोतों के रूप में कार्य कर सकें, जिन्हें नवीकरणीय उत्पादन कम होने पर (जैसे, रात में या मानसून के दौरान) तेजी से बढ़ाया जा सके, जिससे ग्रिड स्थिरता और विश्वसनीय 24/7 विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष :

- भारत का कोयला क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिये आज भी महत्त्वपूर्ण बना हुआ है, लेकिन यह अस्थिर पर्यावरणीय तथा आर्थिक लागतों का सामना कर रहा है।

- भविष्य इस द्वैध-रणनीति पर निर्भर करता है, कोयले का ज़िम्मेदार प्रबंधन करना ताकि यह संक्रमणकालीन एवं लचीले ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग हो सके, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा भंडारण को तेज़ी से बढ़ाना ताकि एक सतत् और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था।
2. वर्तमान में, कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है।
3. भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिये कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "कोयला भारत की ऊर्जा सुरक्षा का आधार है, लेकिन इसकी लंबे समय तक चलने वाली सस्टेनेबिलिटी पर प्रश्न है।" भारत के विकास और पर्यावरणीय लक्ष्यों के संदर्भ में इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

भारतीय रुपये का मूल्यह्रास (Depreciation of Indian Rupees)

चर्चा में क्यों?

विदेशी फंड निकासी और भारत-US व्यापार समझौते की अनिश्चितता के कारण भारतीय रुपये का मूल्य 90.43 प्रति अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया। वर्ष 2025 में अब तक 5% की गिरावट के साथ रुपये को एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है।

रुपये का अवमूल्यन क्या है?

परिचय: रुपये का अवमूल्यन उस स्थिति को कहते हैं जब भारतीय रुपया (INR) प्रमुख विदेशी मुद्राओं, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने मूल्य में गिरावट करता है।

रुपये के मूल्यह्रास का प्रभाव:

सकारात्मक:

- **निर्यात को बढ़ावा:** भारतीय वस्तुएँ विदेशों में सस्ती हो जाती हैं; यह IT, फार्मा और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में मदद करता है।
- **प्रेषण का अधिक मूल्य:** NRI को भेजे गए प्रति डॉलर पर अधिक रुपये मिलते हैं, जिससे प्रेषण प्रवाह में वृद्धि होती है।
- **घरेलू उत्पादन को बढ़ावा:** महंगे आयात स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

नकारात्मक:

- **आयातित मुद्रास्फीति:** कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्वरक जैसी आवश्यक आयातित वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है।
- **ऊँची कर्ज सेवा लागत:** विदेशी मुद्रा में ऋण रखने वाले उधारकर्त्ताओं को समान डॉलर कर्ज चुकाने के लिये अधिक रुपये देने पड़ते हैं।
- **व्यापार और चालू खाता घाटे में वृद्धि:** महंगे आयात बिल के कारण घाटा बढ़ जाता है, भले ही आयात की मात्रा बढ़ी न हो।
- **पूंजी पलायन का जोखिम:** लगातार मूल्यह्रास विदेशी निवेशकों का विश्वास कमज़ोर करता है, जिससे शेयर और ऋण बाज़ारों से और अधिक निकासी होती है।
- **उपभोक्ता की क्रय शक्ति में कमी:** महंगे आयात घरेलू मांग को कमज़ोर करते हैं।

मुद्रा का अवमूल्यन बनाम मूल्यह्रास (Devaluation vs Depreciation of Currency)

अवमूल्यन	मूल्यह्रास
सरकार/RBI द्वारा मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर की गई गिरावट	मांग और आपूर्ति की ताकतों के कारण बाज़ार द्वारा मुद्रा के मूल्य में गिरावट।
मुद्रा अवमूल्यन केवल स्थिर या पेग्ड विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत होता है।	मूल्यह्रास आमतौर पर तिरती या प्रबंधित-तिरती विनिमय दर प्रणाली (जैसे भारत की) के तहत होता है।

मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना, व्यापार घाटा कम करना या आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना होता है।	अवमूल्यन के कारणों में FPI निकासी, उच्च आयात, मुद्रास्फीति, बढ़ता हुआ चालू खाता घाटा (CAD), वैश्विक झटके आदि शामिल हैं।

रुपये के मूल्यह्रास के कारण कौन से हैं?

- **लगातार FPI निकासी:** विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने जनवरी 2025 से अब तक 1.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की है और अपने फंड को उन बाज़ारों में ले गए हैं जो बेहतर रिटर्न प्रदान करते हैं।
- साथ ही वैश्विक भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण अमेरिकी डॉलर की सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवेन) संपत्ति के रूप में मांग बढ़ गई है।
- **US–भारत व्यापार समझौते की अनिश्चितता:** व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में देरी के कारण भविष्य के शुल्क और निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को लेकर संदेह उत्पन्न हुई है, जिससे भारत के बाहरी क्षेत्र में विश्वास कमज़ोर हुआ है और रुपये पर दबाव बढ़ गया है।
- **आयातकों द्वारा बढ़ी हुई डॉलर की मांग:** विशेष रूप से सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी के बढ़ते आयात के कारण आयातकों को अधिक डॉलर खरीदने पड़े, जिससे डॉलर की मांग बढ़ी और रुपये के अवमूल्यन में योगदान हुआ।
- **भारत का व्यापार घाटा:** अक्तूबर 2025 में वस्तु निर्यात में 11.8% की गिरावट आई, जबकि आयात में 16.6% की वृद्धि हुई।
- निर्यात कमज़ोर होने और आयात में तेज़ी से वृद्धि होने के कारण व्यापार घाटा बढ़ गया है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ा है।
- ब्रेंट क्रूड की उच्च कीमतें भारत के आयात बिल को बढ़ा देती हैं, जिससे व्यापार घाटा और बढ़ जाता है तथा रुपये को कमज़ोर करती है।
- **उच्च सोना आयात:** अक्तूबर 2025 में सोने के आयात में लगभग 200% की वृद्धि हुई। घरेलू सोने की उच्च कीमतों ने आयात बिल को और बढ़ा दिया, हालाँकि बढ़ती कीमतों ने सोने के भंडार का मूल्य बढ़ाया, फिर भी कुल नुकसान को पूरा करने के लिये यह पर्याप्त नहीं था।
- इन उच्च सोना आयातों ने चालू खाता घाटा बढ़ा दिया है तथा रुपये के मूल्यह्रास पर दबाव को और बढ़ा दिया है।

भारतीय रुपये को कैसे मज़बूत किया जा सकता है?

- **रुपया-आधारित व्यापार निपटान को बढ़ावा देना:** डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिये अधिक देशों के साथ विशेष वोस्ट्रो रुपये खाते (SVRAs) का विस्तार करना।

स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) समझौतों को प्रोत्साहित करना, खासकर एशिया, अफ्रीका और गल्फ के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ।

रुपये-आधारित चालान और भुगतान के लिये द्विपक्षीय समझौते (MoUs) बढ़ाएँ, जिससे व्यापार में अमेरिकी डॉलर की मांग कम हो सके।

वैश्विक रुपये के बाज़ार को मज़बूत करना:

- ऐसा वैश्विक INR फॉरेक्स बाज़ार विकसित करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय बैंक 24 घंटे रुपये का लेन-देन कर सकें।
- भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) को प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचियों में शामिल करने का समर्थन करना, जिससे दीर्घकालिक निष्क्रिय विदेशी प्रवाह आकर्षित हों।
- FPI और वैश्विक कस्टोडियंस के लिये KYC, दस्तावेज़ और ऑनबोर्डिंग नियमों को सरल बनाना।
- भारतीय बैंकों को गैर-निवासियों को रुपये में ऋण देने में सक्षम बनाना ताकि ऑफशोर रुपये का उपयोग बढ़े। वैश्विक स्तर पर रुपये के फंड जुटाने के लिये मसाला बॉण्ड को बढ़ावा दें।

बाहरी क्षेत्र की स्थिरता मज़बूत करना: उतार-चढ़ाव के दौरान तरलता समर्थन सुनिश्चित करने के लिये मुद्रा स्वैप समझौतों का विस्तार करना।

मज़बूत विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना और अव्यवस्थित उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिये RBI द्वारा सावधानीपूर्वक हस्तक्षेप करना।

केवल अवमूल्यन पर निर्भर रहने के बजाय संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना।

रुपये की वैश्विक स्वीकृति को बढ़ाना: UPI अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को जारी रखना, जिससे रुपये से जुड़े डिजिटल भुगतान व्यापक रूप से उपलब्ध हों।

रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के विशेष आहरण अधिकार (SDR) बास्केट में शामिल होने के लिये तैयार करना, जिससे इसकी आरक्षित मुद्रा के रूप में विश्वसनीयता बढ़े।

मज़बूत रुपये के समर्थन हेतु घरेलू सुधार: निर्यात बाज़ारों में विविधता लाकर और उच्च-मूल्य वाले निर्माण को बढ़ावा देकर व्यापार घाटा कम करना।

सोने के आयात को सोना मुद्रीकरण और डिजिटल गोल्ड विकल्प जैसी नीतियों के माध्यम से सीमित करना। स्थिर मुद्रास्फीति और सतर्क राजकोषीय नीति बनाए रखना ताकि स्थिर पूंजी प्रवाह आकर्षित हो सके।

निष्कर्ष:

रुपये के मूल्य में गिरावट कमज़ोर निर्यात, उच्च आयात और लगातार पूंजी निर्गम के कारण हुई है। इसे सुदृढ़ करने के लिये निर्यात प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाना तथा आयात पर निर्भरता कम करना आवश्यक है। स्थिर मैक्रोइकॉनॉमिक नीतियाँ तथा व्यापक रूप से रुपये-आधारित व्यापार आत्मविश्वास बहाल करने में सहायक होंगे।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह होता है कि वह आवश्यक रूप से:

1. विदेशी बाज़ारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करता है।
2. घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है।
3. व्यापार संतुलन में सुधार करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. हाल ही में रुपये के अवमूल्यन के मुख्य कारणों का विश्लेषण करें और इसके भारत पर मैक्रो-आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NMEO) : आत्मनिर्भर भारत की ओर

- **भारतीय अर्थव्यवस्था :** सामान्य अध्ययन-III। कृषि विपणन खाद्य सुरक्षा
- **प्रिलिम्स के लिये :** खाद्य तेल, NMEO-ऑयल पाम, NMEO-ऑयलसीड्स, पीली क्रांति, WTO, सहकारी समितियाँ, FPO, अंतर-फसल खेती।
- **मेन्स के लिये:** भारत में तिलहन उत्पादन, उपभोग और आयात की स्थिति। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये NMEO-पाम ऑयल (2021) और NMEO-ऑयलसीड्स (2024) की प्रमुख विशेषताएँ।

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन (NMEO) की शुरुआत दो प्रमुख पहलों के माध्यम से की है, जिनका नाम NMEO-ऑयल पाम (2021) और NMEO-ऑयलसीड्स (2024) है, ताकि खाद्य तेलों के आयात पर भारी निर्भरता को कम किया जा सके, जिसने वर्ष 2023-24 में घरेलू खाद्य तेल की मांग का 56% पूरा किया।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम (NMEO-OP) क्या है?

परिचय: पाम ऑयल (NMEO-OP) को वर्ष 2021 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंज़ूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और कच्चे पाम ऑयल (CPO) के उत्पादन में वृद्धि करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन और तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **मूल्य आश्वासन:** किसानों को अंतर्राष्ट्रीय CPO मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिये पहली बार व्यवहार्यता मूल्य (VP) की शुरुआत
- **सब्सिडी में वृद्धि:** पाम ऑयल के लिये रोपण सामग्री के लिये पर्याप्त वृद्धि की गई है, जो 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हो गई है।
- **पुनर्जीवन सहायता:** पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिये 250 रुपये प्रति पौधे की विशेष सहायता दी जा रही है।
- **लक्षित क्षेत्र:** उत्तर-पूर्वी राज्यों और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना जैसे पारंपरिक रूप से कृषि उत्पादक राज्यों पर विशेष जोर दिया गया है।

प्रमुख लक्ष्य:

- **क्षेत्रफल विस्तार:** वर्ष 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि को पाम ऑयल के बागानों के अंतर्गत लाना।

- **उत्पादन लक्ष्य:** 2025-26 तक 11.20 लाख टन CPO और 2029-30 तक 28 लाख टन CPO।
- **उपभोग जागरूकता :** वर्ष 2025-26 तक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 19 किलोग्राम का उपभोग स्तर बनाए रखें।
- **प्रगति:** नवंबर 2025 तक, NMEO-OP के अंतर्गत 2.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जा चुका है, जिससे देश में पाम ऑयल की कुल कवरेज 6.20 लाख हेक्टेयर हो गई है। सीपीओ का उत्पादन 2014-15 के 1.91 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 3.80 लाख टन हो गया है।

रणनीतिक फोकस क्षेत्र:

कार्यान्वयन संरचना:

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (NMEO-OS) क्या है?

- **परिचय :** वर्ष 2024 में 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिये अनुमोदित, NMEO-OS का उद्देश्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।
- इसका उद्देश्य 9 प्राथमिक तिलहन फसलों (सरसों, मूंगफली और सोयाबीन सहित) के उत्पादन को बढ़ावा देना और कपास के बीज, नारियल, चावल की भूसी और वृक्ष-जनित तिलहन जैसे द्वितीयक स्रोतों से तेल निष्कर्षण को बढ़ाना है।
- **मुख्य उद्देश्य:** सहकारी समितियों, पारिवारिक व्यवसाय संगठनों और निजी भागीदारों के माध्यम से नवीन तकनीकों और बीजों का तेजी से प्रसार करके उपज के अंतर को कम करना। परती भूमि और अंतर-फसल खेती के माध्यम से तिलहन क्षेत्र का विस्तार करना, जिसे प्रदर्शनों और सुदृढ़ बीज प्रणालियों का समर्थन प्राप्त हो।
- किसानों के लिये बाज़ार तक पहुँच को मज़बूत करना और उपज एवं उत्पादन बढ़ाने के लिये द्वितीयक तेल स्रोतों को बढ़ावा देना।

प्रमुख लक्ष्य:

- तिलहन की खेती का क्षेत्रफल 29 मिलियन हेक्टेयर (2022-23) से बढ़ाकर 33 मिलियन हेक्टेयर (2030-31) करना और इसी अवधि में प्राथमिक उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करना।
- धान/आलू की परती भूमि, अंतर-फसल खेती और फसल विविधीकरण का उपयोग करके वर्ष 2030-31 तक 40 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में वृद्धि करना।
- NMEO-OP और NMEO-OS का संयुक्त लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 25.45 मिलियन टन खाद्य तेल का उत्पादन करना है, जो घरेलू मांग का लगभग 72% पूरा करेगा।
- **कार्यान्वयन:** स्वयं सहायता समूह, विशेष रूप से कृषि सखियाँ, प्रमुख सामुदायिक कृषि सेवा प्रदाताओं (CASP) के रूप में कार्य करते हैं, जो किसानों को अंतिम छोर तक सहायता प्रदान करते हैं।
- इन समूहों, विशेष रूप से कृषि सखियों को, कृषि मैपर प्लेटफॉर्म पर महत्त्वपूर्ण डेटा एकत्र करने और उसे अपडेट करने के काम पर लगाया जा रहा है।

तिलहन :

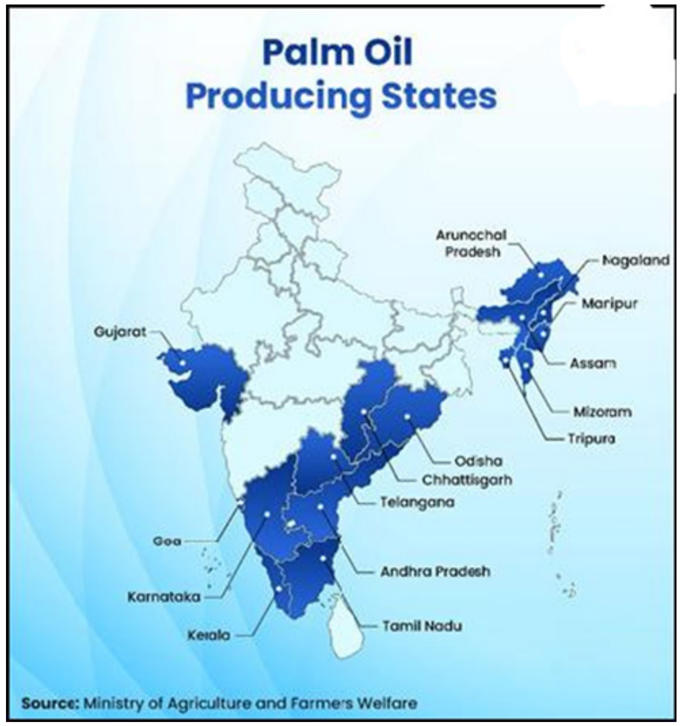

- **परिचय:** तिलहन फसलें वे फसलें हैं जो मुख्यतः उनके बीजों में निहित खाद्य या औद्योगिक तेल के लिये उगाई जाती हैं।
- भारत और वैश्विक स्तर पर यह वाणिज्यिक फसलों के सबसे महत्त्वपूर्ण समूहों में से एक हैं। भारत में, तिलहन फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन मूल्य खाद्यान्नों के बाद दूसरे स्थान पर है।
- **भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें :** 9 प्रमुख तिलहन फसलें — मूँगफली, सोयाबीन, सरसों-राप्ती, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, रामतिल, अरंडी और अलसी — कुल बोए गए क्षेत्र के 14.3% भाग पर उगाई जाती हैं और आहार ऊर्जा का 12–13% प्रदान करती हैं।
- 9 प्रमुख तिलहन फसलों के अलावा, तेल कपास बीज, चावल की चोकर, नारियल (खोपरा) और वृक्ष-आधारित

तिलहन फसलों (TBO) जैसे नीम, जट्रोफा, करंज, महुआ और सिमारूबा से भी निकाला जाता है।

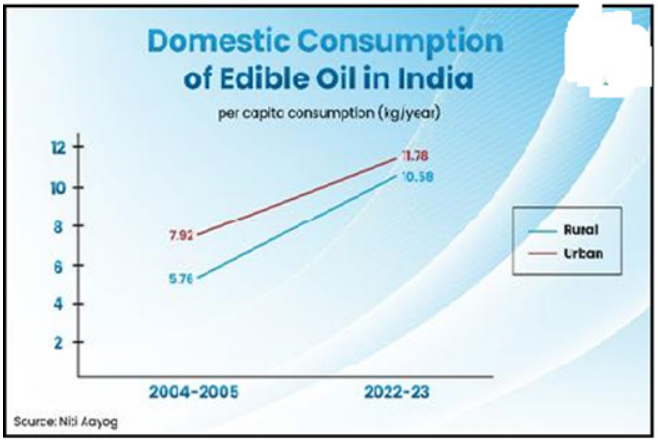

तिलहन फसलों का महत्त्व: भारत के लिये तिलहन फसलें निम्नलिखित कारणों से महत्त्वपूर्ण हैं:

- **पोषण सुरक्षा :** आहार वसा, ऊर्जा और वसा-घुलनशील विटामिनों (A, D, E, K) का प्रमुख स्रोत हैं, जो कैलोरी सेवन में सुधार करती हैं और छिपी हुई कुपोषण की समस्या दूर करती हैं।
- **किसान कल्याण:** यह ग्रामीण आय और लाखों किसानों के लिये रोज़गार बनाए रखने वाली एक महत्त्वपूर्ण नकदी फसल है।
- **निर्यात क्षमता:** कृषि निर्यात में लगभग 8% का योगदान करती हैं, जिसमें तिलहन खली, तिलहन बीज और लघु तेलों का मूल्य वर्ष 2023-24 में 29,587 करोड़ रुपए था।
- **उत्पादन:** भारत वैश्विक तिलहन उत्पादन में 5-6% हिस्सेदारी रखता है, फिर भी उसका घरेलू खाद्य तेल उत्पादन 12.18 मिलियन टन (2023-24) होने से केवल 44% मांग की पूर्ति होती है, जिससे उस पर निर्यात पर महत्त्वपूर्ण निर्भरता बनी रहती है।
- **मुख्य उत्पादन राज्य:** उत्पादन कुछ ही राज्यों में केंद्रित हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, और महाराष्ट्र, जो मिलकर भारत के कुल तिलहन बीज उत्पादन का 77% से अधिक योगदान देते हैं।
- **क्षेत्रीय विशेषज्ञता :** राजस्थान में सरसों, मध्य प्रदेश में सोयाबीन, और आंध्र प्रदेश–तेलंगाना में तेल पाम (98%) का प्रमुख उत्पादन होता है।
- तेल पाम की खेती अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नगालैंड में भी बढ़ रही है।
- **खपत:** खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक खपत 83.68% और शहरी क्षेत्रों में 48.74% बढ़ी है (2004-05 से 2022-23 तक)।

आयात निर्भरता के कारण:

WTO का प्रभाव: भारत ने शुरू में 1990 के दशक की येलो रिवोल्यूशन के दौरान खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता हासिल की थी, जिसका उद्देश्य तेल बीजों के उत्पादन को बढ़ाना था। हालाँकि यह स्थिति WTO समझौतों के तहत आयात शुल्क में कमी और मूल्य सहायता में कटौती के बाद बदल गई।

जलवायु संवेदनशीलता: विश्व में चौथा सबसे बड़ा खाद्य तेल उत्पादक होने के बावजूद (USA, चीन और ब्राजील के बाद), भारत का क्षेत्र वर्षा-आधारित कृषि-तेल बीज की खेती का 76%-पर निर्भर होने के कारण सीमित बना हुआ है, जिससे पैदावार जलवायु की परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होती है तथा बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता बाधित होती है।

निष्कर्ष :

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन भारत की आयात निर्भरता कम करने के लिये तेल पाम के विस्तार और तेल बीज की उत्पादकता बढ़ाने जैसी लक्षित पहलों को लागू करता है। वर्ष 2030-31 तक 72% आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखते हुए, यह मिशन ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाता है, विदेशी मुद्रा की बचत करता है और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाता है, साथ ही बढ़ी हुई घरेलू उत्पादन क्षमता के माध्यम से लाखों लोगों के लिये पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. सभी अनाजों, दालों और तिलहनों के मामले में भारत के किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद असीमित है।
2. अनाज और दालों के मामले में MSP किसी भी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में उस स्तर पर तय किया जाता है जहाँ बाज़ार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 व 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा खाद्य तेल उत्पादक होने के बावजूद तेल बीज क्षेत्र के सामने किस

प्रकार की चुनौतियाँ हैं, इसका विश्लेषण कीजिये। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन इन संरचनात्मक बाधाओं को कैसे संबोधित करता है?

भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) क्रांति : नीति से नवाचार और समृद्धि तक, भारत की विकास यात्रा में अग्रणी

परिचय :

- भारत की आर्थिक विकास यात्रा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो नीतिगत समर्थन से लेकर समृद्धि की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं।
- ये केंद्र, जो वैश्विक कंपनियों की ऑफशोर इकाइयां हैं, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), अनुसंधान एवं विकास (R&D), ग्राहक सेवा और व्यावसायिक प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।
- पहले ये केवल बैक-ऑफिस सपोर्ट के रूप में कार्य करते थे, लेकिन अब वे नवाचार, डिजाइन और विकास के पावरहाउस बन चुके हैं।
- वित्त वर्ष 2019 में 40.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 64.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचा उनका संयुक्त राजस्व, 9.8% की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। वर्तमान में 1,700 से अधिक GCCs देश में 19 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं।
- भारत सरकार की प्रगतिशील नीतियां, जैसे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही हैं। यह लेख GCCs के विकास, उनके आर्थिक प्रभाव और सरकारी पहलों का विश्लेषण करता है।

भारत में GCCs का विकास और वैश्विक महत्व :

- भारत GCCs के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहां बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) जैसे क्लस्टर्स प्रमुख हैं। 2030 तक इस क्षेत्र का मूल्य 105 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 2,400 से अधिक केंद्रों से 2.8 मिलियन पेशेवरों को रोजगार मिलेगा। पिछले पांच वर्षों में 400 से अधिक नए GCCs और 1,100 यूनिट्स जोड़ी गई हैं, जो एयरोस्पेस, रक्षा, सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इंजीनियरिंग R&D GCCs समग्र GCC सेटअप की तुलना में 1.3 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं।
- भारत वैश्विक STEM कार्यबल का 28% और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रतिभा का 23% योगदान देता है, जो GCCs को आकर्षित करता है। 2030 तक वैश्विक भूमिकाओं की संख्या 6,500 से बढ़कर 30,000 से अधिक होने की उम्मीद है। AI और ML जैसे क्षेत्रों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (CoEs) नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आर्थिक

सर्वे 2024-25 के अनुसार, GCCs पारंपरिक बैक-ऑफिस से आगे बढ़कर रणनीतिक हब बन गए हैं, जो सेवा क्षेत्र में विकास और नवाचार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह बदलाव भारत की स्व-निर्भरता को मजबूत करता है और इसे डिजिटल तथा इंजीनियरिंग नवाचार में वैश्विक नेता बनाता है।

सरकारी नीतियां और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास

भारत सरकार ने GCCs के विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है, जो बुनियादी ढांचे, नवाचार, प्रतिभा विकास और नियामक समर्थन पर आधारित है।

- **बुनियादी ढांचा और क्लस्टर विकास:** संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC 2.0) योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संचालित, विश्व-स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। यह रेडी-बिल्ट फैक्ट्री (RBF) शेड और प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं के माध्यम से GCCs को तेजी से विस्तार करने में मदद करती है। वैश्विक निर्माताओं और उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को भारत में संचालन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
- **स्टार्टअप और नवाचार समर्थन:** जेनेसिस (GENESIS) योजना, 490 करोड़ रुपये के बजट के साथ, टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है। यह GCCs के लिए फीडर इकोसिस्टम बनाती है और सहयोग को प्रोत्साहित करती है। स्टार्टअप इंडिया के तहत 1.97 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स AI/ML और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से GCCs को समर्थन देते हैं।
- **प्रतिभा विकास:** स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और फ्यूचर स्किल्स प्राइम (MeitY और NASSCOM द्वारा) जैसे कार्यक्रम साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स और AI में कौशल प्रदान करते हैं। ये GCCs के लिए कुशल कार्यबल की पाइपलाइन सुनिश्चित करते हैं।
- **व्यापार सुगमता और नियामक समर्थन:** ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार, उदार FDI नीतियां, SEZ सुधार, कर छूट और सिंगल-विंडो क्लियरेंस ने GCCs को आकर्षित किया है। ये नीतियां लागत दक्षता, कुशल प्रतिभा पूल और सहयोग को बढ़ावा देती हैं।ये पहलें GCCs को केवल लागत-बचत केंद्र से नवाचार हब में परिवर्तित कर रही हैं, जो भारत की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दे रही हैं।

चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं :

GCCs के विकास के बावजूद चुनौतियां हैं, जैसे साइबर सुरक्षा जोखिम, कौशल अंतराल और क्षेत्रीय असमानता। टियर-II/III शहरों में विस्तार से रोजगार सृजन बढ़ सकता है, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी बाधा है। भविष्य में, AI, ML और उन्नत विनिर्माण पर फोकस से GCCs भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में ऊपर ले जा सकते हैं। आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार, ये केंद्र सेवा क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देंगे और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेंगे।

निष्कर्ष:

GCCs भारत की नीति से समृद्धि की यात्रा का प्रतीक हैं, जो वैश्विक नवाचार और आर्थिक विकास को प्रेरित कर रहे हैं। सरकारी पहलों के माध्यम से तैयार पारिस्थितिकी तंत्र ने भारत को GCCs का वैश्विक केंद्र बनाया है। जैसा कि कहा जाता है, "नवाचार और नीति का संयोजन समृद्धि की कुंजी है।" GCCs आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के मुद्दों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन-सी योजना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के लिए विश्व-स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है?

(a) स्टार्टअप इंडिया

(b) संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC 2.0)

(c) स्किल इंडिया (d) डिजिटल इंडिया

(उत्तर: b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) भारत की आर्थिक विकास यात्रा में किस प्रकार अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं? सरकारी नीतियों के योगदान का विश्लेषण करते हुए, इनकी चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत फसलों का कवरेज बढ़ाना

परिचय :

नई दिल्ली, 12 दिसंबर 2025: भारतीय कृषि क्षेत्र में किसानों की आय सुरक्षा और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एक महत्वपूर्ण नीति है।

हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में एमएसपी के तहत फसलों के कवरेज को बढ़ाने संबंधी जानकारी साझा की। यह जानकारी दर्शाती है कि सरकार लगातार प्रयासरत है कि अधिक से अधिक फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाए, ताकि किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से बचाया जा सके। आइए, इस विषय पर विस्तार से समझते हैं कि एमएसपी कैसे काम करता है, फसलों का कवरेज कैसे बढ़ाया जा रहा है और इसमें क्या चुनौतियां हैं।

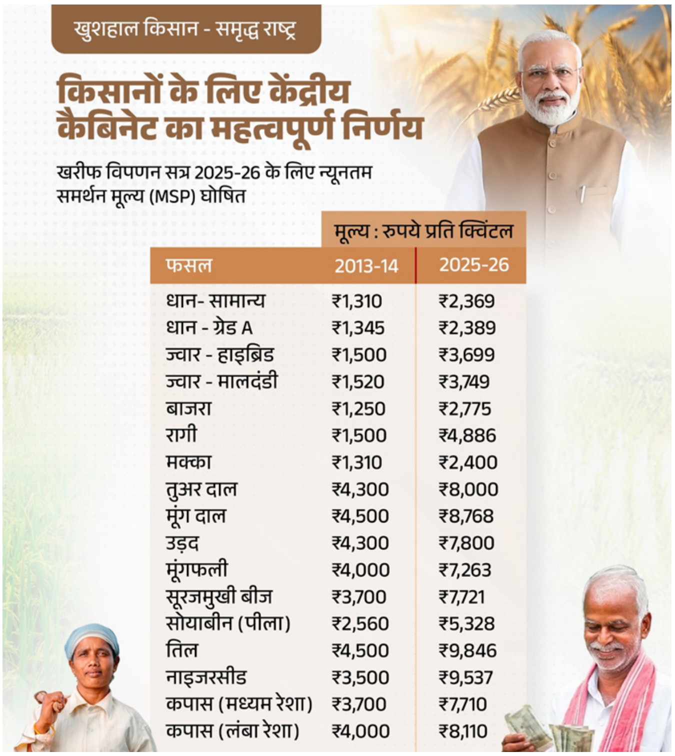

फसल	2013-14	2025-26
धान- सामान्य	₹1,310	₹2,369
धान - ग्रेड A	₹1,345	₹2,389
ज्वार - हाइब्रिड	₹1,500	₹3,699
ज्वार - मालदंडी	₹1,520	₹3,749
बाजरा	₹1,250	₹2,775
रागी	₹1,500	₹4,886
मक्का	₹1,310	₹2,400
तुअर दाल	₹4,300	₹8,000
मूंग दाल	₹4,500	₹8,768
उड़द	₹4,300	₹7,800
मूंगफली	₹4,000	₹7,263
सूरजमुखी बीज	₹3,700	₹7,721
सोयाबीन (पीला)	₹2,560	₹5,328
तिल	₹4,500	₹9,846
नाइजरसीड	₹3,500	₹9,537
कपास (मध्यम रेशा)	₹3,700	₹7,710
कपास (लंबा रेशा)	₹4,000	₹8,110

एमएसपी का निर्धारण और महत्वपूर्ण कारक

प्रत्येक वर्ष, सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। इन फसलों में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, दालें (जैसे चना, तूर, मूंग, उड़द, मसूर), तिलहन (जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, सूरजमुखी, नाइजरसीड), कपास, जूट और नारियल शामिल हैं। सीएसीपी की सिफारिशें विभिन्न राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं।

एमएसपी निर्धारित करते समय, आयोग कई महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है:

महत्वपूर्ण कारक :

- **उत्पादन लागत:** किसानों की वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुए, कम से कम 50 प्रतिशत का मार्जिन सुनिश्चित किया जाता है। इससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिलता है।
- **मांग-आपूर्ति की स्थिति:** घरेलू बाजार में फसल की उपलब्धता और मांग को संतुलित किया जाता है।
- **घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय कीमतें:** वैश्विक बाजार की कीमतों से तुलना करके एमएसपी तय किया जाता है।
- **फसलों के बीच कीमत समानता:** विभिन्न फसलों की कीमतों में संतुलन बनाए रखना, ताकि किसान एक फसल पर निर्भर न रहें।
- **कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें:** अर्थव्यवस्था के समग्र संतुलन को ध्यान में रखा जाता है।
- **संसाधनों का सही उपयोग:** भूमि, पानी और अन्य उत्पादन संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना। ये कारक न केवल किसानों की आय बढ़ाते हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की स्थिरता भी बनाए रखते हैं।

फसलों को एमएसपी के दायरे में शामिल करने की शर्तें

एमएसपी ढांचे के तहत फसलों को शामिल करना आसान नहीं है। यह कई मानदंडों पर निर्भर करता है, जैसे:

- फसल का अपेक्षाकृत लंबे समय तक चलने वाला होना (खराब न होने वाली)।
- बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली और उपभोग की जाने वाली फसलें।
- खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक होना। उदाहरण के लिए, अनाज और मोटे अनाज जैसी फसलें आसानी से एमएसपी में शामिल हो जाती हैं, क्योंकि ये स्टोरेज और वितरण के लिए उपयुक्त हैं।
- फल, सब्जियां या अन्य पेरिशेबल फसलें अक्सर बाहर रह जाती हैं, क्योंकि इनकी खरीद और भंडारण चुनौतीपूर्ण है। सरकार का प्रयास है कि इन मानदंडों को लचीला बनाकर अधिक फसलों को कवर किया जाए, लेकिन यह संसाधनों और बाजार की गतिशीलता पर निर्भर करता है।

खरीद प्रक्रिया और सरकारी एजेंसियां

एमएसपी घोषणा के बाद, सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से फसलों की खरीद करती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित तरीके से संचालित होती है:

- **अनाज और मोटे अनाज:** भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य निर्धारित राज्य एजेंसियां इनकी खरीद करती हैं।
- **दालें, तिलहन और नारियल:** प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की मूल्य समर्थन योजना

के तहत खरीद की जाती है। यह खरीद तब होती है जब बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो, और संबंधित राज्य सरकार से सलाह ली जाती है।

- **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की** मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की जाती है। यह खरीद तब होती है जब बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो, और संबंधित राज्य सरकार से सलाह ली जाती है।
- मुख्य एजेंसियां नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) हैं।
- **कपास और जूट:** भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय जूट निगम (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर खरीद की जाती है।

किसानों के पास विकल्प होता है कि वे अपनी फसल सरकारी एजेंसियों को बेचें या खुले बाजार में, जहां कीमतें अधिक लाभदायक हों। इससे किसानों को लचीलापन मिलता है और बाजार की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।

चुनौतियां :

एमएसपी के कवरेज को बढ़ाने में कई चुनौतियां हैं, जैसे भंडारण सुविधाओं की कमी, राज्य स्तर पर कार्यान्वयन में असमानता और बाजार की उतार-चढ़ाव। हाल के वर्षों में, सरकार ने पीएम-आशा जैसी योजनाओं के माध्यम से कवरेज बढ़ाने के प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी कई फसलें (जैसे कुछ सब्जियां और फल) बाहर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और बेहतर लॉजिस्टिक्स से कवरेज को और विस्तार दिया जा सकता है।

आगे की राह:

एमएसपी किसानों की आय सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है। सरकार का उद्देश्य अधिक फसलों को शामिल करके कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है, जो अंततः खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में योगदान देगा। राज्यसभा में दी गई जानकारी से स्पष्ट है कि सरकार इस दिशा में निरंतर कार्यरत है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत फसलों का कवरेज बढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्तमान में MSP केवल खरीफ फसलों पर लागू होता है, रबी फसलों पर नहीं।
2. MSP निर्धारण का प्रमुख उद्देश्य किसानों को मूल्य अस्थिरता से संरक्षण देना है।
3. भारत में MSP की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा की जाती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 केवल (b) 2 और 3 केवल
(c) 1 और 3 केवल (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) 2 और 3 केवल

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए तथा फसलों के कवरेज को बढ़ाने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्दों में)

सतत हिंद महासागर नीली अर्थव्यवस्था में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका :

परिचय :

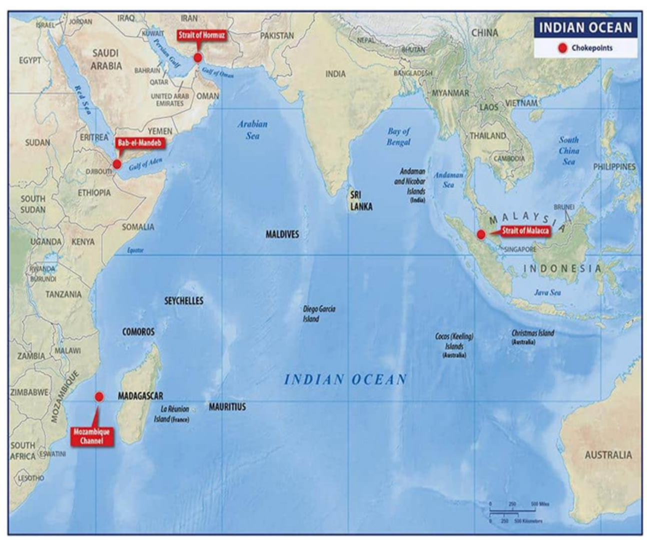

- हिंद महासागर (Indian Ocean) विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ते हुए वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री जैव विविधता की रीढ़ है। आज वैश्विक व्यापार का लगभग 80% समुद्री मार्गों से होता है, जिसमें हिंद महासागर की केंद्रीय भूमिका है।

- नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) महासागरों और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग द्वारा आर्थिक विकास, आजीविका सृजन और पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा देने की अवधारणा है। इसमें मत्स्यन, अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री पर्यटन, जैव-प्रौद्योगिकी और हरित शिपिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

- भारत, हिंद महासागर के केंद्र में स्थित होने के कारण, इस क्षेत्र में स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। भारत का दृष्टिकोण "हिंद महासागर से, विश्व के लिए" है, जो प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग, समावेशन और सतत विकास पर आधारित है। यह प्रधानमंत्री के SAGAR (Security and Growth for All in the Region) विज़न और MAHASAGAR सिद्धांत से प्रेरित है।

हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती प्रमुख चुनौतियाँ :

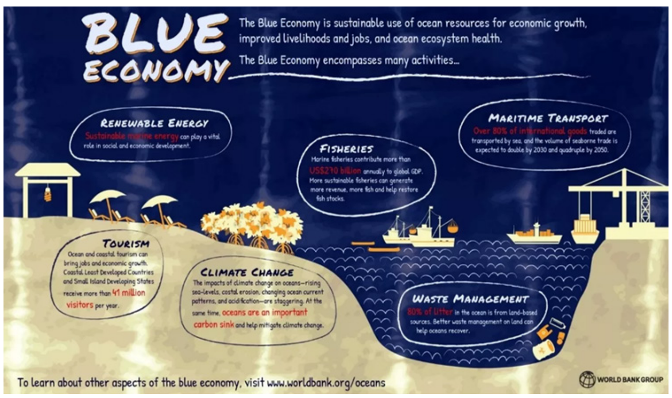

1. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- महासागरों का तापमान बढ़ रहा है, जिससे समुद्र-स्तर वृद्धि, महासागरीय अम्लीकरण और चरम मौसमी घटनाएँ बढ़ रही हैं।

- तीव्र चक्रवात एवं Storm Surges तटीय बुनियादी ढांचे और आजीविकाओं को प्रभावित कर रहे हैं।

- प्रवाल भित्तियों का क्षरण मत्स्य संसाधनों को कमजोर कर रहा है।

2. पारिस्थितिक क्षरण

- IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) Fishing से मछली स्टॉक्स में गिरावट।

- जैव विविधता का ह्रास और समुद्री खाद्य श्रृंखला पर दबाव।

3. सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता

- तटीय और द्वीपीय देशों में आजीविका संकट और संभावित जलवायु-जनित विस्थापन।

- छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के लिए अस्तित्व का संकट।

4. सुरक्षा संबंधी खतरे

- समुद्री तस्करी, मानव दुर्व्यापार, समुद्री आतंकवाद, और WMD प्रसार।

- 2008 का मुंबई हमला समुद्री सुरक्षा की कमजोरी का उदाहरण है।

भारत की सतत ब्लू इकोनॉमी रणनीति

1. सहकारी समुद्री शासन (Cooperative Ocean Governance)

- जैव विविधता संरक्षण, सतत मत्स्यन और साझा समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता।

- MAHASAGAR सिद्धांत के तहत IORA, BIMSTEC, IONS जैसे मंचों को सक्रिय बनाना।

- प्रतिस्पर्धी दोहन के बजाय साझा प्रबंधन का मॉडल।

2. जलवायु समुत्थानशीलता और नवाचार

- क्षेत्रीय प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ और महासागर पर्यवेक्षण नेटवर्क को मजबूत करना।
- एक क्षेत्रीय महासागर नवाचार एवं अनुकूलन केंद्र की स्थापना।
- अंतरिक्ष तकनीक और उपग्रह डेटा (ISRO) का उपयोग।

3. समावेशी एवं हरित विकास :

- ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर
- अपतटीय पवन और ज्वारीय ऊर्जा
- संधारणीय जलीय कृषि
- समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी और ब्लू स्टार्ट-अप्स
- 'नीली क्रांति' के माध्यम से मछुआरों की आय वृद्धि।

4. वित्तीय संसाधन जुटाना :

- Blue Economy and Finance Forum (BEFF) 2025
- One Ocean Partnership (COP-30 में प्रारंभ) — 2030 तक 20 बिलियन डॉलर का लक्ष्य
- क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के लिए Indian Ocean Blue Fund की स्थापना।

भारत के लिए हिंद महासागर का रणनीतिक महत्व

- भारत का 95% (मात्रा) और 68% (मूल्य) व्यापार हिंद महासागर से। और कच्चे तेल का लगभग 80% आयात समुद्री मार्गों से।

- संसाधन निर्भरता 2.02 मिलियन वर्ग किमी EEZ और 11,000 किमी तटरेखा।
- मध्य हिंद महासागर में पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (Mn, Co, Ni, Cu) के अन्वेषण अधिकार
- सुरक्षा आयामसमुद्री संचार मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा।
- नौसेना का Mission-Based Deployment और HADR भूमिका।

हिंद महासागर भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है:

- **आर्थिक महत्व:** भारत का 95% मात्रा और 68% मूल्य व्यापार हिंद महासागर से होता है। 80% कच्चा तेल आयात समुद्री मार्ग से आता है, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का और होर्मुज जैसे चोक पॉइंट्स से गुजरता है।
- **संसाधन निर्भरता:** 2.02 मिलियन वर्ग किमी EEZ और 11,000 किमी तटरेखा के साथ, भारत मत्स्यन पर निर्भर है। मध्य हिंद महासागर में मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल और तांबे के खनन अधिकार भारत को प्राप्त हैं, जो ISA (International Seabed Authority) के तहत हैं।
- **सुरक्षा जोखिम:** तस्करी, IUU मत्स्यन, मानव दुर्व्यापार और WMD प्रसार जैसे खतरे। 2008 का मुंबई हमला इसका उदाहरण है। भारत की नौसेना 'मिशन-बेस्ड डिप्लॉयमेंट' से क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये पहलू भारत को 'क्वाड' (QUAD) और IONS (Indian Ocean Naval Symposium) जैसे मंचों पर मजबूत बनाते हैं।

भारत की नीली अर्थव्यवस्था रणनीति और प्रमुख सरकारी योजनाएं :

भारत की नीली अर्थव्यवस्था रणनीति सहकारी प्रबंधन, जलवायु समुत्थानशीलता और समावेशी विकास पर केंद्रित है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र में सतत नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं:

1. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):

- 2020 में शुरू, ₹20,050 करोड़ की निवेश वाली यह योजना मत्स्य उत्पादन को 220 लाख टन तक बढ़ाने, निर्यात को दोगुना करने और 55 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखती है।
- सतत मत्स्यन, जलीय कृषि (Aquaculture), कोल्ड चेन, हैचरी और मछुआरों के कल्याण पर फोकस।
- हिंद महासागर में IUU मत्स्यन से निपटने और आजीविका मजबूत करने में महत्वपूर्ण। 2025 तक मछली उत्पादन दोगुना करने में योगदान।

2. सागरमाला परियोजना (Sagarmala Project):

- बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, तटीय बुनियादी ढांचा विकास और पोर्ट-लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन।
- हरित पोत परिवहन (Green Shipping) और तटीय समुदाय विकास को बढ़ावा।
- व्यापार दक्षता बढ़ाकर हिंद महासागर मार्गों को मजबूत करती है।

3. डीप ओशन मिशन (Deep Ocean Mission):

- ₹4,077 करोड़ की योजना, गहन समुद्र खनिज (पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जैसे मैंगनीज, कोबाल्ट) अन्वेषण और प्रौद्योगिकी विकास।
- समुद्रयान (Manned Submersible) और जैव विविधता संरक्षण।
- नीली अर्थव्यवस्था में अपतटीय ऊर्जा और खनिजों का सतत उपयोग सुनिश्चित करती है।

4. फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF):

- मत्स्यन बुनियादी ढांचे (हार्बर, कोल्ड स्टोरेज) के लिए ₹7,522 करोड़ का फंड, 2025-26 तक विस्तारित।
- सतत मत्स्यन और मूल्य श्रृंखला मजबूती।

5. अन्य पहलें:

- **सीवीड मिशन:** समुद्री शैवाल उत्पादन बढ़ाकर जैव प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन।
- **O-SMART योजना:** महासागर सेवाएं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी।
- **EEZ रूल्स 2025:** अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सतत मत्स्यन के लिए नियम।

निष्कर्ष :

भारत की नेतृत्वकारी भूमिका केवल शक्ति-प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि सहयोगी, समावेशी और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देने में निहित है। "हिंद महासागर से, विश्व के लिए" का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को समुद्री शासन में लागू करता है। सतत नीली अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारत न केवल क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है, बल्कि वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (SDG-14) की प्राप्ति में भी निर्णायक योगदान दे सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन-से तत्व भारत की ब्लू इकोनॉमी रणनीति का हिस्सा हैं?

1. सतत मत्स्यन और IUU मत्स्यन पर नियंत्रण
2. हरित पोत परिवहन और अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा
2. महासागरीय संसाधनों का अनियंत्रित दोहन
4. क्षेत्रीय पूर्व-चेतावनी प्रणालियों का विकास

सही उत्तर चुनिए:

(a) 1, 2 और 4 (b) 1 और 3

(c) 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "हिंद महासागर क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था के सतत विकास हेतु भारत की भूमिका निर्णायक है।" इस कथन के आलोक में भारत की रणनीति, चुनौतियाँ और आगे की राह का विश्लेषण कीजिए। (150/250 शब्द)

विकसित भारत–जी राम जी विधेयक 2025 : ग्रामीण रोजगार गारंटी का नया अध्याय

परिचय :

17 दिसंबर 2025 को लोकसभा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा "विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–G RAM G)" विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 को निरस्त कर उसके स्थान पर एक नया कानूनी ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण भारत को 'विकसित भारत @2047' के विजन के अनुरूप बनाना है, जिसमें रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है तथा स्थायी संपत्ति निर्माण, डिजिटलीकरण और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने पर जोर दिया गया है। यह विधेयक ग्रामीण विकास को सशक्तिकरण, अभिसरण और संतृप्ति की दिशा में ले जाने का प्रयास है।

पृष्ठभूमि

MGNREGA, 2005 UPA सरकार की प्रमुख योजना थी, जिसने ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले दो दशकों में ग्रामीण भारत में व्यापक परिवर्तन आए हैं—जैसे पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला, डिजिटल इंडिया और गरीबी में कमी। इन बदलावों के कारण पुरानी योजना की सीमाएं उजागर हुईं, जैसे कम उपयोगी संपत्तियां, भ्रष्टाचार के आरोप और कृषि मौसम में श्रमिकों की कमी। VB–G RAM G विधेयक इन कमियों को दूर कर एक आधुनिक, उत्पादक और जलवायु-सहिष्णु ढांचा प्रस्तावित करता है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

विधेयक MGNREGA की मूल भावना को बनाए रखते हुए कई नवोन्मेषी प्रावधान जोड़ता है:

- **रोजगार गारंटी में वृद्धि:** प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल श्रम के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों की वैधानिक गारंटी। यह MGNREGA के 100 दिनों से अधिक है।

- **मौसमी निलंबन:** राज्य सरकारें कृषि बुवाई और कटाई के मौसम में योजना को अधिकतम 60 दिनों तक निलंबित कर सकती हैं, ताकि कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
- **स्थायी संपत्ति निर्माण पर फोकस:** कार्यों को चार प्राथमिकता क्षेत्रों में सीमित किया गया—जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना (सड़कें, कनेक्टिविटी), आजीविका संबंधी अवसंरचना (भंडारण, बाजार सुविधाएं) और चरम मौसम घटनाओं से निपटने के विशेष कार्य।

नियोजन और एकीकरण:

- ग्राम पंचायतें 'विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं (VGPPs)' तैयार करेंगी, जिन्हें पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- सभी VGPPs को 'विकसित भारत–राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक (VB-NRIS)' में संकलित कर राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित योजना बनेगी।
- पंचायतों की ग्रेडिंग उनके विकास स्तर के आधार पर होगी; कम विकसित पंचायतों को अधिक आवंटन मिलेगा।
- **संस्थागत व्यवस्था:** केंद्रीय और राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें निगरानी और परामर्श देंगी। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की संचालन समितियां वित्तीय आवंटन और समन्वय पर सिफारिशें करेंगी।
- **पारदर्शिता और डिजिटलीकरण:** बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण, AI-सक्षम एनालिटिक्स, जीपीएस-आधारित निगरानी, ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा और ब्लॉक/जिला स्तर पर शिकायत निवारण।

महत्व और लाभ

यह विधेयक ग्रामीण भारत के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है:

- **रोजगार और आय सुरक्षा:** 125 दिनों की गारंटी से ग्रामीण परिवारों को अधिक स्थिरता मिलेगी, विशेषकर कमजोर वर्गों को।
- **उत्पादक संपत्ति सृजन:** फोकस जल सुरक्षा और अवसंरचना पर होने से दीर्घकालिक विकास होगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
- **क्षेत्रीय समानता:** कम विकसित पंचायतों को प्राथमिकता से असमानताएं कम होंगी।
- **कृषि संतुलन:** मौसमी निलंबन से कृषि श्रमिक उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।
- **विकसित भारत 2047 से संरेखण:** योजना अन्य सरकारी योजनाओं से अभिसरण कर संतृप्ति सुनिश्चित करेगी।

चुनौतियां और आलोचना

विधेयक पर विपक्ष ने तीखी आलोचना की है:

- **महात्मा गांधी का नाम हटाना:** विपक्ष इसे गांधीजी का अपमान मानता है और MGNREGA की अधिकार-आधारित संरचना को कमजोर करने का आरोप लगाता है।
- **वित्तीय बोझ राज्यों पर:** फंडिंग पैटर्न में बदलाव (60:40 केंद्र-राज्य) से राज्यों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
- **मौसमी निलंबन:** इससे गरीब परिवारों की आय प्रभावित हो सकती है।
- **कार्यान्वयन चुनौतियां:** डिजिटलीकरण से डिजिटल डिवाइड बढ़ सकता है; ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी आधारभूत संरचना की कमी।
- **राजनीतिक विवाद:** विपक्ष ने इसे स्टैंडिंग कमिटी को भेजने की मांग की, जबकि सत्ता पक्ष इसे आवश्यक सुधार बताता है।

आगे की राह :

विधेयक को सफल बनाने के लिए निम्न सुझाव उपयोगी हैं:

- **राज्यों से परामर्श:** फंडिंग और निलंबन प्रावधानों पर सहमति बनाना।
- **डिजिटल सशक्तिकरण:** ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और प्रशिक्षण बढ़ाना।
- **निगरानी मजबूत करना:** सामाजिक लेखा परीक्षा और AI का प्रभावी उपयोग।
- **पायलट आधार पर परीक्षण:** कुछ राज्यों में पहले लागू कर कमियां दूर करना।
- **जन जागरूकता:** योजना के लाभों पर अभियान चलाना।

निष्कर्ष :

VB–G RAM G विधेयक 2025 ग्रामीण रोजगार और विकास को आधुनिक बनाने का महत्वाकांक्षी प्रयास है। यह MGNREGA की विरासत को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में कदम है। हालांकि, राजनीतिक विवाद और कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। यह विधेयक ग्रामीण विकास,

सामाजिक न्याय, संघवाद और आर्थिक नीतियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन-सा विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 को निरस्त कर उसके स्थान पर 125 दिनों की ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रस्तावित करता है?

(a) विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025

(b) विकसित भारत–जी राम जी (VB–G RAM G) विधेयक, 2025

(c) परमाणु ऊर्जा (शांति) विधेयक, 2025

(d) राष्ट्रीय ऊर्जा नीति विधेयक, 2024

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. विकसित भारत–जी राम जी विधेयक 2025 के संदर्भ में MGNREGA की तुलना में इसके प्रमुख प्रावधानों, लाभों तथा चुनौतियों की चर्चा कीजिए। क्या यह ग्रामीण भारत को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप बनाने में सफल होगा? तर्क सहित उत्तर दीजिए। (250 शब्द)

सबका बीमा, सबकी रक्षा विधेयक, 2025

चर्चा में क्यों?

लोकसभा ने सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानूनों का संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया है, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है।

इस कदम को बीमा कवरेज को सुदृढ़ करने तथा 'वर्ष 2047 तक सभी के लिये बीमा' के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिये एक प्रमुख सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

सबका बीमा, सबकी रक्षा विधेयक, 2025 बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देता है, IRDAI की नियामकीय शक्तियों को सुदृढ़ करता है, पुनर्बीमा को उदार बनाता है और 'वर्ष 2047 तक सभी के लिये बीमा' की परिकल्पना के तहत बीमा पैठ को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है।

जहाँ यह सुधार भारत के बढ़ते बीमा बाज़ार में वैश्विक पूंजी, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को आकर्षित कर सकता है, वहीं विदेशी प्रभुत्व, ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा तथा निवेशक हितों और पॉलिसीधारकों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने जैसी चिंताएँ भी बनी हुई हैं।

सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- **बीमा क्षेत्र में 100% FDI:** यह विधेयक बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करता है, जिससे पूर्ण विदेशी स्वामित्व संभव होगा और दीर्घकालिक पूंजी, उन्नत प्रौद्योगिकी तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को आकर्षित किया जा सकेगा।
- **बीमा कानूनों में संशोधन:** इसमें बीमा अधिनियम, 1938, LIC अधिनियम, 1956 तथा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) अधिनियम, 1999 में संशोधन किये गए हैं, ताकि क्षेत्रीय सुधारों और नियामकीय सुदृढ़ीकरण को प्रतिबिंबित किया जा सके।
- **पुनर्बीमा का उदारीकरण:** विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिये नेट ओन्ड फंड (NOF) की आवश्यकता को ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ किया गया है। इसका उद्देश्य पुनर्बीमा बाज़ार को सुदृढ़ करना और भारत को क्षेत्रीय केंद्र (हब) के रूप में विकसित करना है।
- नेट ओन फंड्स (NOF) उस न्यूनतम पूंजी को कहते हैं जिसे किसी पुनर्बीमा इकाई को वित्तीय सुरक्षा कुशन के रूप में बनाए रखना होता है, ताकि दिवालियापन सुनिश्चित रहे और दावों के भुगतान की ज़िम्मेदारियों को पूरा किया जा सके।
- **पॉलिसीधारकों की शिक्षा और सुरक्षा कोष:** इसे बीमा जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिये स्थापित किया जाएगा। साथ ही पॉलिसीधारकों का डेटा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP)

अधिनियम, 2023 के अनुरूप संग्रहित और सुरक्षित किया जाना अनिवार्य होगा।

- **IRDAI के लिये सशक्त अधिकार:** इस विधेयक के तहत IRDAI की प्रवर्तन क्षमता में महत्त्वपूर्ण वृद्धि की गई है, जिससे यह उल्लंघनों की जाँच, अवैध कमीशन और रिबेट को रोकने तथा बीमाकर्त्ताओं एवं बिचौलियों द्वारा सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।
- IRDAI के अध्यक्ष रिकॉर्ड छिपाए जाने या छेड़छाड़ होने की स्थिति में तलाशी, निरीक्षण और ज़ब्ती का आदेश दे सकते हैं।
- IRDAI अधिकारियों को बीमाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न, विवरण और प्रकटीकरण की जाँच करने के लिये तैनात किया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता तथा नियामक सतर्कता में सुधार होगा।
- **LIC के लिये अधिक स्वायत्तता:** LIC को नई क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिये पूर्व अनुमोदन के बिना संचालन स्वतंत्रता दी गई है, जिससे तीव्र विस्तार और बेहतर क्षेत्रीय प्रबंधन संभव हो सके।
- **सुगम अनुपालन व्यवस्था:** प्रक्रियात्मक एवं अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को सरल बनाया गया है, ताकि व्यवसाय करने में आसानी बढ़े और साथ ही उपभोक्ता संरक्षण भी सुनिश्चित रहे।

सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 की सीमाएँ

- आलोचकों का तर्क है कि 100% विदेशी स्वामित्व की अनुमति देना नागरिकों की दीर्घकालिक बचतों को विदेशी निगमों के हाथों में सौंप देता है, जिससे घरेलू वित्तीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय नियंत्रण की चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि विदेशी बीमाकर्त्ता लाभ प्रत्यावर्तन और शहरी बाज़ारों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की उपेक्षा हो सकती है।
- आलोचकों ने एक विश्वास-घाटे की ओर भी इंगित किया है, क्योंकि बीमा राज्य-समर्थित संस्थानों में जनता के विश्वास पर अत्यधिक निर्भर करता है।
- साथ ही इस सुधार को सामाजिक जोखिम संरक्षण में राज्य की भूमिका के पुनर्गठन के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें प्रत्यक्ष राज्य प्रावधान के बजाय साझा ज़िम्मेदारी पर अधिक बल दिया गया है।

भारत में बीमा पैठ को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख सरकारी पहलें

- **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY):** विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, यह कमज़ोर परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):** यह एक जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिये कवरेज प्रदान करती है। योजना में शामिल होने की पात्र आयु 18 से 50 वर्ष है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** एक दुर्घटना बीमा योजना जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिये आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है।
- **जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी:** आसान पंजीकरण, प्रीमियम भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सक्षम बनाता है, जिससे बीमा पहुँच का विस्तार होता है।

भारतीय बीमा क्षेत्र की स्थिति क्या है?

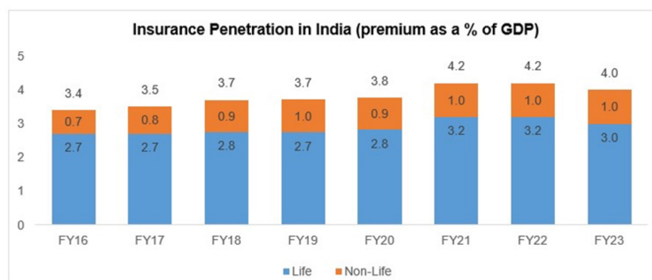

- **बाज़ार आकार और वैश्विक स्थिति:** भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 10वाँ सबसे बड़ा बीमा बाज़ार और उभरते बाज़ारों में दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है, जिसकी बाज़ार हिस्सेदारी लगभग 1.9% है। स्विस रे के अनुसार, भारत के वर्ष 2032 तक प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए 6वाँ सबसे बड़ा बीमा बाज़ार बनने की संभावना है।
- **पैठ और घनत्व:** भारत में बीमा पैठ वित्तीय वर्ष 2016 में 3.4% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 4.0% हुआ है, जो एक बढ़ती गति में है।
- सामान्य बीमा घनत्व (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) वर्ष 2019 के 9 अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 25 अमरीकी डॉलर हो गया।
- बीमाकर्त्ताओं की संख्या वर्ष 2014–15 के 53 से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 74 हो गई, जो गहन बाज़ार भागीदारी को दर्शाती है।

- कुल बीमा प्रीमियम इसी अवधि में लगभग तीन गुना बढ़कर 4.15 लाख करोड़ रुपये से 11.93 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- **जीवन बीमा खंड:** भारत वैश्विक स्तर पर 5वाँ सबसे बड़ा जीवन बीमा बाज़ार है, जो प्रतिवर्ष 32-34% की दर से बढ़ रहा है।
- LIC लगभग 60% बाज़ार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है, लेकिन निजी बीमाकर्त्ता लगातार अपने कदम मज़बूत कर रहे हैं।
- **अजीवन (सामान्य) बीमा खंड:** भारत वर्तमान में एशिया में चौथा सबसे बड़ा सामान्य बीमा बाज़ार और वैश्विक स्तर पर 14वाँ सबसे बड़ा बाज़ार है।

भारत के बीमा क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **कम बीमा पैठ:** भारत में सामान्य बीमा पैठ सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 1% पर अपेक्षाकृत कम बना हुआ है, जबकि वर्ष 2023 में वैश्विक औसत 4.2% था।
- **सीमित ग्रामीण और अनौपचारिक कवरेज:** शहरी और वेतनभोगी वर्ग कवरेज पर हावी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), गिग वर्कर्स और असंगठित श्रमिक काफी हद तक अबीमित रहते हैं।
- **उत्पाद असंगति:** बीमा उत्पाद अक्सर जटिल होते हैं और निम्न-आय वाले परिवारों तथा छोटे व्यवसायों की आवश्यकताओं के अनुरूप खराब ढंग से तैयार किये गए होते हैं।
- कई उत्पाद सामान्य बने रहते हैं और जलवायु घटनाओं, साइबर जोखिमों तथा महामारी-संबंधी हानियों के अनुकूल नहीं होते हैं।
- **गलत बिक्री और विश्वास-घाटा:** उत्पाद जटिलता, अस्पष्ट शर्तें, दावा निपटान में देरी, मध्यस्थों द्वारा गलत बिक्री और जटिल पॉलिसी शर्तें उपभोक्ता विश्वास को कमज़ोर करती हैं और उच्च शिकायत मात्रा इसका कारण बनती हैं।
- **सीमित जागरूकता:** जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बीमा को जोखिम-प्रबंधन उपकरण के बजाय व्यय के रूप में देखा जाता है।

भारत के बीमा क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु किन उपायों की आवश्यकता है?

- **प्रौद्योगिकी और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग:** वास्तविक-समय अनुपालन निगरानी और जोखिम आकलन के लिये रेगटेक (RegTech) और सुपटेक (SupTech) उपकरण अपनाने को प्रोत्साहित करना।
- बीमा को इंडिया स्टैक (आधार, ई-KYC, डिजीलॉकर, UPI) के साथ एकीकृत करना ताकि तेज़ ऑनबोर्डिंग, प्रीमियम संग्रह और क्लेम निपटान संभव हो।
- धोखाधड़ी का पता लगाने, अंडरराइटिंग, और व्यक्तिगत उत्पादों के लिये AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना।
- **उत्पाद नवाचार और जोखिम कवरेज को बढ़ावा देना:** साइबर सुरक्षा, जलवायु आपदाएँ, स्वास्थ्य महामारी तथा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे उभरते जोखिमों के लिये बीमा उत्पादों को प्रोत्साहित करना।
- उपयोग-आधारित और ऑन-डिमांड बीमा को प्रोत्साहित करना, खासकर मोटर और स्वास्थ्य क्षेत्रों में।
- बीमा विकास को भारत के वित्तीय समावेशन, जलवायु लचीलापन और अवसंरचना वित्तपोषण के लक्ष्यों के साथ संरेखित करना।
- **बीमा पहुँच और समावेशन को गहरा करना:** PMJJBY, PMSBY, PMFBY और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक बीमा योजनाओं का विस्तार करना ताकि अनौपचारिक श्रमिक, गिग अर्थव्यवस्था के सहभागी तथा MSMEs को शामिल किया जा सके।
- किसानों, तटीय समुदायों और जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों के लिये माइक्रो-इंश्योरेंस और पैरामीट्रिक बीमा को बढ़ावा देना।
- स्व-सहायता समूह (SHGs), सहकारी समितियाँ (PACS), सेंट्रल सर्विस सेंटर (CSCs), और डाकघर को अंतिम स्तर पर बीमा वितरण के लिये उपयोग करना।
- **नीति अनिवार्यता:** भारत जैसे ही बीमा क्षेत्र में विदेशी भागीदारी की अनुमति देता है, इंश्योरेंस संशोधन विधेयक को कड़े नियमन और सतर्क निगरानी के साथ लागू करना चाहिये ताकि पॉलिसीधारकों की सुरक्षा तथा बाज़ार की स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष :

बीमा में 100% FDI की अनुमति भारत के वित्तीय क्षेत्र सुधारों में एक साहसिक और परिपक्व कदम है। यह पूंजी तथा विशेषज्ञता की आपूर्ति संबंधी चुनौती को संबोधित करता है। इस सुधार की सफलता कड़े नियमन एवं निवेशकों के हितों को भारतीय पॉलिसीधारकों की सुरक्षा के साथ संतुलित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में व्यक्तियों के लिये साइबर बीमा के तहत धन की हानि और अन्य लाभों के भुगतान के अलावा, निम्नलिखित में से कौन से लाभ आमतौर पर कवर किये जाते हैं? (2020)

1. किसी के कंप्यूटर तक पहुँच को बाधित करने वाले मैलवेयर के मामले में कंप्यूटर सिस्टम की बहाली की लागत।
2. एक नए कंप्यूटर की लागत अगर ऐसा साबित हो जाता है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर इसे नुकसान पहुँचाया है।
3. साइबर जबरन वसूली के मामले में नुकसान को कम करने के लिये एक विशेष सलाहकार को काम पर रखने की लागत।
4. यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव की लागत

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(A) केवल 1, 2 और 4 (B) केवल 1, 3 और 4

(C) केवल 2 और 3 (D) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (B)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनियों द्वारा की गई उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन ने SEBI और IRDA नामक दो नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिये। (2013)

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 : भारत के बिजली क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों की दिशा में एक कदम

समाचार में क्यों?

इस विधेयक का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, टैरिफ को युक्तिसंगत बनाकर, नियामक को मजबूत बनाकर तथा दीर्घकालिक अकुशलताओं को दूर करके भारत के विद्युत क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया।

परिचय :

- भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बिजली क्षेत्र की भूमिका अपरिहार्य है। वर्तमान में, देश का विद्युत वितरण क्षेत्र अक्षमता, वित्तीय संकट और संरचनात्मक कमियों से ग्रस्त है।
- केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2025 में जारी विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 का मसौदा एक महत्वपूर्ण पहल है। यह विधेयक विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन प्रस्तावित करता है, जिसका उद्देश्य वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, विनियामक ढांचे को मजबूत करना तथा लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ के माध्यम से एक पारदर्शी, कुशल और टिकाऊ बिजली बाजार का निर्माण करना है।
- यह सुधार न केवल डिस्कॉम्स (वितरण कंपनियों) की वित्तीय बदहाली को दूर करने का प्रयास करता है, बल्कि 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों को भी गति प्रदान करेगा। यह विधेयक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और शासन सुधारों के अंतर्संबंधों को समझने का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

1. पृष्ठभूमि और आवश्यकता :

- भारत का विद्युत क्षेत्र लंबे समय से चुनौतियों का शिकार रहा है। 2023-24 में डिस्कॉम्स का संचयी ऋण लगभग 6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, जबकि AT&C (एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल) हानियां औसतन 18-20% पर अटकी हुई हैं। क्रॉस-सब्सिडी की विकृतियां उद्योगों पर बोझ डाल रही हैं, जिससे विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो रही है। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी भुगतान में देरी और बिलिंग दक्षता की कमी ने डिस्कॉम्स को कर्ज के जाल में फंसा दिया है।
- राष्ट्रीय विद्युत नीति 2021 और RDSS (रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) जैसे प्रयासों के बावजूद, संरचनात्मक सुधारों की कमी बनी हुई है। इस संदर्भ में, 2025 का संशोधन मसौदा वितरण क्षेत्र को निजी निवेश के लिए आकर्षक बनाने और उपभोक्ता-केंद्रित बाजार विकसित करने का कानूनी आधार प्रदान करता है। यह विधेयक COVID-19 के बाद की आर्थिक वृद्धि और नेट-जीरो लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

2. विधेयक की प्रमुख विशेषताएं :

विधेयक चार प्रमुख आयामों—संरचनात्मक सुधार, टैरिफ सुधार, शासन सुधार तथा संधारणीयता—पर केंद्रित है।

(A) संरचनात्मक सुधार

- **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा:** एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एकाधिक लाइसेंसधारियों (सरकारी और निजी दोनों) को बिजली वितरण की अनुमति। इससे उपभोक्ताओं को विकल्प मिलेंगे, और सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा। साझा अवसंरचना (जैसे ट्रांसफॉर्मर, मीटर) का उपयोग अनिवार्य होगा, जिससे लागत कम होगी।
- **सार्वभौमिक सेवा दायित्व (USO):** सभी लाइसेंसधारियों पर गैर-भेदभावपूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने का दायित्व। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में पहुंच मजबूत होगी।
- **ओपन एक्सेस:** 1 MW से ऊपर के उपभोक्ताओं को USO से छूट देने का अधिकार राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERCs) को, लेकिन राज्य सरकार की पूर्व सहमति अनिवार्य।

(B) टैरिफ सुधार और क्रॉस-सब्सिडी तर्कसंगतकरण :

- **लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ:** टैरिफ वास्तविक आपूर्ति लागत पर आधारित होगा, जिससे डिस्कॉम्स की वित्तीय

स्थिरता सुनिश्चित होगी। किसानों और गरीब उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी बजटीय सब्सिडी का प्रावधान।

- **क्रॉस-सब्सिडी में कमी:** विनिर्माण, रेलवे और मेट्रो जैसे क्षेत्रों के लिए 5 वर्षों में क्रॉस-सब्सिडी समाप्त करने का लक्ष्य। इससे औद्योगिक टैरिफ 20-30% कम हो सकता है, जो निर्यात को बढ़ावा देगा।

(C) शासन एवं विनियामक सुधार

- **राष्ट्रीय विद्युत परिषद:** केंद्र-राज्य समन्वय के लिए एक नया मंच, जो नीति सामंजस्य और विवाद निपटान सुनिश्चित करेगा।
- **SERCs को सशक्तिकरण:** मानकों लागू करने, गैर-अनुपालन पर दंड लगाने तथा टैरिफ आवेदन में देरी पर स्वतः संज्ञान (suo moto) लेकर निर्धारण करने की शक्ति।

(D) संधारणीयता और बाजार विकास

- **गैर-जीवाश्म ऊर्जा दायित्व:** अनुपालन न करने पर कठोर दंड। 2030 तक 50% गैर-जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य को मजबूत करेगा।
- **बाजार सुधार:** नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, स्टोरेज सिस्टम और स्मार्ट मीटर जैसे उभरते उपकरणों को समर्थन। इससे रिन्यूएबल इंटीग्रेशन आसान होगा।

3. विधेयक द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याएं :

यह विधेयक निम्नलिखित चुनौतियों को लक्षित करता है:

- **डिस्कॉम्स की वित्तीय बदहाली:** AT&C हानियों को कम करने, बिलिंग दक्षता बढ़ाने और सब्सिडी भुगतान को समयबद्ध बनाने का प्रयास।
- **प्रतिस्पर्धा की कमी :** एकाधिकार समाप्त कर उपभोक्ता-केंद्रित मॉडल अपनाना, जो नवाचार को प्रोत्साहित करेगा।
- **क्रॉस-सब्सिडी की विकृति :** उद्योगों पर अनुचित बोझ हटाकर 'मेक इन इंडिया' को मजबूत करना।

4. संभावित लाभ

- **उपभोक्ता सशक्तिकरण :** विकल्पों से बेहतर सेवा और कम टैरिफ।
- **औद्योगिक वृद्धि :** सस्ती बिजली से विनिर्माण लागत घटेगी।
- **दक्षता वृद्धि :** डिस्कॉम्स में निजी निवेश से AT&C हानियां 10% से नीचे लाई जा सकती हैं।
- **केंद्र-राज्य समन्वय :** परिषद से नीतिगत एकरूपता।
- **स्वच्छ ऊर्जा :** रिन्यूएबल्स की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जो जलवायु लक्ष्यों से जुड़ेगी।

5. चुनौतियां :

हालांकि आशाजनक, विधेयक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है:

- **राज्यों का विरोध :** राजस्व हानि का भय, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में।
- **अवसंरचना साझाकरण :** मानकों का अभाव साझा नेटवर्क में विवाद पैदा कर सकता है।
- **राजनीतिक बाधाएं :** लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ का किसान-विरोधी माना जाना।
- **SERCs की क्षमता :** स्वतंत्रता और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी।
- **ग्रामीण चुनौतियां :** USO का बोझ निजी कंपनियों पर पड़ सकता है, जिससे निवेश हतोत्साहित हो।

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, केंद्र को राज्यों के साथ परामर्श बढ़ाना होगा।

निष्कर्ष :

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 भारत के ऊर्जा क्षेत्र को वैश्विक मानकों तक पहुंचाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। यदि प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह न केवल डिस्कॉम्स को मजबूत करेगा, बल्कि सतत विकास को भी गति देगा। इस विधेयक को वर्तमान आर्थिक सुधारों (जैसे PLI स्कीम) और जलवायु नीतियों के संदर्भ में देखना चाहिए। सफलता के लिए, केंद्र-राज्य सहयोग और पारदर्शी कार्यान्वयन अनिवार्य है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q. विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विधेयक एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एकाधिक वितरण लाइसेंसधारियों को कार्य करने की अनुमति देता है।
2. विधेयक क्रॉस-सब्सिडी को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है, विशेषकर विनिर्माण और रेलवे क्षेत्रों के लिए पांच वर्षों के भीतर।
3. राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERCs) को टैरिफ निर्धारण में स्वतः संज्ञान लेने की अनुमति नहीं है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 और 2 केवल (b) 1 और 3 केवल

(c) 2 और 3 केवल (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "भारत के विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और वितरण सुधारों को लागू करने के लिए प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। यह विद्युत क्षेत्र की वित्तीय एवं संरचनात्मक चुनौतियों को किस हद तक संबोधित करता है?"

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत के परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश जल्द ही अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलेगा। यह कदम संसद के सर्दियों के सत्र से पहले उठाया गया है, जिसमें परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि परमाणु क्षमता का विस्तार हो और निजी निवेश आकर्षित किया जा सके।

निजी क्षेत्र भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को कैसे मज़बूत कर सकता है?

- **भारत की महत्त्वाकांक्षी क्षमता विस्तार योजना :** भारत वर्ष 2032 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8.8 GW से बढ़ाकर 22 GW और वर्ष 2047 तक 100 GW करने की योजना बना रहा है। लेकिन यह क्षेत्र अभी भी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के प्रभुत्व में है, जिसके पास इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिये आवश्यक पूंजी, मानव संसाधन तथा निर्माण क्षमता की कमी है।
- निजी कंपनियाँ पूंजी, कुशल कार्यबल और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) क्षमताओं को बढ़ा सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर विस्तार संभव हो सके।
- **वित्तीय अंतर को कम करना :** वर्ष 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता हासिल करने के लिये लगभग 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश आवश्यक है, जबकि वर्ष 2025–26 के बजट में केवल 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- **परमाणु परियोजनाओं की उच्च प्रारंभिक लागत:** परमाणु परियोजनाओं के लिये अत्यधिक प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे सीमित सार्वजनिक निधियाँ एक बड़ी चुनौती बन जाती हैं। यह दीर्घकालिक पूंजी संग्रहण, वित्तीय बोझ कम करने और निधि के स्रोतों को विविध बनाने के लिये निजी निवेश की आवश्यकता को उजागर करता है।
- **परियोजना कार्यान्वयन में तेज़ी लाना:** कई NP-CIL परियोजनाएँ, जैसे कुडांकुलम यूनिट 3–6, खरीद प्रक्रियाओं, धीमी निर्माण गति और प्रशासनिक अड़चनों के कारण लगातार विलंब का सामना कर रही हैं। निजी क्षेत्र बेहतर परियोजना प्रबंधन और मज़बूत आपूर्ति-शृंखला दक्षता के माध्यम से परियोजनाओं की गति तेज़ करने में मदद कर सकता है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देना :** निजी क्षेत्र की भागीदारी उन्नत रिएक्टर डिज़ाइनों, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) और वैश्विक सहयोगों को अपनाने में मदद कर सकती है। ये सभी परमाणु क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा में सुधार के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- **यूरेनियम आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करना :** निजी कंपनियों को यूरेनियम के खनन, आयात और प्रसंस्करण की अनुमति देने से भारत की सीमित घरेलू क्षमता में सुधार होगा, सरकार-से-सरकार (G2G) समझौतों पर निर्भरता कम होगी तथा दीर्घकालिक परमाणु ईंधन सुरक्षा के लिये रणनीतिक भंडार तैयार किये जा सकेंगे।
- **भारत की ऊर्जा सुरक्षा और नेट-ज़ीरो मार्ग को सशक्त बनाना :** निजी क्षेत्र की भागीदारी कम-कार्बन क्षमता के विस्तार को तेज़ करती है, जिससे भारत के नेट-ज़ीरो 2070 लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलती है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी से रिएक्टर घटकों का स्थानीयकरण बढ़ेगा, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत वैश्विक परमाणु आपूर्ति शृंखलाओं से बेहतर तरीके से जुड़ सकेगा।

भारत का परमाणु ऊर्जा परिदृश्य :

- **परमाणु ऊर्जा:** यह ऊर्जा का एक रूप है जो परमाणु के नाभिक (कोर) से निकलता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है।
- **यह ऊर्जा दो तरीकों से उत्पन्न की जा सकती है:** विखंडन (Fission) - जब किसी परमाणु का नाभिक कई भागों में विभाजित होता है और संलयन (Fusion) - जब दो नाभिक आपस में मिलकर एक हो जाते हैं।
- यह एक कम-कार्बन, उच्च-घनत्व ऊर्जा स्रोत है, जो बेस-लोड पावर प्रदान करता है और ऊर्जा सुरक्षा तथा सतत् विकास में योगदान देता है।

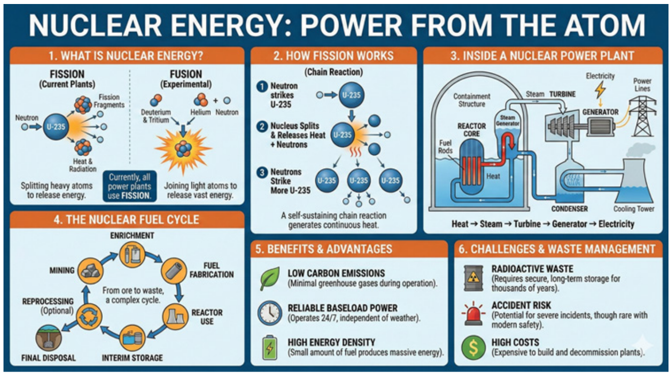

- **भारत में स्थिति:** वर्ष 2025 तक भारत की वर्तमान ऊर्जा क्षमता 8.18 GW है और वर्ष 2047 तक 100 GW का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में भारत 20 से अधिक परमाणु रिएक्टरों का संचालन करता है, जिन्हें भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) द्वारा प्रबंधित किया जाता है और दर्जनों नए परियोजनाओं की योजना बनाई गई है।

- न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को संघीय बजट 2025-26 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) के अनुसंधान और विकास (R&D) पर ध्यान केंद्रित करना है।

- **भारत का लक्ष्य वर्ष 2033** तक कम से कम पाँच स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किये गए और संचालित SMR विकसित करना है।

- नये तकनीकी विकासों में भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR), स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR), मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर और उच्च तापमान गैस-कूल्ड रिएक्टर शामिल हैं।

भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रमुख अवरोध क्या हैं?

- **परमाणु दायित्व संबंधी चिंताएँ:** सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट (CLND), 2010 की धारा 17(b) ऑपरेटर को परमाणु दुर्घटना के बाद आपूर्तिकर्त्ताओं के खिलाफ 'राइट ऑफ रिकॉर्स' देती है, जबकि CSC प्रणाली में दायित्व केवल ऑपरेटर पर होता है।

- यह संभावित आपूर्तिकर्त्ता दायित्व बीमा लागत बढ़ाता है और निजी क्षेत्र की भागीदारी को वित्तीय रूप से जोखिमपूर्ण बनाता है।

- **वित्तपोषण और लागत संबंधी चुनौतियाँ :** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के अनुसार, भारत में प्रेशराइज़्ड हेवी वाटर (PHW) परमाणु संयंत्र की पूंजी लागत वर्ष 2026–27 तक लगभग प्रति मेगावाट (MW) ₹14 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है।

- इसके कम-कार्बन प्रोफाइल के बावजूद, परमाणु ऊर्जा को 'नवीकरणीय' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिससे यह कर प्रोत्साहन और ग्रीन फाइनेंसिंग के लिये अयोग्य है, जो इसकी वित्तीय चुनौतियों को और बढ़ा देता है।

- **अस्पष्ट स्वामित्व और राजस्व मॉडल :** परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 ने ऐतिहासिक रूप से निजी कंपनियों को रिएक्टर का सह-स्वामित्व या संचालन करने या परमाणु-जनित विद्युत बेचने से रोक रखा है, जिससे उनके योगदान को लेकर बड़ी अनिश्चितता उत्पन्न हुई है तथा इस क्षेत्र में निजी भागीदारी को हतोत्साहित किया गया है।

- **ईंधन आपूर्ति और प्रसंस्करण प्रतिबंध :** घरेलू यूरेनियम भंडार (लगभग 76,000 टन) 30 वर्षों तक लगभग 10,000 MW क्षमता का ईंधन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भविष्य की आवश्यकता का केवल 25% पूरा कर सकते हैं, जिससे आयात अनिवार्य हो जाता है।

- कानूनी प्रतिबंधों के कारण निजी कंपनियाँ यूरेनियम का खनन, आयात या प्रसंस्करण नहीं कर सकतीं, जिससे वे किसी मुख्य परियोजना इनपुट पर नियंत्रण नहीं रख सकतीं। चूँकि भारत कज़ाखस्तान, कनाडा और उज़्बेकिस्तान से दीर्घकालिक यूरेनियम अनुबंधों पर काफी निर्भर है, इसलिये यदि निजी कंपनियाँ इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो उन्हें दीर्घकालिक ईंधन सुरक्षा में अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है।

- **विनियामक और सुरक्षा संबंधी प्रतिबंध:** परमाणु प्रतिष्ठानों पर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) और परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत कठोर सुरक्षा तथा निरीक्षण मानक लागू होते हैं। निजी कंपनियों को विद्युत, कोयला या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक अनुपालन बोझ का सामना करना पड़ सकता है।

भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने हेतु कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं?

विधायी सुधार:

- परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी भागीदारी को अनुमति देने के लिये भारत को परमाणु ऊर्जा अधिनियम (1962) में संशोधन करने और स्पष्ट स्वामित्व मॉडल स्थापित करने की आवश्यकता है।

- आपूर्तिकर्त्ता की देयता को सीमित करने और निवेशक के विश्वास को बढ़ाने हेतु परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम (CLNDA), 2010 में संशोधन और इसे पूरक क्षतिपूर्ति अभिसमय (CSC, 1997) के साथ संरेखित करना चाहिये।

- सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 को पेश करने की तैयारी कर रही है, जो इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

स्पष्ट PPP मॉडल विकसित करना :

निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये सह-स्वामित्व, टैरिफ, जोखिम-साझाकरण तथा दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौतों (PPA) के लिये पारदर्शी ढाँचे स्थापित करना।

ईंधन सुरक्षा :

कनाडा, कज़ाखस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से दीर्घ-कालिक यूरेनियम आपूर्ति सुरक्षित करके ईंधन सुरक्षा को मज़बूत करना, साथ ही भाविनी (BHAVINI) के PFBR (प्रो-टोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर) जैसे थोरियम रिएक्टरों पर अनुसंधान एवं विकास (R&D) में तेज़ी लाना। इसके साथ ही महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के स्थानीयकरण के लिये स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनाना तथा परमाणु औद्योगिक पार्क विकसित करना।

परियोजना निष्पादन में तेज़ी लाना :

कुडनकुलम जैसी परियोजनाओं में देखी गई देरी से बचने के लिये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC)-आधारित अनुबंधों को अपनाना, खरीद प्रणालियों में सुधार करना तथा निजी EPC फर्मों को शामिल करना।

निष्कर्ष:

भारत के परमाणु क्षेत्र को निजी अभिकर्त्ताओं के लिये खोलना इसके स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य को बदल सकता है, लेकिन इसकी सफलता देयता संबंधी मुद्दों को हल करने, स्वामित्व संरचनाओं को स्पष्ट करने और नियामक ढाँचे को मज़बूत करने पर निर्भर करेगी। परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 एक बड़ा कदम है, लेकिन इस क्षेत्र का भविष्य इस बात पर टिका होगा कि नीति सुरक्षा, निवेश और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित करती है। लेकिन इस क्षेत्र का भविष्य इस बात पर टिका होगा कि नीति सुरक्षा, निवेश और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित करती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में, क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर 'आई.ए.ई.ए. सुरक्षा उपायों' के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020)

(a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का

(b) कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का

(c) कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा

(d) कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत के परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी को सक्षम करने के लिये, साथ ही सुरक्षा और दायित्व (Safety and Liability) की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, विधायी सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये। (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

क्वांटम भारत 2047 : उभरती क्वांटम अर्थव्यवस्था

परिचय :

- विश्व की उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में क्वांटम प्रौद्योगिकी एक क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है, जो पारंपरिक कंप्यूटिंग की सीमाओं को पार कर नई संभावनाएं खोल रही है। भारत, जो वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब क्वांटम अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत स्थिति बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है।
- नीति आयोग (NITI Aayog) और आईबीएम (IBM) ने संयुक्त रूप से एक रोडमैप जारी किया है, जिसका शीर्षक है "भारत को क्वांटम-संचालित अग्रणी अर्थव्यवस्था में रूपांतरण (Transforming India into a leading Quantum-Powered Economy)"
- इस रोडमैप का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को विश्व की शीर्ष तीन क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है। यह दस्तावेज एक मजबूत क्वांटम पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) विकसित करने, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने, रणनीतिक प्रतिभा निर्माण और नवाचार अभियानों के माध्यम से भारत को वैश्विक क्वांटम बाजार में प्रमुख स्थान दिलाने पर केंद्रित है।
- यह रोडमैप भारत में स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम को विकसित करने और वैश्विक क्वांटम बाजार में बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके लक्ष्यों में शामिल है कम से कम 10 वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्वांटम स्टार्टअप्स का विकास, जहां प्रत्येक स्टार्टअप का राजस्व 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो, तथा 2035 तक वैश्विक क्वांटम सॉफ्टवेयर

एवं सर्विसेज बाजार में 50% से अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करना। यह पहल भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' अभियानों से जुड़ी हुई है, जहां नीतिगत ढांचे, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर चर्चा होती है।

भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति :

- भारत क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, हालांकि अभी वैश्विक नेताओं जैसे अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ से पीछे है। रोडमैप के अनुसार, भारत में क्वांटम-संबंधित क्षेत्रों (जैसे भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग) में स्नातक विद्यार्थियों की संख्या लगभग 91,000 है, जो विश्व में दूसरे स्थान पर है।
- केवल यूरोपीय संघ (EU) ही भारत से आगे है। यह बड़ी संख्या भारत की प्रतिभा पूल को दर्शाती है, जो क्वांटम विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।
- राज्य स्तर पर भी सक्रियता दिखाई दे रही है। विभिन्न राज्य अपने क्वांटम इकोसिस्टम विकसित करने में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, कर्नाटक ने क्वांटम रिसर्च पार्क (QuRP) स्थापित किया है, जो अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है।
- आंध्र प्रदेश ने हाल ही में अमरावती क्वांटम वैली (AQV) लॉन्च की है, जो क्वांटम प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को आकर्षित करने का केंद्र बनेगी। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission) जैसी पहलें पहले से ही चल रही हैं,
- जो 2023 में शुरू हुई और क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार तथा सेंसिंग पर फोकस करती है। हालांकि, चुनौतियां जैसे अपर्याप्त निवेश, बुनियादी ढांचे की कमी और वैश्विक मानकों से पिछड़ना अभी बनी हुई हैं। रोडमैप इन कमियों को दूर करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है।

रोडमैप की मुख्य सिफारिशें और रणनीतियां :

रोडमैप में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं, जो क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास को त्वरित गति प्रदान करेंगी। ये सिफारिशें कार्यबल निर्माण, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, बाजार प्रवेश और वैश्विक नेतृत्व पर आधारित हैं।

- **क्वांटम कार्यबल का विस्तार:** अगले 2-3 वर्षों में वैज्ञानिक, जटिल इंजीनियरिंग और उद्योग-उन्मुख कुशल पेशेवरों का कार्यबल तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और सरकार के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत की मौजूदा 91,000 स्नातकों की संख्या को आधार बनाकर, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्किल डेवलपमेंट योजनाएं शुरू की जाएंगी।
- **प्राथमिकता वाले अवसर क्षेत्र:** क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 3-5 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे सुरक्षित संचार (quantum communication), स्वास्थ्य देखभाल एवं फार्मा (drug discovery), क्रायोजेनिक्स (cryogenics for quantum hardware), वित्तीय सेवाएं (algorithmic trading) और लॉजिस्टिक्स (optimization problems)। इन क्षेत्रों में क्वांटम की क्षमता पारंपरिक तरीकों से कहीं अधिक तेज और सटीक समाधान प्रदान कर सकती है।
- **लैब से बाजार तक प्रौद्योगिकी का त्वरित हस्तांतरण :** अनुसंधान से प्रौद्योगिकी के प्रमाणीकरण (proof-of-concept) और बाजार प्रवेश की प्रक्रिया को दो वर्षों के भीतर सरल और तेज बनाने की सिफारिश की गई है। इसके लिए पेटेंट नीतियों में सुधार, फंडिंग मॉडल और इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना आवश्यक है।
- **वैश्विक मानक-निर्धारण में नेतृत्व :** भारत को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे ISO और IEEE में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और क्वांटम प्रौद्योगिकी से संबंधित वैश्विक मानकों का निर्माण करने में नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। इससे भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में आसानी से प्रवेश मिलेगा और निर्यात बढ़ेगा।
- **स्टार्टअप्स के लिए आकर्षक वातावरण :** भारतीयों द्वारा स्थापित डीप-टेक स्टार्टअप्स को भारत में ही पंजीकृत रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि 90% से अधिक स्टार्टअप्स विदेश पलायन न करें। इसके लिए कर छूट, निवेश प्रोत्साहन और बौद्धिक संपदा सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। लक्ष्य है 10 ऐसे स्टार्टअप्स का विकास जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हों और 2035 तक क्वांटम सॉफ्टवेयर बाजार में 50% हिस्सेदारी प्राप्त करें। ये सिफारिशें भारत की राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से जुड़ी हुई हैं और सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मॉडल पर आधारित हैं।

क्वांटम प्रौद्योगिकी : अवधारणा और महत्व

क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है, जो उप-परमाण्विक कणों (जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटॉन) की भौतिकी से संबंधित है। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट (दो कणों का आपसी जुड़ाव) और क्वांटम सुपर-पोजिशन (एक साथ कई अवस्थाओं में होना)। यह प्रौद्योगिकी चार प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत है:

- **क्वांटम कंप्यूटिंग:** जटिल गणनाओं को तेजी से हल करने के लिए, जैसे दवा खोज या जलवायु मॉडलिंग।
- **क्वांटम संचार:** सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए, जैसे क्वांटम कुंजी वितरण (QKD), जो हैकिंग से मुक्त है।
- **क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी:** अत्यधिक सटीक मापन के लिए, जैसे चिकित्सा इमेजिंग या नेविगेशन।

- **क्वांटम पदार्थ:** नए सामग्रियों का विकास, जैसे सुपरकंडक्टर।

- क्वांटम प्रौद्योगिकी का महत्व वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी है, क्योंकि यह AI, 5G/6G और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को बदल सकती है। वैश्विक क्वांटम बाजार 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, और भारत इसमें बड़ी हिस्सेदारी चाहता है।

चुनौतियां और सुझाव

रोडमैप की सफलता के बावजूद, चुनौतियां जैसे उच्च निवेश की आवश्यकता (क्वांटम हार्डवेयर महंगा है), प्रतिभा का पलायन (ब्रेन ड्रेन), और प्रौद्योगिकी की जटिलता बनी हुई हैं। सुझाव के रूप में, सरकार को बजट आवंटन बढ़ाना चाहिए (जैसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए 6,000 करोड़ रुपये से अधिक), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (जैसे अमेरिका और जापान के साथ) बढ़ाना चाहिए, और नैतिक मुद्दों (जैसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की गोपनीयता) पर ध्यान देना चाहिए।

निष्कर्ष :

- नीति आयोग और आईबीएम का रोडमैप भारत को क्वांटम अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेता बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाएगा।

- वर्ष 2047 तक भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर, यह रोडमैप 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने में सहायक होगा। हालांकि, सफलता के लिए निरंतर निवेश, नीतिगत सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। यह पहल भारत को प्रौद्योगिकी-आधारित सतत विकास की ओर ले जा रही है, जो वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण स्थापित करेगी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. नीति आयोग–आईबीएम द्वारा जारी भारत के क्वांटम रोडमैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को शीर्ष तीन वैश्विक क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है।
2. इसका लक्ष्य 2035 तक वैश्विक क्वांटम सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं के बाजार में 50% से अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करना है।
3. भारत में क्वांटम-संबंधित स्नातक विद्यार्थियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है।

सही कथन चुनिए:

(a) 1 और 2 केवल (b) 2 और 3 केवल

(c) 1 और 3 केवल (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. नीति आयोग और आईबीएम द्वारा जारी क्वांटम रोडमैप के उद्देश्यों और प्रमुख सिफारिशों की चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में भारत के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (Bio-economy of India)

परिचय :

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (Bioeconomy) एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो जैव-प्रौद्योगिकी, जीनोमिक्स, जैव-विनिर्माण और जैव-ऊर्जा जैसे तत्वों पर आधारित है। यह अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके चक्रीय जैव-संसाधनों को एकीकृत करती है, जो सतत विकास और नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों के अनुरूप है। वर्ष 2014 में मात्र 10 बिलियन डॉलर से शुरू होकर 2024 में यह 165.7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई है, तथा 2030 तक 300 बिलियन डॉलर और 2047 तक 1.2 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। यह

क्षेत्र भारत को वैश्विक जैव-प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन संरचनात्मक चुनौतियों के कारण नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

प्रमुख उपलब्धियाँ :

भारत ने जैव-अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो नीतिगत पहलों, अनुसंधान और नवाचार से संचालित है:

1. **घातीय विस्तार:** जैव-अर्थव्यवस्था का आकार 2014 के 10 बिलियन डॉलर से 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर हो गया है। यह वैश्विक औसत से तेज गति से बढ़ रही है, जिसमें जैव-फार्मा, जैव-ऊर्जा और जैव-कृषि का योगदान प्रमुख है।
2. **रणनीतिक नीति ढाँचा - BioE3 नीति:** कैबिनेट द्वारा अनुमोदित यह नीति उच्च-प्रदर्शन जैव-विनिर्माण पर केंद्रित है। यह बायो-फाउंड्रीज और बायो-एआई हब स्थापित करके रासायनिक प्रक्रियाओं को जैविक प्रक्रियाओं से प्रतिस्थापित करती है। छह विषयगत क्षेत्रों (जैसे स्मार्ट प्रोटीन, परिशुद्ध चिकित्सा) को लक्षित करके यह नेट-जीरो 2070 लक्ष्यों का समर्थन करती है।
3. **जीनोमिक सॉवरेनिटी:** जीनोम इंडिया परियोजना के तहत 10,000 व्यक्तियों का जीनोम अनुक्रमण पूरा किया गया, जिससे यूरो-केंद्रित पूर्वाग्रहों को दूर करके भारत-विशिष्ट प्रिसिजन मेडिसिन विकसित हुई।
4. **वैश्विक बायोफार्मा नेतृत्व:** भारत विश्व की फार्मेसी के रूप में उभरा है। साइटिवा इंडेक्स-2025 में शीर्ष 10 में शामिल, तथा सीरम इंस्टीट्यूट विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है (1.5 बिलियन से अधिक खुराक)। बायोसिमिलर और उच्च-मूल्य दवाओं में प्रगति से आयात निर्भरता कम हुई।
5. **जैव-ऊर्जा एकीकरण:** 2025 में E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य हासिल किया गया, जिससे ₹1.44 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचत और 244 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ। कृषि अपशिष्ट का उपयोग किसानों की आय बढ़ा रहा है।
6. **स्टार्टअप इकोसिस्टम:** बायोटेक स्टार्टअप्स 2014 के 50 से 2025 में 9,000 हो गए। BIRAC के समर्थन से 12 जैव-प्रौद्योगिकी पार्क और 95 इनक्यूबेटर स्थापित।
7. **कृषि जैव-प्रौद्योगिकी:** GM सरसों संकर DMH-11 से पैदावार में 25-30% वृद्धि की संभावना, जो जलवायु-सहिष्णु फसलों की दिशा में कदम है।

ये उपलब्धियाँ भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने में सहायक हैं।

संरचनात्मक चुनौतियाँ

जैव-अर्थव्यवस्था के विकास में कई बाधाएँ हैं:

1. **कम अनुसंधान निवेश:** GERD GDP का मात्र 0.64-0.7% है (वैश्विक औसत 1.8%)। निजी क्षेत्र की अनिच्छा से सरकारी अनुदान पर निर्भरता बढ़ी।
2. **विनियामक गतिरोध:** GM फसलों (जैसे DMH-11) पर न्यायिक देरी से निवेश रुका। Bt कपास ही एकमात्र व्यावसायिक GM फसल है।
3. **आपूर्ति शृंखला निर्भरता:** चिकित्सा उपकरणों का 70-80% और API का 70% आयात, मुख्यतः चीन से।
4. **वित्तपोषण में वैली ऑफ डेथ:** स्टार्टअप्स को व्यावसायीकरण चरण में पूँजी की कमी, जिससे IP विदेशों में बिकती है।
5. **अवसंरचना अभाव:** जैव-निर्माण सुविधाओं की कमी से स्केल-अप कठिन। वैश्विक मेडटेक बाजार में भारत का हिस्सा मात्र 1.5%।
6. **नवाचार-व्यावसायीकरण विसंगति:** अधिक शोध-पत्र लेकिन कम पेटेंट। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वें स्थान पर, लेकिन IP सृजन में पीछे।
7. **प्रतिभा असंतुलन:** स्नातकों में उभरते क्षेत्रों (जैसे AI-संचालित औषधि) में कौशल की कमी। ये चुनौतियाँ सतत विकास को बाधित करती हैं।

सतत एवं समावेशी विकास हेतु नीतिगत हस्तक्षेप

सतत जैव-अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेप आवश्यक हैं:

1. **बायो-फाउंड्रीज का नेटवर्क:** प्लग-एंड-प्ले सुविधाएँ स्थापित करके स्केल-अप को आसान बनाना, जो स्टार्टअप्स के लिए सुलभ हों।
2. **विनियामक सैंडबॉक्स:** सिंथेटिक जीव-विज्ञान के लिए सुविधाजनक ढाँचा, जो समय-सीमा कम करे और FDI आकर्षित करे।
3. **बायोटेक इनोवेशन बोर्ड:** स्टॉक एक्सचेंज पर विशेष बोर्ड, जो IP-आधारित सूचीबद्धता की अनुमति दे।
4. **कौशल विकास:** पाठ्यक्रम में बायो-एआई एकीकरण अनिवार्य, ताकि हाइब्रिड कार्यबल तैयार हो।
5. **घरेलू उत्पादन प्रोत्साहन:** PLI योजनाओं को KSM और बायोरिएक्टर तक विस्तारित करके आयात कम करना।
6. **प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यालय (TTO):** विश्वविद्यालयों में स्थापित करके शोध को उत्पादों में बदलना।
7. **जीनोमिक डेटा सॉवरेनिटी:** IBDC को वैश्विक साझेदारी मंच बनाकर प्रिसिजन मेडिसिन को बढ़ावा।

ये हस्तक्षेप समावेशी विकास सुनिश्चित करेंगे, जिसमें किसान, स्टार्टअप्स और छोटे उद्यम शामिल हों।

निष्कर्ष :

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था उपलब्धियों से समृद्ध है, लेकिन चुनौतियाँ इसे सीमित कर रही हैं। साहसिक नीतिगत सुधारों से यह क्षेत्र सतत, समावेशी और वैश्विक नेतृत्व वाला बन सकता है। BioE3 जैसे ढाँचे को मजबूत करके भारत 2047 तक 1.2 ट्रिलियन डॉलर की महाशक्ति बन सकता है, जो आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करेगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन-से कथन भारत की जैव-अर्थव्यवस्था / जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के संदर्भ में सही हैं?

1. BioE3 नीति का उद्देश्य पारंपरिक रासायनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं को उच्च-प्रदर्शन जैव-विनिर्माण से प्रतिस्थापित करना है।
2. जीनोम इंडिया परियोजना के अंतर्गत भारत ने अपने विविध जातीय समूहों के पूर्ण जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से जीनोमिक संप्रभुता की दिशा में कदम बढ़ाया है।
3. भारत ने वर्ष 2025 में 20% इथेनॉल मिश्रण (E20) लक्ष्य को मूल समय-सीमा से पहले प्राप्त किया है।
4. भारत में Bt कपास के अतिरिक्त अब तक कोई भी आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल व्यावसायिक रूप से स्वीकृत नहीं है।

सही कूट चुनिए:

(a) 1, 2 और 3 ही (b) 2 और 4 ही

(c) 1, 2, 3 और 4 (d) 1 और 3 ही

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत की जैव-अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस संदर्भ में भारत की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, जैव-अर्थव्यवस्था के सतत एवं समावेशी विकास में विद्यमान संरचनात्मक चुनौतियों की चर्चा करते हुए उपयुक्त नीतिगत उपाय सुझाइए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

शांति विधेयक (SHANTI BILL 2025) : भारत की परमाणु ऊर्जा क्रांति

परिचय :

- 13 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI)" विधेयक को मंजूरी दी। यह विधेयक भारत की ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है।
- वर्तमान में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 7.48 गीगावाट है, जो कुल बिजली उत्पादन का मात्र 2-3% है।
- शांति विधेयक का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट की क्षमता हासिल करना है, जो भारत को स्वच्छ और सतत ऊर्जा स्रोतों की ओर ले जाएगा। यह विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और अन्य संबंधित कानूनों को एकीकृत कर एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करेगा।

पृष्ठभूमि :

भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) की स्थापना से शुरू हुआ। 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम ने इस क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण में रखा, जहां परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) का एकाधि-कार रहा। हालांकि, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु परिवर्तन

और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनिवार्य बना दिया। 2010 के सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट (CLNDA) ने दुर्घटना दायित्व को परिभाषित किया, लेकिन निजी निवेशकों के लिए चुनौतियां बनी रहीं। शांति विधेयक इसी पृष्ठभूमि में आया है, जो नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों (2050 तक) और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा।

शांति विधेयक की प्रमुख विशेषताएं :

सेक्टर	संभावित लाभार्थी कंपनियां	कारण
इंजीनियरिंग व EPC	L&T, BHEL	न्यूक्लियर प्लांट्स के निर्माण और टर्बाइन/बॉयलर सप्लाई में बड़ी भूमिका
पावर सेक्टर	NTPC, Adani Power, Tata Power	न्यूक्लियर पावर जेनरेशन में एंट्री का मौका
मेटल्स व मटेरियल्स	Hindustan Copper, Mishra Dhatu Nigam (MIDHANI)	न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए स्पेशल मटेरियल्स और अलॉय सप्लाई
फ्यूल सप्लाई	Uranium Corporation of India (सरकारी), लेकिन निजी JV भी संभव	यूरेनियम और अन्य फ्यूल सप्लाई
टेक्नोलॉजी पार्टनर्स	Reliance, Adani, विदेशी JV	ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ साझेदारी

शांति विधेयक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को अधिक समावेशी और नवोन्मेषी बनाने पर केंद्रित है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** विधेयक परमाणु ऊर्जा की पूरी वैल्यू चेन—खनन, ईंधन उत्पादन, रिएक्टर निर्माण, संचालन और अपशिष्ट प्रबंधन—में निजी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति देता है। इससे DAE का एकाधिकार समाप्त होगा, लेकिन विनियमन DAE और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) के अधीन रहेगा।
- **एकीकृत कानूनी ढांचा:** वर्तमान कानूनों जैसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962; CLNDA, 2010; और अन्य संबंधित नियमों को एक ही अधिनियम में समाहित किया जाएगा। इससे विनियामकीय अस्पष्टता दूर होगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
- **सुरक्षा और पर्यावरण मानक:** विधेयक में सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के मानकों का पालन और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अनिवार्य किया गया है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) जैसी नई तकनीकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- **निवेश प्रोत्साहन:** कर छूट, सब्सिडी और विजिबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) जैसे प्रावधान शामिल हैं, जो दीर्घकालिक परियोजनाओं को आकर्षक बनाएंगे।

महत्व और लाभ

शांति विधेयक भारत की ऊर्जा परिदृश्य को बदल सकता है। इसके प्रमुख लाभ निम्न हैं:

- **आर्थिक विकास:** निजी निवेश से लाखों रोजगार सृजित होंगे और जीडीपी में योगदान बढ़ेगा। वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता से ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
- **प्रौद्योगिकी नवाचार:** निजी क्षेत्र SMRs, थोरियम-आधारित रिएक्टर और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों को अपनाएगा, जो भारत को वैश्विक परमाणु बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएगा।
- **ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण:** परमाणु ऊर्जा स्वच्छ है, जो कोयला-आधारित बिजली से उत्सर्जन कम करेगी। यह भारत के पेरिस समझौते के प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा और ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाएगा।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** घरेलू उत्पादन से ईंधन आयात पर निर्भरता कम होगी, जो भू-राजनीतिक जोखिमों से बचाव करेगा।

चुनौतियां और जोखिम :

विधेयक के बावजूद कई चुनौतियां हैं:

- **सुरक्षा और दायित्व:** CLNDA के तहत दायित्व सीमा (1500 करोड़ रुपये) निजी निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है। फुकुशिमा जैसी दुर्घटनाओं का डर बना रहता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** संवेदनशील तकनीकों का निजीकरण अप्रसार (non-proliferation) जोखिम बढ़ा सकता है। कड़ी निगरानी और ट्रेसेबिलिटी आवश्यक है।
- **परियोजना विलंब:** परमाणु संयंत्रों की लंबी अवधि (7-10 वर्ष) और उच्च लागत निवेशकों को दूर रख सकती है। स्थानीय विरोध और भूमि अधिग्रहण मुद्दे भी बाधा बन सकते हैं।
- **मानव संसाधन:** कुशल जनशक्ति की कमी और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

आगे की राह :

शांति विधेयक को सफल बनाने के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए:

- **विनियामकीय सुधार:** AERB को स्वतंत्र और मजबूत बनाना, IAEA के साथ सहयोग बढ़ाना।
- **निवेश प्रोत्साहन:** पीपीपी मॉडल, जोखिम-साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी (जैसे US-India सिविल न्यूक्लियर डील) को मजबूत करना।
- **जन जागरूकता:** परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा और लाभों पर अभियान चलाना ताकि स्थानीय विरोध कम हो।

- **अनुसंधान फोकस:** थोरियम-आधारित तकनीक पर निवेश, जो भारत के थोरियम भंडार का उपयोग करे।

निष्कर्ष :

- शांति विधेयक 2025 भारत को परमाणु ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर और सतत विकास की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है।
- यह न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में भी योगदान देगा।
- हालांकि, सुरक्षा और विनियामकीय चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। यह विधेयक ऊर्जा नीति, पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन-सा विधेयक भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है?

(a) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962

(b) सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010

(c) शांति विधेयक, 2025

(d) राष्ट्रीय ऊर्जा नीति, 2017

उत्तर: (c) शांति विधेयक, 2025

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. शांति विधेयक 2025 के संदर्भ में भारत में परमाणु ऊर्जा विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व, चुनौतियों और आगे की राह पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

भारत की अंतरिक्ष क्रांति : LVM - 3 मिशन और निजी क्षेत्र की भागीदारी से नया युग

परिचय :

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हाल ही में एलवीएम3-एम6 मिशन के माध्यम से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें लगभग 6,100 किलोग्राम के ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह को निम्न पृथ्वी कक्षा (एलईओ) में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह इसरो द्वारा अब तक का सबसे भारी पेलोड है, जो भारत की भारी-भार उठाने की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। यह उपलब्धि न केवल तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस लेख में हम इसरो की हालिया उपलब्धियों का विश्लेषण करेंगे, साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

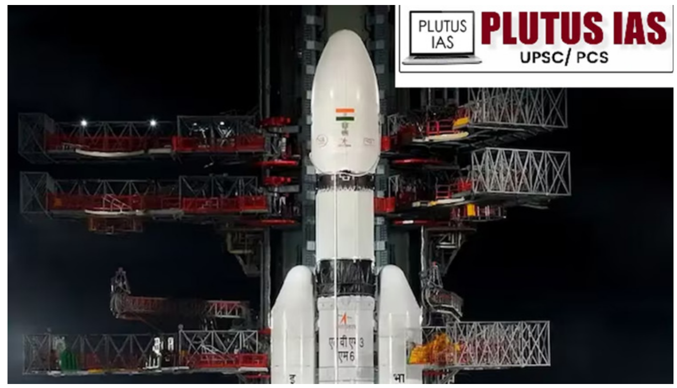

एलवीएम 3-एम6 मिशन : रिकॉर्ड तोड़ पेलोड और तकनीकी छलांग

एलवीएम3 (पूर्व में जीएसएलवी मार्क-III) इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है, जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है। इस मिशन में, अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेसमोबाइल के ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। यह उपग्रह एलईओ में स्थापित होकर डायरेक्ट-टू-मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसमें 4जी/5जी सेवाएं शामिल हैं। यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि:

- **भारी-लिफ्ट क्षमता में प्रवेश :** एलवीएम3 की पेलोड क्षमता एलईओ में लगभग 8-10 टन है, जो भारत को अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देशों के साथ हेवी-लिफ्ट क्लब में शामिल करती है।
- **मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी:** यह मिशन गगनयान कार्यक्रम के लिए एलवीएम3 की विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है, जहां क्रू मॉड्यूल को लॉन्च किया जाएगा।
- **उन्नत मिशनों का आधार :** बड़े उपग्रहों, अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूलों और गहन अंतरिक्ष अभियानों के लिए यह क्षमता विदेशी निर्भरता को कम करेगी।
- **रणनीतिक महत्व :** बढ़ी हुई क्षमता राष्ट्रीय सुरक्षा, संचार और निगरानी में योगदान देगी, जैसे कि नवआईसी सिस्टम।
- **आर्थिक लाभ :** न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के माध्यम से व्यावसायिक लॉन्च से विदेशी मुद्रा प्राप्ति

होगी, क्योंकि भारतीय लॉन्च 30-40% सस्ते हैं।वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 450 अरब डॉलर की है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% है, लेकिन 2030 तक इसे 40-50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। एनएसआईएल इसरो की व्यावसायिक शाखा के रूप में विदेशी उपग्रह लॉन्च और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार और निजी क्षेत्र की भागीदारी :

2020 के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं:

- **आईएन-स्पेस का गठन:** यह नियामक और सुविधादाता के रूप में कार्य करता है, जो निजी कंपनियों को प्रक्षेपण, उपग्रह और डेटा सेवाओं में प्रवेश की अनुमति देता है।
- **पीएसएलवी उत्पादन का हस्तांतरण:** उद्योग संघों (जैसे एचएएल, एल एंड टी, गोदरेज एयरोस्पेस) को 50% उत्पादन सौंपा जाएगा, जिससे इसरो की भूमिका निर्माता से प्रौद्योगिकी वास्तुकार में बदल रही है।
- **निजी भागीदारी का प्रभाव:** यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, साथ ही स्टार्टअप्स और एमएसएमई को प्रोत्साहित करेगा।ये सुधार इसरो के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को पूरा करते हैं, जहां फोकस कम लागत वाले लॉन्च से रणनीतिक मिशनों पर स्थानांतरित हो रहा है।
- **गगनयान कार्यक्रम:** मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में प्रगति गगनयान मिशन का उद्देश्य तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए एलईओ (400 किमी) में भेजना है। कुल लागत 90,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

प्रगति में शामिल हैं:

- क्रू एस्केप सिस्टम के सफल परीक्षण।
- पर्यावरण नियंत्रण एवं जीवन समर्थन प्रणाली (ईसीएलएसएस) का विकास।
- अंतरिक्ष यात्रियों का भारत और रूस में प्रशिक्षण।
- व्योममित्रा रोबोट के साथ मानवरहित परीक्षण। यह मिशन भारत को रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बनाएगा जो स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता रखता है। इसके लाभ पदार्थ विज्ञान, चिकित्सा और एआई में होंगे।

रणनीतिक और सुरक्षा आयाम :

अंतरिक्ष अब युद्ध का चौथा आयाम है। उपग्रह सुरक्षित संचार, नवआईसी नेविगेशन और आईएसआर (खुफिया, निगरानी, टोही) में महत्वपूर्ण हैं। दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियां नागरिक और रक्षा दोनों जरूरतों को पूरा करती हैं। वैश्विक संदर्भ में, अमेरिका, चीन और रूस के सैन्यीकरण के बीच भारत का दृष्टिकोण रक्षात्मक और नियम-आधारित है।

वैज्ञानिक और विकासात्मक अनुप्रयोग

इसरो की प्रौद्योगिकियां विकास में योगदान देती हैं:

- **आपदा प्रबंधन:** चक्रवात ट्रैकिंग, बाढ़ मानचित्रण, जंगल की आग का पता लगाना।
- **कृषि:** फसल स्वास्थ्य मूल्यांकन, सूखा आकलन।
- **शहरी नियोजन:** भूमि उपयोग विश्लेषण, संसाधन प्रबंधन।
- **जलवायु परिवर्तन:** कार्बन निगरानी, ग्लेशियर पीछे हटना, मानसून पूर्वानुमान।

ये अनुप्रयोग जान-माल की रक्षा और टिकाऊ विकास में सहायक हैं।

चुनौतियां :

- अंतरिक्ष मलबे का प्रबंधन और केसलर सिंड्रोम का खतरा।
- दीर्घकालिक वित्तपोषण की स्थिरता।
- मानव मिशनों में सुरक्षा।
- व्यापक अंतरिक्ष अधिनियम का अभाव।
- समाधान में अंतरिक्ष शासन को मजबूत करना, एसएसए में निवेश, सार्वजनिक-निजी सहयोग और हरित प्रणोदन शामिल हैं।

निष्कर्ष :

इसरो की उपलब्धियां भारत को विकासशील एजेंसी से अंतरिक्ष शक्ति बनाने की दिशा में ले जा रही हैं। भारी-लिफ्ट क्षमता, व्यावसायिक विस्तार और गगनयान जैसे कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव बढ़ाते हैं। अब फोकस सतत विकास, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग पर होना चाहिए, जो भारत को 21वीं सदी की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गगनयान कार्यक्रम के बारे में सही है?

(a) इसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना है।

(b) इसमें व्योममित्रा नामक मानवयुक्त रोबोट का उपयोग किया जाएगा।

(c) कुल लागत 50,000 करोड़ रुपये है।

(d) यह भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाला पांचवां देश बनाएगा।

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. इसरो की एलवीएम3 मिशन और गगनयान कार्यक्रम जैसी उपलब्धियां भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को कैसे मजबूत करती हैं? साथ ही, अंतरिक्ष मलबे प्रबंधन और निजी क्षेत्र भागीदारी से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में)

भारत की पर्यावरणीय शासन-व्यवस्था

परिचय :

भारत की विकास यात्रा आर्थिक वृद्धि, अवसंरचना विस्तार और औद्योगिक उत्पादन पर आधारित रही है। किंतु इसके समानांतर, पर्यावरणीय शासन-तंत्र में नीतिगत कमजोरियाँ, संस्थागत विफलताएँ और विनियामक ढील ने पारिस्थितिक असंतुलन को तीव्र किया है। बदलते जलवायु जोखिम, हिमनद झील फटने की घटनाएँ, विषाक्त वायु प्रदूषण, जल-अभाव, जैवविविधता ह्रास और विरासत अपशिष्ट—ये सभी संकेत हैं कि भारत को एक निर्णायक नीतिगत सुधार की आवश्यकता है।

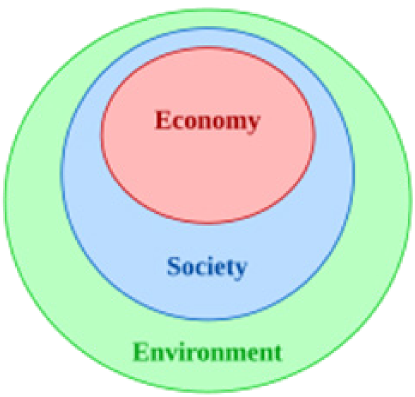

1. भारत के पर्यावरणीय विनियमन-तंत्र की प्रमुख कमियाँ

(1) नीतिगत शिथिलता और नियमों का कमजोर प्रवर्तन

- कई प्रकार के पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण (EC/FC) पोस्ट-फैक्टो तरीके से जारी किए जाते हैं, जिससे जवाबदेही घटती है।
- वन संरक्षण अधिनियम में संशोधनों से सुरक्षा कवच कमजोर हुआ और वनों को विकास परियोजनाओं हेतु अधिक आसानी से उपलब्ध कराया गया।
- खनन जैसे क्षेत्रों में मानकों का उल्लंघन, अरावली पर्वतमाला का क्षरण इसका उदाहरण है।

(2) संस्थागत क्षमता और वित्तीय कमी

- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB/SPCBs) तकनीकी और मानव संसाधन की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं।
- पर्यावरण मंत्रालय का कुल बजट, जलवायु जोखिम के अनुपात में अत्यंत कम है।

(3) पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) की खामियाँ

- EIA रिपोर्टों में डेटा-हेरफेर, कॉपी-पेस्ट और कम वैज्ञानिक गुणवत्ता अक्सर उजागर होती है।
- स्थानीय समुदायों की भागीदारी सीमित है, जिससे लोकतांत्रिक पर्यावरण शासन कमजोर होता है।

(4) शहरों में पारिस्थितिक ढाँचों की अनदेखी

- शहरी मास्टर प्लान कंक्रीटीकरण पर आधारित रहते हैं, "स्पंज सिटी", ब्लू-ग्रीन नेटवर्क, पारगम्य सतहों को प्राथमिकता नहीं दी जाती।
- परिणामस्वरूप बाढ़, शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव और जल पुनर्भरण में कमी बढ़ती है।

(5) जल और वायु प्रदूषण प्रबंधन में संरचनात्मक समस्याएँ

- उत्तरी भारत में 'बाउल इफेक्ट' के कारण वायु प्रदूषण दीर्घकालिक स्वास्थ्य संकट बन गया है, परंतु उत्सर्जन नियंत्रण को वैज्ञानिक आधार पर लागू नहीं किया जाता। भूजल दोहन पुनर्भरण से कहीं अधिक है, और राज्यों में जल शासन खंडित तथा असमन्वित है।

(6) 'हरित बनाम हरित' संघर्ष

- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ (सौर पार्क, ट्रांसमिशन लाइनों) जैवविविधता हानि का कारण बन रही हैं।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) का तेजी से घटता आवास इसका प्रमुख उदाहरण है।

(7) अपशिष्ट प्रबंधन की प्रणालीगत विफलता

- देश में प्रतिदिन 1.5 लाख टन MSW उत्पन्न होता है, परंतु 30% से कम का वैज्ञानिक निपटान होता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- माइक्रोप्लास्टिक और विरासत अपशिष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा रहे हैं।

2. पर्यावरणीय शासन को सुदृढ़ करने के लिये उपयुक्त उपाय

(1) नीतिगत एवं नियामक सुधार

- EIA ढाँचे को डेटा-सुदृढ़, पारदर्शी और वास्तविक जन-सहभागी बनाया जाए।
- पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया में पूर्व-आकलन, पर्यावरणीय लेखा और कठोर ऑडिट अनिवार्य हों।
- 'ग्रीन टैक्सोनॉमी' लागू कर यह स्पष्ट किया जाए कि कौन सी परियोजना वास्तव में पर्यावरण-सकारात्मक है।

(2) संस्थागत क्षमता निर्माण

- CPCB/SPCBs को आधुनिक तकनीक, रियल-टाइम मॉनिटरिंग, GIS-आधारित निरीक्षण से सशक्त किया जाए।
- पर्यावरण जांच एजेंसियों में विशेषज्ञता बढ़ाने हेतु पर्यावरण कैडर का गठन किया जाए।

(3) शहरी जलवायु समुत्थानशीलता

- मास्टर प्लान में स्पंज सिटी मॉडल, ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी वन, नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस (NbS) को अनिवार्य करें।
- वर्षा जल संचयन, आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन और छत-हरियाली को नीति समर्थन दिया जाए।

(4) जल शासकीय सुधार

- भूजल निष्कर्षण पर "असली" पानी की कीमत और कृषि सब्सिडी सुधार।
- जलभृत पुनर्भरण को स्थानीय निकायों के प्रदर्शन संकेतक (KPIs) में शामिल किया जाए।
- नदी बेसिन-आधारित जल प्रबंधन लागू किया जाए।

(5) स्वच्छ ऊर्जा व जैव-अर्थव्यवस्था का विस्तार

- विकेन्द्रीकृत माइक्रो-ग्रिड, रूफटॉप सोलर और समुदाय आधारित ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा।
- कृषि में चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था—पराली से CBG, जैवखाद—को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाए।

(6) जैवविविधता और प्राकृतिक पूँजी का संरक्षण

- 'नो-गो' इकोलॉजिकल ज़ोन्स का वैज्ञानिक निर्धारण कर विकास गतिविधियों को सीमित किया जाए।
- तटीय क्षेत्र प्रबंधन में लिविंग शोरलाइन्स, मैंग्रोव बहाली, प्रवाल-पुनर्जीवन को प्राथमिकता दी जाए।

(7) जलवायु-समुत्थानशील अवसंरचना

- सभी बड़ी परियोजनाओं के लिये अनिवार्य जलवायु जोखिम आकलन (CRA)।
- 50-वर्षीय बाढ़ रेखा, गर्म रातों और ताप तनाव को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन मानक विकसित हों।

(8) अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार

- डिजिटल विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) को कड़ाई से लागू किया जाए।
- शहरी खनन (Urban Mining) को प्रोत्साहन देकर लिथियम, कोबाल्ट जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष :

- भारत को आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के झूठे द्वंद्व से आगे बढ़कर समन्वित, विज्ञान-आधारित और संस्थागत रूप से सुदृढ़ पर्यावरणीय शासन अपनाने की आवश्यकता है।
- मजबूत विनियमन, समुदाय-आधारित संरक्षण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, जलवायु-समुत्थानशील अवसंरचना तथा जैव विविधता-सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम भारत को उपभोग-प्रधान मॉडल से पुनर्योजी एवं सतत विकास मॉडल की ओर ले जा सकते हैं।
- यह न केवल SDG लक्ष्यों (6, 7, 11, 13, 14, 15) को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत को 21वीं सदी के जलवायु संकटों के प्रति अधिक तैयार, सक्षम और प्रतिस्पर्धी भी बनाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके/किनके लिये विधितः अधिदेशात्मक है? (2017)

1. सेवा प्रदाता
2. डेटा सेंटर
3. कॉर्पोरेट निकाय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत की पर्यावरणीय शासन-व्यवस्था आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पारिस्थितिक संधारणीयता सुनिश्चित करने की समानांतर चुनौती का सामना कर रही है। भारत के पर्यावरणीय विनियमन-तंत्र में मौजूद प्रमुख कमियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा सतत विकास के लिये पर्यावरणीय शासन को सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइये।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत में सौर ऊर्जा की प्रगति : स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व की ओर भारत

भूमिका :

मुख्य बातें

- भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2014 के 3 जीडब्ल्यू से बढ़कर 2025 में 129 जीडब्ल्यू हो गई।
- गैर-जीवाश्म (फॉसिल) ऊर्जा भारत की कुल मौजूदा 500 जीडब्ल्यू क्षमता की 50% से ज्यादा हो गई।
- पीएम सूर्य घर के तहत दिसंबर 2025 तक लगभग 24 लाख घरों ने रूफटॉप सोलर अपनाया है, जिसकी स्थापित क्षमता 7 जीडब्ल्यू स्वच्छ ऊर्जा है और ₹13,464.6 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई है।
- पीएम-कुसुम ने भाग बी के तहत लगभग 9.2 लाख स्टैंडअलोन सौर पंप की सुविधा दी, जिससे खेती में स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा।
- 31 अक्टूबर 2025 तक, 13 भारतीय राज्यों में 40 जीडब्ल्यू की कुल स्वीकृत क्षमता वाले 55 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है।

पिछले एक दशक में भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। 2014 में जहाँ भारत की सौर स्थापित क्षमता मात्र 3 जीडब्ल्यू थी, वहीं 2025 तक यह बढ़कर लगभग 129 जीडब्ल्यू हो गई है। इसके साथ ही भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो चुकी है। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) में अग्रणी देशों की श्रेणी में स्थापित करती है।

सौर ऊर्जा में तीव्र विस्तार

- भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 40 गुना वृद्धि ने न केवल ऊर्जा मिश्रण को हरित बनाया है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को भी मजबूत किया है। सौर ऊर्जा अब भारत की नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन चुकी है, जिसने पवन, जलविद्युत और बायोमास को पीछे छोड़ दिया है।
- **आईआरईएनए (IRENA) 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत :** सौर ऊर्जा क्षमता में विश्व में तीसरे स्थान पर हैपवन ऊर्जा में चौथा, और कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है।

आईएसए की 8वीं असेंबली - खास बातें

- अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस (आईएसए) की 8वीं असेंबली 27 से 30 अक्टूबर, 2025 तक नई दिल्ली में हुई।
- भारत की अध्यक्षता में 125+ मेंबर और हस्ताक्षर देशों के 550 से ज्यादा प्रतिनिधि और 30+ मंत्री शामिल हुए।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस बात पर जोर दिया कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली उत्पादन के बारे में नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण और समावेशी विकास के बारे में है।
- समावेशी एजेंडा लॉन्च किया गया ताकि यह पक्का हो सके कि सौर क्रांति में कोई भी महिला, कोई भी किसान, कोई भी गांव और कोई भी छोटा आइलैंड "पीछे न छूटे"।
- "वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड" विजन को मजबूत करना, साथ ही रोजगार सृजन, ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन को सफलता के मेट्रिक्स के तौर पर जोर देना।
- **चार रणनीतिक स्तंभ तय किए गए:** कैटेलिटिक फाइनेंस हब, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और डिजिटाइजेशन, रीजनल और कंट्री एंगेजमेंट और टेक्नोलॉजी रोडमैप और पॉलिसी।

नीति समर्थन और प्रमुख सरकारी पहलें

1. पंचामृत फ्रेमवर्क के पांच मुख्य हिस्से इस प्रकार हैं:

- 2030 तक 500जीडब्ल्यू गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित स्थापित बिजली क्षमता– इसमें सौर, पवन, बायोमास, पनबिजली और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं, इस लक्ष्य का मकसद भारत के बिजली मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा काफी बढ़ाना है।
- 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोत से स्थापिच बिजली क्षता का 50% हिस्सा – ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने

और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए तैयार किया गया है।

- **2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी –** यह स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर क्षक्षता उपायों के जरिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
- **2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता (इंटेंसिटी) में 45% की कमी (2005 के लेवल की तुलना में) –** ऊर्जा दक्षती, निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकी और सतत औद्योगिक अभ्यासों को बढ़ावा देना।
- **2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन –** एक लंबे समय का लक्ष्य जिसका मकसद उत्सर्जन को कार्बन हटाने के साथ संतुलित करना है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

2. पीएम सूर्य घर योजना

- 2024 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर से जोड़ना है।
- **दिसंबर 2025 तक:** लगभग 24 लाख घर कवर, 7 जीडब्ल्यू स्वच्छ ऊर्जा स्थापित ₹13,464 करोड़ से अधिक की सब्सिडी जारी
- यह योजना विकेंद्रीकृत ऊर्जा, उपभोक्ता सशक्तिकरण और कार्बन उत्सर्जन में कमी का प्रभावी साधन है।

3. पीएम-कुसुम योजना

- यह योजना किसानों को 'ऊर्जा उपभोक्ता' से 'ऊर्जा उत्पादक' बनाने की दिशा में अहम है।
- 9 लाख से अधिक स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित
- ग्रिड-कनेक्टेड पंपों का सोलराइजेशन
- ग्रामीण भारत में स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4. सोलर पीवी हेतु पीएलआई योजना : ₹24,000 करोड़ की इस योजना का उद्देश्य:

- घरेलू सोलर पीवी विनिर्माण को बढ़ावा
- आयात निर्भरता कम करना
- **गीगावॉट** - स्तरीय उत्पादन क्षमता विकसित करना
- अब तक इस योजना से:₹50,000 करोड़ से अधिक निवेश , 40,000+ रोजगार का सृजन हुआ है।

5. सौर पार्क और बड़े पैमाने की परियोजनाएँ

- 13 राज्यों में 55 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल स्वीकृत क्षमता लगभग 40 जीडब्ल्यू है। ये पार्क बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के लिए साझा ढाँचागत सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जिससे लागत और जोखिम कम होते हैं।

वैश्विक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका

- भारत-फ्रांस द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के माध्यम से भारत ने 125 से अधिक देशों को सौर ऊर्जा अपनाने में मदद की है।
- "वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG)" पहल वैश्विक ऊर्जा सहयोग की भारत की दृष्टि को दर्शाती है।

निष्कर्ष:

भारत की सौर ऊर्जा यात्रा यह दर्शाती है कि स्पष्ट लक्ष्य, मज़बूत नीतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किसी भी देश को स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व की ओर ले जा सकते हैं। सौर ऊर्जा आज भारत के लिए केवल बिजली उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि सतत विकास, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु नेतृत्व का आधार बन चुकी है। भविष्य में नवाचार, भंडारण तकनीक और समावेशी नीति ढाँचा भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा परिवर्तन का पथप्रदर्शक बना सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत की सौर ऊर्जा प्रगति के संदर्भ में सही है?

1. भारत ने 2030 का 50% गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता वाला लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया है।
2. पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य केवल कमर्शियल उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ना है।
3. सौर पीवी के लिए पीएलआई योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से संबंधित है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 और 3 केवल (b) 2 और 3 केवल
(c) 1 केवल (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में सौर ऊर्जा के तीव्र विकास के कारणों की चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में हाल की प्रमुख

सरकारी पहलों और पंचामृत फ्रेमवर्क की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत में जैव-सुरक्षा (Biosecurity in India)

परिचय :

- वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जैविक खतरे एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। रोगजनक जीवों, विषाक्त पदार्थों और जैव प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से उत्पन्न जोखिमों ने राष्ट्रों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। भारत, जो कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था और घनी आबादी वाला देश है, इन खतरों से विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है।
- जैव-सुरक्षा (Biosecurity) उन प्रथाओं और प्रणालियों का समूह है जो जैविक अभिकर्ताओं, विषाक्त पदार्थों या प्रौद्योगिकियों के जानबूझकर दुरुपयोग को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। भारत को इन जोखिमों को कम करने के लिए कानूनों, एजेंसियों के समन्वय, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जैव-सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि :

जैव विविधता संरक्षण दृष्टिकोण के अनुसार सरकारी पहलों की रैंकिंग

जैव-सुरक्षा की अवधारणा 20वीं शताब्दी के अंत में उभरी, जब जैविक हथियारों के प्रसार और महामारियों के खतरे बढ़े। कोविड-19 महामारी ने दुनिया को जैव-सुरक्षा की कमियों का अहसास कराया, जहां प्रयोगशाला से रिसाव या जानबूझकर दुरुपयोग की आशंकाएं चर्चा में रहीं। भारत में जैव-सुरक्षा का इतिहास 1980 के दशक से जुड़ा है, जब पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जैव-सुरक्षा नियम, 1989 लागू हुए। हालांकि, आधुनिक चुनौतियां जैसे जीन संपादन (CRISPR), सिंथेटिक बायोलॉजी और असम-मित युद्ध ने मौजूदा ढांचे को अपर्याप्त बना दिया है। भारत की भौगोलिक स्थिति—लंबी छिद्रिल सीमाएं और समुद्री मार्ग—रोगजनकों के सीमा-पार आवागमन को आसान बनाती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती है।

भारत को जैव-सुरक्षा की आवश्यकता क्यों?

भारत की विविधता और निर्भरताएं इसे जैविक खतरों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। प्रमुख कारण निम्न हैं:

- **कृषि और खाद्य सुरक्षा जोखिम:** भारत की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुधन पर निर्भर है। कृषि-आतंकवाद (Agro-terrorism) और बायो-सेबोटेज (Bio-sabotage) के माध्यम से फसलों या पशुओं को लक्षित किया जा सकता है। बायो-सेबोटेज का अर्थ है जानबूझकर किसी देश की कृषि, पशुधन या खाद्य आपूर्ति को नुकसान पहुंचाना। उदाहरणस्वरूप, अफ्रीकन स्वाइन फीवर जैसी बीमारियां पशुधन को नष्ट कर सकती हैं।
- **भौगोलिक कारक:** छिद्रिल सीमाएं और समुद्री मार्ग रोगजनकों, आक्रामक प्रजातियों या जैविक सामग्रियों के अनियंत्रित प्रवेश की अनुमति देते हैं। पड़ोसी देशों से महामारियों का फैलाव, जैसे बर्ड फ्लू, एक वास्तविक खतरा है।
- **गैर-राज्य अभिकर्ताओं से खतरा:** आतंकवादी समूह कम लागत वाले विषाक्त पदार्थों जैसे राइसिन (Ricin) का उपयोग कर असममित जैविक युद्ध (Asymmetric biological warfare) छेड़ सकते हैं। यह युद्ध पारंपरिक हथियारों से सस्ता लेकिन अधिक संक्रामक होता है, जिससे बड़े पैमाने पर क्षति हो सकती है।
- **जैव प्रौद्योगिकी का प्रसार:** नए उपकरण जैसे सिंथेटिक बायोलॉजी दुरुपयोग और आकस्मिक रिसाव के जोखिम बढ़ाते हैं। आकस्मिक रिसाव का अर्थ है प्रयोगशाला से अनजाने में रोगजनक का बाहर निकलना, जैसा कि कुछ वैश्विक घटनाओं में देखा गया।
- **लोक स्वास्थ्य:** जैव-सुरक्षा घटनाएं स्वास्थ्य प्रणालियों को पंगु बना सकती हैं। पशुजन्य (Zoonotic) बीमारियां जैसे इबोला या कोविड-19 स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ डालती हैं और आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं।

ये कारक भारत को वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से जोड़ते हैं, जहां जैव-सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है।

चुनौतियां :

जैव-सुरक्षा को मजबूत करने में कई बाधाएं हैं:

- **कानूनी और विनियामक कमियां:** भारत में कोई समर्पित जैव-सुरक्षा कानून नहीं है। मौजूदा कानून जैसे पर्यावरण अधिनियम GMOs को नियंत्रित करते हैं, लेकिन दोहरे-उपयोग प्रौद्योगिकी (Dual-use technology) की दुविधा से नहीं निपटते।
- **एजेंसी समन्वय की कमी:** स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और पर्यावरण मंत्रालयों में समन्वय की कमी से प्रभावी प्रतिक्रिया बाधित होती है।
- **अनुसंधान और संसाधन की कमी:** विषाणु संक्रमण से बचाव के लिए टीके और रक्षा-तंत्र विकसित करने में निवेश कम है।
- **वैश्विक खतरे:** ऑस्ट्रेलिया समूह जैसे मंचों में भारत की भागीदारी है, लेकिन गैर-राज्य अभिकर्ताओं से खतरा बढ़ रहा है।

आगे की राह :

जैव-सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए:

- **विधायी और विनियामक ढांचा:** एक समर्पित जैव-सुरक्षा कानून बनाना, जो स्वास्थ्य, रक्षा और जैव-प्रौद्योगिकी को एकीकृत करे। वैश्विक मॉडल जैसे अमेरिका की राष्ट्रीय जैव-सुरक्षा रणनीति या ऑस्ट्रेलिया का जैव-सुरक्षा अधिनियम अपनाए जा सकते हैं।
- **नोडल एजेंसी:** एक केंद्रीय जैव-सुरक्षा एजेंसी स्थापित करना जो अंतर-मंत्रालय समन्वय सुनिश्चित करे।
- **अनुसंधान एवं विकास:** विषाणु रक्षा-तंत्र, टीके और जैव-खतरे शमन पर फोकस। नई प्रौद्योगिकियां जैसे माइक्रोबियल फोरेंसिक (Microbial forensics) और सोशल मीडिया निगरानी अपनाना।
- **क्षमता निर्माण:** प्रयोगशालाओं को मजबूत करना, प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।

जैव-सुरक्षा से संबंधित पहलें :

वैश्विक पहलें:

- **जैविक हथियार अभिसमय (BWC, 1975):** जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली बाध्यकारी संधि।
- **ऑस्ट्रेलिया समूह:** रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए निर्यात नियंत्रण मंच।

भारतीय पहलें:

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986: खतरनाक सूक्ष्मजीवों और GMOs को नियंत्रित करता है।
- **सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम, 2005:** जैविक हथियारों को अपराध घोषित करता है।
- **अन्य:** जैव-सुरक्षा नियम, 1989; NDMA के जैविक आपदा दिशा-निर्देश।

निष्कर्ष :

जैव-सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और लोक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। आधुनिक खतरों से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह विषय UPSC में पर्यावरण, सुरक्षा और विज्ञान-प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है, जो उम्मीदवारों को बहुआयामी विश्लेषण की मांग करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम भारत में जैविक हथियारों को अपराध करने के साधन घोषित करता है?

(a) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(b) सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम, 2005

(c) जैव-सुरक्षा नियम, 1989

(d) जैविक हथियार अभिसमय, 1975

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में जैव-सुरक्षा की आवश्यकता, चुनौतियों और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। वैश्विक और राष्ट्रीय पहलों के संदर्भ में अपनी राय दीजिए। (250 शब्द)

अरावली बचाओ अभियान : अरावली पहाड़ियों का संरक्षण

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अरावली की नई परिभाषा उसके 90% से अधिक क्षेत्र के संरक्षण में सहायक सिद्ध होगी

- नवंबर 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा अपनाई, जिसके अनुसार स्थानीय भू-स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों को पहाड़ी माना गया। इस निर्णय से यह आशंका जताई गई कि इससे अरावली पर्वतमाला को मिलने वाला कानूनी संरक्षण कमज़ोर हो सकता है और इसके बड़े हिस्से खनन तथा निर्माण गतिविधियों के लिये संवेदनशील हो सकते हैं।
- इस निर्णय के बाद जन-आंदोलन, राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ और #SaveAravalli अभियान शुरू हुए। नए खनन पट्टों पर रोक लगाई और सतत खनन योजना को अनिवार्य किया। कि यह ढाँचा संरक्षण को मज़बूत करता है, मुख्य क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध लगाता है और अवैध खनन पर अंकुश लगाने पर केंद्रित है।
- आलोचकों का मानना है कि 100 मीटर का नियम बड़े क्षेत्रों को बाहर कर सकता है, जिससे भूजल, जैव विविधता और मरुस्थलीकरण नियंत्रण पर खतरा बढ़ सकता है तथा यह परिदृश्य-स्तरीय पुनर्स्थापन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

अरावली की नई परिभाषा पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय है?

- उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। साथ ही, कई अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं। यह परिभाषा 'भू-परिदृश्य स्तर' पर संरक्षण प्रदान करती है। इसमें अरावली को अलग-अलग पहाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि एक निरंतर भूगर्भीय कटक (geological ridge) के रूप में माना गया है।
- **परिचय:** सर्वोच्च न्यायालय ने खनन को विनियमित करने और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अंतर्गत गठित एक समिति द्वारा प्रस्तावित अरावली पहाड़ियों एवं पर्वतमालाओं की एक समान, वैज्ञानिक परिभाषा को स्वीकार किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने संरक्षित क्षेत्रों, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों, टाइगर रिज़र्व और आर्द्रभूमियों जैसे मुख्य/अस्पर्शनीय क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया। हालाँकि, परमाणु खनिजों (प्रथम अनुसूची का भाग-B), महत्त्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों (भाग-D) तथा खान एवं खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध खनिजों के लिये सीमित अपवाद की अनुमति दी गई है।
- **अरावली पहाड़ियाँ:** किसी भी ऐसे स्थलरूप के रूप में परिभाषित की गई हैं जो आसपास के स्थानीय भू-भाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई तक उठता हो।
- स्थानीय उच्चावच का निर्धारण उस स्थलरूप को घेरने वाली सबसे निचली समोच्च रेखा (Contour line) के आधार पर किया जाता है।
- संरक्षण पूरे पहाड़ी तंत्र तक विस्तारित होगा, जिसमें सहायक ढालें और संबंधित स्थलरूप शामिल हैं, चाहे उनकी ऊँचाई कुछ भी हो।
- **अरावली पर्वतमालाएँ:** दो या दो से अधिक ऐसी पहाड़ियों के समूह के रूप में परिभाषित की गई हैं, जो एक-दूसरे से 500 मीटर के भीतर स्थित हों। इन पहाड़ियों के बीच का पूरा मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसमें ढालें और छोटी पहाड़ियाँ भी शामिल हैं, पर्वतमाला का हिस्सा माना जाएगा।इस परिभाषा का उद्देश्य अरावली परिदृश्य में खनन जैसी गतिविधियों के नियमन हेतु स्पष्टता और वस्तुनिष्ठता प्रदान करना था।
- **SC के निर्देश:** न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस परिभाषा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नए खनन पट्टों के जारी करने पर अस्थायी रोक लगाई जाए, जब तक कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (ICFRE) द्वारा सतत खनन प्रबंधन योजना (MPSM) तैयार नहीं कर ली जाती।
- इस योजना में खनन-निषिद्ध क्षेत्र, कड़े रूप से विनियमित खनन क्षेत्र, संवेदनशील आवास एवं वन्यजीव गलियारों

की पहचान करना, संचयी पारिस्थितिक प्रभावों एवं वहन क्षमता का आकलन करना तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास उपायों का निर्धारण अनिवार्य होगा। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पूर्ण या समग्र प्रतिबंध कई बार अवैध खनन को प्रोत्साहित कर देते हैं। इसी कारण उसने एक संतुलित और विवेकपूर्ण नीति अपनाई, जिसके तहत मौजूदा वैध खनन गतिविधियों को कड़े नियामक प्रावधानों के अंतर्गत सीमित रूप से जारी रखने, नए खनन कार्यों पर रोक लगाने तथा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को स्थायी संरक्षण प्रदान करने पर बल दिया गया।

अरावली मुद्दे पर सरकार का रुख :

- केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित ढाँचा अरावली के संरक्षण को कमज़ोर नहीं करता और न ही बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति देता है।
- सतत खनन प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दिये जाने तक किसी भी नए खनन पट्टे को मंज़ूरी नहीं दी जाएगी।
- सरकार ने अवैध खनन को मुख्य खतरा बताया है और ड्रोन व निगरानी तकनीकों के उपयोग सहित कड़े निगरानी एवं प्रवर्तन उपायों के समर्थन की बात कही है।

अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और पुनर्स्थापन हेतु पूर्व हस्तक्षेप :

- **MoEF की सीमाएँ (1990 के दशक):** पर्यावरण मंत्रालय ने अरावली पर्वतमाला में खनन को केवल स्वीकृत परियोजनाओं तक सीमित करने हेतु प्रतिबंध लगाए।
- हालाँकि, राज्यों द्वारा कमज़ोर प्रवर्तन के कारण खनन नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ।
- **अरावली पहाड़ियों की परिभाषा:** पहले केवल राजस्थान में अरावली क्षेत्र में खनन को विनियमित करने हेतु औपचारिक रूप से अधिसूचित परिभाषा मौजूद थी। यह वर्ष 2002 की राज्य समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसमें रिचर्ड मर्फी के स्थलरूप वर्गीकरण का उपयोग किया गया था। इसके अनुसार, स्थानीय भू-उच्चावच से 100 मीटर ऊँचाई तक उठने वाले स्थलरूपों को पहाड़ी माना गया और पहाड़ियों तथा उनकी सहायक ढालों पर खनन को प्रतिबंधित किया गया था।
- **खनन पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध (2009):** हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात ज़िलों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।
- वर्ष 2024 में न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला के पूरे क्षेत्र में नए खनन पट्टों के आवंटन और उनके नवीनीकरण पर रोक लगा दी तथा केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) को विस्तृत जाँच करने का निर्देश दिया।
- **CEC की सिफारिशें (2024):** इसने सभी राज्यों में फैली अरावली पर्वतमाला का पूर्ण वैज्ञानिक मानचित्रण करने की सिफारिश की।
- खनन गतिविधियों के लिये व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) कराने का सुझाव दिया।
- मानचित्रण और प्रभाव आकलन पूर्ण होने तक किसी भी नए खनन पट्टे के आवंटन या नवीनीकरण की अनुमति न देने की सिफारिश की।
- **अरावली ग्रीन वॉल पहल:** अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित, अरावली ग्रीन वॉल पहल एक परिदृश्य-स्तरीय पारिस्थितिक पुनर्स्थापन कार्यक्रम है, जिसका नेतृत्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भूमि क्षरण को रोकना, पारिस्थितिक अनुकूलन मज़बूत करना तथा अरावली पर्वतमाला में मरुस्थलीकरण को रोकना है। इस पहल के तहत अरावली पर्वतमाला के साथ 1,400 किमी लंबी और 5 किमी चौड़ी हरित पट्टी विकसित करने का प्रस्ताव है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत होगी। इसमें अरावली का मुख्य क्षेत्र तथा उसके आसपास के बफर ज़ोन भी शामिल होंगे।
- इस पहल का लक्ष्य वर्ष 2027 तक पारिस्थितिक अंतरालों को भरकर और प्राकृतिक वनस्पति को पुनर्जीवित करके अरावली पहाड़ियों में 1.1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्स्थापन करना है। यह ग्रीन वॉल रेत और धूल भरी आँधियों को कम करने, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने तथा विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सूक्ष्म-जलवायवीय तनाव को कम करने में सहायक होने की अपेक्षा है।

अरावली पर्वतों की नई परिभाषा के संबंध में आलोचनाएँ क्या हैं?

- **अधिकांश परिदृश्य का बहिष्कार:** भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के एक आंतरिक मूल्यांकन से पता चलता है कि 100 मीटर की ऊँचाई की सीमा नई परिभाषा से अरावली प्रणाली के 90% से अधिक हिस्से को बाहर कर देती है।
- यह विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिये गंभीर पारिस्थितिक, पर्यावरणीय और शासन संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करता है, क्योंकि अरावली श्रृंखला प्राकृतिक धूल तथा प्रदूषण अवशोषक के रूप में कार्य करती है, वायु

गुणवत्ता नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण एवं जलवायु विनियमन का समर्थन करती है।

- **खनन के विस्तार का खतरा:** नई परिभाषा के बाहर आने वाले क्षेत्र खनन, निर्माण और शहरी विस्तार के लिये संवेदनशील हो सकते हैं, जिससे दशकों से किये गए संरक्षण प्रयासों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
- **पारिस्थितिक निरंतरता की अनदेखी:** अरावली एक निरंतर पारिस्थितिक प्रणाली के रूप में कार्य करती है, लेकिन यह परिभाषा शिखर-केंद्रित मानी जा रही है, जो तलहटी, घाटियों और जुड़ने वाली चोटियों की पारिस्थितिक भूमिका को नज़रअंदाज़ करती है।
- **भूजल पुनर्भरण का जोखिम:** निचले पहाड़ और ढलान वर्षा जल के रिसाव तथा भूमिगत जल स्रोत के पुनर्भरण के लिये महत्त्वपूर्ण हैं तथा इनका हनन राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एवं दिल्ली-एनसीआर में जलस्तर घटा सकता है।
- **मरुस्थलीकरण में तेज़ी:** अरावली बाधा कमज़ोर होने से थार रेगिस्तान पूर्व की ओर बढ़ सकता है, जिससे धूल भरी आँधियाँ, भूमि क्षरण और शुष्कता बढ़ सकती है तथा यह भारत के मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की प्रतिबद्धताओं को कमज़ोर कर सकता है।
- **क्रियान्वयन और प्रवर्तन की चुनौतियाँ:** व्यापक मानचित्रण और कड़ाई से निगरानी के बिना, नई परिभाषा नियामक अंतर उत्पन्न कर सकती है, जिससे अवैध खनन को रोकना कठिन हो जाएगा।

अरावली शृंखला के प्रमुख तथ्य क्या हैं?

यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये प्री-कैम्ब्रियन युग के पर्वत हैं, जो हिमालय से भी प्राचीन हैं।

इसका विस्तार 800 किमी से अधिक क्षेत्र में है। यह गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक विस्तारित है।

- **सबसे ऊँची चोटी:** गुरु शिखर (माउंट आबू)।
- **भूवैज्ञानिक उत्पत्ति और विकास:** अरावली शृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक और भारत की सबसे पुरानी पर्वत शृंखला है, जो लगभग 2,000 मिलियन वर्ष पूर्व प्री-कैम्ब्रियन युग में अस्तित्व में आई थी।
- यह अरावली–दिल्ली ओरोजेनी के दौरान टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण बनी थी। वर्तमान अरावली एक बहुत बड़े प्रागैतिहासिक पर्वत प्रणाली के अत्यधिक क्षतिग्रस्त अवशेष हैं, जिन्हें मौसम और अपरदन के कारण लाखों वर्षों में कम कर दिया गया है। माउंट आबू पर गुरु शिखर चोटी अरावली शृंखला की सबसे ऊँची चोटी है (1,722 मीटर)।
- **भौगोलिक विस्तार:** यह गुजरात से दिल्ली तक (राजस्थान और हरियाणा होते हुए) 800 किमी से अधिक फैली हुई है।
- **जलवायु और पारिस्थितिक महत्त्व:** अरावली थार रेगिस्तान के उत्तर-पश्चिमी भारत में फैलाव के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करती है।
- निर्वनीकरण और भूमि क्षरण ने कई अंतराल उत्पन्न किये हैं। जिससे रेगिस्तानी रेत उपजाऊ मैदानों की ओर बहती है और वायु प्रदूषण तथा धूल भरी आँधियों की समस्या बढ़ती है।
- **जल प्रणाली में योगदान:** अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र में स्थित, जहाँ वार्षिक वर्षा 500–700 मिमी होती है, अरावली शृंखला प्रमुख जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है और बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के जल निकासी क्षेत्रों को अलग करती है।
- **जैव विविधता और वन्यजीव महत्त्व:** अरावली परिदृश्य शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान और आर्द्रभूमि का समर्थन करता है, जिसमें सहारा, प्रायद्वीपीय तथा ओरिएंटल जैव विविधता का अनोखा मिश्रण पाया जाता है। यहाँ 22 वन्यजीव अभयारण्यों और तीन बाघ अभयारण्य हैं तथा यह बाघ, तेंदुआ, भारतीय भेड़िया, स्लॉथ बियर तथा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों के लिये आवास प्रदान करता है।
- **कृषि, आजीविका और पशुपालन:** अरावली क्षेत्र में कृषि वर्षा-निर्भर और जीविकोपार्जन-आधारित है, जिसमें बाज़रा, मक्का, गेहूँ, सरसों तथा दलहन उगाई जाती हैं। वहीं बड़े पैमाने पर पशुपालन और वन संसाधनों पर

निर्भरता ग्रामीण आजीविकाओं के लिये पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनाती है।

- **आर्थिक और खनिज महत्त्व:** अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, जिसमें 70 से अधिक वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान खनिज शामिल हैं, जैसे जिंक, सीसा, चाँदी, टंगस्टन, संगमरमर और ग्रेनाइट। खनन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में उभरा है, विशेषकर राजस्थान में, जो इस श्रृंखला का लगभग 80% हिस्सा रखता है।
- **औद्योगिक विकास और शहरी दबाव:** अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण अरावली बेल्ट में गुरुग्राम, फरीदाबाद, जयपुर, अलवर और अजमेर जैसे प्रमुख औद्योगिक तथा शहरी केंद्र स्थित हैं। यह IT और वस्त्र उद्योग से लेकर ऑटोमोबाइल, रसायन और इस्पात उद्योग तक का समर्थन करता है।
- **सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व:** अरावली श्रृंखला में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जैसे चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ किले स्थित हैं।
- यह पुष्कर, अजमेर शरीफ, माउंट आबू और रानकपुर जैसे प्रमुख धार्मिक केंद्रों का भी क्षेत्र है, जो इसे हिंदू, इस्लामी एवं जैन परंपराओं के लिये पवित्र बनाते हैं तथा इसकी सभ्यतागत महत्ता को मज़बूत करते हैं।
- **क्षरण और पर्यावरणीय गिरावट:** दशकों के दौरान, अरावली श्रृंखला ने गंभीर निर्वनीकरण, खनन, शहरीकरण और चराई के दबाव का सामना किया है।
- कई पहाड़ पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, वन आवरण में तीव्र गिरावट आई है तथा वर्षा की अवधि काफी कम हो गई है।
- इन परिवर्तनों ने मृदा क्षरण, भूमिगत जल स्रोतों को नुकसान, मरुस्थलीय अंतराल का विस्तार और वायु प्रदूषण की स्थिति को खराब कर दिया है, जो विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर को प्रभावित करता है।

विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशों पर एक नजर :

- **परिचालन संबंधी परिभाषाएं:** समिति ने अरावली पहाड़ियों और श्रृंखला दोनों को परिभाषित किया है।
- **अरावली पहाड़ियां:** अरावली जिलों में स्थित कोई भी ऐसा भू-भाग, जिसकी ऊंचाई स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक हो।
- **अरावली श्रृंखला:** एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में स्थित दो या दो से अधिक अरावली पहाड़ियां।
- **कोर/ अलंघनीय क्षेत्र सुरक्षा:** संरक्षित क्षेत्रों, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESZ), टाइगर रिज़र्व, आर्द्रभूमियों और प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण कोष (CAMPA) वृक्षारोपण स्थलों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्देश :

- **सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना (MPSM):** भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) संपूर्ण अरावली क्षेत्र के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार करेगा।
- **नए खनन पट्टों (Leases) पर रोक:** जब तक झारखंड के सारंडा वन के लिए MPSM की तर्ज पर ICFRE द्वारा अरावली के लिए भी MPSM तैयार नहीं कर ली जाती, तब तक नए खनन पट्टों पर रोक रहेगी।

अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा को मज़बूत करने के लिये कौन-से उपाय आवश्यक हैं?

- **वैज्ञानिक पहचान और मानचित्रण:** आधिकारिक आँकड़ों का उपयोग करते हुए पहाड़ियों, पर्वत श्रृंखलाओं, ढलानों, घाटियों, पुनर्भरण क्षेत्रों और वन्यजीव गलियारों का व्यापक, मानकीकृत मानचित्रण करना। खनन गतिविधियों पर श्रेणीबद्ध और जोखिम-आधारित नियंत्रण लागू करना, साथ ही निषेध, विनियमन और निगरानी के लिये स्पष्ट मानदंड भी लागू करना।
- **अवैध खनन की रोकथाम:** संस्थागत समन्वय और प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों के माध्यम से निगरानी, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन तंत्र को मज़बूत करना।
- अवैध खनन और रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिये ड्रोन, सैटेलाइट इमेज़री, CCTV, ई-चालान और ज़िला टास्क फोर्स का उपयोग करना।
- **पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन और प्रबंधन:** पारिस्थितिक उपयुक्तता और दीर्घकालिक स्थिरता के आधार पर निम्नीकृत वनों, घास के मैदानों और खनन क्षेत्रों के पुनर्स्थापन को बढ़ावा देना। टांका, झालारा, तालाब-बंदी जैसी स्वदेशी प्रणालियाँ अरावली गाँवों में जल प्रबंधन को मज़बूत करती हैं।
- **पवन अपरदन और रेत के बहाव पर नियंत्रण:** कैलिगोनम और अकेशिया जैसी प्रजातियों का उपयोग करके सतही वनस्पति ने रेत के टीलों को स्थिर किया और पवन अपरदन को कम किया। यह अरावली दर्रों में धूल भरी आँधी और मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- **पुनर्स्थापन और वैश्विक प्रतिबद्धताएँ:** नई दिल्ली घोषणा (UNCCD COP-14) इस बात पर प्रकाश डालती है कि मरुस्थलीकरण आजीविका और विकास

को कमज़ोर करता है तथा सतत भूमि प्रबंधन पर जोर देता है। अरावली पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना जल विनियमन, जैवविविधता, जलवायु अनुकूलन की रक्षा करने और पेरिस समझौते, बॉन चैलेंज और भूमि क्षरण तटस्थता के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के साथ-साथ स्थानीय आजीविका की सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।

अरावली के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें :

- **मातृ वन पहल:** 'एक पेड़ माँ के नाम' कार्यक्रम के तहत अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ के शहरी वन विकसित करना।
- **अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट:** चार राज्यों में अरावली के आसपास 5 किमी के बफर क्षेत्र को हरा-भरा बनाना।
- **एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ:** अपने निर्णयों की श्रृंखला में उच्चतम न्यायालय ने अरावली के महत्त्व को स्वीकार किया है और किसी भी कीमत पर इसके संरक्षण का आग्रह किया है।

निष्कर्ष:

अरावली पर्वतमाला केवल एक भू-वैज्ञानिक संरचना नहीं, बल्कि उत्तर-पश्चिमी भारत के लिये एक जीवन-समर्थन तंत्र है। इसका क्षरण जलवायु स्थिरता और आजीविकाओं के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। इसलिये अरावली का संरक्षण और पुनर्स्थापन पारिस्थितिक, आर्थिक तथा सभ्य-तागत अनिवार्यता है, जिसके लिये परिदृश्य-स्तरीय संरक्षण और समुदाय-आधारित पुनर्स्थापन आवश्यक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उच्चतम न्यायालय ने अरावली को अलग-अलग पहाड़ियों के बजाय एक निरंतर भूगर्भीय कटक (Geological Ridge) के रूप में मान्यता दी है।
2. नई परिभाषा के अनुसार, अरावली पहाड़ियां वे भू-भाग हैं जिनकी ऊँचाई स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक है।
3. संरक्षित क्षेत्रों, ESZ, टाइगर रिज़र्व, आर्द्रभूमियों और CAMPA वृक्षारोपण स्थलों में खनन की अनुमति दी गई है।
4. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) को संपूर्ण अरावली क्षेत्र के लिए सतत खनन प्रबंधन योजना (MPSM) तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1, 2 और 4 केवल (b) 1 और 3 केवल

(c) 2 और 3 केवल (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत अरावली जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में खनन गतिविधियों और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित कर सकता है?

Q. "भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है।" सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिये।

भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (FLN) की वर्तमान स्थिति

वर्तमान स्थिति:

- **ASER रिपोर्ट-** 2024 में पाया गया कि कक्षा 3 के केवल 20.5% बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं और केवल 25.9% बच्चे साधारण घटाव की संक्रिया कर सकते हैं।

- **ASER रिपोर्ट-** 2024 बताती है कि कक्षा 5 के 48.7% छात्र धाराप्रवाह पढ़ सकते हैं, जबकि केवल 30.7% ही बुनियादी विभाजन के प्रश्न को हल कर सकते हैं, जो 18 प्रतिशत अंकों का अंतर दर्शाता है। किसी भी राज्य में साक्षरता परिणामों की तुलना में संख्यात्मकता का स्तर अधिक नहीं है।
- **परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण-** 2024 में सफल राज्य-स्तरीय हस्तक्षेपों (उदाहरण के लिये: दादरा और नगर हवेली) पर प्रकाश डाला गया है, जो FLN फोकस को मध्यम ग्रेड तक बढ़ाते हैं, संख्यात्मक परिणामों में सुधार करते हैं।
- **गतिविधि -** आधारित, स्तर-उपयुक्त शिक्षण की ओर शैक्षणिक बदलाव लागू किये जा रहे हैं, लेकिन इसके लिये अधिक पैमाने और एकीकरण की आवश्यकता है

मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy - FLN)

- **मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy - FLN)** शिक्षा की आधारशिला है, जो बच्चों को पढ़ने-लिखने की बुनियादी क्षमता और सरल अंकगणितीय संक्रियाओं (जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग) में दक्षता प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार, प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 तक FLN हासिल कर लेना चाहिए, ताकि आगे की शिक्षा और जीवन कौशल में सफलता मिल सके। FLN न केवल शैक्षणिक प्रगति का आधार है, बल्कि आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक समानता और समग्र विकास को भी बढ़ावा देता है।
- भारत में FLN की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) 2024 के अनुसार, कक्षा 5 के 48.7% छात्र कक्षा 2 स्तर का पाठ धाराप्रवाह पढ़ सकते हैं, जबकि केवल 30.7% ही बुनियादी विभाजन के प्रश्न हल कर पाते हैं। यह साक्षरता और संख्याज्ञान के बीच 18 प्रतिशत अंकों का अंतर दर्शाता है।
- ASER 2024 में कोविड-19 के बाद अधिगम में रिकवरी दिखाई गई है, लेकिन संख्याज्ञान में कमी बनी हुई है। NIPUN भारत मिशन (2021) का लक्ष्य 2026-27 तक सार्वभौमिक FLN हासिल करना है, लेकिन प्रगति धीमी है। इस लेख में FLN की प्रमुख चुनौतियों और उन्हें दूर करने के उपायों पर चर्चा की गई है।

FLN के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ :

भारत में FLN की प्रगति बाधित करने वाली चुनौतियाँ बहु-आयामी हैं, जो संरचनात्मक, सामाजिक और शैक्षणिक कारकों से जुड़ी हैं। ये निम्नलिखित हैं:

1. **अधिगम घाटे और नामांकन-प्रभाविता का अंतर :** प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर 95% से अधिक है, लेकिन वास्तविक अधिगम न्यून है। ASER 2024 के अनुसार, कक्षा 3 के आधे से अधिक बच्चे कक्षा 2 स्तर का पाठ नहीं पढ़ सकते या सरल घटाव नहीं कर सकते। यह 'अधिगम संकट' को दर्शाता है, जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन बुनियादी कौशल नहीं सीख पाते। कोविड-19 ने इस घाटे को और बढ़ाया, क्योंकि डिजिटल डिवाइड के कारण ग्रामीण और गरीब बच्चे दूरस्थ शिक्षा से वंचित रहे।
2. **संख्याज्ञान-साक्षरता का स्पष्ट अंतर:** साक्षरता में सुधार के बावजूद संख्याज्ञान पिछड़ रहा है। ASER 2024 में किसी भी राज्य में संख्याज्ञान साक्षरता से अधिक नहीं है। गणित की संचयी प्रकृति (जैसे स्थानीय मान से दशमलव तक) के कारण प्रारंभिक कमजोरी आगे की शिक्षा में बाधा बनती है, जिससे ड्रॉपआउट दर बढ़ती है।
3. **हस्तक्षेपों का सीमित विस्तार :** NIPUN भारत मिशन मुख्य रूप से कक्षा 1-3 पर केंद्रित है, लेकिन ASER डेटा से पता चलता है कि कक्षा 5-8 में भी FLN की कमी बनी रहती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सुधारात्मक कार्यक्रमों की कमी से बच्चे उन्नत कौशल (जैसे भिन्न, प्रतिशत) नहीं सीख पाते।
4. **सामाजिक-आर्थिक और भाषाई बाधाएँ:** गरीबी, कुपोषण (35.5% बच्चे प्रभावित) और घरेलू भाषा-स्कूल माध्यम का असंगति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियाँ और वंचित समुदाय विशेष रूप से प्रभावित हैं।
5. **अपर्याप्त अवसंरचना और शिक्षण संसाधन:** कई स्कूलों में शौचालय, पेयजल, शिक्षण सामग्री का अभाव है। उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात (30:1 से अधिक) और अप्रशिक्षित शिक्षक व्यक्तिगत निर्देश में बाधा डालते हैं। गणित शिक्षण में शिक्षक तैयारी, वर्कलोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
6. **कक्षा और वास्तविक जीवन का वियोग:** बच्चे औपचारिक गणित सीखते हैं लेकिन व्यावहारिक अनुप्रयोग में संघर्ष करते हैं, जिससे कार्यात्मक संख्याज्ञान सीमित रहता है। पारंपरिक रटने-आधारित मूल्यांकन वैचारिक समझ को नजरअंदाज करता है। ये चुनौतियाँ शैक्षणिक असमानता को बढ़ाती हैं और रोजगार क्षमता को प्रभावित करती हैं, जिससे भारत का मानव पूँजी विकास बाधित होता है।

भारत में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योजनाएँ क्या हैं?

- **समग्र शिक्षा अभियान:** पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक की एकीकृत योजना, जो सार्वभौमिक पहुँच, बुनियादी अवसंरचना के विकास, गुणवत्ता, समानता और डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित है।
- **NIPUN भारत मिशन:** एक राष्ट्रीय पहल जिसका लक्ष्य सत्र 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक सभी बच्चों के लिये सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (FLN) सुनिश्चित करना है, जिसमें खेल-आधारित एवं बहुभाषी शिक्षाशास्त्र को लागू किया जाएगा।
- **PM SHRI स्कूल (उभरते भारत के लिये प्रधानमंत्री स्कूल):** 14,500 से अधिक स्कूलों को उन्नत बुनियादी अवसंरचना, प्रौद्योगिकी एकीकरण और मूल्य-आधारित शिक्षा के साथ मॉडल NEP-संरेखित संस्थानों में बदलने की योजना।
- **PM POSHAN (मध्याह्न भोजन योजना):** सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 11 करोड़ से अधिक बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है, नामांकन, प्रतिधारण और अधिगम की प्रभावशीलता में सुधार करता है।
- **सर्व शिक्षा अभियान (SSA):** नामांकन, प्रतिधारण, बुनियादी अवसंरचना और उपेक्षित समूहों के लिये समावेशी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिये एक प्रमुख कार्यक्रम।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण पर विशेष ज़ोर देना।
- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV):** वंचित समुदायों की लड़कियों के लिये आवासीय विद्यालय, ताकि शिक्षा की अभिगम्यता और गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम:** 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देने वाला कानूनी प्रावधान, अभिगम्यता एवं अधिगम के अधिकार को सुनिश्चित करना।
- **राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना:** प्राथमिक स्तर से आगे निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

FLN अंतराल दूर करने के उपाय

FLN को मजबूत करने के लिए बहुआयामी नीतिगत उपाय आवश्यक हैं, जो NEP 2020 और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित हों। प्रमुख उपाय निम्न हैं:

1. **NIPUN भारत मिशन का विस्तार और निगरानी:** मिशन को कक्षा 8 तक विस्तारित करें, जिसमें FLN+ कौशल (भिन्न, दशमलव) शामिल हों। राज्य-स्त-

रीय अनुकूलित योजनाएँ बनाएँ और वास्तविक समय निगरानी के लिए EGRA/EGMA जैसे अंतर्राष्ट्रीय उपकरण अपनाएँ। 2026-27 से आगे निरंतरता सुनिश्चित करें, जैसा कि विश्व बैंक की सिफारिश है।

2. **शिक्षक प्रशिक्षण और सहायता में निवेश :** बाल-केंद्रित, गतिविधि-आधारित और बहुभाषी शिक्षाशास्त्र पर फोकस करें। कनाडा/न्यूजीलैंड मॉडल की तरह सतत व्यावसायिक विकास और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करें। DIKSHA प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाएँ।
3. **मातृभाषा और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा :** NEP के अनुरूप प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में करें, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका/युगांडा में सफल रहा है। इससे समझ और समावेशन बढ़ेगा।
4. **अनुभवात्मक और वास्तविक जीवन अधिगम :** फिनलैंड/जापान की तरह 'करके सीखने' की पद्धति अपनाएँ। समस्या-समाधान, कहानी सुनाना और सहकर्मी अधिगम को शामिल करें।
5. **प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को सुदृढ़ :** 3-6 वर्ष आयु पर फोकस करें, आंगनवाड़ी को खेल-आधारित बनाएँ। ब्राजील के मॉडल से प्रेरणा लें।
6. **सामाजिक-आर्थिक बाधाओं का समाधान :** मध्याह्न भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा को एकीकृत करें। मेक्सिको की तरह सशर्त नकद अंतरण अपनाएँ। सामुदायिक भागीदारी और अभिभावक शिक्षा बढ़ाएँ।
7. **अन्य योजनाओं का एकीकरण :** समग्र शिक्षा अभियान, PM SHRI स्कूल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और RTE अधिनियम को FLN से जोड़ें। डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।

ये उपाय यदि प्रभावी ढंग से लागू किए जाएँ, तो FLN में तेज सुधार संभव है, जैसा कि दादरा और नगर हवेली में देखा गया।

निष्कर्ष :

FLN भारत के शैक्षणिक पिरामिड का आधार है, जिसकी मजबूती समान विकास और SDG-4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। चुनौतियाँ गंभीर हैं, लेकिन NIPUN भारत जैसी पहलों के माध्यम से समाधान संभव हैं। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा, "शिक्षा दुनिया बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है।" सरकार, शिक्षक, समुदाय और नीति-निर्माताओं की सामूहिक प्रतिबद्धता से भारत एक साक्षर और सशक्त राष्ट्र बन सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिये किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है।
2. आर.टी.ई. अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिये गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
3. भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2

(c) 1 और 3 (d) केवल 3

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. "व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिये 'सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न)' की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है।" टिप्पणी कीजिये। (2021)

Q2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य-4 (2030) के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना और पुनःस्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिये। (UPSC 2020)

भारत में गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ

परिचय :

भारत की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector) केवल कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे बाहर भी

अनेक ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। इन्हें गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ (Non-Farm Primary Activities) कहा जाता है।

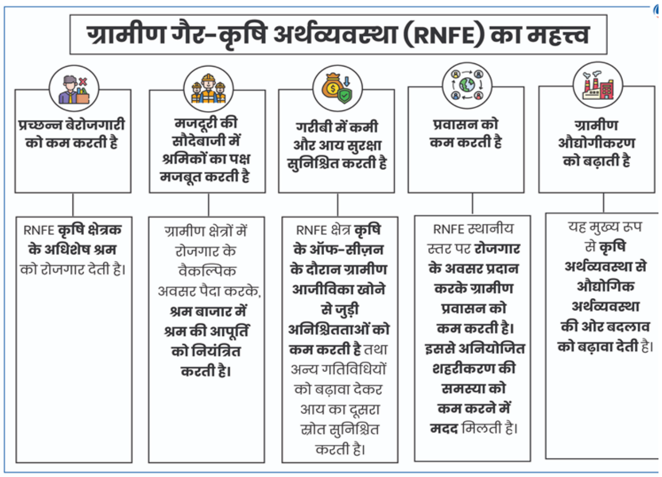

- **आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः** तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक।
- **प्राथमिक क्षेत्र में** वे गतिविधियाँ शामिल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन से जुड़ी होती हैं। इनमें कृषि के अलावा अन्य गतिविधियाँ जैसे खनन, मत्स्य पालन, वानिकी और खदान निकासी को गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ कहा जाता है। ये गतिविधियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और कृषि को पूरक प्रदान करती हैं।
- भारत जैसे विविध भौगोलिक देश में ये गतिविधियाँ देश की भौगोलिक संरचना (फिजियोग्राफी) से गहराई से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता भौतिक विशेषताओं पर निर्भर करती है।
- भारत की भौगोलिक संरचना को मुख्य रूप से छह भागों में विभाजित किया जा सकता है: हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह और मरुस्थल।
- इन प्रत्येक क्षेत्रों में विशिष्ट भौतिक विशेषताएँ हैं जो गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। इस लेख में हम इन गतिविधियों की चर्चा करेंगे और उदाहरणों के साथ उनके भौगोलिक संबंध को समझेंगे।

गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ क्या हैं?

1. गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियों का अर्थ:

- गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ वे हैं जो कृषि को छोड़कर प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष निष्कर्षण से जुड़ी होती हैं। मुख्य रूप से इनमें शामिल हैं:ये गतिविधियाँ भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वे सभी आर्थिक क्रियाएँ जिनमें—
- प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या संग्रहण किया जाता है, परंतु कृषि (Crop Farming) शामिल नहीं होती, उन्हें गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ कहते हैं। प्रमुख उदाहरण: मत्स्य पालन (Fishing): समुद्री और मीठे पानी की मछली पकड़ना।
- **वानिकी और संग्रहण (Forestry and Gathering):** लकड़ी, बांस, औषधीय पौधे और अन्य वन उत्पादों का संग्रह।
- **खनन और खदान निकासी (Mining and Quarrying):** खनिजों जैसे कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर आदि का निष्कर्षण।
- पशुपालन (Animal Rearing): ऊंट, बकरी, भेड़ आदि का पालन, जो कृषि से अलग ग्रामीण काव्य के रूप में।
- **हॉर्टिकल्चर और बागवानी**
- सिल्क-उद्योग (Sericulture), मौन-पालन (Apiculture)
- प्लांटेशन (Tea, Coffee, Rubber)

भौगोलिक संरचना से संबंध :

भारत की विविध भौगोलिक विशेषताएँ — पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र, नदी तंत्र, वन क्षेत्र — गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियों की प्रकृति, वितरण और तीव्रता को गहराई से प्रभावित करती हैं।

(A) पर्वतीय क्षेत्र (Himalayas, Western Ghats)

- **विशेषताएँ:** ठंडा मौसम, खड़ी ढलानें, घने वन।
- **प्रभावित गतिविधियाँ:** वन-आधारित गतिविधियाँ: देवदार, चीड़, भोजपत्र, औषधीय पौधों का संग्रह।हिमाचल में गुग्गुल, उत्तराखंड में यार्सा गुम्बा।
- **प्लांटेशन व हर्बल खेती:** दार्जिलिंग → चाय और उत्तराखंड → औषधीय एवं सुगंधित पौधों का उत्पादन
- **पशुपालन:** ट्रांस-हिमालय में याक पालन - भेड़-बकरी पालन (Gaddi, Bhotia समुदाय)

(B) तटीय क्षेत्र (West Coast & East Coast)

- **विशेषताएँ:** लम्बी तटरेखा, खाड़ी व लैगून, खारे जल संसाधन।
- **प्रभावित गतिविधियाँ:** मछली पालन गुजरात, केरल, ओडिशा में समुद्री मत्स्यन सबसे अधिक।
- सुंदरबन में ब्रैकिश वॉटर फिशिंग और झींगा उत्पादन।
- **नारियल, मसाले व कैशक्रॉप आधारित गतिविधियाँ :** केरल → नारियल, मसाला खेती तमिलनाडु → पाम, शेलफिश उत्पाद

समुद्री नमक उत्पादन:

- **गुजरात का कच्छ क्षेत्र** → भारत में कुल नमक उत्पादन में प्रमुख योगदान।

(C) पठार क्षेत्र (Deccan Plateau, Chotanagpur Plateau)

- **विशेषताएँ :** कठोर शैल संरचना, खनिज संपदा से भरपूर।
- **प्रभावित गतिविधियाँ:** खनन: झारखंड और बिहार-
- **लौह-** अयस्क, कोयला
- **छत्तीसगढ़:** बॉक्साइट
- **कर्नाटक:** मैंगनीज़, सोना
- **वन-आधारित आजीविकाएँ:** तेंदूपत्ता, लाख (Lac Culture) – झारखंड, छत्तीसगढ़ : बांस, गोंद, रेज़िन
- **पर्वतीय पशुपालन:** दक्कन में भेड़ पालन → ऊन एवं दुग्ध उद्योग

(D) इंडो-गैंगेटिक मैदान

- **विशेषताएँ:** उपजाऊ भूमि, नदियों की प्रचुरता।हालाँकि यहाँ कृषि प्रमुख है, लेकिन गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ भी होती हैं—
- **डेयरी उद्योग:** उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा → भारत के दूध उत्पादन का मुख्य आधार।
- **मत्स्यन (Inland Fishing):** गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन में रिवर फिशरी और बिहार, बंगाल में तालाब/झील आधारित मछली पालन : रोहू, कतला, मृगल जैसी प्रजातियाँ अधिक

(E) मरुस्थलीय एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्र (Rajasthan, Gujarat)

प्रभावित गतिविधियाँ:

- **ऊँट व भेड़ पालन:** राजस्थान में रेवाड़ी, मांस, ऊन आधारित गतिविधियाँ।
- **खनिज :** राजस्थान में संगमरमर, जिंका, तांबा, जिप्सम।
- **बागवानी (Horticulture):** खजूर, ड्रैगन फ्रूट, जीरा, सौंफ—थार में उभरती गतिविधियाँ।

भौगोलिक संरचना से संबंध और उदाहरण

भौगोलिक क्षेत्र	गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ	उदाहरण
तटीय और द्वीपीय क्षेत्र	मत्स्य पालन (समुद्री और अंतर्देशीय), मोती और सीप पालन	केरल, गुजरात और बंगाल की खाड़ी में समुद्री मछली पकड़ना; मन्नार की खाड़ी में मोती/सीप पालन।
नदी घाटियाँ और आर्द्र-भूमि	अंतर्देशीय मत्स्य पालन	गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान, चिल्का और पुलिकट झीलें।
पठार	खनन और उत्खनन	खनिज समृद्ध छोटा नागपुर पठार (कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट); कर्नाटक-गोवा बेल्ट (लौह अयस्क)।
पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र	वानिकी (लकड़ी, बांस, औषधीय पौधे) और पशुपालन (भेड़, बकरी, याक)	हिमालय और पश्चिमी घाट। लद्दाख में याक पालन।
मैदान	पशुपालन, लघु वनोपज संग्रहण, अंतर्देशीय मत्स्य पालन	गंगा-ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मछली पकड़ना।

भारत की विविध फिजियोग्राफी इन गतिविधियों की वितरण और प्रकृति को निर्धारित करती है। संसाधनों की उपलब्धता भौतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, पठार, तट और मरुस्थल पर निर्भर करती है। निम्नलिखित उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है:

1. खनन और खदान निकासी

- यह गतिविधि मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ी है, जहाँ प्राचीन चट्टानें और खनिज भंडार प्रचुर हैं। छोटा नागपुर पठार (झारखंड, ओडिशा) में कोयला और लौह अयस्क का खनन होता है, जो पठार की भूगर्भीय संरचना के कारण संभव है। इसी प्रकार, डेक्कन पठार में बॉक्साइट और मैंगनीज का खनन किया जाता है। ये क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ इलाके और खनिज-समृद्ध मिट्टी के कारण उपयुक्त हैं। उत्तरी मैदानों में खनन कम होता है क्योंकि वहाँ alluvial मिट्टी है जो कृषि के लिए अधिक अनुकूल है।

2. मत्स्य पालन

- यह तटीय मैदानों और द्वीप समूहों से संबंधित है। पूर्वी और पश्चिमी तट (बंगाल की खाड़ी और अरब सागर) में विस्तृत समुद्र तट और महाद्वीपीय शेल्फ मत्स्य पालन को बढ़ावा देते हैं। उदाहरणस्वरूप, केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में समुद्री मछली पकड़ना प्रमुख है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी समुद्री संसाधनों की प्रचुरता के कारण यह गतिविधि फलती-फूलती है। हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन सीमित है क्योंकि वहाँ समुद्र नहीं है।

3. वानिकी और संग्रहण

- वानिकी मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों और घने जंगलों वाले इलाकों में होती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में लकड़ी, बांस और औषधीय पौधों का संग्रह किया जाता है, जो ऊँचे पर्वतों और वर्षा वनों की विशेषता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भी वानिकी प्रमुख है, जहाँ सदाबहार जंगल हैं। थार मरुस्थल जैसे शुष्क क्षेत्रों में वानिकी न्यूनतम है क्योंकि वहाँ वनस्पति कम है।

4. पशुपालन

- यह शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों से जुड़ा है। थार मरुस्थल (राजस्थान) में ऊंट और बकरी पालन होता है, जो मरुस्थलीय जलवायु और वनस्पति के अनुकूल है। हिमालय की तलहटी में भेड़ पालन प्रचलित है, जहाँ घास के मैदान उपलब्ध हैं। उत्तरी मैदानों में यह कम होता है क्योंकि वहाँ कृषि प्रधान है।

निष्कर्ष :

गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और देश की भौगोलिक विविधता से सीधे प्रभावित होती हैं। ये गतिविधियाँ न केवल रोजगार प्रदान करती हैं बल्कि सतत विकास में भी योगदान देती हैं। हालांकि, पर्यावरणीय चुनौतियाँ जैसे अतिनिष्कर्षण और जलवायु परिवर्तन इन पर प्रभाव डाल रहे हैं। सरकार को इन क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए। इस प्रकार, भारत की फिजियोग्राफी इन गतिविधियों की आधारशिला है, जो विविधता को अवसर में बदलती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q. निम्नलिखित में से कौन-सा उदाहरण भारत में गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधि का भौगोलिक संरचना से सही संबंध दर्शाता है?

(a) छोटा नागपुर पठार पर कोयला खनन

(b) इंडो-गंगा मैदान पर समुद्री मत्स्य पालन

(c) थार मरुस्थल पर वानिकी

(d) हिमालय में लौह अयस्क उत्खनन

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ क्या हैं? भारत में ये गतिविधियाँ भौगोलिक संरचना (Physiography) से कैसे संबंधित हैं? उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए (UPSC 2025)

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 (World Inequality Report 2026)

परिचय :

यह रिपोर्ट 'विश्व असमानता रिपोर्ट' का तीसरा संस्करण है। इससे पहले यह रिपोर्ट 2018 और 2022 में जारी की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब तैयार करता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

Figure 1. The world is extremely unequal

Share of global income or wealth per group, 2025

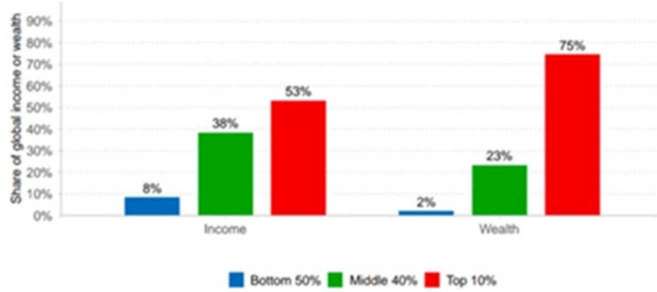

Interpretation. The global bottom 50% captures 8% of total income measured at 2025 PPP. The global bottom 50% owns 2% of wealth (at 2025 PPP). The global top 10% owns 75% of total personal wealth and captures 53% of total income in 2025. Note that top wealth holders are not necessarily top income holders. Income is after pension and unemployment benefits are received by individuals, and before taxes and transfers. **Sources and series:** wir2026.wid.world/methodology.

- **वैश्विक संपत्ति (Wealth) का संकेंद्रण:** विश्व के सबसे धनी 1% लोगों के पास विश्व की 37% संपत्ति है। वहीं, विश्व के सबसे धनी 10% लोगों के पास विश्व की 75% संपत्ति है। भारत के सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की लगभग 40% संपत्ति है। वहीं, भारत के सबसे धनी 10% लोगों के पास देश की लगभग 65% संपत्ति है।
- **वैश्विक आय (Income) का संकेंद्रण:** विश्व के सबसे धनी 10% लोग विश्व की 53% आय अर्जित करते हैं।
- भारत के सबसे धनी 1% लोग देश की लगभग 23% आय अर्जित करते हैं। वहीं भारत के सबसे धनी 10% लोग राष्ट्रीय आय का 58% अर्जित करते हैं।
- **संपत्ति संवृद्धि :** 1990 के दशक से विश्व में अरबपतियों की संपत्ति 8% वार्षिक की दर से बढ़ी है। यह विश्व की सबसे कम आय वाली आधी आबादी की आय-वृद्धि की तुलना में लगभग दोगुनी दर है।
- **जलवायु परिवर्तन में योगदान के स्तर पर असमानता:** विश्व के सबसे धनी 10% लोग विश्व में 77% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं, सबसे निर्धन 50% लोग केवल 3% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।
- **संरचनात्मक असंतुलन:** प्रत्येक वर्ष ग्लोबल साउथ के देशों से ग्लोबल नॉर्थ के देशों में वैश्विक GDP के 1% से अधिक राशि स्थानांतरित होती है। यह राशि विकास सहायता के रूप में मिलने वाली राशि से 3 गुनी अधिक है। ग्लोबल साउथ के देश कर्ज के ब्याज और मूलधन के भुगतान, लाभ के भुगतान और वित्तीय निवेश के रूप में राशि भेजते हैं।

रिपोर्ट में किए गए नीतिगत सुझाव

- **प्रगतिशील कर प्रणाली और कर-न्याय लागू करना:** अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर (Global minimum tax) लागू किया जाए। टैक्स चोरी रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया जाए। इससे जन-सेवाओं के लिए संसाधन उपलब्ध हो सकेगा और असमानता कम होगी।
- **लोक सेवाओं में निवेश बढ़ाना:** उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएँ, पोषण और बाल-देखभाल सेवाओं में निवेश बढ़ाया जाए। इससे प्रारंभ में ही असमानताओं को कम किया जा सकेगा और अवसर सृजित होंगे।
- **धन पुनर्वितरण कार्यक्रम:** नकद अंतरण (कैश ट्रांसफर), पेंशन, और बेरोजगारी भत्तों के माध्यम से संसाधनों को सबसे निर्धन आबादी तक पहुंचाया जाए।
- **लैंगिक समानता सुनिश्चित करने हेतु उपाय करना:** वहनीय बाल-देखभाल सेवाएं, मातृत्व-पितृत्व अवकाश (Parental leave), महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन और भेदभाव-रोधी कानूनों को लागू किया जाए। इससे महिलाओं पर पड़ने वाले अवैतनिक देखभाल कार्य (Unpaid care work) के बोझ को कम किया जा सकेगा।
- **स्वामित्व या जिम्मेदारी आधारित जलवायु नीति:** सबसे अधिक धनी लोग सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु दी जाने वाली सब्सिडी के साथ अधिक उत्सर्जन पर प्रगतिशील कर लगाया जाए। निजी क्षेत्र की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा हरित (ग्रीन) निवेश को प्राथमिकता दी जाए ताकि नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य प्राप्त हो सके और संपत्ति का संकेंद्रण न बढ़े।
- **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय-प्रणाली में सुधार करना:** एक वैश्विक मुद्रा और केंद्रीकृत क्रेडिट प्रणाली लागू की जाए। साथ ही, आधिक्य कर (सरप्लस टैक्स) का उपयोग विकासशील देशों में सामाजिक क्षेत्र में निवेश में किया जाए।

रिपोर्ट में नीतिगत सुझाव

रिपोर्ट असमानता कम करने के लिए व्यावहारिक और प्रगतिशील नीतियों की वकालत करती है। ये सुझाव वैश्विक सहयोग पर आधारित हैं:

1. प्रगतिशील कर प्रणाली और कर न्याय:

- अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर (Global Minimum Tax on Billionaires) लगाएं।
- टैक्स चोरी रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाएं। इससे जनसेवाओं के लिए संसाधन जुटेंगे और असमानता घटेगी।

2. लोक सेवाओं में निवेश:

- निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बाल देखभाल सेवाओं में निवेश बढ़ाएं। इससे प्रारंभिक असमानताओं को रोका जा सकेगा और समान अवसर सृजित होंगे।

3. धन पुनर्वितरण कार्यक्रम:

- नकद अंतरण (कैश ट्रांसफर), पेंशन और बेरोजगारी भत्तों के माध्यम से संसाधन गरीबों तक पहुंचाएं।

4. लैंगिक समानता के उपाय:

- सस्ती बाल देखभाल, मातृत्व-पितृत्व अवकाश, समान वेतन और भेदभाव-रोधी कानून लागू करें। इससे महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ कम होगा।

5. जलवायु नीति में जिम्मेदारी आधारित दृष्टिकोण:

- अमीरों पर अधिक उत्सर्जन के लिए प्रगतिशील कर लगाएं। सब्सिडी को न्यायपूर्ण बनाएं।
- निजी क्षेत्र के बजाय सार्वजनिक निवेश को प्राथमिकता दें ताकि नेट-जीरो लक्ष्य प्राप्त हो और संपत्ति संकेंद्रण न बढ़े।

6. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार:

- वैश्विक मुद्रा और केंद्रीकृत क्रेडिट प्रणाली लागू करें।
- आधिक्य कर (Surplus Tax) का उपयोग विकासशील देशों के सामाजिक निवेश में करें।
- ग्लोबल साउथ से नॉर्थ की ओर धन प्रवाह रोकने के लिए बहुपक्षीय सुधार।
- ये सुझाव तत्काल लागू करने योग्य हैं और रिपोर्ट के अनुसार, इन्हें अपनाने से असमानता 10-15 वर्षों में आधी हो सकती है।

निष्कर्ष:

विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 एक चेतावनी है कि असमानता न केवल आर्थिक, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय संकट का कारण बन रही है। भारत जैसे उभरते देशों में यह विशेष रूप से चिंताजनक है, जहां विकास के लाभ ऊपरी स्तर तक सीमित हैं। रिपोर्ट बहुपक्षीय सहयोग की मांग करती है, खासकर G20 जैसे मंचों पर। यदि नीतियां लागू न हुईं, तो यह वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 'विश्व असमानता रिपोर्ट 2026' (World Inequality Report 2026) निम्नलिखित में से किस संस्था/लैब द्वारा जारी की गई है?

(A) विश्व बैंक (B) ऑक्सफैम इंटरनेशनल

(C) वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब (World Inequality Lab)

(D) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)

उत्तर: (C)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक और भारतीय स्तर पर धन एवं आय की असमानता में तेज वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए असमानता कम करने के लिए रिपोर्ट में दिए गए नीतिगत सुझावों की समीक्षा कीजिए। क्या आप मानते हैं कि अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर और ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ की ओर होने वाला धन-स्थानांतरण रोकना सबसे प्रभावी उपाय हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। (150 शब्द)

भारत में गरीबी (Poverty in India)

चर्चा में क्यों?

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया द्वारा किये गए एक नए शोध पत्र में पाया गया है कि भारत ने वर्ष 2011–12 से वर्ष 2023–24 के बीच चरम गरीबी को लगभग समाप्त कर दिया है।भारत में गरीबी में तीव्र गिरावट देखी गई है, जिसमें चरम गरीबी लगभग 2% तक कम हो गई है, साथ ही सामाजिक और धार्मिक समूहों में भी महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। बढ़ती खपत, मज़बूत कल्याण प्रणाली और व्यापक ग्रामीण सुधारों ने गरीबी में कमी लाने में सहायता की है।

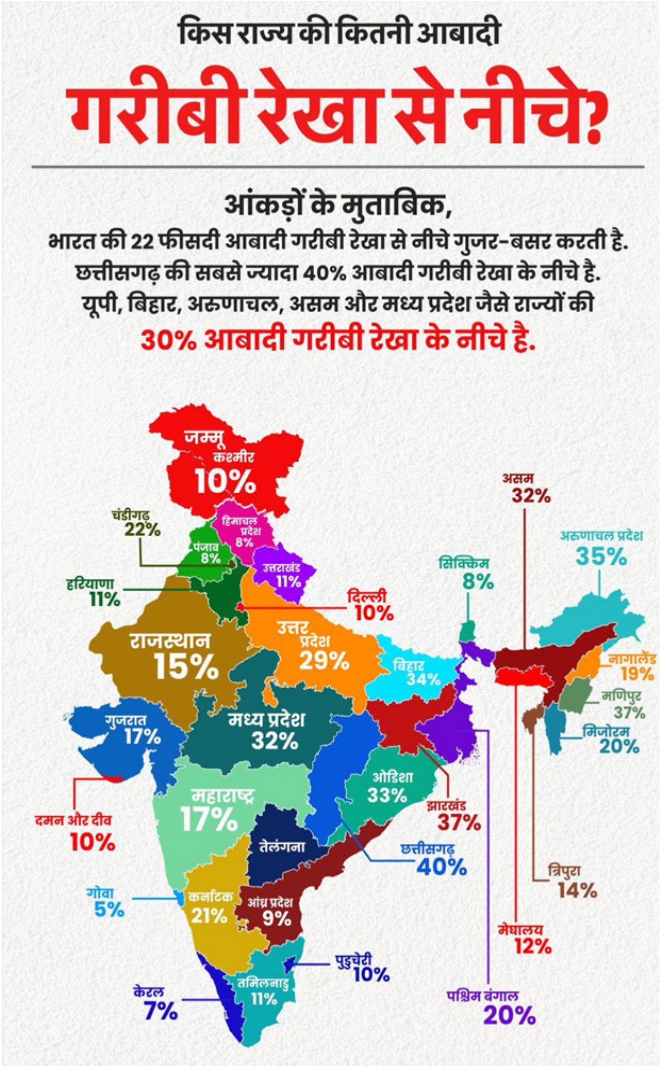

गरीबी पर अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **चरम गरीबी लगभग समाप्त :** वर्ष 2011–12 से वर्ष 2023–24 के बीच गरीबी 21.9% से घटकर 2.3% हो गई, जिससे चरम गरीबी के लगभग समाप्त होने का संकेत मिलता है। यह गिरावट बढ़ती खपत और कल्याण, पोषण तथा मूलभूत सेवाओं तक बेहतर पहुँच के कारण हुई।
- **सभी सामाजिक समूहों में गरीबी में कमी:** अनुसूचित जातियाँ (SC), अनुसूचित जनजातियाँ (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और FC सभी में गरीबी में महत्त्वपूर्ण कमी आई। अनुसूचित जनजातियों में गरीबी 8.7% तक घट गई। हालाँकि यह अन्य समूहों की तुलना में अभी भी अधिक है। धार्मिक आधार पर गरीबी का अंतर तेज़ी से कम हुआ है और अब मुस्लिम समुदाय में ग्रामीण गरीबी हिंदुओं की तुलना में थोड़ी कम दर्ज की गई है, जिससे यह सामान्य धारणा कि मुस्लिम समुदाय में अधिक गरीबी है, जो बदल गई है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र कमी:** ग्रामीण गरीबी में 22.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट हुई, जो शहरी क्षेत्र की 12.6 अंकों की गिरावट से अधिक है। यह मज़बूत कल्याण और बढ़ती खपत के कारण संभव हुआ।
- **लगभग शून्य गरीबी:** हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़ और दमन-दीव में गरीबी स्तर लगभग शून्य के करीब रिकॉर्ड किये गए।

गरीबी क्या है?

- **विश्व बैंक के अनुसार,** 'कल्याण में स्पष्ट कमी' है। गरीब वे लोग हैं जिनकी आय या उपभोग इतना नहीं है कि वे एक न्यूनतम स्वीकार्य स्तर से ऊपर उठ सकें।
- अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा, जिसका उपयोग निम्न-आय अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक गरीबी को मापने के लिये किया जाता है, प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3.00 अमेरिकी डॉलर पर निर्धारित की गई है (वर्ष 2021 की क्रय शक्ति समानता के आधार पर)।
- **NITI आयोग के अनुसार,** गरीबी को मापने के लिये गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है (बुनियादी सामाजिक रूप से स्वीकार्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक न्यूनतम व्यय) और गरीबी अनुपात उस जनसंख्या के हिस्से को दर्शाता है जो इस रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है।

भारत में गरीबी का आकलन:

- **स्वतंत्रता के बाद:** योजना आयोग (1962) ने आधिकारिक गरीबी आकलन शुरू किया।
- **बाद में अलघ समिति (1979) और लकड़ावाला समिति (1993) :** जैसी समितियों ने विधियों को परिष्कृत किया, जिसमें उपभोग व्यय तथा कैलोरी मानदंड पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **तेंदुलकर समिति (2009):** कैलोरी-आधारित मानकों से हटकर, एक समान अखिल भारतीय पॉवर्टी लाइन बास्केट (PLB) की सिफारिश की गई और मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड (MRP) उपभोग डेटा को अपनाया गया। इसने वर्ष 2011-12 की गरीबी रेखा का अनुमान 816 रुपये (ग्रामीण) और 1,000 रुपये (शहरी) प्रति व्यक्ति प्रति माह लगाया।
- **रंगराजन समिति (2014):** तेंदुलकर पद्धति की आलोचना के बाद गठित, इसने ग्रामीण और शहरी PLB को अलग कर दिया, जिसका अनुमान 972 रुपये (ग्रामीण) तथा 1,407 रुपये (शहरी) प्रति व्यक्ति प्रति महीना था। हालाँकि, सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी सिफारिशों को नहीं अपनाया।

- **बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI):** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा वर्ष 2010 में शुरू किया गया, MPI आय से परे गरीबी को मापता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभावों को ध्यान में रखा जाता है। यह एक साथ गरीब व्यक्तियों के अनुपात और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली अभावग्रस्तताओं की औसत संख्या दोनों को दर्शाता है।
- **राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (NMPI):** नीति आयोग NMPI को मापने के लिये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) का उपयोग करता है।
- भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गई है, जिससे लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं।
- गिनी इंडेक्स वर्ष 2011-12 में 28.8 से घटकर वर्ष 2022-23 में 25.5 हो गया, जो असमानता में कमी को दर्शाता है।

गरीबी का प्रकार :

1. **चरम गरीबी (Extreme poverty) :** इसे 2021 की क्रय शक्ति समता के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3.00 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करने के रूप में परिभाषित किया गया है।
2. **सापेक्ष गरीबी (Relative poverty) :** गरीबी का मापन समाज की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में किया जाता है।
3. **बहुआयामी गरीबी (MPI) :** यह केवल आय ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में मौजूद विभिन्न कमियों पर विचार करता है।
4. **उपभोग आधारित गरीबी (Consumption-based poverty) :** घरेलू उपभोग व्यय के आधार पर मापा जाता है।

भारत में गरीबी में योगदान देने वाले कारक क्या हैं?

PRESSURE रणनीति :

- **P – निरंतर असमानता (persistent inequality) :** आय का केंद्रीकरण उच्च बना हुआ है, शीर्ष 10% व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है, जिससे निम्न आय वाले परिवारों के लिये अपने जीवन स्तर में सुधार करने के लिये कम संसाधन और अवसर बचते हैं।
- **R – ग्रामीण आर्थिक निर्भरता (Rural economic dependence) :** कृषि भारत के 46% कार्यबल को नियोजित करती है, लेकिन GDP में इसका योगदान केवल 18% है, जिससे व्यापक स्तर पर अल्प-नियोजन और कम आय की समस्या उत्पन्न होती है।
- **E – शिक्षा और कौशल की कमी (Lack of education and skills) :** ASER की वर्ष 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि कक्षा 5 के 50% छात्र कक्षा 2 के पाठ को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, जिससे भविष्य में आय संबंधी गतिशीलता सीमित हो जाती है।
- **S – सामाजिक बहिष्कार (social exclusion):** विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, महिलाएँ श्रम आय का केवल 18% ही अर्जित करती हैं, और महिला श्रम बल की भागीदारी लगभग 31% ही बनी हुई है, जो गहरी सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दर्शाती है।
- **S – मलिन बस्तियों का विस्तार और शहरी भेद्यता (Expansion of slums and urban vulnerability):** भारत की शहरी जनसंख्या का लगभग 17% हिस्सा मलिन बस्तियों में रहता है (जनगणना 2011), जिसमें हालिया वृद्धि प्रवासन और सीमित किफायती आवास के कारण हुई है।
- **U – बेरोज़गारी और अनौपचारिक कार्य (Unemployment and informal work):** युवा बेरोज़गारी दर 10.2% (PLFS 2023-24) है, जो स्नातकों के लिये बढ़कर 29% हो गई है और कार्यबल का 80% से अधिक हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के बिना अनौपचारिक नियोजन में कार्यरत है।
- **R – क्षेत्रीय असमानताएँ (Regional inequalities) :** बिहार जैसे राज्यों में गरीबी का स्तर 25% से अधिक बना हुआ है, जबकि केरल में चरम गरीबी शून्य है, जो संपूर्ण भारत में असमान विकास को दर्शाता है।
- **E – पर्यावरणीय और जलवायु तनाव (Environmental and climate stress) :** लगभग 51% भारतीय बालक गरीबी और जलवायु भेद्यता के दोहरे बोझ का सामना करते हैं; चक्रवात अम्फान जैसी आपदाओं ने अकेले वर्ष 2020 में 24 लाख लोगों को विस्थापित किया।

भारत में निर्धनता कम करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

निरंतर बनी रहने वाली निर्धनता को कम करने के लिये भारत को प्रभावी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है जिससे अवसरों का विस्तार हो, सुरक्षा संजाल सुदृढ़ हो तथा समावेशी एवं अनुकूल विकास को बढ़ावा मिले।

PROSPER रणनीति :

- **P- लोक सेवाओं को प्रभावी बनाना (Making public services effective):** आयुष्मान भारत, पोषण अभियान और समग्र शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण

स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना चाहिये ताकि दीर्घकालिक मानव पूंजी के साथ अनुकूलनशीलता का निर्माण किया जा सके।

- **R- ग्रामीण आजीविका में विविधता लाना (Diversifying rural livelihoods) :** गैर-कृषि ग्रामीण आय को बढ़ावा देने हेतु MGNREGA पर बल देने के साथ PM-KUSUM, डेयरी/मत्स्य पालन मिशन के माध्यम से संपत्ति सृजन को बढ़ावा देकर कम उत्पादकता वाली कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना।
- **O – कौशल विकास और रोज़गार के अवसर (Skill development and employment opportunities):** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) को उन्नत बनाकर तथा मेक इन इंडिया के तहत श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देकर युवा बेरोज़गारी का समाधान करना।
- **S - सामाजिक सुरक्षा संजाल को सुदृढ़ करना (Strengthening the social security network):** आर्थिक असंतुलन से संवेदनशील परिवारों की सुरक्षा हेतु वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) 2.0 और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणालियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, आवास और प्रत्यक्ष सहायता को सुदृढ़ करना।
- **P - महिलाओं और उपेक्षित समूहों की समावेशिता बढ़ाना (Increasing the inclusion of women and marginalized groups) :** आकांक्षी ज़िलों में DAY-NRLM SHG और लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से आर्थिक भागीदारी को गहन करना।
- **E - जलवायु-अनुकूल प्रणालियों का विकास करना (Developing climate-friendly systems):** मिशन LiFE के तहत जल संरक्षण मिशनों तथा जलवायु-अनुकूल प्रथाओं के माध्यम से ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा करना।
- **R - क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना (Reducing regional inequalities) :** संतुलित विकास सुनिश्चित करने हेतु PM-जनमन और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के माध्यम से पिछड़े राज्यों तथा आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।

निष्कर्ष :

भारत में निर्धनता की समस्या व्यापक अभाव से परे असमानता, जलवायु दबाव और क्षेत्रीय विषमताओं जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में व्याप्त संवेदनशीलता तक सीमित हो गई है। सुनियोजित PRESSURE रणनीति और PROSPER रणनीति से भारत को समावेशी एवं धारणीय रूप से निर्धनता उन्मूलन में मदद मिल सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. UNDP के समर्थन से 'ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व' द्वारा विकसित 'बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक' में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सम्मिलित है/हैं? (2012)

1. पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन
2. राष्ट्रीय स्तर पर क्रय-शक्ति समता
3. राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की विकास दर

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं, जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं ? (2024)

भारत की डिजिटल जनगणना 2027 : डिजिटल युग में जनसंख्या आंकड़ों की नई रूपरेखा

परिचय :

- भारत की 2027 की जनगणना देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें स्मार्टफोन ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए डेटा संग्रह होगा, जिससे प्रक्रिया तेज़, सटीक और पारदर्शी बनेगी; इसमें पहली बार एससी/एसटी के अलावा अन्य जातियों की गणना भी शामिल होगी और यह दो चरणों में (अप्रैल 2026 से शुरू होकर) होगी, जिसका लक्ष्य आधुनिक तकनीक से देश के सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को समझना है, ताकि बेहतर नीति-निर्माण हो सके।
- जनगणना किसी भी देश की नीति-निर्माण प्रक्रिया की रीढ़ होती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जनसंख्या के सटीक, अद्यतन और सूक्ष्म स्तर के आंकड़े

सामाजिक न्याय, संसाधन वितरण और समावेशी विकास के लिए अनिवार्य हैं।

- 13 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत की जनगणना 2027 को मंजूरी प्रदान की गई। यह देश की 16वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। कोविड-19 के कारण स्थगित 2021 की जनगणना के बाद यह अभ्यास नीति-निर्माण में उत्पन्न डेटा-अंतर को भरने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

भारत में जनगणना : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

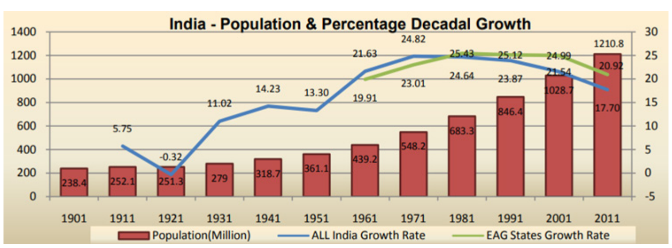

भारत में जनगणना की परंपरा औपनिवेशिक काल से प्रारंभ होती है।

- **1872:** पहली गैर-समकालिक जनगणना
- **1881:** पहली समकालिक जनगणना
- **1951:** स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना
- **वैधानिक आधार:** जनगणना अधिनियम, 1948
- **आयोजक संस्था:** गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत का रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय
- **पिछली जनगणना:** 2011 (जनसंख्या ~121 करोड़)

2021 की जनगणना स्थगित होने से कई कल्याणकारी योजनाएं पुराने आंकड़ों पर आधारित रहीं, जिससे लक्ष्य निर्धारण और संसाधन आवंटन प्रभावित हुआ।

जनगणना 2027 के मुख्य विवरण

चरणबद्ध संचालन : जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी:

1. प्रथम चरण (अप्रैल–सितंबर 2026)

- मकान सूचीकरण एवं आवास गणना
- घरों की संख्या, आवासीय स्थिति, मूलभूत सुविधाएं

2. द्वितीय चरण (फरवरी 2027) :

- जनसंख्या प्रगणना
- आयु, लिंग, साक्षरता, धर्म, सामाजिक-आर्थिक विवरण

जनगणना 2027 की प्रमुख विशेषताएं:

- **पूर्णतः** डिजिटल: मोबाइल ऐप (Android/iOS) और वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा कलेक्शन, कागज़-आधारित फॉर्म खत्म।

दो-चरणीय प्रक्रिया:

- **चरण 1 (हाउसलिस्टिंग):** अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों और सुविधाओं की जानकारी।
- **चरण 2 (जनगणना):** फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना।
- **जाति गणना:** स्वतंत्रता के बाद पहली बार अनुसूचित जातियों (SC) और जनजातियों (ST) के अलावा अन्य जातियों का डेटा भी एकत्र किया जाएगा (1931 के बाद)।
- **तकनीकी नवाचार:** GPS एकीकरण, जियो-टैगिंग, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए CMMS पोर्टल, और डेटा सुरक्षा पर ज़ोर (DPDP Act के अनुरूप)।
- **स्व-गणना विकल्प:** लोग NPR अपडेट के दौरान ऑनलाइन खुद भी जानकारी भर सकेंगे।
- **व्यापक कवरेज:** लगभग 35 लाख फील्ड फंक्शनरी को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- **बजट:** ₹11,718.24 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

1. भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना

- मोबाइल एप्लिकेशन आधारित डेटा संग्रह
- कागज-मुक्त, तेज और अधिक सटीक प्रक्रिया

- मानवीय त्रुटियों में कमी

2. जातिगत डेटा का संग्रह

- जनसंख्या प्रगणना चरण में जातिगत आंकड़े दर्ज किए जाएंगे
- सामाजिक न्याय, आरक्षण नीति और लक्षित कल्याण योजनाओं के लिए महत्त्वपूर्ण

3. नई तकनीकी पहल

- जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS)
- वास्तविक समय निगरानी
- फील्ड-स्तरीय प्रगति की ट्रैकिंग
- सेंसस-एज़-ए-सर्विस (CaaS)
- मंत्रालयों को मशीन-रीडेबल और एक्शन-ओरिएंटेड डेटा
- डेटा-आधारित शासन को बढ़ावा

4. नागरिक सहभागिता

- स्व-प्रगणना (Self-Enumeration) का विकल्प
- ई-गवर्नेंस और जनभागीदारी को प्रोत्साहन
- जनगणना 2027 का महत्व और नीतिगत प्रभाव
- **सामाजिक क्षेत्र:** शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला एवं बाल विकास योजनाओं की बेहतर योजना
- **आर्थिक क्षेत्र:** श्रमबल, बेरोजगारी, जनसंख्या लाभांश का आकलन
- **सामाजिक न्याय:** जातिगत आंकड़ों से पिछड़े वर्गों की सटीक पहचान

लक्षित आरक्षण और सब्सिडी नीति

- **SDGs की प्राप्ति:** गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, समावेशी विकास
- **संघवाद पर प्रभाव:** वित्त आयोग, परिसीमन और संसाधन बंटवारे में उपयोग

प्रमुख चुनौतियां :

महत्व (Significance):

- **नीति निर्माण:** लक्षित सामाजिक-आर्थिक नीतियों और योजनाओं के लिए सटीक डेटा प्रदान करना (जैसे कौशल विकास, आपदा प्रबंधन)।
- **आधुनिक शासन:** डिजिटल इंडिया के तहत गवर्नेंस में बड़ा कदम।
- परिसीमन: लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का आधार बनेगा।
- **डिजिटल डिवाइड:** दूरदराज के इलाकों और डिजिटल रूप से कम साक्षर आबादी तक पहुंचना।
- **प्रशिक्षण:** फील्ड स्टाफ को ऐप के इस्तेमाल की अच्छी ट्रेनिंग देना।
- **डिजिटल डिवाइड** – ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में तकनीकी पहुंच
- डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा
- **स्व-प्रगणना में डेटा की प्रामाणिकता :** जातिगत डेटा से उत्पन्न राजनीतिक संवेदनशीलता

समाधान और आगे की राह :

- व्यापक जनजागरूकता अभियान
- फील्ड कर्मियों का तकनीकी प्रशिक्षण
- मजबूत डेटा सुरक्षा ढांचा
- पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु CMMS का प्रभावी उपयोग

निष्कर्ष :

जनगणना 2027 भारत में डिजिटल गवर्नेंस, सामाजिक समावेशन और डेटा-आधारित नीति-निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यदि इसे समावेशी, सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से लागू किया गया, तो यह भारत के विकास पथ को अधिक न्यायसंगत और प्रभावी बना सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत की जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी।
2. जनसंख्या प्रगणना चरण में जातिगत डेटा भी एकत्र किया जाएगा।
3. जनगणना अधिनियम, 1951 इसके संचालन का वैधानिक आधार प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1 और 2 केवल (b) 2 और 3 केवल

(c) 1 और 3 केवल (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत की जनगणना 2027 की डिजिटल विशेषताओं एवं जातिगत डेटा संग्रह के महत्व का विश्लेषण कीजिए। यह प्रक्रिया सामाजिक-आर्थिक नीति-निर्माण को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? (250 शब्द)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के 5 वर्ष (5 YEARS OF NATIONAL EDUCATION POLICY : NEP - 2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के बारे में :

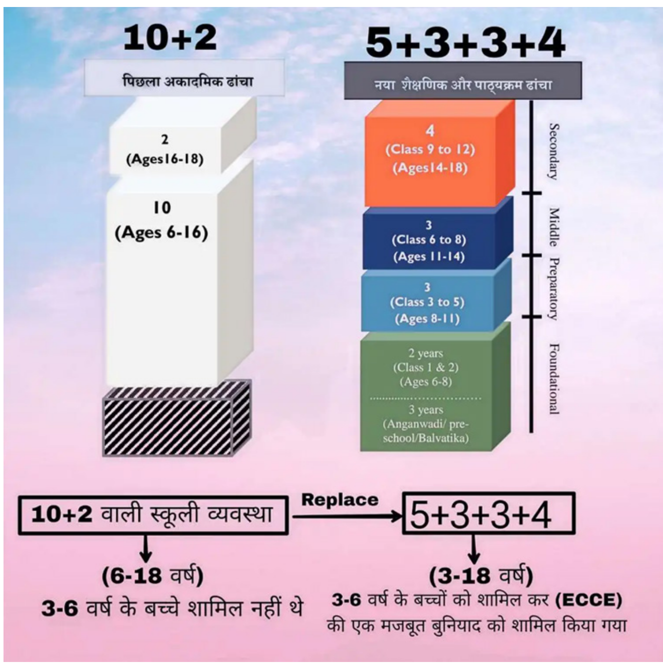

यह स्वतंत्रता के बाद देश की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली दो नीतियाँ क्रमशः 1968 और 1986 में जारी की गई थीं। 1986 वाली नीति को 1992 में संशोधित किया गया था। NEP, 2020 का मसौदा कस्तूरीरंगन समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर तैयार किया गया था।

NEP के मूलभूत सिद्धांत :

- **वैचारिक समझ पर ज़ोर:** इसमें रटने की बजाय समझ विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **तकनीक का उपयोग:** शिक्षण और सीखने के तरीके में, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने तथा दिव्यांग छात्रों तक पहुंच बनाने के लिए तकनीक को अपनाने पर बल दिया गया है।
- **'हल्का लेकिन मज़बूत' विनियामक फ्रेमवर्क:** सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करता है।
- **विविधता का सम्मान:** सभी पाठ्यक्रमों, शिक्षण कार्य और नीति में स्थानीय संदर्भों को शामिल किया गया है।

शब्दावली को जानें

- **सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio - GER):** किसी भी शैक्षिक स्तर पर नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या, भले ही उनकी आयु कुछ भी हो।
- **आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy - FLN):** कक्षा 3 के अंत तक समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणितीय गणनाएं करने की क्षमता।

- **समानता और समावेशन:** यह प्रावधान वंचित वर्गों के लिए किया गया है।
- **अनुसंधान:** यह उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है।
- **प्रगति की निरंतर समीक्षा:** निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर निरंतर समीक्षा करना।

NEP 2020 के प्रमुख फोकस क्षेत्र

स्कूली शिक्षा :

- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education: ECCE)
- 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक ढांचा (NCPFECCE)।
- बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy: FLN)
- **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA/ दीक्षा):** यह स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है, जो 133 भारतीय भाषाओं में डिजिटल शिक्षण सामग्री प्रदान करता है।

नई शिक्षाशास्त्रीय और पाठ्यक्रम संरचना

5+3+3+4 की रूपरेखा और NCERT द्वारा तैयार किया गया स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (NCFSE)।

बहुभाषावाद :

- **कक्षा 5 तक और अधिमानतः** कक्षा 8 व उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम, क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा होगी।

मूल्यांकन सुधार

- **राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, PARAKH/ परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण):** यह छात्रों के आकलन एवं मूल्यांकन के लिए एक मानक-निर्धारण निकाय है।

शिक्षक :

- प्रत्येक स्कूल स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) 30:1 से कम रखना।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा (TETs) को बेहतर बनाना।
- प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष कम-से-कम 50 घंटे का सतत पेशेवर विकास प्रशिक्षण लेना होगा।

मानक- निर्धारण और प्रत्यायन

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा स्कूल गुणवत्ता आकलन और प्रत्यायन संरचना (School Quality Assessment and Accreditation Form: SQAAF) विकसित की जाएगी।
- उच्चतर शिक्षा

गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय और कॉलेज

- विविध निकास विकल्पों के साथ 3 या 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम।
- विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) से अर्जित शैक्षिक क्रेडिट्स को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट (ABC) की स्थापना की जाएगी,

शिक्षक शिक्षा

- शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए SWAYAM/ DIKSHA जैसे तकनीकी मंचों का उपयोग।
- **नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग:** शिक्षकों को अनुभवी पेशेवरों द्वारा गुणवत्तापूर्ण मेंटरिंग सत्रों के जरिए प्रशिक्षित किया जाता है।

नियामकीय रूपांतरण

- भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) अम्ब्रेला विनियामक संस्था के रूप में कार्य करेगा, जिसके अंतर्गत चार स्वतंत्र स्तर होंगे।
- अन्य प्रमुख क्षेत्र व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति (NCIVE)। व्यावसायिक शिक्षा। वयस्क शिक्षा और आजीवन सीखना।
- भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना।
- एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण, आदि।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख उपलब्धियां

- **स्कूली शिक्षा (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25) :** प्राथमिक GER ~93%, ड्रॉपआउट दर में गिरावट (प्राथमिक 1.9%, माध्यमिक 14.1%)। कंप्यूटर उपलब्धता 38.5% से 57.2% और इंटरनेट 22.3% से 53.9%।
- **ASER 2024 में FLN में सुधार:** कक्षा 3 में पढ़ने की क्षमता में वृद्धि, 15-16 वर्ष में गैर-नामांकन 13.1% से 7.9%I NISHTHA से 12.97 लाख शिक्षक प्रशिक्षितIPM SHRI से 14,500 स्कूलों का कायाकल्प। प्राथमिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक सकल नामांकन अनुपात (GER): 93%
- **स्कूल ड्रॉपआउट दर में गिरावट:** प्राथमिक स्तर पर 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर 14.1%
- **डिजिटलीकरण :** 2019-20 से 2023-24 के बीच कंप्यूटर की उपलब्धता वाले विद्यालय 38.5% से बढ़कर 57.2% और इंटरनेट सुविधा वाले स्कूल 22.3% से बढ़कर 53.9% हो गए हैं। उच्चतर शिक्षा (18-23 आयु वर्ग) (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)
- **GER में वृद्धि :** 2014-15 में 23.7% से बढ़कर 2021-22 में 28.4% हो गया।
- **कुल उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) की संख्या में वृद्धि:** इनमें 2014-15 से 2022-23 तक 13.8% की वृद्धि हुई है।

ग्रामीण विद्यालय (वार्षिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट (ASER:2025)

- **FLN निर्देश:** 15,728 ग्रामीण विद्यालयों में से 80% से अधिक को FLN निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं।

- **6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में कुल विद्यालय नामांकन दर:** पिछले लगभग 20 वर्षों से 95% से अधिक रही है।
- **विद्यालय में नामांकन न करवाने वाले 15-16 वर्ष की आयु के बच्चों के अनुपात में गिरावट:** यह 2018 के 13.1% से घटकर 2024 में 7.9% हो गया है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण:** NISHTHA (शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम) के तहत 12.97 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- **नवाचार:** 2023-24 में पेटेंट की संख्या 92,168 तक पहुंच गई, जिसमें उच्चतर शिक्षण संस्थानों का योगदान 25% था।
- **समावेशिता:** समावेशी आवासीय विद्यालयों में 7.58 लाख लड़कियों का नामांकन हुआ।
- **अंतर्राष्ट्रीयकरण:** डीकिन और वोलोंगोंग विश्वविद्यालयों (ऑस्ट्रेलिया) तथा साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय (यूके) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के परिसर भारत में भी खोले गए हैं।
- **साक्षरता:** लद्दाख पहला पूर्ण साक्षर प्रशासनिक क्षेत्र बना, जिसके बाद मिज़ोरम, गोवा और त्रिपुरा का स्थान आता है।
- **बहुभाषावाद:** CUET, JEE (Mains) और NEET (UG) जैसी राष्ट्रीय परीक्षाएं 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** PARAKH/ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (दिसंबर 2024) के तहत 74,000 विद्यालयों के 21.15 लाख छात्रों को कवर किया गया है।

NEP 2020 को लागू करने में चुनौतियां

- **अपर्याप्त फंडिंग:** भारत में कुल शिक्षा व्यय GDP के 3% के आस-पास है, जबकि NEP का लक्ष्य इसे GDP का 6% तक करना है।
- वित्त-पोषण मुख्य रूप से इनपुट-आधारित है, जो अवसंरचना, भर्ती और सामग्री वितरण पर केंद्रित है। इस वजह से वास्तविक शिक्षण परिणामों में सुधार नहीं हो रहा है।
- **केंद्र-राज्य नीतिगत विभाजन:** उदाहरण के लिए- केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने पीएम श्री (PM-SHRI) विद्यालयों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इसके लिए NEP को पूरी तरह से अपनाने की शर्त है।
- **संस्थागत विलंब:** UGC के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) के गठन और शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के गठन में देरी हो रही है।
- **अत्यधिक विनियमन:** विनियामक फ्रेमवर्क (UGC/ AICTE) में वर्तमान में शिक्षा और अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 50 से अधिक नियम शामिल हैं।
- **प्रतिधारण दर के संबंध में चुनौतियां:** उदाहरण के लिए- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा I से XII) के मामले में प्रतिधारण दर 45.6% है।

अन्य मुद्दे:

- शिक्षकों को तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लैपटॉप को स्मार्ट बोर्ड से जोड़ने में कठिनाई आदि शामिल हैं।
- तमिलनाडु जैसे राज्यों ने त्रि-भाषा फार्मूला को थोपने का विरोध किया गया है।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में प्रभावी शिक्षण अवधि की कमी (प्रति दिन केवल 35 मिनट)।
- चार-वर्षीय स्नातक डिग्री को लागू करने में अवसंरचना और फैकल्टी की कमी के कारण चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शुरू की गई प्रमुख सरकारी योजनाएं/ पहलें :

- **पीएम श्री/ PM SHRI (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया):** इसका लक्ष्य 2022-2027 तक 14,500 से अधिक स्कूलों का कायाकल्प करना है।
- बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता हेतु
- **राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत/ NIPUN Bharat):** इसका उद्देश्य 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) सुनिश्चित करना है।
- **वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS):** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है, जो एक ही मंच पर विद्वत्तापूर्ण शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करती है।
- **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के लिए पहल:** भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए पीएम ई-विद्या DTH चैनल; प्रशस्त (PRASHAST) नामक दिव्यांगता स्क्रीनिंग व्यवस्था आदि।

- **प्रेरणा (PRERNA):** यह कक्षा 9 से 12 तक के चयनित छात्रों के लिए एक आवासीय कार्यक्रम है, जो अनुभवात्मक शिक्षा पर केंद्रित है।
- **उल्लास/ ULLAS या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (NILP):** यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाने के लिए एक केंद्र प्रायोजित पहल है, जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए थे।
- **विद्यांजलि:** यह एक स्वयंसेवी आधारित स्कूली कार्यक्रम है, जो सामुदायिक सहभागिता और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- **राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र (RVSK):** यह साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए स्कूली शिक्षा के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) पर रियल टाइम आधारित डेटा प्रदान करता है।

NEP 2020 को लागू करने संबंधी सुधारों के लिए आगे की राह

- **परिणाम-आधारित वित्त-पोषण (OBF):** वित्त-पोषण के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें भुगतान पूर्व-परिभाषित व सत्यापित परिणामों की उपलब्धि के आधार पर दिया जाता हो, न कि इनपुट या गतिविधियों के आधार पर।
- **बेहतर समन्वय:** प्रगति की निगरानी के लिए एक साझा फ्रेमवर्क विकसित करने और स्थानीय संदर्भों के अनुकूल सुधारों की आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण इकोसिस्टम:** निरंतर निगरानी के साथ लागू करने पर यह जुड़ाव और प्रतिधारण दर में सुधार कर सकता है।
- **जैसे-** शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए AI का लाभ उठाना और छात्रों के लिए AI-संचालित व्यक्तिगत ट्यूटर प्रदान करना।
- **संरचित पीयर लर्निंग को एकीकृत करना:** उदाहरण के लिए- मिशन अंकुर (मध्य प्रदेश और गुजरात) के तहत स्कूलों एवं समुदायों की भागीदारी से प्राथमिक छात्रों के समग्र विकास व FLN कौशल की उपलब्धि सुनिश्चित की जाती है।
- **क्षमता निर्माण:** फैकल्टी विकास कार्यक्रमों में निवेश करना, शिक्षकों के लिए एक सहायता प्रणाली का निर्माण करना और संस्थागत नेतृत्व को मज़बूत बनाना।
- **विकेंद्रीकरण और लचीलापन:** संस्थानों को अपने विशिष्ट संदर्भ के अनुकूल NEP को अपनाने के लिए लचीलापन प्रदान करना, नवाचार एवं स्वामित्व को बढ़ावा देना आदि।

निष्कर्ष :

अपने कार्यान्वयन के पांच साल बाद, NEP 2020 ने समावेशिता, गुणवत्ता और प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करके भारत के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए एक मजबूत नींव रखी है। हालांकि नामांकन, डिजिटल पहुंच और शिक्षक विकास में प्रगति सराहनीय है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए वित्त-पोषण में वृद्धि, बेहतर गवर्नेंस व अवसंरचना और नीतिगत बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है।
2. इसमें 5+3+3+4 की शैक्षणिक संरचना अपनाई गई है।
3. भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) का गठन पूर्ण हो चुका है।

सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 और 2 केवल (b) 2 और 3 केवल
(c) 1 और 3 केवल (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने पाँच वर्षों में भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन किए हैं? इसकी प्रमुख उपलब्धियों, चुनौतियों तथा आगे की राह का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।" (250 शब्द)

महात्मा गांधी और करुणा (Mahatma Gandhi And Compassion)

परिचय :

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान-की-मून ने करुणा के संबंध में महात्मा गांधी के विचारों के महत्त्व पर

प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की स्थापना से बहुत पहले ही इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और उनका पालन किया था। गांधीजी ने नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे वैश्विक नेताओं को भी प्रेरित किया। निस्संदेह महात्मा गांधी के सभी प्रमुख मूल्य, जैसे- अहिंसा, सत्य, शांति, न्याय और समावेशिता भी करुणा की ठोस बाह्य अभिव्यक्तियां हैं।

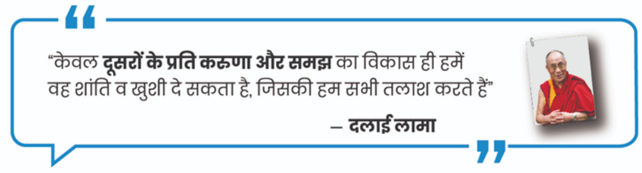

करुणा क्या है?

यह दूसरों के दुख के कारण उत्पन्न होने वाली भावना है, जिसमें उस दुख को कम करने की इच्छा भी जागृत होती है। यह सहानुभूति और समानुभूति से अलग है क्योंकि-

सहानुभूति (Sympathy) किसी दूसरे के दुख या पीड़ा के प्रति दया या दुःख की भावना है, जबकि समानुभूति (Empathy) दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता है। वहीं, करुणा दूसरों के दुख को कम करने की इच्छा के साथ-साथ सहानुभूति और समानुभूति दोनों का संयोजन है।

यह एक सार्वभौमिक नैतिकता है, जो सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक सीमाओं से कहीं बढ़कर है।

महात्मा गांधी के कौन-से प्रमुख मूल्य करुणा को बढ़ावा देते हैं?

- **सत्याग्रह:** यह दूसरों को चोट पहुँचाए बिना अपने अधिकारों को सुरक्षित करने का तरीका है।
- गांधीजी का सत्याग्रह ब्रिटिश जमींदारों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों के निर्मम शोषण को देखने के बाद करुणा से प्रेरित हुआ था।
- महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह साल 1917 में बिहार के चंपारण ज़िले में शुरू किया था।
- **समानता:** गांधीजी ने अस्पृश्यता को एक अभिशाप माना। भेदभाव का शिकार हुए लोगों के प्रति उनकी करुणा ने उन्हें इसके खिलाफ लड़ने हेतु प्रेरित किया।
- उन्होंने महिला सशक्तीकरण के लिए भी काम किया और महिलाओं को त्याग तथा अहिंसा की प्रतिमूर्ति बताया।
- **मानवता के प्रति सम्मान:** गांधीजी के मन में अत्याचारियों के प्रति भी दया थी और उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से नफरत नहीं की।
- **दया:** गांधीजी ने शाकाहार को अपना जीवन दर्शन बनाया था और नैतिक आधार पर जानवरों के वध की निंदा करते थे।
- उनका कहना था कि "चिकित्सकीय सलाह के बावजूद मैं भूख से मरना पसंद करूंगा, लेकिन जानवरों का मांस नहीं खाऊंगा।"
- **सर्वोदय (सभी का कल्याण):** उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर को देखा और माना कि मानवता की सेवा के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है।
- **अहिंसा:** यह परम लक्ष्य यानी सत्य को प्राप्त करने का एक साधन है। अहिंसा का उनका मूल्य एक सकारात्मक अवधारणा थी, जो किसी को चोट न पहुँचाने या हिंसा न करने के विचार के साथ-साथ निःस्वार्थ कार्य के प्रति प्रेम का प्रचार भी करती थी। उन्होंने सत्य को एक सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में माना, जिसे न केवल शब्दों में बल्कि विचारों में भी लागू किया जाना चाहिए।
- **प्रकृति के प्रति चिंता:** उन्होंने बड़े पैमाने पर शहरीकरण से होने वाले नुकसान का जिक्र कर प्रकृति तथा जैव विविधता के संरक्षण का आह्वान किया।
- उनके अनुसार, "पृथ्वी में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं।"
- **परोपकारिता या आत्म-बलिदान:** गांधीजी का समाज के लिए निःस्वार्थ तरीके से कार्य करना दूसरों के प्रति उनकी परोपकारिता और करुणा का एक उदाहरण है।
- "जब भी आप संदेह में हों, या जब अहंकार बहुत बढ़ जाए, तो उस सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर आदमी का चेहरा याद कीजिए जिसे आपने देखा हो और खुद से पूछिए कि आप जो कदम उठाने की सोच रहे हो, क्या उससे उसे कोई फायदा होगा।"
- **ट्रस्टीशिप की अवधारणा:** गांधीजी के अनुसार, जमींदारों व अमीर लोगों को अपनी संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहिए, जैसे उन्होंने अपनी संपत्ति और भौतिक वस्तुओं के अधिकार आम लोगों को समर्पित कर दिए हैं।

महात्मा गांधी द्वारा बताए गए सात घातक सामाजिक पाप

- **कर्म के बिना धन:** यह श्रम किए बिना या बिना कुछ किए कुछ पाने को दर्शाता है। उदाहरण के लिए- बिना

काम किए या अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न किए बिना, बाजारों और परिसंपत्तियों में हेरफेर करना।

- **विवेक के बिना आनंद:** जिम्मेदारी की भावना के बिना सुख भोगना।
- **चरित्र के बिना ज्ञान:** मजबूत और सिद्धांतवादी चरित्र के बिना थोड़ा या बहुत अधिक ज्ञान खतरनाक है।
- **नैतिकता के बिना वाणिज्य (व्यवसाय):** बिना किसी नैतिक आधार के आर्थिक प्रणालियों को संचालित होने देने से एक अनैतिक या भ्रष्ट समाज का निर्माण होता है।
- **मानवता के बिना विज्ञान:** प्रौद्योगिकी जिन उच्चतर मानवीय उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही है, उनके बारे में बहुत कम समझ होना।
- **त्याग के बिना धर्म:** सामाजिक समस्याओं से निपटने की कोशिश किए बिना केवल धर्म के सामाजिक मुखौटे पर चलना।
- **सिद्धांत विहीन राजनीति:** अच्छी और बुरी राजनीति के बीच का अंतर सिद्धांतों तथा इसमें शामिल लोगों के उद्देश्य में निहित है।

करुणा के संबंध में महात्मा गांधी के विचारों की समकालीन प्रासंगिकता :

- **जलवायु संकट का समाधान करना:** प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने का गांधीजी का दर्शन जलवायु संकट से निपटने में विशेष रूप से प्रासंगिक है।
- **समकालीन संघर्ष का समाधान:** "पाप से नफरत करो, पापी से नहीं" - इस संबंध में उनका दृष्टिकोण मानवीय गरिमा को बनाए रखते हुए उन लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिनसे हम असहमत हैं।
- **आर्थिक संकट से निपटना:** गांधीजी के अनुसार, अर्थशास्त्र का सही मायने में अर्थ सामाजिक न्याय के माध्यम से सभी की भलाई को समान रूप से बढ़ावा देना है।
- उनका ध्यान आत्मनिर्भरता, उत्पादन केंद्रों के विकेन्द्रीकरण, ट्रस्टीशिप के विचार, आदि पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समावेशी आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा देना था।
- **सामाजिक परिवर्तन की ताकत:** महात्मा गांधी के विचारों को स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों में उपयोग में लाया जा रहा हैं, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरणादायी आंदोलनों का काम कर रहे हैं।
- **समाज में विखंडन से निपटना:** समावेशी आध्यात्मिकता का उनका दृष्टिकोण सभी धर्मों का सम्मान करता है। यह अंतर-धार्मिक संवाद के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

करुणा को आत्मसात करने के लिए आगे की राह :

- **बचपन से ही करुणा को आत्मसात करना:** सहायता और प्रेरणा प्रदान करने से बच्चों में दूसरों के प्रति जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। इससे उन्हें भविष्य में दयालु व्यक्ति या नेतृत्वकर्ता बनने में मदद मिलेगी।
- **सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना:** इसमें सामाजिक क्षेत्रों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को समझना और उनके समाधान के लिए पहलें शुरू करना शामिल है।
- **आत्म-करुणा का अभ्यास करना:** दूसरों की पीड़ा और भावनाओं को समझने में सक्षम होने के लिए, सबसे पहले खुद की पीड़ा और भावनाओं पर विचार करना होगा।
- **गलतियों और असफलताओं को स्वीकार करना:** धैर्य रखने और दूसरों तथा खुद की गलतियों के लिए क्षमा करने पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देना चाहिए।

निष्कर्ष :

महात्मा गांधी के मूल्य परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में अत्यधिक प्रभावी बने हुए हैं, जो करुणा, समानता और प्रगति युक्त भविष्य प्राप्त करने के लिए ज्ञान से सुसज्जित और सशक्त नागरिकों की एक पीढ़ी को तैयार करते हैं। उनकी मान्यताएं वर्तमान चुनौतियों से निपटने में भारत के साथ-साथ पूरे विश्व को भी प्रेरित करती हैं।

केस स्टडी : अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

Q. हाल ही में, आप योग्यता आधारित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रखंड विकास अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। अपनी पढ़ाई के उद्देश्य से आप अपने पैतृक गांव से दूर एक महानगर में चले गये थे। रिजल्ट की घोषणा के बाद, आप लगभग 5 वर्षों के बाद अपने गांव जाने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचकर, आप अपनी मौसी से मिलते हैं, जो एक वर्ष पहले विधवा हो गई थीं। आपने देखा कि उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, जैसे कि उन्हें पारिवारिक समारोहों में शामिल नहीं होने दिया जाता है, रसोई और घर के मुख्य क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है, आदि। इससे परेशान होकर आपने अपने माता-पिता से

बात करने का फैसला किया, जिन्होंने आपको बताया कि वहां के ग्रामीण विधवा महिलाओं को अपशकुन मानते हैं और उनसे दूरी बनाए रखते हैं। 21वीं सदी में आपके गांव और अपने घर में ऐसी मान्यताओं की मौजूदगी ने आपको परेशान कर दिया है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. करुणा को परिभाषित करते हुए सुझाव दीजिए कि दूसरों के प्रति करुणा के गुणों को आत्मसात करने से भेदभावपूर्ण सामाजिक समस्याओं से निपटने में कैसे मदद मिलेगी?
2. इसमें शामिल प्रमुख हितधारकों की पहचान कीजिए और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों पर चर्चा कीजिए।
3. आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे कि आपके गांव से ऐसी मान्यताएं खत्म हो जाएं?

PLUTUS IAS
UPSC / PCS

Our Top Rankers

AIR - 733	AIR - 91	AIR - 689	AIR - 181	AIR - 520	AIR - 132	AIR - 522
AKHILESH KUMAR VERMA	MANU GARG	KHETDAN CHARAN	HARDIK GARG	ROMA BARNA	RAJAT SINGH	SHIVAM SINGH
UPSC CSE-2024	UPSC CSE-2024	UPSC CSE-2024	UPSC CSE-2024	UPSC CSE-2024	UPSC CSE-2024	UPSC CSE-2024
PTDP - 2024	PTDP - 2024	PTDP - 2024	PTDP - 2024	PTDP - 2024	PTDP - 2024	PTDP - 2024

Many more.....

Best UPSC Faculties in India

- Dr. Hardeep Singh IAS (Retd.)
- Dr. Ghanshyam Singh (HCS allied services)
- Dr. Raju Narayana Swamy (Principal Secretary | IAS | AIR 1 | honorary)
- Dr. Huma Hassan (Anthropology & Sociology optional)
- Prateek Tripathi (Economic & Physics Optional)

Our Books are available on

www.flipkart.com	www.onlinekhanmarket.com	www.examophobia.com	www.amazon.in
Flipkart	Onlinekhanmarket	Examophobia	Amazon

Corporate Office:

917A/41, 1st floor, WEA Karol Bagh, Delhi 110005

Basement - 8 Apsara Arcade, Karol Bagh metro station Gate no. 6, New Delhi 110005

C 59, C Block, Sector 2, Noida, Uttar Pradesh 201301

https://www.instagram.com/__plutusias/ https://www.facebook.com/PlutusIAS/ https://www.youtube.com/@plutusias